एकादश माला, खंड 3, अंक 4

सोमवार, 15 जुलाई, 1996
24 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 15 जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(1)	नीचे से 4	नीपनचंद्र	नवीनचंद्र
(11)	3	उठापले	अठापले
(11)	11	कालाबाजार	काला बाजार
14	3	Jhtu sojfeJ%	श्री जनेश्वर मिश्र :
100	नीचे से 8	श्री एन·वी·एन·सोनू	श्री एन·वी·एन·सोमू
210	नीचे से 5	श्री श्रीकांत जेना	श्री श्रीकान्त जेना
211	7	श्री श्रीकांत जेना	श्री श्रीकान्त जेना
233	18	तूक्ष्कांक	तूपकांक

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 4, सोमवार, 15 जुलाई, 1996/24 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
महासचिव का परिचय		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	61 से 63 और 65	1—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	64 और 66 से 80	27—44
अतारांकित प्रश्न संख्या	433 से 440, 442 से 503 और 505 से 577	44—194
सभा पटल पर रखे गए पत्र		195—196
समितियों के लिये निर्वाचन		216—218
(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद		216—217
(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय इंदिरा गांधी स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद		217
(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की शासी निकाय		217—218
विधेयक-पुरःस्थापित :		
(एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) विधेयक, 1996		218
(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996		219
(तीन) कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996		219
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		220
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		220
कोयला खान भविष्य निधि-और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		221
नियम 377 के अधीन मामले		221—224
(एक) एच.ई.सी. रांची को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उसे पुनरूज्जीवित किये जाने की आवश्यकता		
श्री राम टहल चौधरी		221
(दो) महाराष्ट्र सरकार के बांद्रा-वरली, नरीमन प्वाइंट समुद्री मार्ग परियोजना की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता		
श्रीमति जयवंती नीवनचन्द्र मेहता		221—222
(तीन) कर्नाटक सरकार को अलमट्टी बांध की ऊँचाई बढ़ाने से रोकने की आवश्यकता		
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी		222

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(चार) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता	
श्री नारायण उठावले	222—223
(पांच) पंजाब में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये निवारक उपाय करने की आवश्यकता	
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	223
(छह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में वनों की कटाई रोकने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	223—224
(सात) बिहार के चतरा और गया के बीच रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता	
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	224
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	224—232, 255—263
(एक) बिहार में कालाबाजार से उत्पन्न स्थिति	
श्री सलीम इकबाल शेरवानी	224—226, 231
(दो) व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि के बारे में भारत की स्थिति	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	255—257
(तीन) बिहार के भोजपुर जिले में हुए नरसंहार की घटना	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	258—259
(चार) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के निकट 11 जुलाई, 1996 को अर्चना एयरवेज़ के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	
श्री सी.एम. इब्राहीम	259—261
नियम 193 के अधीन चर्चा	232—255, 263—299
बजट से पहले पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में भारी वृद्धि	
श्री ई. अहमद	232—236
श्रीमती गीता मुखर्जी	236—240
डा. मुरली मनोहर जोशी	240—251
कुमारी ममता बनर्जी	251—255, 263—265
श्री रूप चन्द पाल	265—269
श्री जय प्रकाश	269—272
श्री एस. बंगरप्पा	275—277
श्री ज़ोआचिम बक्सला	277—278
श्री हरिन पाठक	278—280
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	280—286
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	287—299

लोक सभा

सोमवार, 15 जुलाई, 1996/24 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने मद्रास में कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है क्योंकि उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन यह इसका समय नहीं है। यह प्रश्न अलग है।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह इस सरकार का समर्थन करने वाले 148 सदस्यों का अपमान है। उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिये और क्षमा मांगनी चाहिये।...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर-पूर्व) : इस घटना को सहन मत करें।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उनको समर्थन वापस ले लेना चाहिये।...**(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

महासचिव का परिचय

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे नये महासचिव, श्री एस. गोपालन का सभा से परिचय कराते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

पूर्वाह्न 11.04 $^1/_2$ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन

***61. श्री मोहन रावले** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने कोल इंडिया लि. का पुनर्गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने कोयला उद्योग की कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). वर्ष 1992 में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) द्वारा निम्नलिखित अंतरिम सिफारिश की गई थी, जोकि कोल इंडिया लि. के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किए जाने तथा कोयला उद्योग की कार्यक्षमता में सुधार लाए जाने से संबंधित थी :-

(1) कोककर कोयले और "ए" तथा "बी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनिर्यंत्रित किया जाए।

(2) अंतरण वचनबद्धताओं का संगत कीमतों पर निपटारा किया जाना और कंपनियों में कोयले की कीमतों में पारस्परिक विसंगति को समाप्त किया जाए।

(3) पूर्णतः संयोजित खानों से कोयले के संबंध में "कार्य-कुशलता कीमत" को लागू किया जाए।

(4) कोल इंडिया लि. में अधिक श्रमशक्ति को युक्तिसंगत किया जाए।

(5) कोयला परियोजनाओं का चयन किए जाने में कोल इंडिया लि. को स्वायत्तता दी जाए, और

(6) साफ्ट कोक की बिक्री पर दी गई आर्थिक सहायता की कोल इंडिया लि. के खाते से अदायगी न की जाए।

उपर्युक्त पहली तीन सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया है। उक्त चौथी सिफारिश एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उसके बारे में कोल इंडिया लि. में कार्रवाई जारी है। जहां तक पांचवीं सिफारिश का संबंध है, कोल इंडिया लि. को कोयला परियोजनाओं का चयन किए जाने के मामले में पहले ही स्वायत्तता है, जोकि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निवेश संबंधी निर्णयों की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने के अधीन हैं। छठी सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

श्रीमती कांति सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज लोक सभा में मैं पहली बार बोल रही हूं। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदगण से अनुरोध करूंगी कि वे मुझे सहयोग देने की कृपा करें।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, बी.आई.सी.पी. ने कोल उद्योग को सक्षम बनाने के लिए कोल इंडिया के पुनर्गठन के साथ-साथ अन्य सिफारिशें भी की थी। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अभी तक बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया? 2500 हजार करोड़ रूपये का जो घाटा हुआ है, वह रुपया कहां गया? क्या इसकी सी.बी.आई. इन्क्वारी होने वाली है?

श्रीमती कांति सिंह : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसे लागू किया जा चुका है। पहली अधिसूचना 9.1.96 को निर्गत हुई जिसके

अनुसार रामागुंडम ओपन कास्ट प्रोजैक्ट-II, जहां से पूरा कोयला एन.टी.पी.सी. को सप्लाई होता है, को 216.78 रुपये प्रति मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला ऐलाऊ किया गया। दूसरी अधिसूचना 22.4.96 को निर्गत कर राजमहल ओपन कास्ट प्रोजैक्ट को एन.टी.पी.सी. को 143 रुपये प्रति मीट्रिक टन मूल्य चार्ज करने की अनुमति दी गई है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 2500 हजार करोड़ रुपय का जो घाटा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? सी.बी.आई. की इन्क्वारी क्यो नहीं होती है? चीन हमारे बराबर था लेकिन आज उनका उत्पादन चार गुना बढ़ गया है और हम पीछे हैं। बिहार में तो सब जगह घोटाले ही हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। सदस्य को दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य द्वारा दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ लेने के बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने अधिकारियों को सस्पैंड किया है? दो दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 276 अधिकारियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। इसकी सी.बी.आई. इन्कवारी होने वाली है या नहीं। 2500 करोड़ रुपये कहां गए?

श्रीमती कांति सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1995-96 में कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोवीजनल फायदा 501.43 करोड़ रुपये है। घाटा नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया के पूरे विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार होता है। मैंने पहले भी कहा है कि कोल इंडिया में सही लोगों को कोयला नहीं मिलता है, बोगस लोगों को 5-7 हजार टन प्रति माह कोयला, जिनकी कोई यूनिट नहीं है, सब बोगस है, मिलता है। मुझको डब्ल्यू.सी.एल. की पूरी जानकारी है। मैंने मांग की थी कि इसकी सी.बी.आई. इन्क्वारी होनी चाहिए। जिनको जरूरत है उनको कोयला नहीं मिलता है। हम कोयला इम्पोर्ट कर रहे हैं जबकि विदर्भ के क्षेत्र में इतना कायेला डिपॉजिट है कि यदि उसे निकाला जाए तो देश में 50 साल तक कोयले की कमी नहीं पड़ेगी। फिर भी इम्पोर्ट करके इतनी विदेशी मुद्रा देते हैं। आप इम्पोर्ट क्यों करते हैं? पूरे कोल इंडिया में जो भ्रष्टाचार है, क्या सरकार इसकी सी.बी.आई. जांच करवाएगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं करवाएगी, क्या अड़चन है? अधिकारियों के भ्रष्टाचार है।...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि लाखों टन कोयला जो दे रहे हैं, उसमें इनका कहना है कि कोयले की लिंकेज कोल इंडिया द्वारा राज्य सरकारों की अनुशंसा पर ही दी जाती है ...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। लिकेज में स्टेट का रोल बाद में आता है, लिकेज कोल इंडिया पहले करता है, उसका जबाब दें। आपको जानकारी नहीं है तो बोलिए कि प्रश्न फिर से रखा जाय। लिंकेज पहले होता है, जो इण्डस्ट्री सैंटर है, उसका रोल बाद में आता है। आपका लिंकेज देने के बाद में उनपर बाईडिंग होती है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है।

श्रीमती कान्ति सिंह : लेकिन राज्य सरकार की अनुशंसा पर ही उसे हम लोग देते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप अपने अधिकारियों से पता करिए। लिंकेज डायरैक्ट कोल इंडिया करता है, वसूल करके उसको पूरा चूस लेते हैं और पूरे नोट वसूल करके लिंकेज देते हैं, यह वहां पर धंधा चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। आप मालम करिए वहां पर पूरा धंधा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। मंत्री महोदया बाद में इस बारे में पता कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है।...(व्यवधान) लूट का इतना बड़ा स्कैम कहीं भी नहीं है, यह इतना बड़ा स्कैम है। इसको आप लाइटली मत लीजिए। मैं राष्ट्र के हित में आपका संरक्षण चाहता हूं। यह इस तरह से टाला जा रहा है, यह गलत टाला जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे हल्का नहीं ले रहा हूं। आपने कहा है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार नहीं। मैने यह कहा है कि मंत्री महोदय ने लिकेज के बारे में वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : मंत्री महोदया तैयार होकर नहीं आती हैं।...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह मिसगाइड कर रही हैं, पूरा हाऊस मिसलीड हो रहा है।

श्री दत्ता मेघे : मेरे क्षेत्र के अन्दर कोयले की बहुत सी खानें हैं और जो पुरोहित जी कह रहे हैं, यह बात सही है। मंत्री महोदय के पास जानकारी रहनी चाहिए। वहां पर लिंकेज की जो प्राब्लम है, खास तौर से रामटेक का नागपुर में जो मताय संघ है और महाराष्ट्र के अन्दर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर कायेला है। यह जो सब सिफारिशें आपने लागू की हैं, यह सब सिफारिशें वहां लागू हुई या नहीं हुई? वहां पूरा इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, हंजारों लोग वहां पर कलकत्ता से लिंकेज लाते हैं ओर वहां पर बोगस लोग कोयला लेते हैं, उसकी आपको इन्क्वायरी करनी चाहिए। कैसे करानी चाहिए? आप डिपार्टमेंट से कराइये, सी.बी.आई. से कराइये, लेकिन खुले आम वर्तमान पत्रों में बात आ रही है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो कोयले का भ्रष्टाचार हुआ, उसका लिंकेज होना चाहिए।

रामटेक के अंदर जो उमरेड खदान है, वहां पर ऊपर ही कोयला जल रहा है, लेकिन अभी यह खदान शुरू नहीं कर रहे। वहां उमरेड में रामटेक के अन्दर लास्ट टाइम 84 करोड़ का फायदा हुआ, उसके बाद में ऊपर से दो-तीन खदानें हैं तो वह जो काम आपका रुका पड़ा है, वह आप जल्दी से जल्दी करने वाले हैं कि नहीं? इस साल 151 करोड़ रुपये का वहां फायदा होन वाला है। मैं खुद वहां गया, वहां अधिकारियों से बोला कि आप वहां के लोकल लोगों को एम्पलायमेंट नहीं देते। वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, यह जो दो-तीन बातें हैं, इसके बारे में में आप अधिकारियों से बात करें।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री दत्ता मेघे : प्रश्न यह है कि यह जो सिफारिशें की गई हैं, वह उस क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हुई और वहां जो पूरे पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी आप इन्क्वायरी करा रहे हैं क्या? जो लोकल लोग हैं; उनको आप वहां काम देने वाले हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह : मैं कह चुकी हैं कि तीन जो अनुशंसाएं की गई हैं, सिफारिशें की गई हैं, उन्हे लागू किया गया है और चौथी जोअनुशंसा है, जो कि लगातार उसमें काम दे रही है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर सुनें।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मंत्री महोदय गलत जबाब कैसे देंगी। हमारे लोग देखते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। हमने जो पूछा है, उसका जबाब दो, नहीं मालूम हो तो नहीं कहिए।

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होने मुझसे पूछा है, उसके बारे में मुझे जो जानकारी है, उसके आधार पर हमने जो लागू किया है, उसे मैं कह रही हूं। माननीय सांसद अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए मैं यहां पर हूं, जब भी वह चाहें, वह मुझसे बात कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : महोदय, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की छठी सिफारिश में कहा गया था कि साफ्ट कोक की बिक्री पर सबसिडी सी.आई.एल. के लेखे पर नहीं दी जानी चाहिये। इस सिफारिश को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। अतः क्या मैं मंत्री महोदया से जान सकता हूं कि सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को किस आधार पर रद्द किया है?

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : चुकि साफ्ट कोक का इस्तेमाल कमजोर तबके के लोग करते हैं इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया गया।

भारत-पाक वार्ता

+

*62. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने भारत-पाक वार्ता पुनः शुरू करने के लिए हाल ही में बिना शर्त कोई पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो पेशकश का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान हेतु उक्त देश से विदेश सचिव के स्तर पर वार्ता करने का प्रस्ताव किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू करन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अपना पदभार संभालने पर अपने बधाई संदेश में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने यह अनुरोध किया था कि भारत और पाकिस्तान को आमने सामने बैठकार स्थायी शांति के उपाय खोजने चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री ने दिनांक 8 जून, 1996 के अपने उत्तर में यह सुझाव दिया था कि दोनों देशों को व्यापक और विस्तृत बातचीत करनी चाहिए और विदेश सचिव स्तर की वार्ता पुनः शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि पूर्ववर्ती द्विपक्षीय दृष्टिकोण और सहमतियों से सभी मामलों में भावी बातचीत में दिशा निर्देश मिल सकता है, इन मामलों में वे मामले भी शामिल हैं जिन पर दोनों देशों के विचार अलग-अलग हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन प्रतिबन्धें को हटाने की दिशा में प्रयास

किये जाने चाहिए जिनकी वजह से दानों देशों के लोगों का आपस में कार्यकलाप कठिन हो गया है तथा दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए।

पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को भेजे गए हमारे प्रधानमंत्री के पत्र पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, पहली बार पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत सरकार से वार्ता की पेशकश की जा रही है। पाकिस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने हमारे प्रधान मंत्री को बधाई संदेश भेजा तो उसमें संयुक्त मोर्चा में शामिल जनता दल के चुनाव घोषणा-पत्र का भी उल्लेख किया। उससे वे बहुत उत्साहित हुई थी। उन्होंने कहा था कि जनता दल के चुनाव घोषणा-पत्र में इस उल्लेख से हमारा और हौंसला बढ़ा है कि कश्मीर विवाद को हल करने के लिए राज्य के लिए राज्य की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से पुनः वार्ता शुरू की जायेगी। सन् 1994 में सचिव स्तर की वार्ता टूटी और उसके टूटने का सारा श्रेय पाकिस्तान को जाता था। पाकिस्तान की हठवादिता के कारण वह वार्ता टूटी। वह किसी भी शर्त पर, किसी भी बिंदु पर पहुंचने को तैयार नहीं था। उसने कई शर्तें लगाई थी जिनमें से प्रमुख थी कि कश्मीर से भारत की सेनाएं वापस जाएं, मानवाधिकार का जो तथाकथित हनन भारत के द्वारा हो रहा है, उसे रोका जाए और साथ ही साथ यह भी कहा था कि कश्मीर में अंतराष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं तथा जेलों में बंद आतंकवादियों को छोड़ा जाए। क्या यह बात सही है कि जो भारत की इस समय की राजनैतिक परिस्थितियां हैं और पाकिस्तान की प्रधान मंत्री को भेजे गए हमारे प्रधान मंत्री के पत्र पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होती है यानि वह आपके इस उत्तर से कितनी संतुष्ट हैं और कितनी उत्साहित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है, आप प्रश्न पूछें।

श्री सत्यदेव सिंह : यह गम्भीर मसला है। यह प्रश्न भारत की सुरक्षा और भारत की एकता तथा अखंडता से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो है, लेकिन आप प्रश्न पूछें।

श्री सत्यदेव सिंह : पाकिस्तान के साथ हमारे विवादों की जड़ में कश्मीर है। इसके बारे में थोड़ा-बहुत तो कहना ही पड़ेगा। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस वार्ता के पहले क्या पाकिस्तान के द्वारा अनौपचारिक या औपचारिकरूप से कोई शर्तें लगाई जा रही हैं या नहीं? इसका दूसरा भाग यह है कि क्या भारत पाकिस्तान से यह साफ-साफ कहेगा कि यह वार्ता अच्छे वातावरण में हो, विश्वास के वातावरण में हो, इसके लिए आतंकवादियों को जो उसके द्वारा मोरल पोलिटिकल मैटिरियल और हथियारों का समर्थन दिया जा रहा है, उसको स्पष्ट रूप से रोकने की कोशिश करेगा? आज भी चार विदेशी बंधक उनके पास हैं। उन बंधकों का हश्र क्या होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पांच मिनट का समय ले लिया है कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री सत्यदेव सिंह : मैंने मंत्री महोदया से अपने अनुपूरक प्रश्न (क) और (ख) अभी पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक वाक्य में अपने अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री सत्यदेव सिंह : जी नहीं मैं अपना दूसरा अनपूरक प्रश्न (ग) के रूप में पूछूंगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे विचार से मेरे मित्र यह जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान ने बातचीत के लिए कोई पूर्व शर्तें रखी हैं या नहीं। मेरा यह उत्तर है कि हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अभी कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री सत्यदेव सिंह : मान्यवर, कम्युनिकेशन तो अभी नहीं मिला है। इसलिए यह नहीं जानते कि शर्तें वे लगायेंगे या नहीं लगायेंगे। लेकिन भारत की सरकार का स्पष्ट मानस होना चाहिए कि शर्त सहित वार्ता करेंगे या बिना शर्त वार्ता करेंगे। मेरी दूसरी सप्लीमेंटरी हैं कि आज भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों में जो रूकावट दूर करने का काम किया जा सकता है, वह वीजा का सरलीकरण और व्यापार और सांस्कृतिक समझौतों का आदान-प्रदान है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों सें बहत महंगी चीनी खरीद रहा है और भारत को पाकिस्तान को देने के लिए सस्ती दरों पर चीनी भारी मात्रा में उपलब्ध भी है। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पाकिस्तान से बातचीत करते समय हम अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और आने-जाने की सुविधाओं को सरल बनाने के लिए उनसे हमारा कोई आग्रह होगा?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे विचार से मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि हमारे लिये पहले यह सोचना कि हम बातचीत में क्या कहेंगे हमारे अपने दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा।

[हिन्द]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष, जी कोई जबाब नहीं आया है। प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इनको बेनजीर भुट्टो जबाब नहीं दे रही हैं और यह यहां पर जबाब नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध रखना सभी सरकारों का प्रयास रहा है और इस बारे में पिछले समयों में अनेक प्रयास किये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नरसिम्हा राव के शासन काल में उन्होने प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से 6 बार मुलाकातें की थी और बाद में

जब श्रीमति भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री चुनी गई तो मुझे उनके साथ बातचीत करने के लिये भारत के प्रधानमंत्री के विशेषदूत के रूप में भेजा गया था। परन्तु दुर्भाग्य से दोनों सरकारों के बीच संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई नीति तय की है। मैं इस बारे में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सर्वसम्मति बनाने के लिये विपक्षी दलों के सभी नेताओं से कोई बातचीत की है और क्या पाकिस्तान को कोई पेशकश की गई है अथवा की जाने की संभावना है जिसके कारण पाकिस्तान भारत के साथ बात करने में आकर्षित हो।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस विषय से सम्बद्ध रहे हैं। भूतकाल में उन्होंने तथा श्री नरसिम्हा राव ने जो प्रयास किये मैं उनकी सराहना करता हूं। मेरे विचार से भाग्य से भारत में सभी दलों में विदेश नीति के बारे में सर्वसम्मति बनी हुई है और यह एक स्वागत योग्य बात है।

जब तक यह प्रश्न है कि हम किस तरह से बात करेंगे, जैसा कि कुछ समय पहले मैंने संक्षेप में बताया है कि हमने दो पहल की हैं एक यह है कि हमने पत्र का उत्तर भेजा है। दूसरी पहल यह है कि हमने व्यक्तिगत आधार पर स्थिति में ढील लाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। यह भी एक संदेश के रूप में है। मेरे विचार से इस अवस्था पर मेरे लिये यह बताना उचित नहीं होगा कि हम किस प्रकार की बातचीत करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल : अध्यक्ष महोदय, जब हम प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भेजे पत्र पर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस बात का कोई अध्ययन किया है कि इस बीच ऐसे कौन से तत्काल ठोस उपाय करने की जरूरत है ताकि दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हो सकें। सार्क द्वारा सांस्कृतिक संबंधों के बारे में किये गये निर्णय के सदंर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह समझती है कि इससे व्यापार एवं अन्य आर्थिक संबंध स्थापित किये जाने से पहले बेहतर सास्कृतिक संबंध बनाने, में रास्ता खोलने में सहायता मिलेगी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय मैं दूसरे भाग का उत्तर पहले दूंगा। जहां तक व्यापार संबधों की बात है मेरे माननीय सदस्य को याद होगा कि सार्क ने साप्टा नामक संस्था की स्थापना करने के प्रयास किये हैं। मेरे विचार से इस क्षेत्र में सभी देशों ने उसके लिये अपना योगदान किया है। साप्टा ने अब कार्य करना आरंभ कर दिया है और हम तेजी से इस ओर बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में सुधार होगा। मैं समझता हूं कि यह हमारे ही हित में नहीं है अपितु इस क्षेत्र के सभी लोगों के हित में है। इसी कारण हमने इस विचार को प्रोत्साहन दिया है।

हाल ही में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वह राजनैतिक तथा आर्थिक संबंधों की बात को अलग अलग करना चाहते हैं। यह भी एक अच्छी बात है। मैं यह कहूंगा कि हमने अनेक एकतरफा कदम उठाये हैं जिससे कि मित्रता और दोस्ती का वातावरण पैदा हो सके। उदाहरण के रूप में हमनें वीजा के लिये काफी ढील दी है। हमने कुछ पत्रकारों को भी भारत आने का निमन्त्रण भेजा है। हमने यह सुझाव भी दिया है कि हम कराची में अस्थायी वीजा कैम्प स्थापित कर सकते हैं बशर्ते हमें उसके लिए अनुमति दी जाये। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं। कि इस देश में पत्रिकाओं और पुस्तकों के आयात के बारे में यदि कोई प्रतिबन्ध हैं तो उनमें किस तरह से छूट दी जायं।

यह कदम हम एकतरफा आधार पर उठा रहे हैं। हम इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वे इन पर उपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे उथवा नहीं। हमारा निरन्तर प्रयास यही है जैसा हमने अपने पत्र में भी लिखा है कि हम यह देखना चाहते हैं कि यदि लोगो के बीच संबंध स्थापित करने के रास्ते में कोई बाधाएं हैं तो उनको दूर किया जाये। हमने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान के एक ससंदीय शिष्टमंडल को आमंत्रित किया जाये और मेरा विचार है कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा पाकिस्तान के एक शिष्टमण्डल को हमारे दोनों देशों की संसदों के बीच संबंध स्थापित हो सकें। हम इस विश्वास के साथ यह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मित्र बन कर अच्छे पड़ौसी के रूप में इक्ट्ठे रहेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि अमरीका सरकार भारत पाक विवाद में मध्यस्थता की बात कर रहा है। एक समय पाकिस्तान भी अमरीकी मध्यस्थता के पक्ष में था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार अभी भी अमरीकी मध्यस्थता के पक्ष में है या बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वह सरकार विवाद को द्विपक्षीय आधार पर हल करने के पक्ष में है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरा विचार है कि शिमला समझौते ने हम दोनों के बीच किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप अथवा मध्यस्थता की बात को हमेशा के लिये खत्म कर दिया है। जो भी संबंध बनने हैं या जो भी बातचीत होनी है वह द्विपक्षीय आधार पर होनी है।

श्री जगमोहन : महोदय मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री पाकिस्तान में अमरीकी राजदूत के द्वारा वहां पर सेना की एक कमान को सम्बोधित करते हुए कहे गये शब्दों के निहित अर्थ समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं उनके निहित अर्थों के संदर्भ में जाननी चाहता हूं कि क्या उनका यह विचार है कि कुछ ऐसी विदेशी ताकतें एवं हित हैं जो भारत के प्रति मित्रतापर्वूक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। वह ताकतें काश्मीर तथा पकिअधिकृत काश्मीर में अर्द्ध स्वतन्त्र काश्मीर के विचार को बढावा देने या ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं जो आजाद काश्मीर या अर्द्ध-स्वतन्त्र काश्मीर की स्थापना के हक में हैं। भारत सरकार अधिकतम स्वयात्तता या आजदी के बिना स्वायत्तता की बातें करके जाने-अनजाने उनके फंदे में फंस रही है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय सदस्य अच्छे जानकारी व्यक्ति हैं और उनको निहित अर्थ समझने में विशेषज्ञता हासिल है जो मुझे नहीं है। मैं तो शब्दों के सीधे सादे अर्थ समझता हूं। अमरीकी राजदूत ने इस संदर्भ में कहा अथवा नहीं कहा मैं समझता हूं कि हमारे

द्विपक्षीय दृष्टिकोण के विरूद्ध नहीं है। इस कारण मैंने उसकी ओर कोई, ध्यान नहीं दिया है। जहां तक स्वयात्तता देने के मामले का संबंध है यह हमारा आन्तरिक मामला है और हम सभी दलों के साथ बातचीत करके हल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस : अध्यक्ष जी, विदेश मंत्री जी ने कहा है कि भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता में संबंध कायम करने का काम भारत सरकार करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कराची में जो हाई कमीशन का दफ्तर बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से हजारों जो मुहाजिर हैं उनका हिंदुस्तान में आना मुश्किल हो गया है। क्या उसको खोलने का काम आप करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि वहां जो किताबें छप रही हैं और वहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके लिए बहुत से काम करने के बारे में कहा गया है। मान्यवर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां जो मशहूर किताबें लिखने वाले हैं और जो वहां किताबें साया होती हैं उनके लिए मैंने काफी बार लिखा है लेकिन उनको यहां भारत में भेजने में उनको काफी परेशानी हो रही है। वहां जो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं उनको हिंदुस्तान लाने और यहां के लोगों को वहां भेजने का भारत सरकार क्या कोई ठोस कार्यक्रम है, जिससे यहां की जनता और वहां की जनता में मधुर संबंध कायम हो सकें? तीसरा सवाल यह है कि जब हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में चर्चा करें तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे रिश्ते दो वतनों के रिश्ते हैं, दो भाईयों के रिश्ते हैं, वे हमारे कोई दुश्मन नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें। आप सुझाव दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस : मैं पूछना चाहता हूं कि उनके बारे में हम कोई पॉलिटिकल व्यू लेकर क्या संबंध बनाएंगे? माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे अजीज दोस्त ने जो बात कही। जहां तक कंसुलेट का दफ्तर खोलने का प्रश्न है कि हम खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम खोलेंगे जब वे खोलने देंगे। यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। जो लोग वहां से आना चाहते हैं आपने देखा होगा कि उनके लिए हमने वीजा की सहूलियतों में बहुत छूट दी हैं। जहां तक किताबें आने की बात है तो आपकी नजर में अगर ऐसा कोई कानून हो जो यहां उन्हें आने से रोकता हो तो आप हमें बताएं, हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में तो अभी तक नहीं आई है जिससे किताबें या अखबार आने में कोई परेशानी हो। फिर भी हम पता लगाएंगे कि ऐसा कोई रूल है या नहीं है। अगर होगा तो हम दूर करेंगे। जहां तक हमारे दोस्तों के आने का सवाल है कि वे आने चाहते हैं तो खुशामदीद। जो भी आना चाहे, आए, यह मुल्क खुला है। यह खुली हवा का देश है।...**(व्यवधान)** इस देश में जो भी आएगा, उसका हम अपने यहां स्वागत करेंगे।

श्री सत्यदेव सिंह : खिड़कियां-दरवाजे सब उखाड़ लीजिए।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा. रंगपी का नाम पुकारा है। आप इस तरह आपस में बात न करें।

डा. जयन्त रंगपी : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले भारत-पाक वार्ता टूटने के बाद, वास्तव में यह बड़ा सकारात्मक संकेत है कि पाकिस्तान ने आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारे प्रधान मंत्री ने भी व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने और लोगों में आपसी सम्पर्क स्थापित करने पर जोर दिया है। यह निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या तुलनात्मक रूप से भारत की बेहतर स्थिति और मानव बल की ताकत को देखते हुए भारत सरकार पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजबूत बनाने और उप-महाद्वीप में शांति और भाइचारे के युग को आरंभ करने के लिये उस देश को "युद्ध न करने" की पेशकश करेगी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि मैं बताऊं कि मैं क्या पेशकश करूंगा या क्या पेशकश नहीं करूं। मैं समझता हूं कि यह ऐसा अवसर नहीं है कि मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। भारत के प्रधान मंत्री ने पेशकश की है कि हम हर मामले पर बातचीत के लिये तैयार हैं। इसमें वह भी सम्मिलित है जो वह कर रहे हैं। अतः जब भी बातचीत होगी हम बहुत उत्साह और आशाओं के साथ उस बातचीत में हिस्सा लेंगे।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद

\+
***63. डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री एन. डेनिस :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तथा अन्य दूसरे राज्यों के बीच पिछले कई वर्षों से अन्तर्राज्यीय जल-विवाद चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें हल करने के लिए सरकार ने कोई नीति संबंधी निर्णय लिए हैं और इन विवादों के समाधान हेतु कोई सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, इस समय दो अन्तर्राज्यीय जल विवाद हैं नामशः-

1. कावेरी जल विवाद और
2. राबी-व्यास जल विवाद

(ख) और (ग). मौजूदा परिपाटी के अनुसार, जल विवादों को बेसिन राज्यों के साथ बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें की जाती हैं। यदि ये कोशिशें कामयाब नहीं होतीं और यदि कोई बेसिन राज्य अधिकरण की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच जाता है तो अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत निपटारे के लिए इसे स्थापित किया जाता है। जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देश अपनाए जाने के लिए भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 1983 में किया गया था। इसके उपाध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री थे। सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य थे। वर्ष 1990 में भी अन्तःराज्यीय विवादों को निपटाने और इस बारे में किये गये सभी सौदों की जांच के लिये राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया था। परन्तु मुझे इस बात से हैरानी है कि आपने केवल कावेरी जल विवाद तथा रावी व्यास जल विवाद के बारे में ही स्पष्टीकरण दिया है। यह ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि केवल उन दिनों में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि सिंचाई परियोजनाएं आधुनिक मन्दिर हैं। इस राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थापना इसी भावना के साथ की गई थी और प्रधान मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। परन्तु अब हमें इस परिषद् की कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती है। प्रत्येक सिंचाई परियोजना भगवान राम का आधुनिक मन्दिर है। आपको इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश की जनता के मन में कर्नाटक में अलमटी बांध के बारे में गलत विचार हैं। उस राज्य ने बांध के लिये पहले तय की गई ऊंचाई में 30 फुट की और वृद्धि कर दी है। यदि उन्होंने बांध की ऊंचाई को बचावत विशिष्टियों से अधिक ऊंचा कर दिया तो आन्ध्र प्रदेश के लोगों को विनाश का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि कर्नाटक में केवल 155 टीएमसी जल का ही उपयोग हो सकेगा किन्तु यदि बांध की ऊंचाई को बचावत रिपोर्ट में तय की गई सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया तो कर्नाटक द्वारा 400 टी.एम.सी. पानी का उपयोग किया जायेगा।

अतः यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई और यदि 400 टी.एम.सी पानी का उपयोग किया गया तो आन्ध्र प्रदेश के लोग 34 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे। इसके परिणामस्वरूप कृष्णा, पश्चिम गोदावरी और गुन्टूर जिलों में सिंचाई सुविधाएं नहीं रहेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके ध्यान में यह बात आई है कि बांध की ऊंचाई बचावत अवार्ड द्वारा तय की गई ऊंचाई से बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

Jhtusoj feJ %अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय जल आयोग और दूसरे आयोग के बारे में चर्चा की। उनका गठन हुआ। इसकी समय समय पर मीटिंग्स भी होती रहती है। कुछ ट्रिब्यूनल्स जिनका निर्णय हो चुका है, उनको कई राज्य सरकारें मुद्दा बनाकर उभारना चाहती हैं जो कि श्रेयस्कर नहीं है। वे कई मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स को विवाद की श्रेणी में न रखकर कंट्रोवर्सी की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से ऑलमैटी प्रोजैक्ट को लेकर कई राज्य सरकारों ने एतराज किया। उसपर सरकार क्या विचार करे, हम चाहेंगे संबंधित राज्य सरकारें आपस में सलाह-मशविरा करके इसका हल निकालें क्योंकि उस पर ट्रिब्यूनल अपना फैसला दे चुका है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री इस बारे में गंभीर नहीं हैं। परन्तु यह एक विवाद है। कई बातें हो रही हैं। यह इतनी आसान बात नहीं है। मैं आन्ध्र प्रदेश के लोगों की सुख और शांति के लिये बोल रहा हूं।

वास्तव में आन्ध्र प्रदेश के लोग इस समस्या के बारे में भावनात्मक, न्यायिक तथा राजनैतिक आधार पर चिंताग्रस्त हैं। अतः कुछ दिन पूर्व आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेसी सांसद एक शिष्ट मंडल में प्रधान मंत्री से मिले और प्रधान मंत्री ने निसन्देह यह स्पष्ट किया कि हमें चिंतित नहीं होना चाहिये और यह कि बांध की ऊंचाई भी एक निश्चित सीमा से अधिक ऊपर नहीं बढ़ाया गया है। परंतु फिर भी आन्ध्र प्रदेश के लोग सन्तुष्ट नहीं हैं।

मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय जैसा प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है, सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा दोनों राज्यों के संसद सदस्यों से बनी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति को तत्काल इस समस्या का हल करने के लिये वहां भेज सकते हैं जो 15 दिन या एक महीने व दो महीनों के भीतर इसे हल कर सके जिससे आन्ध्र प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग में बैठी गल्तफहमियां दूर हो सकें और आन्ध्र प्रदेश के लोगों को किसी भी अन्य आन्दोलन को शुरू करने का मौका न मिले।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जब कभी पानी के जरिये कोई नया प्रॉजेक्ट बनने लगता है तो कुछ राज्यों में दहशत पैदा हो जाती है और यही हुआ है। राज्य की जनता सिंचाई के लिये नदी जल पर निर्भर करती है चाहे वह कृष्णा नदी हो या गोदावरी हो। वह त्राहि-त्राहि करती है, उसके जज्बे उभरते हैं जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है। केन्द्रीय सरकार उन राज्योक को आपस में बैठाकर सलाह-मशविरा करती है और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी भी भेजती है। अगर विवाद ऊपर चला जाता है लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलता है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी जगह अड़ी रहती हैं क्योंकि उनकी जनता और उनके दुख-दर्द का सवाल रहता है। फिर भी माननीय सदस्य ने सवाल नहीं पूछा है और सलाह दी है

कि क्या केन्द्र सरकार अपनी तरफ से संसद सदस्यों की या हाई पॉवर कमेटी भेजेगी। केन्द्र सरकार हाई पॉवर कमेटी नहीं दे सकती क्योंकि सिंचाई और जल राज्य का अपना विषय है और इसको हाई पॉवर कमेटी नहीं कर सकती पंचायती पॉवर के आधार पर कोई रास्ता निकला जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मुझे बहुत दुख है कि माननीय मंत्री ने मेरी समस्या को समझा नहीं है। क्या यह समिति कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति है या कोई मध्यम स्तर की समिति है अथवा निचले स्तर की समिति है, से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मैं यह कह रहा हूं कि यह एक ज्वलंत समस्या है और आन्ध्र प्रदेश की जनता इसके लिये आन्दोलन कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं समझा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी ओर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैंने माननीय मंत्री से संशय दूर करने को कहा था। परंतु मंत्री महोदय समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। उन्होंने आप के प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री पी. कोदंडरमैया : महोदय, इस समस्या के दो पहलू हैं। पहली समस्या कावेरी जल विवाद है और दूसरी समस्या कृष्णा जल विवाद है। जहां तक कावेरी जल विवाद का संबंध है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मसले को हल करने के लिये विचार करते समय आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जायेगी और तब तक के लिये राज्य सरकार को उन्होंने अनुरोध किया कि 5 टी एम टी पानी छोड़ा जाये। तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुरोध के परिणास्वरूप कर्नाटक राज्य ने 5 टी एम सी जल छोड़ा। जब मैं जल संसाधन मंत्री ये यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं तो क्या प्रधान मंत्री या सरकार राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने हेतु तत्काल कदम उठायेगी और इस बीच कावेरी जल बेसिन से तमिलनाडु को पानी छोड़ा जाना धीरे-धीरे रोका जा सकता है और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेशों के अनुसार नहीं।

जहां तक अलमाती बांध का संबंध है माननीय सदस्य डा. सुब्बारामी रेड्डी ने कुछ आपत्तियां उठाकर कहा है कि आन्ध्र प्रदेश की जनता को आशंकाएं हैं कि कर्नाटक की ओर जमा किया जा रहा पानी तटवर्ती ज़िला को नहीं छोड़ा जायेगा। कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि बांध की ऊंचाई कर्नाटक को आवंटित जल के भण्डारण के लिये बढ़ाई जा रही है। हम उससे पानी की एक भी अतिरिक्त बूंद नहीं लेंगे। बचावट पचांट के अनुसार कर्नाटक को कुछ हिस्सा मिलना है। हम केवल उसी हिस्से का उपयोग कर रहे हैं और वह भी हमें वर्ष 2000 से पहले तेजी के साथ करना है।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न कहां है?

श्री पी. कोदंडरमैया : मैं जल संसाधन मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अलमत्ती बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने के बारे में केन्द्र सरकार को अथवा आन्ध्र प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। दूसरे मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय राष्ट्रीय जल नीति शीघ्र ही तय करेंगे और देखेंगे कि विवाद ठीक ढंग से हल हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अलमट्टी डैम के बारे में केन्द्रीय सरकार की तरफ से क्लीयरेंस नहीं दिया गया है। उनकी प्रोपोजल है। जैसाकि मैंने शुरू में कहा कुछ राज्य दहशत में आकर घबरा जाते हैं क्योंकि राज्य के किसानों की खेती और पीने के पानी का सवाल है।

वह दहशत कभी-कभी जज्बे के रौ में आ जाती है। अभी उसको क्लियरेंस नहीं दिया गया है। वह विचाराधीन है, लेकिन उसके पहले ही यह बात उठ गई, यह अच्छी बात नहीं है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि कावेरी जल-विवाद का अंतरिम निर्णय अभी ट्रिब्यूनल की तरफ से हुआ है। अंतरिम निर्णय और अंतिम निर्णय के बीच में जो स्थिति हुआ करती है, उसी स्थिति से कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग गुजर रहे हैं। अब की बार जो जून के महीने में बरसात हुई, उसकी पैमाइश से लगा है कि पानी जलाशयों में कम आया है। फिर भी पानी देने के बारे में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने घोषणा की हालांकि जितना पानी दिया जाना चाहिए था, उतना तो उन्होंने नहीं दिया क्योंकि पानी कम है और यह हाइड्रोलॉजी का नियम है कि कोई भी अवॉर्ड होता है तो वह प्रकृति पर मुनस्सर करता है। पानी जलाशय में कम आया तो जिस राज्य से वह पानी जाना है, वहां के लोगों की भी समस्याएं हैं और जिस राज्य में जाना है, वहां के लोगों की भी दिक्कतें हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए ही यह बात चलती है। यह सही है कि तमिलनाडु की सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक चली गई, लेकिन उसके पहले जब से कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने पानी देने का निर्णय किया, उससे हम समझते हैं कि थोड़े दिनों के लिए यह बात टल गई।

[अनुवाद]

श्री तिरूची शिवा : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के पास न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा दिये गये अथवा दिये जाने वाले निर्णय का प्रवृत करने और उसकी निगरानी के लिये कोई सांविधिक प्राधिकरण अथवा संविधानी संस्था बनाने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी प्रश्न इतना ही छोटा होना चाहिये ताकि हमें अधिक समय मिले।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : इस तरह की कोई स्टेंट्टरी अथॉरिटी नहीं हो सकती क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि जो राज्य के विषय हैं, उन पर अगर केन्द्र सरकार जरूरत से ज्यादा दखल देने लगेगी तो संविधान का ढांचा गड़बड़ा जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर के आखिरी वाक्य में बोला कि जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति और दिशा-निर्देश बनाए जाने के लिए भी प्रस्ताव हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि क्या संयुक्त मोर्चा की सरकार नदी जल को राष्ट्रीय संपत्ति मानती है और क्या यह सोचती है कि नदी जल का बंटवारा विभिन्न राज्यों में उस राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए न कि क्षेत्रीय संकीर्ण दावों के आधार पर? यदि हां तो इस बारे में नदी जल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए यह सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री जनेश्वर मिश्र : संयुक्त मोर्चा सरकार ने पानी के बारे में राष्ट्रीय नीति और दिशा-निर्देश तय करने की प्रस्तावना की है। हम यह मानकर चलते हैं कि पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। यह भी मानकर चलते हैं कि बहुत से इलाके हैं जहां पर नदियां नहीं हैं, उनकी सिंचाई का भी इंतजाम होना चाहिए। यह भी मानकर चलते हैं कि जिन इलाकों से नदियां बहती हैं, वहां के लोग इन नदियों पर अपना अधिकार ज्यादा जताते हैं यह भी मानकर चलते हैं कि जिन नदियों पर जहां के लोगों के जज्बे जुड़े रहते हैं, नदी एक ही है लेकिन जज्बे ज्यादा जुड़े रहते हैं इसलिए वह उसी हिसाब से उसे देखते हैं। लेकिन इस पर ज्यादा छेड़खानी करने से एक राज्य के दूसरे राज्य से टकराने की आशंका है। इसलिए 1956 में जो ट्रिब्यूनल बनाने का कानून बना, उस कानून के तहत हम कोशिश करते हैं कि राज्यों के बीच में जहां तनाव पैदा होता है उसको हल करने का रास्ता निकालें।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध के बारे में अपना निर्णय दे दिये जाने, गुजरात सरकार द्वारा बांध का निर्माण न्यायाधिकरण द्वारा तय सीमाओं के भीतर आरंभ किये जाने, गुजरात राज्य द्वारा बांध के निर्माण पर 55 करोड रु. का व्यय कर लिये जाने के बाद, बांध की ऊंचाई का निर्णय भी न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है क्योंकि चार राज्यों में से एक राज्य कोई न कोई नाम देकर व किसी न किसी बहाने इसमें बाधाएं खड़ी करने के प्रयास कर रहा है।

गुजरात के विरोध के बावजूद बांध की ऊंचाई कम करने के बारे में संयुक्त मोर्चा सरकार का क्या रूख होगा। क्या केन्द्र सरकार इस बात को देखेगी कि न्यायाधिकरण का फैसला जो अन्तिम फैसला है, कार्यान्वित किया जाये। या क्या सरकार विभिन्न राज्यों के जजबात के अनुसार उसमें छेड़छाड़ करने की अनुमति देगी? मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है और मैं किसी 'जजबात' में नहीं फंसना चाहता। न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया था। 258 मेगावाट बिजली केन्द्र तैयार कर लिया गया है परंतु देश में बिजली की कमी है।

इस स्थिति में संयुक्त मोर्चा सरकार का रूख क्या होगा? माननीय मंत्री इस का स्पष्ट उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर चारों संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज से एक हफ्ता पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी... **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : आज फिर हो रही है शाम को।

श्री जनेश्वर मिश्र : आज से एक हफ्ता पहले जो बैठक बुलाई गई थी, मैंने उसकी चर्चा की और आज शाम को भी चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। शाम को ही, थोड़ी देर बाद, प्रधान मंत्री जी उन लोगों से बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और एवार्ड में जो आदेश हुआ है, निर्णय हुआ है, उसका पालन करने के लिए सभी राज्य आपसी रजामंदी से तैयार हो जाएंगे।... **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : मेहता जी का प्रश्न यह नहीं था। उन्होंने पूछा था कि बांध की हाइट को रिड्यूस करने के बारे में युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है... **(व्यवधान)** जो एवार्ड दिया गया है, नर्मदा प्रोजैक्ट चूंकि गुजरात के लिये लाइफलाईन है... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 64. श्री रामकृष्णा रेड्डी।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, श्री मेहता ने एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बांध की ऊंचाई घटाने का है। उन्होंने एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा है।... **(व्यवधान)**

श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा कब... **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : महोदय उन्होंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है। यह नर्मदा परियोजना गुजरात की जीवनधारा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम उस प्रश्न पर पहले ही 22 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : महोदय, हम केवल पांच मिनट का समय चाहते हैं।

श्री हरिन पाठक : महोदय, इस मामले को लेकर आज सारा गुजरात आन्दोलित है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची में अनेक प्रश्न हैं। हम जितने संभव हो सके उतने लेना चाहते हैं। हम एक ही प्रश्न पर इतना समय व्यतीत नहीं कर सकते। यह एक ऐसा मसला है जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ध्यान में आ चुका है। जैसा कि बताया गया है कि मुख्य मंत्रियों की आज बैठक हो रही है। प्रधान मंत्री के साथ भी बातचीत हो रही है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये कि राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच क्या बातचीत होती है। यदि इस बारे में बातचीत की जरूरत हुई तो मैं बाद में इस पर विचार करूंगा। परंतु इस अवस्था पर इतना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : न्यायाधिकरण के अवार्ड के अनुसार कोई भी राज्य इस बांध की ऊंचाई कम नहीं की जा सकती...**(व्यवधान)**

श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न संख्या 64 पूछ रहे हैं?

श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम : महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं और मैं तन्जावूर से निर्वाचित हो कर आया हूं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे कावेरी जल न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन की नियुक्ति कब करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

अब मंत्री महोदय प्रश्न संख्या 64 का उत्तर देंगे।

श्री सनत मेहता : परंतु महोदय मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।...

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं श्री मेहता के अगले प्रश्न तक पहुंच चुका हूं। कृपया बैठ जायें। मैंने आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम....

श्री सनत मेहता : महोदय, मुझे उत्तर नहीं मिला है।... **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : महोदय मैं इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की मांग करता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। कृपया उत्तर सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मामले को अधिक न उलझायें। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बांध की ऊंचाई के बारे में जो मुद्दा यहां पर उठाया है, हमसे सवाल किया है, आज की बैठक में और जब कभी भी मुख्यमंत्रियों की या अधिकारियों की बैठक होती है, यह मुद्दा हर बार उठता है और आज की बैठक में भी ऊंचाई का मुद्दा हर बार उठता है और आज की बैठक में भी ऊंचाई का मुद्दा उठेगा।

मैं आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसका इंटरप्रिटेशन अलग-अलग होता है, निर्णय का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत कर हम कहीं न कहीं सहमति लाऐंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम : नए सदस्यों के लिये पुरश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने का क्या अर्थ है? मैं प्रभावित क्षेत्र तंजावूर से निर्वाचित हुआ हूं और मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लोग प्रभावित हैं। मैं इसे समझता हूं। परंतु अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह यूनीवर्सल शिक्षा के बारे में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री मिश्र आपके लिए एक और प्रश्न है।

श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम : मैं कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन की नियुक्ति कब करेंगे। दूसरे अन्तरिम अवार्ड दो साल पहले दिया गया था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे न्यायाधिकरण के अन्तरिम अवार्ड को कार्यान्वित कब करेंगे और तमिलनाडु और विशेषरूप से तंजावूर के किसानों की समस्याओं को कब तक हल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : ट्रिब्युनल के चेयरमैन ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। एक-दो दिन पहले ही उनमें त्यागपत्र की सूचना हमारे मंत्रालय को मिली है। उसको विधि मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के जरिये सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है कि उनकी जगह पर कोई दूसरा माननीय न्यायाधीश किया जाए।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश और राजस्थान में लंबित सिंचाई परियोजनाएं

+

***65. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की कई बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी न दिए जाने के कारणों सहित ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान से स्वीकृति के लिए प्राप्त नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	अन्ततः सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) मध्य प्रदेश					
तकनीकी-आर्थिक जांच पूरी हो गई है और राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया :					
वृहद					
1.	बाण सागर यूनिट-II	445.76	2,49,360	1/91	सलाहकार समिति द्वारा 1/94 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	राजघाट नहर	309.21	1,21,450	2/90	सलाहकार समिति द्वारा 8/93 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	सिंध फेज-II	510.94	1,62,100	12/90	सलाहकार समिति द्वारा 12/92 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग से भी सहमति प्राप्त करनी है।
4.	वार्गी बहुप्रयोजनी	566.34	2,19,800	1/89	सलाहकार समिति द्वारा 9/89 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय दृष्टि से और राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
5.	कोलार	139.14	60,870	10/91	सलाहकार समिति द्वारा 4/92 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी है और सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग के लिए प्रस्ताव तैयार करने हैं।

1	2	3	4	5	6
6.	तनवर टैंक	24.38	18,120	12/89	सलाहकार समिति द्वारा 3/91 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
7.	प्रैंच टिक्परिवर्तन	184.04	96,520	8/86	सलाहकार समिति द्वारा 10/88 में स्वीकार्य पया गया। राज्य सरकार ने आठवीं योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त संसाधनों को सुनिश्चित करना है।
8.	माहन	39.00	19,040	6/83	सलाहकार समिति द्वारा 6/83 को स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है और अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं।
9.	ओमेकारेश्वर बहुप्रयोजनी परियोजना	1693.29	2,83,320 520 मेगावाट	11/92	सलाहकार समिति द्वारा 8/93 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा राज्य वित्त विभाग से सहमति लेनी है।
मध्यम					
	शून्य				
(ख)	सलाहकार समिति द्वारा विचार स्थगित किया गया :				
1.	महानदी जलाशय	916.30	4,25,000	2/90	सलाहकार समिति द्वारा 1/94 में इस पर विचार स्थगित किया गया। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना परियोजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
(ग)	राज्य सरकार ने विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है :				
मध्यम					
1.	केलो सिचांई	92.45	34,560	5/88	राज्य सरकार ने कोयले की खानों की जलमग्नता के संबंध में कोयला विभाग से तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी है। केन्द्रीय जल आयोग के साथ अन्य तकनीकी पहलुओं को भी हल करना अपेक्षित है।
मध्यम					
1.	सूतियापाट	15.30	6,960	7/93	अद्यतन लागत अनुमान हाल में 7/93 में प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	अपर बेंडा	89.17	13,360	9/92	राज्य को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
3.	उरीबाघ	18.85	6,430	9/93	-वही-
राजस्थान					
(क)	तकनीकी-आर्थिक जांच पूरी कर ली गई है और सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन स्वीकार्य पायी गयी।				
बड़ी					
1.	बीसलपुर पेयजल व सिंचाई	309.07	49890	11/91	सलाहकार समिति द्वारा 3/93 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय एवं वन दृष्टियों से स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं।

1	2	3	4	5	6
2.	इंदिरा-गांधी नहर चरण-I	86.39	525000	3/93	सलाहकार समिति द्वारा 6/96 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
मझौली					
1.	वेथाली सिंचाई	13.07	4,320	10/91	सलाहकार समिति द्वारा 12/91 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को कल्याण मंत्रालय से पुंनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी है और राज्य वित्त विभाग की सहमति प्रस्तुत करनी है।
2.	चौली सिंचाई	28.87	8,960	2/92	सलाहकार समिति द्वारा 4/92 में स्वीकार्य पाई. गई। निवेश स्वीकृति के लिए परियोजना योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।
(ख)	**राज्य सलाहकार को विभिन्न मामलों को हल करना है**				
1.	बंदी सेन्ट्रा	11त्र56	4090	1/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
2.	सुक्ली सिंचाई	15.41	4220	1/93	राज्य सरकार से प्राप्त अनुपालना की जांच की जा रही है।
3.	चकन सिंचाई	7.98	3380	9/92	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी है।
4.	गरारदा सिंचाई	36.50	9220	7/95	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन दृष्टि से और कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त करनी है।
5.	पिपलाद सिंचाई	16.93	4700	2/93	राज्य सरकार को अनुमान को अद्यतन करना है एवं कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	ओलवारा लिफ्ट सिंचाई	9.00	54100	12/93	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

(ग) और (घ). हालांकि तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए समय सीमा निर्धारित है तथापि सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों की अनुपालना में विलम्ब के कारण परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब हो जाता है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्यों की सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के अधीन विचाराधीन रहती हैं। माननीय मंत्री महोदय ने उसमें देरी की मुख्य वजह यह बताई है कि राज्यों के अप्रेजल्स के रूप में जो देरी होती है उसी की वजह से केन्द्र सरकार में काफी देरी लगती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इस प्रकार की योजनाओं में राज्य सरकार को कुछ मध्यवर्ती सिंचाई योजनाओं में स्वीकृति देने हेतु छूट देने का विचार रखती है?

श्री जनेश्वर मिश्र : राज्य सरकार जो भी सिंचाई परियोजना भेजती है उसके लिए केन्द्र सरकार चाहती है कि वह परियोजना

माकूल हो। आर्थिक और तकनीकी रूप से हमारा मंत्रालय रिपोर्ट देता है। बहुत सी राज्य सरकारें जल्दी में ऐसी परियोजनाएं भेज देती हैं जो आर्थिक और तकनीकी रूप से सही नहीं होती। उनके लिए जो दिशा-निर्देश होते हैं उनके मुताबिक सुधार करने के लिए कहा जाता है और उसमें विलम्ब होता है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकारों को मध्यवर्ती सिंचाई योजनाओं के लिए सी.डब्ल्यू.सी के अलावा छूट देने का केन्द्र सरकार विचार रखती है?

श्री जनेश्वर मिश्र : जो परियोजनाएं लंबित हैं उनके बारे में सवाल है। इसमें राज्य सरकारों को छूट दे दी जाए और अपनी तरफ से उसको डिजाइन या और कुछ कर लें तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसीलिए कुछ गाइडलाइंस रखी गई हैं। अगर वे नहीं हों तो कुछ मुश्किल होगी।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की ओर से हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी मुख्य नहर परियोजना पर धीमी गति से कार्य चल रहा है और जितनी सहायता केन्द्र की ओर से इसके लिए उपलब्ध होना चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं हो रही है जिसके कारण पिछले चार साल में केन्द्र की ओर से सिर्फ 224 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए हैं जबकि राजस्थान सरकार ने इस पर 331 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो क्या सरकार इस योजना पर तेज गति से कार्य करेगी और क्या केन्द्र सरकार राजस्थान की दो हजार करोड़ रुपए की परियोजना जो राजस्थान की ओर से केन्द्र सरकार को भेजी गई है और जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, उसे शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है?

श्री जनेश्वर मिश्र : सरकार तो इन परियोजनाओं की स्वीकृति का विचार रखती ही है। असली सवाल यह है कि पर्यावरण सुधार और वन विभाग जो रास्ते में आते हैं और उनसे भी इनको स्वीकृति लेनी चाहिए। उसमें ये विलम्ब करते हैं तथा रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। इसलिए इनकी स्वीकृति में विलम्ब होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सबके लिए शिक्षा

***64. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निरक्षरता का राज्य-वार औसत क्या है;

(ख) सन् 2000 तक 'सबके लिए शिक्षा' के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस संबंध में अब तक श्रेणी-वार तथा राज्य-वार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ङ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या-क्या विशेष उपाय किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) देश में साक्षरता संबंधी आंकड़े दसवर्षीय जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। राज्य-वार साक्षरता दर को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-। में संलग्न हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 345 जिलों को शामिल करने और 10 करोड़ लोगों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत लक्षित आयु 15-35 वर्ष की है। जिन क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा योजना नहीं चल रही है अथवा इस योजना का कार्यक्षेत्र सीमित है, उन क्षेत्रों में 9-14 आयु वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है।

(ग) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 401 जिलों में शुरू किए गए हैं। 31 मार्च, 1996 तक की प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लगभग 53.19 मिलियन लोगों को साक्षर बनाया गया है। इनमें 62 प्रतिशत महिलाएं, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के शिक्षुओं का अनुमान है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी साक्षरता कार्यक्रमों के लिए 1400 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए गए हैं और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं और विभिन्न जिलों से प्राप्त सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों/उत्तर साक्षरता अभियानों के प्रस्ताव के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ङ) साक्षरता कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जो विशेष उपाय किए जा रहे हैं वे निम्नवत हैं :

(1) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को अधिकार विकेन्द्रित करना तथा उन्हें अधिकार सौंपना। साक्षरता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारण स्थापित किए जा रहे हैं।

(2) पंचायतीराज संस्थाओं को साक्षरता कार्यक्रमों में सम्मिलित करना और पंचायती राज के पदाधिकारियों एवम चुने गए जन प्रतिनिधियों को सम्प्रेरित करना।

(3) जिन जिलों में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, उन जिलों में 'आपरेशन रेस्टोरेशन' प्रारम्भ करना।

विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर

	भारत/राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर
	भारत	52.21
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	41.59
3.	असम	52.89
4.	बिहार	38.48
5.	दिल्ली	75.29
6.	गोवा	75.51
7.	गुजरात	61.29
8.	हरियाणा	55.85
9.	हिमाचल प्रदेश	63.86
10.	कर्नाटक	56.04
11.	केरल	89.81
12.	मध्य प्रदेश	44.20
13.	महाराष्ट्र	64.87
14.	मणिपुर	59.89
15.	मेघालय	49.10
16.	मिजोरम	82.27
17.	नागालैंड	61.65
18.	उड़ीसा	49.09
19.	पंजाब	58.51
20.	राजस्थान	38.55
21.	सिक्किम	56.94
22.	तमिलनाडु	62.66
23.	त्रिपुरा	60.44
24.	उत्तर प्रदेश	41.60
25.	पश्चिम बंगाल	57.70
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.02
2.	चंडीगढ़	77.81
3.	दादरा और नगर हवेली	40.71
4.	दमन और दीव	71.20
5.	लक्षद्वीप	81.78
6.	पांडिचेरी	74.74

मध्यान्ह भोजन योजना

***66. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में शुरू की गई मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने तथा इस कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) और (ख). प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य रूप से मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, यह योजना अभी हाल ही में अर्थात् 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ की गई थी अतः इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही द्वारा निगरानी की जा रही है।

(ग) इस कार्यक्रम के विस्तार की बात को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1995-96 में 441.38 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता राशि को बढ़ाकर 1996-97 में 1400/- करोड़ रु कर दिया गया है।

इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिक स्कूल के बच्चों को यथाशीघ्र पका-पकाया गरम भोजन उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

कोयला खानों को बंद करना

***67. श्री रमेन्द्र कुमार :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बिहार में कोयले की 72 खानें बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से इन बंद पड़ी खानों को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). वर्ष 1992 में एक संयुक्त निरीक्षण दल की स्थापना की गई थी, जिसमें बिहार सरकार तथा कोल इंडिया लि. के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, ताकि बिहार में बंद पड़ी खानों को विनिर्दिष्ट किया जा सके। इस संयुक्त निरीक्षण दल ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की बंद पड़ी 10 कोयला खानों और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 5 बंद पड़ी कोयला खानों को विनिर्दिष्ट किया था। बिहार सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भारत सरकार द्वारा बिहार

राज्य खनिज विकास निगम (बी.एस.एम.डी.सी.) को पट्टेदारी दिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि इन खानों का प्रचालन किया जा सके। इन 15 खानों में से, राज्य सरकार को कोयला खानों को सौंपे जाने के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोयला खनन नीति की शर्तों को, केवल जगलदागा ही पूरी करती है। इस मामले में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है और सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अन्य 14 खानों के संबंध में भी राज्य सरकार के साथ शीघ्र परामर्श कर लिया जाएगा ताकि बिहार राज्य खनिज विकास निगम के साथ इन खानों को सौंपे जाने की संभावना की समीक्षा की जा सके।

जल प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति

***68. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री काशी राम राणा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पानी के बंटवारे और जल प्रबंधन संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। जल के बंटवारे और प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 6 फरवरी, 96 को नई दिल्ली में तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से तैयार की गई अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे और सिंचाई प्रबंध नीति के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया गया था। आम सुझाव यही था कि इन ड्राफ्ट नीतियों पर आगे विचार करने और इन्हें अपनाने से पहले इनकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इनमें संशोधन किए जाने चाहिए। नीति दिशा निर्देशों की घोषणा में लगने वाले संभावित समय का उल्लेख करना संभव नहीं है क्योंकि इस विषय पर होने वाले विचार-विमर्श के लम्बे होने और काफी समय लेने की संभावना है।

विवरण

(1) राज्यों के मध्य अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के आंबटन के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

— नदी बेसिन को अन्तर्राज्यीय जल आबंटन के लिए एक यूनिट के रूप में माना जाएगा।

— सभी सह बेसिन राज्य और केन्द्र आबंटन की कार्रवाई के लिए पक्ष होंगे।

— उपयोग की औचित्यपूर्ण संभावना पर विचार करने के लिए आबंटन।

— आबंटन न्यायोचित सुवितरण के सिद्धांत पर आधारित होगा।

— राष्ट्रीय हितों की अवहेलना किए बिना राज्य किसी भी तरीके से अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

— सभी सह बेसिन राज्यों के मध्य अन्तर्राज्यीय समझौतों को सामान्यतया समयोजित किया जाना है।

— मौजूदा योजना-पूर्व उपयोगों और अनुमोदित योजना उपयोगों को संरक्षित किया जाना है।

— राष्ट्रीय हितों के रूप में पर्यावरणीय प्रबंध की जरूरतों, राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन और गैर-सहबेसिन राज्य आदि, की घोर आवश्यकताओं आदि पर विचार करने के लिए आबंटन।

— किए गए आबंटनों पर निगरानी रखने के लिए प्रबोधन और कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना करना।

— सामान्यतया 40 वर्ष के बाद जल आबंटन की पुनरीक्षा।

(2) सिंचाई प्रबंध नीति के ड्राफ्ट में परिकल्पित मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

— जल प्रबंध का उद्देश्य सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने का होना चाहिए।

— निम्न वितरण प्रणाली का जिसमें वितरणियां और माइनर्स भी शामिल हैं, प्रचालन और अनुरक्षण किसानों के संगठनों को चरणबद्ध रूप से सौंप दिया जाए।

— मुख्य और शाखा नहरों को सम्मिलित करके सरकार का उत्तरदायित्व ऊपरी वितरण प्रणाली तक सीमित होना चाहिए।

— किसान संगठनों की संरचना श्रेणीबद्ध होनी चाहिए और उनके प्रतिनिधियों को सरकारी अभिकरणों के साथ नहर प्रणालियों की प्रचालन योजनाओं का निर्णय लेने में भागीदारी करनी चाहिए।

— किसान संगठनों को रियायती दरों पर थोक में पानी बेचा जाए जिसके बदले प्रत्येक किसान को इसे फुटकर बेचा जाएगा।

— बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तनों और सरकारी अभिकरणों जैसे सिंचाई विभाग को और अधिक अंतर विषमी और कार्योन्मुखी सेवा के रूप में सुधार करना।

— किसानों पर किसी विशेष फसल पद्धति को थोपे बिना प्रचालनात्मक योजना और उपलब्ध जल सहित कोई भी फसल उगाने की अनुमति देना।

[अनुवाद]

विद्युत संयत्रों को उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति

***69. प्रो. अजित कुमार मेहता :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संयंत्रों को उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति न करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) ऐसा कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और विभिन्न तापीय गृहों को उसी ग्रेड के कोयले की आपूर्ति की जा रही है जो पिछले वर्षों में उनको मिलता रहा है।

(ख) और (ग). उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

***70. डा. जी.आर. सरोदे :**
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान, राज्य-वार कितने नए केन्द्रीय विद्यालय मंजूर किए गए;

(ख) अब तक कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय राज्य-वार खोले गए हैं;

(ग) क्या अनेक केन्द्रीय विद्यालय तंबुओं में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके लिए भवन की व्यवस्था करने और उनमें नियमित अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) राज्य-वार, वर्ष वार संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय (1993-94 से 1995-96)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	01	02	01	04
असम	01	-	02	03
बिहार	02	02	01	05
गुजरात	02	01	-	03
हरियाणा	01	01	02	04
हिमाचल प्रदेश	01	01	-	02
केरल	01	-	02	03
कर्नाटक	02	-	01	03
मध्य प्रदेश	08	05	04	17
महाराष्ट्र	01	-	-	01
उड़ीसा	01	03	01	05
राजस्थान	01	03	01	05
त्रिपुरा	01	-	-	01
उत्तर प्रदेश	02	03	01	06
पश्चिम बंगाल	-	01	02	03
दिल्ली	01	01	-	02
अरुणाचल प्रदेश	-	-	01	01
नागालैंड	-	-	02	02
तमिलनाडु	-	-	01	01
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	01	01
	26	23	23	72

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	44
2.	असम	48
3.	बिहार	57
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	25
6.	हिमाचल प्रदेश	18
7.	जम्मू और कश्मीर	26
8.	कर्नाटक	28
9.	केरल	25
10.	मध्य प्रदेश	91
11.	महाराष्ट्र	54

1	2	3
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैंड	05
15.	उड़ीसा	30
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	52
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	29
20.	त्रिपुरा	05
21.	उत्तर प्रदेश	110
22.	पश्चिम बंगाल	48
23.	अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेअर	03
24.	अरुणाचल प्रदेश	10
25.	चण्डीगढ	06
26.	दिल्ली	34
27.	गोवा, दीव दमन	05
28.	पांडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
	कुल	856
भारत के बाहर		
30.	मास्को (रूस)	01
31.	नेपाल (काठमांडु)	01
	कुल	858

(ग) और (घ). 858 संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों में से, केवल 12 विद्यालय तम्बुओं में चल रहे हैं। इन 12 विद्यालयों में से, 6 विद्यालयों के संबंध में स्थायी भवन निर्मित करने की संस्वीकृति दी जा चुकी है। 3 विद्यालयों में, भूमि हस्तान्तरण हो चुका है और कार्य नक्शा तथा/या अनुमानित व्यय तैयार करने की स्थिति में है। 3 विद्यालयों के संबंध में प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप में भूमि आबंटित/हस्तांतरित नहीं की गई है। प्रायोजक प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और सभी विद्यालयों में यथाशीघ्र नियमित शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995

***71. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 को लागू करने के लिए उसकी जांच कर ली है;

(ख) क्या सरकार को इस अधिनियम को लागू करने के विरूद्ध कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में और संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) अधिनियम के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने के सुझाव देते हुए कुछ ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(ग) सुझावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त "ग" के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नर्मदा सागर परियोजना

***72. डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इसके लिए स्वीकृत किए गए कुल योजना व्यय में से कितना खर्च किया गया है;

(ख) नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण का लक्ष्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) नर्मदा नदी जल बंटवारा समझौता के अंतर्गत प्रत्येक राज्य ने कितने पानी का उपयोग किया और यह समझौता कब तक वैध रहेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) नर्मदा सागर परियोजना का निर्माण 2010 ई.सन् तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) जी हां। तथापि, सिंचाई क्षेत्र में कोई भी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं की गई है।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण में प्रगति

1. वास्तविक प्रगति

बांधपार पर कंक्रीट का कार्य प्रगति पर है। जहां तक विद्युत घर परिसर का संबंध है, अंतर्ग्रहण (इनटेक) संरचना पर कंक्रीट करने और पेनस्टाक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्य नहर पर पहले वाले 19 कि.मी. में मिट्टी का कार्य लगभग पूरा हो गया है।

2. वित्तीय प्रगति

वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)	व्यय	(करोड़ रुपए)
1993-94	161.24	426.73	(मार्च, 1994 तक संचयी)
1994-95	153.31	126.33	
1995-96	129.11	96.78	

विवरण-II

नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पचाट के अनुसार, पक्षकार राज्यों के मध्य नर्मदा जल का आबंटन निम्नप्रकार है :

मध्य प्रदेश	—	18.25 मिलियन एकड़ फुट
गुजरात	—	9.00 मिलियन एकड़ फुट
राजस्थान	—	0.50 मिलियन एकड़ फुट
महाराष्ट्र	—	0.25 मिलियन एकड़ फुट
कुल	—	28.00 मिलियन एकड़ फुट

पंचाट की वैधता अवधि 2024 ई.सन् तक है। (1979 में गजट अधिसूचना के बाद 45 वर्ष)

नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976

***73. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन संबंधी कोई संझाव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कार्यान्वयन कब तक हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों, संगठनों और राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग से प्राप्त सुझावों में मुख्य जोर, कमजोर वर्गों के लिए आश्रय सुविधा हेतु भूमि की अधिक उपलब्धि तथा निर्देशित विकास को केन्द्र बिन्दु बनाकर प्रक्रियाओं को सुसंगत और सरल बनाने पर दिया गया है।

(ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार की मंजूरी के बाद, सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार विधेयक की संसद में पुरःस्थापित करने के लिए ऐसे कम से कम दो राज्यों, जहां नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू है, की विधानसभाओं को संविधान की धारा 252(2) के तहत एकमत से संकल्प पारित करना होगा।

"दक्षेस" देशों के बीच संबंध

***74. श्री सुधीर गिरि :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "दक्षेस" देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में "साप्टा" को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में सदस्य देशों के एवं समान हितों से संबंधित बहुत से मसलों पर सार्क सदस्य राज्यों के मध्य आपसी लाभकारी कार्यकलाप को सुविधाजनक बनाने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) एक प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। भारत इस समय सार्क का अध्यक्ष है तथा यह सदस्य राज्यों के मध्य सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए वचनबद्ध है। भारत की अध्यक्षता में सार्क सदस्य राज्यों ने

वर्ष 2000 तक और वर्ष 2005 से पूर्व दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के निर्णय को अंगीकार किया है। सार्क वाणिज्य मंत्रियों की प्रथम बैठक और प्रथम सार्क व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नई दिल्ली में हुई सदस्यता राज्यों के मंत्रियों की परिषद की पिछली बैठक में सार्क की दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए वृहत कार्यक्रम पर सहमति हुई। विदेश सचिवों की स्थायी समिति और वाणिज्य सचिवों की आर्थिक सहयोग समिति, जिससे सहयोग बढ़ा, की बैठकें भी आयोजित की गई। इस वर्ष के अन्त में इन समितियों और मंत्रियों के परिषद की पुनः बैठकें होंगी। भारत का यह प्रयास होगा कि बैठकों तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा सहयोग के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया जाए। इनमें से कुछ पर सार्क महासचिव से उस समय विचार-विमर्श किया गया था जब वे भारत सरकार के अतिथि के रूप में जून, 1995 में भारत आए थे और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री से मिले थे। इस क्षेत्र के भीतर आपसी लाभकारी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में सार्क की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के कार्य को भारत सबसे अधिक महत्व देता है।

सार्क अधिमानी व्यापार प्रबन्ध करार (साप्टा) 7 दिसम्बर, 1995 से प्रभावी हुआ। शुल्कों में कमी करने का प्रथम दौर जिसके अन्तर्गत 226 उत्पाद आते हैं पूरा हो चुका है और अब इसके दूसरे दौर पर कार्यवाई की जा रही है। मौजूदा शताब्दी समाप्त होने पर नई शताब्दी शुरू होने तक साप्टा के लक्ष्य को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में भारत अन्य सदस्य राज्यों के साथ मिलकर शुल्कों में रियायतों को बढ़ाने तथा टैरिफ भिन्न प्रतिरोधों पर ध्यान देने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

***75. श्री एन. डेनिस :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में शिक्षा के गिरते जा रहे स्तर के बारे में कुछ शिकायतों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). शैक्षिक निष्पादन के स्तर के सम्बन्ध में प्रायः शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शैक्षिक-कार्यकलापों के बेहतर पर्यवेक्षण, शिक्षकों की भर्ती-प्रक्रिया को सरल बनाने, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के प्रक्रियाबद्ध सेवारत प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों को बढ़ावा देकर शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

छात्राओं के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर

***76. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की तुलना में छात्राओं के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त स्त्री-पुरूष संबंधी विसंगतियों को दूर करने पर विशेष बल दिया गया है। नीति के अनुसार, महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने तथा उनके आगे बढ़ने के मार्ग में आड़े आने वाली रूकावटों को दूर करने और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी राज्यों ने लड़कियों को आठवीं कक्षा तक शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान की है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म, उपस्थिति प्रोत्साहन, अलग से बालिका स्कूल, बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण तथा प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति सहित अन्य उपाय किए गए हैं। अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सह-शिक्षा केन्द्रों को 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की तुलना में बालिका केन्द्रों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना में बालिका केन्द्रों का अनुपात 25 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 1995-96 में आरंभ की गई मध्यान्ह भोजन योजना का भी, प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में कोयले की कमी

***77. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) दिल्ली में घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए कोयले की वार्षिक मांग कितनी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान औद्योगिक तथा अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की कुल मात्रा, दिल्ली के विद्युत संयंत्रों को छोड़कर, 5.22 लाख टन की गई, जबकि इसकी तुलना में 1994-95 में 1.68 लाख टन आपूर्ति की गई थी। अतः कोयले की उपलब्धता में काफी वृद्धि हो गई है और यह आशा है कि कमी ठीक हो जाएगी।

कोयले की आवश्यकताओं का विभिन्न उपभोक्ताओं के संबंध में मूल्यांकन समग्र देश के लिए उद्योग-वार/क्षेत्रवार किया जाता है और न कि यह मूल्यांकन राज्य-वार किया जाता है। यह मूल्यांकन विभिन्न मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ संयुक्त रूप में परामर्श करके किया जाता है। वर्ष 1995-96 में समग्र रूप में देश के लिए औद्योगिक तथा अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों के संबंध में 44.20 मिलियन टन मांग होने का मूल्यांकन किया गया था और 41.21 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई थी। यह अंतराल मांग तथा आपूर्ति के बीच का है और सरकार कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने का प्रयास कर रही है ताकि सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके, जिसमें दिल्ली के उपभोक्ता भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

शहरी निर्धनों को रोजगार

***78. श्री रमेश चैन्नित्तला** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्र में सृजित किए गए रोजगार-अवसरों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) और (ख). देश में इस समय केन्द्र प्रवर्तित दो योजना कार्यक्रम नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

(1) नेहरू रोजगार योजना अक्तूबर, 1989 में शुरू की गई थी तथा इसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार तथा अर्द्ध रोजगार प्राप्त शहरी गरीबों के लिए रोजगार जुटाने के लिए बनाया गया है। इस व्यापक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाएं विशेष लक्ष्य समूह है। यह रोजगार दो प्रकार का है पहले प्रकार के रोजगार का सम्बन्ध एक स्वरोजगार उद्यम लगाने से है, और दूसरे का संबंध शहरी स्थानीय निकायों के कम आय वर्गों के पड़ौस में सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन, और साथ ही आवास निर्माण व आश्रय सुधार कार्यों के जरिये मजदूरी रोजगार की व्यवस्था से है।

(2) प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवम्बर, 1995 में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबी के अनेकानेक मूल कारणों पर एक साथ प्रहार करना है। रोजगार सृजन तथा कौशल विकास के अलावा प्रधानमंत्री के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सेक्टर के लक्ष्यों को कारगर ढंग से हासिल करना, सतत सहायता प्रणालियों के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाना व उनसे जोड़ना शहरी स्लमों का पर्यावरण सुधारना तथा आश्रय उन्नयन करना भी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 9वीं या इससे कम कक्षा तक पढ़े शिक्षित शहरी गरीब इस योजना का लाभ पा सकते हैं। इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों और विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कार्यक्रम पहाड़ी राज्यों/इलाकों के जिला कस्बों को रियायत के साथ सभी श्रेणी-II कस्बों पर लागू है।

(ग) नेहरू रोजगार योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) लाभार्थी संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (सूमे) सृजित कार्य दिवस संख्या
1993-94	1.52 लाख	72.17 लाख
1994-95	1.25 लाख	50.85 लाख
1995-96	1.25 लाख	54.64 लाख

प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हाल ही में शुरू होने से अभी प्रारम्भिक चरण में है।

कोल इंडिया लिमिटेड को विश्व बैंक की सहायता

***79. श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरणीय तथा सामाजिक परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 43.5 मिलियन एस.डी.आर. (63 मि. डालर) के आई.डी.ए. क्रैडिट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किन-किन परियोजनाओं को लाभ मिलने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). विश्व बैंक द्वारा कोल इंडिया लि. की "कोयला क्षेत्र पर्यावरण तथा सामाजिक प्रशामिक परियोजना" के लिए 43.3 मिलियन एस.डी. आर. (63 मिलियन अमरीकी डालर) के एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) ऋणा को अनुमोदन दिया गया है। इस परियोजना में, अन्य बातों के अलावा पर्यावरण कार्रवाई योजनाओं, कोल इंडिया लि. की 25 विनिर्दिष्ट कोयला परियोजनाओं में पुनर्वास कार्रवाई योजनाओं, आदि को चलाए जाने का उल्लेख किया गया है। इन परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है :—

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
के.डो. हेसलांग	अनन्ता	बीना	बिसरामपुर	दुर्गापुर
पारेज ईस्ट	बेलपहाड़	दुधीचुआ	धानपुरी	नीलजय
राजरप्पा	भरतपुर	जयंत	दीपीका	पदमपुर
	जगन्नाथ		गेवरा	सस्ती
	लखनपुर	झिगुंर्दा	कुसमुंडा	उमरेर
	समलेश्वरी		मानिकपुर	
		निगाही		

श्रीलंका के साथ संबंध

***80. डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका के साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या श्री लंका के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा क़िया था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ हुई वार्ता में किन-किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई तथा क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों एवं सहयोग को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक इस वर्ष के अंत में कोलम्बो में प्रस्तावित है जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एवं श्रीलंका के विदेश मंत्री करेंगे। संयुक्त आयोग की इस बैठक से पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक मसलों पर गठित उप-आयोगों की बैठक कोलम्बो में आयोजित करने का प्रस्ताव है। संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेगा एवं सहयोग के नये क्षेत्रों का भी पता लगाएगा।

(ख) जी हां, श्रीलंका के विदेश मंत्री 20 से 21 जून, 1996 तक दो दिवसीय सद्भावना यात्रा पर भारत आए।

(ग) श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों ने ही घनिष्ठ तथा सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए दी जा रही उच्च प्राथमिकता को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संबंधों को और बढ़ाने की गुंजाइश है। इस बात पर सहमति हुई कि श्रीलंका इस वर्ष के अंत में भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र की मेजबानी करेगा जो सभी क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने की योजना बनाएगा। आर्थिक क्षेत्रों में भी संबंधों के सुधार के लिए बातचीत की गयी। मछली पकड़ने से संबद्ध मसले और दोनों देशों के मछुआरों को पेश आ रही समस्याओं पर भी बातचीत हुई और इन समस्याओं के शीघ्रतापूर्वक समाधान के लिए दोनों पक्षों ने परामर्श करने की सहमति व्यक्त की।

समुद्र से होने वाला भू-क्षरण

433. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी तट पर हाल ही में आए तूफान के कारण समुद्र से होने वाले भू-क्षरण के संबंध में केरल सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है अथवा इस संबंध में उसने कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष/रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा केरल राज्य को दी गई राहत का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोलना

434. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उन ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की संख्या जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं का पता लगाने हेतु कोई देश व्यापी सर्वेक्षण कराया गया है तथा बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु कितनी दूरी तय करनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकियां) : (क) जी, हां। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में समय-समय पर अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण कराए जाते हैं। अभी हाल ही में कराए गए छठे अखिल भारतीय सर्वेक्षण से यह पता चला है कि कई ग्रामीण गांवों में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं और उन गांवों में उचित दूरी के भीतर भी प्राथमिक स्कूल नहीं हैं।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश की 94 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को एक किलोमीटर पैदल दूरी के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए गए हैं। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं तथा जिन क्षेत्रों में स्कूल खोले जाने हैं, उन क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों को खोलने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों ने वृहत राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसरण में अपने-अपने मानक तैयार किए हैं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों को पेंशन

435. **श्री आर.बी.राई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है जिन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सेना से निकाल दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्रति माह कितनी राशि दी जाती है और उसकी प्रक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजना

436. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक की कुछ सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव केन्द्र में लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिक

437. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय भूतपूर्व सैनिकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) बटालियनों के भंग किए जाने के कारण समय से पूर्व बिना पेंशन के अवकाश प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिक बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने के लिए पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करने की योजना 1992 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को जिला सैनिक बोर्डों में अपना पंजीकरण कराना होता है। देश में 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) हाल ही में किसी सेना बटालियन को भंग नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है। तथापि केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार युद्ध में मारे गए अथवा स्थायी रूप से निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के, सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षण शुल्क और संस्था द्वारा वसूल किए जाने वाले अन्य शुल्कों से पूरी छूट दी जाती है। छात्रावास स्कूलों और कालेजों में अध्ययनरत बच्चों को छात्रावास प्रभार की भी पूर्ण अदायगी के लिए पूरा अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें युद्ध में दिवंगत सैनिकों की पत्नियों/निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अदा की गई राशि के ब्यौरों की मानीटरिंग नहीं करती।

विवरण

पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

	राज्य सैनिक बोर्ड	कुल भूतपूर्व सैनिक	दिवंगत सैनिक पत्नियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	50083	9195
2.	अरुणाचल प्रदेश	163	2
2.	असम	13168	994
4.	बिहार	49196	4029
5.	गोवा	1281	93
6.	गुजरात	9376	1042
7.	हिमाचल प्रदेश	69604	16430
8.	हरियाणा	130957	23329
9.	जम्मू-कश्मीर	39092	8661
10.	केरल	111793	17883
11.	कर्नाटक	38025	7324
12.	महाराष्ट्र	113712	20016
13.	मेघालय	1588	383
14.	मिजोरम	3708	821
15.	मणिपुर	2779	271
16.	मध्य प्रदेश	23567	3395
17.	नागालैंड	1787	322
18.	उड़ीसा	11426	893
19.	पंजाब	160877	27545
20.	राजस्थान	82314	15297
21.	सिक्किम	1369	369
22.	तमिलनाडु	92287	25449
23.	त्रिपुरा	1268	293
24.	उत्तर प्रदेश	229688	39446
25.	पश्चिम बंगाल	28152	2499
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	370	28
27.	चण्डीगढ़	4879	611
28.	दिल्ली	27059	2871
29.	पांडिचेरी	1047	193
	जोड़	1298615	229684

ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा सहायता

438. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से राज्य में गंदी बस्तियों, सड़कों, गरीब लोगों के लिए मकान और जल निकासी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा धनराशि की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). जी, हां। आन्ध्र प्रदेश शहरी गरीबी उपशमन परियोजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ताकि तीन कार्यक्रम क्षेत्रों-आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक में मौजूदा शहरी उपशमन कार्यक्रमों का संयोजन व विकास के जरिये राज्य के 32 प्रथम श्रेणी शहरों में अधिक कारगर ढंग से गरीबी घटायी जा सके। इस परियोजना में, स्थानिक मानदण्ड के बिना, गरीब को लक्ष्य बनाकर कस्बा-वार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ग) केन्द्र सरकार ने एक परियोजना प्रस्ताव ओवरसीज डेवलपमेंट एन्डमिनिस्ट्रेशन (इंगलैण्ड) के विचारार्थ भेजा था। ओ.डी.ए. (इंगलैण्ड) से परियोजना चलाने की मंजूरी अभी नहीं मिली है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश, बदायूं में तकनीकी संस्थान

439. श्री डी.पी. यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बदायूं, उत्तर प्रदेश में एक तकनीकी संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संस्थान कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास बदायूं, उत्तर प्रदेश में तकनीकी संस्थान खोलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाएं

440. श्री ललित उरांव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास गत तीन वर्षों से लंबित बिहार की बड़ी, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों की सिफारिशों का अनुपालन करना होगा; और

(घ) उन परियोजनाओं के बारे में केन्द्र द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; जिनके संबंध में राज्य सरकारों ने केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों की सिफारिशों का अनुपालन किया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार की निम्नलिखित बड़ी/मझौली सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

बड़ी परियोजनाएं

(1) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना (फेज-I)

(2) पुनासी जलाशय परियोजना।

(3) सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना।

(4) पुनपुन मोरहर दरघा सिंचाई परियोजना।

मझौली परियोजनाएं

(5) कुंदघाट जलाशय परियोजना।

लघु परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव केन्द्र में प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार उनकी आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन करने में सक्षम है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक ढंग से अनुपालन करने के बाद, परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत टिप्पणी तैयार की ताकि और इसे सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं की सलाहकार समिति को विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	सिंचाई लाभ (हजार हैक्टे. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
बड़ी परियोजनाएं				
1.	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना (फेज-I)	235.93	30.00	सलाहकार समिति द्वारा नवंबर, 93 में हुई इसकी 56वीं बैठक में परियोजना पर विचार किया गया और इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य सरकार से निवेश स्वीकृति एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर योजना आयोग से निवेश स्वीकृति किए जाने का अनुरोध किया गया।
2.	पुनासी जलाशय परियोजना	173.04	20.8	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संशोधित अनुमान की जांच की गई और बिहार सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना की जानी है।
3.	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	1428.82	154.8	1428.82 करोड़ रुपए की परियोजना पर दिसंबर, 92 में सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि पर्यावरणीय स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए। राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गई और योजना आयोग को भेज दी गई। अन्य टिप्पणियां बिहार सरकार के पास लंबित हैं।

1	2	3	4	5
4.	पुनपुन मोरहर दरघा सिंचाई परियोजना	68.92	57.88	परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार के पास फरवरी, 92 में वापस भेजी गई क्योंकि इस पर केन्द्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई थी। अनुपूरक रिपोर्ट सितंबर, 93 में प्राप्त हुई थी। 3/94 से 4/94 के दौरान विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य की अनुपालना प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
मझौली परियोजनाएं				
5.	कुंदघाट जलाशय परियोजना	5.61	1.80	सलाहकार समिति द्वारा 5.61 करोड़ रु. की परियोजना 8/88 में टिप्पणियों के अधीन स्वीकार्य पाई गई।

[हिन्दी]

गंदा नाला और वर्षा जल

442. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताजमहल से लगे ताजगंज मौहल्ले से निकलने वाले गंदे नाले से पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है और चालू वर्ष के दौरान आगरा में हुई भारी वर्षा के कारण इस गंदे नाले ने ताजमहल की नींव को भारी क्षति पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए विशेष अनुदान

443. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तदास पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु असम को विशेष अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और मास्टर योजनाओं को तैयार करने जैसे क्रियाकलापों को करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक अधिनियम के तहत दिसम्बर, 1981 में की गई थी जिसमें शत प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जाता है। अब तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड को इसके विभिन्न कार्यकलापों के लिए 99.79 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

फिर भी, असम में बाढ़ प्रबंध योजनाओं का क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भले ही राज्य सरकार का है पर ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ समस्या की जटिलता और परिणाम पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को प्राथमिकता से शुरू करने के लिए 1974-75 से असम राज्य को केन्द्रीय ऋण सहायता देती रही है। 1995-96 तक, राज्य को 340.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान, बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए असम सरकार को प्रतिपूर्ति आधार पर 25 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव है।

भारत नेपाल वार्ता

444. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जनवरी, 1996 को काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन वार्ताओं में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इन वार्ताओं के फलस्वरूप कौन-कौन से समझौते किए गये?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). तत्कालीन विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में 26 से 29 जनवरी, 1996 तक नेपाल की सरकारी यात्रा पर गए थे। इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश सचिव, सचिव, विद्युत मंत्रालय तथा

सचिव जलसंसाधन मंत्रालय शामिल थे। उन्होंने अपने समकक्ष से तथा नेपाल के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से आपसी हित के विभिन्न मसलों पर बातचीत की जिनमें व्यापार, वाणिज्य, जल संसाधन, पर्यटन और नेपाल में संरचनागत विकास के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने नेपाल के महामहिम नरेश तथा नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।

दोनों पक्षों ने "महाकाली नदी के समग्र विकास जिसमें शारदा बराज, टनकपुर बराज और पंचेश्वर बराज शामिल हैं, से संबद्ध संधि" पर आद्यक्षर किए।

महिला दिवस पर वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार

445. **श्री पिनाकी मिश्र :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को समुचित स्थान देने के लिए विशेषकर माता तथा गृहणी की भूमिका निभाने में, प्रति वर्ष महिला दिवस पर एक वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार आरम्भ करने की आवश्यकता महसूस की है जिसका नाम वर्ष माता पुरस्कार (द मदर आफ द इयर अवार्ड) जैसा हो तथा यह उस महिला को दिया जाए जो एक अच्छी माता की भूमिका अदा करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या इस प्रकार के पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर भी आरम्भ किए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम-II प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती

446. **डा. रमेश चन्द्र तोमर :**
श्री मोहन रावले :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री सनत कुमार मंडल :
डा. मुरली मनोहर जोशी :
डा. कृपासिंधु भोई :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा चीन से प्राप्त किए गए एम-11 परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती के संबंध में अमरीकी प्रेस में छपी कुछ रिपोर्टों को देखा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इससे हमारी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान में नाभिकीय क्षमता एम-11 प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं। सरकार को इन प्रक्षेपास्त्रों के अधिग्रहण की जानकारी है और इसे वह अत्यधिक चिंता का विषय मानती है।

(ग) और (घ). भारत सरकार खतरे संबंधी अपने आकलनों के अनुसार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के विद्यालय

447. **श्री मुनव्वर हसन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्तर के नए विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा दें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने से संबंध रखता है जो कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आधारभूत सुविधाएं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ उपयुक्त जमीन प्रदान करने के आधार पर संलग्न विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए उत्सुक है। वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा बाराबंकी में दो केन्द्रीय विद्यालय खोलना संस्वीकृत किया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन जिलों की सूची जहां पर नवोदय विद्यालय समिति के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध नवोदय विद्यालय खोलने के लिए उत्सुक है।

1. सहारनपुर
2. पीलीभीत
3. शाहजहांपुर
4. खेरी

5. लखनऊ
6. कानपुर देहात
7. फतेहपुर
8. पिथौरागढ़
9. गढ़वाल
10. रामपुर
11. जालौन
12. बांदा
13. प्रतापगढ़
14. महाराजगंज
15. सोनभद्रा
16. देहरादून
17. मुरादाबाद

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों के लिए आवास-व्यवस्था

448. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजनैतिक दलों के लिए सामान्य पूल आवास के आवंटन के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राजनैतिक दल हैं जिन्हें स्वयं के लिए और कर्मचारियों के लिए आवास आंवटित किया गया है तथा उन्हें ये आवास किस-किस तारीख को आवंटित किय गये ब्यौरा दीजिए; और

(घ) राजनैतिक दलों और उनके कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के क्या मानदण्ड हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). जी, हां। केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों अथवा दलों, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा उसी रूप में मान्यता दी गई है, को आवास आवंटित किए जा रहे हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) राजनीतिक पार्टियों को कार्यालय प्रयोजनों तथा संसद में अपने स्टाफ के रिहायशी उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से साधारण पूल वास आवंटित किया जा रहा है जैसा कि उपर्युक्त(क) तथा (ख) बताया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राजनीतिक पार्टियों का नाम	वास संख्या	आवंटन की तारीख
1	2	3	4
1.	ए आई सी सी (आई)	24, अकबर रोड	7.8.92 (18.7.90 से नियमित)
2.	ए आई सी सी (आई)	26, अकबर रोड	8.3.94
3.	समाजवादी पार्टी	18, कोपरनिक्स लेन	3.5.94
4.	समाजवादी जनता पार्टी	16,आर.पी. रोड	20.11.90
5.	कांग्रेस आई	5, रायसीना रोड	5.7.76
6.	डी.पी.सी.सी. (आई)	2, तालकटोरा रोड	24.3.84
7.	बी.जे.पी.	11,अशोक रोड	21.3.85
8.	लोक दल (ए)	15 बिन्दुसार प्लैस	29.11.79
9.	लोक दल (बी)	3 पंडित पंत मार्ग	1.5.88
10.	जनता पार्टी	5 पंडित पंत मार्ग	1.7.88
11.	बहुजन समाज पार्टी	12 जी.आर.जी रोड	5.3.91
12.	सी.पी.आई. (एम)	8 वी.पी. हाऊस	25.10.83
13.	सी.पी.आई. (एम)	14 वी.पी. हाऊस	23.7.71
14.	बी.जे.पी.	24 वी.पी. हाऊस	14.6.82
15.	बी.जे.पी.	523 वी.पी. हाऊस	26.9.83

1	2	3	4
16.	सी.पी.आई.	119 वी.पी. हाऊस	30.10.70
17.	सी.पी.आई.	201 ए. वी.पी. हाऊस	19.11.70
18.	सी.पी.आई.	309 वी.पी. हाऊस	6.5.70
19.	जनता दल	17 वी.पी. हाऊस	15.6.90
20.	जनता पार्टी	418 वी.पी. हाऊस	17.4.78
21.	जनता पार्टी	115 वी.पी. हाऊस	30.1.87
22.	जनता पार्टी	416 वी.पी. हाऊस	30.1.87
23.	ए आई ए डी एम के	16 वी.पी. हाऊस	26.6.92
24.	ए आई ए डी एम के	310 वी.पी. हाऊस	26.6.92
25.	समाजवादी जनता पार्टी	13 बिन्दुसार पैलेस	16.4.91
26.	संसद में कांग्रेस आई महासचिव	सी-401-सी 402 अलबर्ट स्कावयर	11.7.79
27.	-वही-	781 एल. बी. नगर	8.9.88
28.	कांग्रेस (आई)	एस आई वी/181 आर.के.पुरम	17.10.67
29.	कांग्रेस (आई)	एस आई वी/209 आर.के.पुरम	30.12.77
30.	कांग्रेस (आई)	एस आई वी/892 आर.के.पुरम	7.9.67
31.	कांग्रेस (आई)	896 बी.के.एस. मार्ग	17.7.80
32.	कांग्रेस (आई)	80 एच एस आई वी/डी आई जेड	21.9.82
33.	कांग्रेस (आई)	87 टी एस आई वी/डी आई जेड	20.12.91
34.	कांग्रेस (आई)	जे-556 मंदिर मार्ग	17.7.80
35.	ए आई सी सी (आई)	डी आई/109 चाण्यकपुरी	7.8.91
36.	समता पार्टी	220 वी. पी. हाऊस	15.2.95
37.	कांग्रेस (आई)	45 ए/एस आई वी/डी आई जेड	26.10.93

बी.बी.सी. द्वारा जम्मू और कश्मीर का मानचित्र दिखाया जाना

449. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बी.बी.सी. द्वारा अपने समाचार बुलेटिन में दिखाए गए एक मानचित्र में कथित रूप से जम्मू और कश्मीर को और शेष भारत को पृथक-पृथक रंग के बिन्दुओं से दर्शाने सम्बन्धी "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 1 मई, 1996 के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला बी.बी.सी. के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बी.बी.सी. की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) बी.बी.सी. ने अपने समाचार प्रसारण में लाहौर वम विस्फोट का हवाला देते हुए पृष्ठभूमि में एक नक्शा दिखाया था जिसमें जम्मू कश्मीर और शेष भारत को और अलग-अलग रंग के बिन्दुओं से दिखाया गया था।

(ग) जी, हां। सरकार ने इस मसले को बी.बी.सी. के साथ उठाया था।

(घ) बी.बी.सी. ने यह स्पष्ट किया कि बी.बी.सी. वर्ल्ड द्वारा जम्मू कश्मीर का जो नक्शा प्रयोग किया जाता रहा है उसके डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यह नक्शा पिछले 18 महीनों से प्रयोग किया जाता रहा था। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन दो रंगों का इस्तेमाल करते हैं वे पाकिस्तान तथा भारत द्वारा अपने नक्शों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले रंगों से काफी मिलते जुलते

हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र की चर्चा करते समय यह सामान्य टेलीविजन ग्राफिक तकनीक हैं। बी.बी.सी. ने कहा कि यह उनका एक आम दस्तूर है कि कश्मीर जब किसी दिन विशेष की खबरों का केन्द्र बिन्दु नहीं होता है तो वे नक्शे में इस क्षेत्र को विशेष रूप से नहीं दिखाते। इस मामले में समाचार लाहौर बम बिस्फोट के बारे में था। उन्होंने यह भी बताया है कि जहां नक्शे पर पाकिस्तान और भारत को दिखाया जाता है, एक रेखा से नियंत्रण रेखा एवं काश्मीर की सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं।

जी.एस.ई.टी.टी. की सदस्यता

450. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरस्त्रीकरण संबंधी समिति की भूकंपीय प्रौद्योगिकियों की निगरानी करने वाले "ग्रुप ऑफ साईंटिफिक एक्सपर्ट्स" टेक्नोलॉजी टेस्टिंग" नामक एक स्वतंत्र बहुपक्षीय पहल में भारत कब से भागीदार रहा है;

(ख) भारत द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि (सी.टी.बी.टी.) का समर्थन न करने के कारण जी.एस.ई.टी.टी. की सदस्यता पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) क्या किसी संधि के अनुसार जी.एस.ई.टी.टी. के सभी सदस्य स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली में भागीदार बन जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत 1976 से ही "ग्रुप ऑफ साईंटिफिक एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी टेस्टिंग" (जीएसईटीटी) में भाग लेता रहा है।

(ख) जी एस इं टी टी सीटी बीटी का सत्यापन करने के सिलसिले में आधार तैयार करने के लिए निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन के सदस्य राज्यों द्वारा की गई एक बहुपक्षीय तैयारी पहल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान की शस्त्र-शक्ति

451. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी शस्त्र-शक्ति को किस सीमा तक सुदृढ़ कर लिया है तथा मारक क्षमता को कितना बढ़ा लिया है; और

(ख) इससे निपटने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार को पाकिस्तान द्वारा विभिन्न स्रोतों से आधुनिकतम शस्त्र और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की जानकारी है। पाकिस्तान द्वारा इन हथियारों का अधिग्रहण जो उसकी समुचित आवश्यकताओं से कहीं अधिक है क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के अनुकूल नहीं है।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखती है जिनसे भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो और इसकी रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती रहती है।

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी

452. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बातने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर बिहार सरकार को भुगतान के लिए कोयले की रायल्टी की कोई राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितनी राशि बकाया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राशि के भुगतान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) इस राशि के भुगतान के लिए सरकार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार बिहार सरकार को कोयले पर रायल्टी के भुगतान की कोई राशि देय नहीं है। रायल्टी, कोयले के बिक्री बिलों के माध्यम से कोयला उपभोक्ताओं पर लगाई जाती है तथा भुगतान प्राप्त होने के बाद उक्त राशि को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है। अप्रैल से मई, 1996 तक की अवधि में की गई कोयले की आपूर्ति से संबंधित 7.69 करोड़ रुपये की राशि की रायल्टी सम्बद्ध कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकार को भेजी जानी है, जिसका प्रेषण सामान्य रूप से कर दिया जायेगा। कोयला कंपनियों के सामने राज्य सरकार को भुगतान करने के मामले में कोई कठिनाई नहीं है और कोयला कंपनियों द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद]

दामोदर बाढ़ नियंत्रण योजना

453. **श्री अनिल बसु** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई संशोधित निम्न-दामोदर बाढ़ नियंत्रण योजना अनुमोदित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से "लोअर दामोदर बाढ़ नियंत्रण स्कीम (संशोधित)" नामक कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा जून, 1989 के दौरान 1440.00 लाख रुपए की लागत की "लोअर दामोदर जल निकास स्कीम" नामक एक स्कीम अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम के कार्यान्वयन के बाद हुगली, हावड़ा तथा बरदवान जिलों में बाढ़ और जल निकास की समस्याएं कम हो जाएंगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजना

454. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही प्रमुख आवास योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या जरूरतमन्द व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). डी.डी.ए. ने बताया है कि फिलहाल निम्नलिखित दो योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

(1) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979

(2) अम्बेडकर आवास योजना, 1989

कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। तथापि, न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 के अंतर्गत 31204 का (कुल 171272 पंजीकृत व्यक्तियों में से) और अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत 12,190 का (कुल 20,000 पंजीकृत व्यक्तियों में से) बैकलाग है जिसे डीडीए द्वारा निपटाया जाना है।

(घ) डीडीए की कार्यप्रणाली की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। हालांकि डीडीए को भूमि की उपलब्धता में अवरोधों तथा बढ़ती हुई मुकदमेबाजी का सामना करने के साथ-साथ अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अन्य अभिकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बावजूद डीडीए ने इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी पंजीकृत व्यक्तियों को करीब दो वर्ष के अन्दर फ्लैट आबंटित करने की योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

455. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 225 स्कूलों के कर्मचारियों (शिक्षकों ओर कर्मचारियों) को अप्रैल और मई, 1996 का वेतन नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उनके वेतन का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बीच मतभेद

456. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी संस्थानों के लिए अलग से वेतन समिति गठित करने संबंधी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्णय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बीच कोई मतभेद है;

(ख) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संबंध में कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस विरोध पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने तकनीकी, चिकित्सा और अन्य पेशेवर कर्मियों के लिए एक समान वेतन ढांचा सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वर्तमान वेतन समीक्षा समितियों उनके सम्बद्ध अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भातरीय तकनीकी शिक्षा परिषद दोनों के लिए सदैव अलग-अलग वेतन समीक्षा समितियां रहीं हैं। इस मामले पर सरकार को भेजे गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों के लिए वि.अनु.आ. वेतन समीक्षा समिति पहले ही विद्यमान है जिसका पूर्ण समेकित पद्धति के रूप में तकनीकी शिक्षा को शामिल करते हुए अवलोकन किया जाना चाहिए और दो अलग-अलग समितियों की सिफारिशों के अन्तरों में सामंजस्य

स्थापित करना कठिन है। सरकार यह सुनिश्चित करने की इच्छुक है कि शिक्षकों की सेवा शर्तों संबंधी उपर्युक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों में सामंजस्य होना चाहिए।.

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

457. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संस्थापित सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो कुल संस्थापित सिंचाई क्षमता कितनी है और उसका कितना उपयोग किया जाता है; और

(ग) कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनसे कितनी कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता के सृजन की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1996 को संस्थापित और उपयोग की गई कुल सिंचाई क्षमता क्रमशः लगभग 89.42 मिलियन हेक्टेयर और 79.94 मिलियन हेक्टेयर हैं।

(ग) आठवीं योजना में 172 वृहद, 276 मध्यम और 119 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं से अनुमानतः कुल 25.4 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की संभावना है।

[अनुवाद]

कोयला खानों से कोयले की चोरी

458. **श्री सुनील खान :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पुलिस थाना साल्टन और मिजिया के अंतर्गत अनाधिकृत और अधिकृत कोयला खानों से बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले के सलतोरा तथा मेजिया के कुछ स्थलों से कोयले की चोरी के कुछ छुटपुट मामले होने की सूचना मिली है। अतः इस संबंध में संभावित कारण उक्त क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां प्रतीत होती हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष

459. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 82,000 से अधिक गरीब महिलाओं को लाभ पहुचाने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा 14 करोड रुपये से अधिक ऋण सीमा की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में महिलाओं की सहायता करने वाले गैर-सरकारी संगठनों सहित संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीब महिलाओं को किस अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है; और

(घ) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं और किस श्रेणी की गरीब महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) जी, हां। 109491 निर्धन महिला ऋणप्राप्तकर्ताओं के लाभार्थ राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा 1978.44 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ख) 111 गैर-सरकारी संगठन तथा आंध्र प्रदेश महिला वित्त निगम लिमिटेड राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से महिलाओं की सहायता कर रहे हैं। इनमें से, 38 गैर-सरकारी संगठनों ने एक से अधिक बार राशि प्राप्त की है। अतैव, 112 संगठनों को 109491 महिलाओं के लाभार्थ 1978.44 लाख रुपये स्वीकृत किये गए हैं।

(ग) अल्पावधि प्रयोजनों के लिए प्रति महिला 2,500/- रुपये तक तथा मध्यावधि प्रयोजनों के लिए 5,000/- रुपये तक ऋण दिये जाते हैं।

(घ) ऋण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को दिया जाता है।

राष्ट्रीय जल नीति

460. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उपरोक्त नीति को गत पांच वर्षों के दौरान किस प्रकार से लागू किया गया है;

(घ) क्या इसे लागू करने में कोई कठिनाई आई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय जल नीति सितंबर, 1987 में अपनाई गई थी।

(ख) राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) जल निकास बेसिन अथवा बेसिन को आयोजना के एकक के रूप में मानना।

(2) परियोजना की आयोजना और निर्माण के लिए एकीकृत और बहु-विषय दृष्टिकोण अपनाना।

(3) सतही और भूजल का एकीकृत और संयुक्त विकास।

(4) समाज के अलाभकारी समूह के लाभ के लिए परियोजनाओं की आयोजना में विशेष ध्यान देना।

(5) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर जरूरतमंद क्षेत्रों को जल अंतरित करना।

(6) बहुप्रयोजनी परियोजना की आयोजना करते समय जल उपयोग तथा पेयजल के प्रावधान को प्राथमिकता देना; और

(7) भूमि और जल उपयोग नीतियों का एकीकरण।

(8) जल की अधिकतम उपलब्धता।

(9) रखरखाव और आधुनिकीकरण सहित जल प्रबंध।

(10) भूजल विकास।

(11) दुर्लभता मूल्य सूचित करने के लिए जल दरें युक्तियुक्त बनाना।

(12) बाढ़ नियंत्रण और प्रबंध।

(13) किसानों की सहभागिता और स्वैच्छिक अभिकरण।

(14) सूखा प्रबंध।

(15) जल प्रबंध से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों को तीव्र करना, और

(16) जल संसाधन विकास में प्रशिक्षण पहलू।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति को लागू करने के लिए सितंबर 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया जिसकी अब तक सात बैठकें हुई हैं और एक विशेष बैठक भी हुई है जिसमें राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन पर प्रगति की पुनरीक्षा की गई।

(घ) और (ङ). नीति के पूरे-पूरे कार्यान्वयन में अंतर्राज्यीय जल विवादों और वित्तीय बाधाओं के कारण कुछ कठिनाइयां आई हैं। अंतर्राज्यीय जल विवादों को बातचीत तथा अधिकरणों के जरिए हल करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

कोयला खानों के मुहाने पर अप्रयुक्त कोयला

461. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला खानों के मुहाने पर भारी मात्रा में अप्रयुक्त कोयला पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान ऐसे कोयले की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा कितनी-कितनी हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या कोयला खानों के मुहाने पर पड़े कोयले के भंडारण के लिए कोई संस्थागत नीति विकसित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). अप्रयुक्त पड़े हुये न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा में कोयला अर्थात् 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्पादित कोयले की मात्रा सहित कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) तथा सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) की कोयला खानों के पिट-हैड पर कोयले के स्टॉक को नीचे दर्शाया गया है :—

(मि.टन. में)

वर्ष	पिट-हैड पर कोयले का स्टॉक (बिक्री योग्य)		कोयले का उत्पादन
	न्यूनतम	अधिकतम	
1993-94	27.60	43.06	241.30
1994-95	27.64	40.84	248.72
1995-96	18.95	33.29	264.05

(घ) और (ङ). कोयला के स्टॉक के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए :—

(1) प्रत्येक कोलियरी में पिटहैड स्टॉक 3 महीने के उत्पादन से अधिक नहीं होना चाहिये। समग्र रूप में कोयला कम्पनी के मामले में कुल स्टॉक एक महीने के उत्पादन से अधिक नहीं होना चाहिये।

(2) कोलियारी के स्थल पर सदैव पर्याप्त मात्रा में स्टॉक विद्यमान होना चाहिए, ताकि वे रेलवे बैगनों को विशिष्ट समयावधि में लदान कर सकें।

[हिन्दी]

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को घाटा

462. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को 1995-96 के दौरान 52 करोड़ रु. का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1994-95 में कोयले का उत्पादन 350 लाख टन से घटकर 1995-96 में 307.50 लाख टन हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के चेयरमैन सह-प्रबंध निदेशक ने इस घाटे के स्थान पर 112 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) क्या घाटा उठा रही परियोजनाओं के दोषी अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को. लि.) के वार्षिक लेखे लेखा परीक्षाधीन हैं। वर्ष 1995-96 के लिए कंपनी की लाभ तथा हानि की स्थिति का पता कंपनी के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने, लेखा परीक्षा किए जाने और कंपनी की वार्षिक आम सभा की बैठक में अंगीकृत किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा। कंपनी ने यह उल्लेख किया है कि यह कारंवाई 30 सितम्बर तक पूरी कर ली जाएगी।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की कोलियरीज से कोयले का 30.75 मि.ट. उत्पादन हुआ जबकि इसकी तुलना में 1994-95 में कंपनी द्वारा कोयले का 31.20 मि. टन उत्पादन किया गया था। यह वर्ष 1995-96 के दौरान कोयले के उत्पादन में 0.45 मि.टन की गिरावट को दर्शाता है।

(घ) और (ङ). उत्पादन में गिरावट को देखते हुए कोल इंडिया लि. के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा 1996-97 के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया गया है। ऐसी कार्रवाई योजना के आधार पर वर्ष 1996-97 के लिए उत्पादन लक्ष्य के साथ 35.2 मि.टन का राजस्व बजट तैयार किया गया है जबकि इसकी तुलना में 1995-96 के दौरान वास्तविक उत्पादन 30.75 मि.टन किया गया था। वार्षिक कार्रवाई योजना के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान 113 करोड़ रु. की राशि का लाभ होने की भी संभावना है।

(च) और (छ). उत्पादन में मुख्यतः कमी वन भूमि एवं अन्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई है, जिससे विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किए जाने की कारवाई प्रभावित हुई है। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध जिम्मेदारी को निर्धारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

463. **श्री सोहनवीर :**
श्री ललित उरांव :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अब तक कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं का वर्षवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं में कुल कितने श्रमिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) प्रभावित परिवारों को कुल कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में आदा की गई; और

(घ) इन दुर्घटनाओं की पुरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष-वार तथा कम्पनी-वार दुर्घटनाओं का ब्यौरा जो कि देश की कोयला खानों में हुई हैं और इसके साथ-साथ वर्ष 1993-94, 94-95, 95-96 और 96-97 (अद्यतन) के दौरान प्रत्येक मामले में मृतकों तथा गंभीर चोटों से आए व्यक्तियों की संलग्न विवरण संख्या में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) कोयला खान विनियमन, 1957 में विस्तृत रूप में निर्धारित किए गए निरोधात्मक उपाय, खान सुरक्षा के महानिदेशालय के दिशा-निर्देश विभिन्न न्यायिक जांचों की सिफारिशों तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों आदि को खनन प्रबंधन द्वारा अंगीकृत किया जाता है। इन कदमों के बेहतर अनुपालन हेतु सरकार निम्न के माध्यम से कोयला कम्पनियों द्वारा स्व-विनियमन को प्रोत्साहित कर रही है। आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा, सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समीक्षा करना, कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण, सुरक्षा सप्ताहों, तथा सुरक्षा अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों का आयोजन करना।

विवरण

भूमि के नीचे					ओपेनकास्ट				भूमि के ऊपर			
कंपनी	दुर्घटनाओं की सं.		व्यक्तियों की सं.		दुर्घटनाओं की सं.		व्यक्तियों की सं.		दुर्घटनाओं की सं.		व्यक्तियों की सं.	
	घातक	गंभीर	मृतक	चोटें	घातक	गंभीर	मृतक	चोटें	घातक	गंभीर	मृतक	चोटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						वर्ष 1993-94						
भाको कोलि	18	81	19	83	2	2	2	6	9	26	9	26
सेकोलि	5	28	5	34	4	6	4	6	3	9	4	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ईकोलि	19	136	74 *	142	2	6	2	6	3	37	3	38
मकोलि	–	16	–	17	2	3	2	3	3	2	3	2
नाकोलि	–	–	–	–	4	4	5	4	1	3	1	3
एमईसी	1	–	9	–	1	–	1	–	–	1	–	1
साईकोलि	12	41	19	49	5	6	5	7	5	7	5	7
वेकोलि	13	79	13	88	3	12	3	12	1	23	1	23
जीएमडीसी	–	–	–	–	1	1	1	1	–	.2	–	2
इस्को	1	7	1	7	–	2	–	2	1	2	1	2
जे. एंड के.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
एनएलसी	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–
सिंकोर्कलि	27	208	35	228	4	6	4	6	2	35	2	37
टिस्को	6	9	6	9	–	–	–	–	2	3	2	3
अखिल भारतीय	102	606	181	658	29	50	30	55	30	150	31	153

* इसमें न्यू कैंडा कोलियरी के 55 मृतक शामिल हैं।

वर्ष 1994-95

भाकोकोलि	18	80	25	94	8	11	9	11	4	24	4	24
सेकोलि	6	27	7	27	10	9	12	10	5	6	5	6
ईकोलि	11	143	11	144	2	4	2	4	4	21	4	21
मकोलि	1	16	1	16	2	4	2	4	–	3	–	3
नाकोलि	–	–	–	–	2	4	3	4	1	5	1	5
साईकोलि	9	32	12	38	3	4	3	4	3	5	3	5
वेकोलि	13	108	15	113	2	12	2	12	–	26	–	26
जीएमडीसी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
इस्को	2	4	2	6	–	–	–	–	–	2	–	2
नेलिका	–	–	–	–	2	1	2	2	–	–	–	–
सिंकोर्कलि	23	212	32	238	2	8	2	9	2	23	2	23
टिस्को	2	11	2	12	–	3	–	3	3	1	3	1
अखिल भारतीय	85	633	107	688	33	60	37	63	22	117	22	119

वर्ष 1995-96

भाकोकोलि	27	54	105**	65	4	9	4	9	8	23	8	25
सेकोलि	9	17	10	18	5	6	5	7	5	9	5	14
ईकोलि	16	133	17	144	2	5	2	5	3	18	3	19
मकोलि	3	8	3	8	3	8	3	9	4	6	4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एमईसी	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–
साईकोलि	13	35	14	46	3	3	3	3	1	7	1	7
नाकोलि	–	–	–	–	3	8	3	9	2	4	2	4
वेकोलि	10	142	10	146	3	26	3	27	1	43	1	43
जीएमडीसी	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
इस्को	–	2	–	2	–	1	–	1	–	1	–	1
जे.एंड के.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
नेलिका	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–	1	–
सिंकोकलि	14	89	16	96	5	8	5	8	3	29	3	29
टिस्को	3	17	3	17	–	1	–	1	–	1	–	1
अखिल भारतीय	95	497	178	542	33	75	33	79	28	142	28	151

* इसमें गैसलीटांड कोलियरी के 64 मृतक शामिल हैं।

1996-97 (अद्यतन)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वेकोलि	–	20	–	20	3	2	3	2	1	6	1	6
सिंकोकलि	2	12	2	12	1	3	1	3	3	2	3	2
भाको	7	10	7	9	–	–	–	–	–	2	–	2
सेकोलि	4	3	5	7	–	2	–	3	2	–	2	–
ईकोलि	6	15	6	19	–	–	–	–	1	1	1	1
मकोलि	–	1	–	1	1	1	1	1	2	–	2	–
नाकोलि	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–
साईकोलि	–	4	–	4	–	–	–	–	–	1	–	1
टिस्को	–	5	–	5	–	–	–	–	–	1	–	1
अखिल भारतीय	19	70	20	77	6	9	6	10	9	13	9	13

टिप्पणी : वर्ष 1995-96 के आंकड़े अनंतिम हैं।

संक्षिप्त सूची :

भाकोकोलि - भारत कोकिंग कोल लि.
संकोलि - सेंट्रल कोलफील्डस लि.
ईकोलि - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
मकोलि - महानदी कोलफील्ड्स लि.
नाकोलि - नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
एमईसी - मिनरल अन्वेषण निगम
एसईसीएल - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
वे.को.लि. - वेस्टर्न कोलफील्डस् लि.
जीएमडीसी - गजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
इस्को - इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी
जे.एंड के. - जम्मू एवं कश्मीर
नेलिका - नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
सिंकोकलि - सिंगरेनी कॉलियरीज़ कंपनी लि.
टिस्को - टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी

अहमदाबाद का पासपोर्ट कार्यालय

464. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 से अप्रैल, 1996 की अवधि के दौरान पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए अहमदाबाद के पासपोर्ट कार्यालय में कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) पुलिस द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद भी इस कार्यालय में लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या पासपोर्ट कार्यालय में बिचौलियों का प्रभुत्व है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने के संबंध में अप्रैल, 95 से अप्रैल, 96 की अवधि के दौरान बकाया आवेदनों की कुल संख्या 10,630 है।

(ख) जिन आवेदनों के सम्बन्ध में पुलिस साक्ष्यांकन प्राप्त हो चुका है और उसके बाद भी वे इस कार्यालय में बकाया पड़े हैं उनकी संख्या 2300 है।

(ग) विलम्ब के दो कारण हैं; (क) पुलिस से प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त होना; (ख) पासपोर्ट बताई गई क्रियाविधिक अपेक्षाताओं का आवेदकों द्वारा अनुपालन न करना। पुलिस से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पासपोर्ट कार्यालय सम्बन्धित आवेदकों को यह सलाह देता है कि वे मूल दस्तावेज/न्यायालय के आदेश लेकर उप पुलिस आयुक्त/उप पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी रिपोर्ट दुरूस्त करवाएं और उसके बाद दुरूस्त हुई इन रिपोर्टों के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं। अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय आवेदकों और प्राधिकृत एजेन्टों से ही पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करता है। इसके अलावा पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदनों और अन्य सेवाओं पर कार्यवाही की स्थिति के बारे में की जाने वाली केवल उसी पूछताछ का अधिकारियों द्वारा जवाब दिया जाता है जो स्वयं आवेदकों द्वारा की गई हो ताकि मध्यस्थ की कोई भूमिका न रहे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

नवोदय विद्यालयों में अनियमितताएं

465. श्री पंकज चौधरी :

कुमारी उमा भारती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इनमें दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

466. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1996-97 के दौरान धनराशि आबंटित करने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान सरकार से वर्ष 1996-97 के दौरान सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भूमिगत जल स्तर में कमी

467. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कुछ भागों की हाल ही के कुछ वर्षों में भूमिगत जल की कमी के कारण, पीने योग्य पानी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1985 से 1995 के दौरान भूजल स्तर के दीर्घकालीन विश्लेषण से राज्य के कुछ भागों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट का पता चलता है जिससे पेयजल की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 में 10 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने भी शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए "त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है।

इसके अलावा, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राज्य सरकार के सहयोग से कोलार जिला में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा माडल बिल तैयार किया गया है और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है ताकि भूजल के विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए बिल के आधार पर उपयुक्त कानून बनाया जा सके। भूजल के कृत्रिम पुनर्धरण पर एक मैनुअल भी तैयार किया गया है तथा कर्नाटक सहित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को उनके मार्गदर्शन के लिए परिचालित किया गया है।

(ग) सुरक्षित पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान 10414 निवार स्थानों के लक्ष्य की तुलना में 8135 निवास स्थान शामिल किए गए हैं।

प्राचीन स्मारक

468. डा. कृपासिंधु भोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे कौन-कौन से प्राचीन मंदिर और अन्य स्मारक हैं जिनकी केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्मारकों के रूप में पहचान की जा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर परियोजनावार कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) स्मारकों के रखरखाव के साथ-साथ उनकी विशेष मरम्मत पर स्मारक वार व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
		बोलनगिर जिला
1.	झरियाल	तीन लघु बेदिकाओं वाला चौसठ योगिनी मंदिर
		कटक जिला
2.	अगराहट बांडल्स चौडार छतीसा गोविन्द जीव पटना, जाज भैरव, कपिलेस्वर, केदारेस्वर मंदनाल	खंडित किला
3.	बांदरेस्वर	बौद्ध मंदिरों एवं मूर्तियों के खंडहर
4.	भवानीपुर (बलिया तालुक)	भुबनेस्वर महादेव मंदिर
5.	चांदिया	पहाड़ी जिसके शिखर पर बुद्धकालीन अनेक कीमती प्रतिमाएं, मूर्तियां एवं अभिलेख आदि हैं, यहा एक मठ एवं महाकाल का एक लघु मंदिर भी है।
6.	कटक	बारावटी किले के प्राचीन स्मारक एवं सभी प्राचीन भवन, द्वार आदि, शेष मस्जिद के खंडहर एवं अवशेष।
7.	दाधापटना	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर सारनागढ़ के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध चूरनगढ़ का किला
8.	जाजपुर	निम्नलिखित परगनाधिकारियों के आवास-अहाते में स्थित चार विशाल मूर्तियां 1. चामुंडा 2. इन्द्राणी 3. कालीजगा 4. वारही

1	2	3
9.	जाजपुर	तीन बुद्ध प्रतिमाएं
10.	नर्ल्टागिरि (ललितागिरि)	खंडित बुद्ध के मंदिर एवं मूर्तिया
11.	रत्नागिरि	पहाड़ी जिस पर अनेक कीमती प्रतिमाएं एवं मूर्तियां हैं।
12.	सिरियापुर	अथरौल्ला (अट्ठारह धनुषों वाला पुल) एवं तेंतुलीमल के नाम से स्थानीय तौर पर प्रसिद्ध महारटट पुल
13.	वही	चंदेस्वर स्तम्भ का माना जाने वाला एकाश्म
14.	सिरहानाथ, मिथा, मौंजा, गोपीनाथपुर	सिम्हानाथ महादेव मंदिर
15.	मगुरा धन्ननडल	पांच पांडव मंदिर
16.	रामेस्वर	दुर्गा मंदिर
17.	पदमल पटयना	बानेस्वरनासी के प्राचीन स्थल
18.	भीबिमपुर बिलं	भुवनेस्वर महादेव मंदिर
		ढेंकनाल किला
19.	बाजराकोट	भिंगेस्वर महादेव मंदिर
20.	रासोल	शैलकृत विष्णु
		गंजाम जिला
21.	कोटटाकोल्ला	गंगाधरस्वामी मंदिर
22.	-वही-	जगदीस्वरस्वामी मंदिर
23.	महेन्द्रगिरि	भीमा मंदिर
24.	-वही-	कुन्ती मंदिर
25.	-वही-	युद्धिष्ठिर मंदिर
26.	पांडय	जौगढ़ का अशोक शैल अभिलेख
		मयूरभंज जिला
27.	बैद्यपुर	पुराऐतिहासिक स्थल
28.	हरीपुर	प्राचीन किला के खंडहर
29.	कुचाई	पुराऐतिहासिक स्थल
30.	कुनियाना	-वही-

स्थान का वर्तमान नाम।

1	2	3
		क्योंझार जिला
31.	सीताभिंजी	रावण छाया के नाम से स्थानीय रूप से प्रसिद्ध शैल चित्रकारी तथा अन्य प्राचीन स्मारक एवं अवशेष
		कालाहांडी जिला
32.	असुरगढ़	असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल
		फुलबानी जिला
33.	गांधार्द्धि	नीलमाधव तथा सिद्धेश्वर का मन्दिर
34.	बौद्ध कस्बा	पश्चिम सोमनाथ, भुवनेश्वर तथा कपितेश्वर मन्दिर
		जिला पुरी
35.	बैरागढ़	भास्करेस्वर मन्दिर
36.	-वही-	अहाते में लघु वेदियों वाला ब्रह्मेस्वर मन्दिर
37.	-वही-	बाबाकेस्वर मन्दिर
38.	-वही-	रामेस्वर मन्दिर
39.	बेसुआघाई	लघु वेदियों वाला नागेश्वर मन्दिर
40.	भुवनेश्वर	अनंत बसुदेव मन्दिर
41.	-वही-	बोकेस्वर मन्दिर
42.	-वही-	बोइताल मन्दिर
43.	-वही-	चित्रकर्णी मन्दिर
44.	-वही-	लघु वेदियों वाला जामेस्वर मन्दिर
45.	-वही-	अहाते में स्थित सभी लघु मंदिरों सहित भगवान लिगराज का मन्दिर जिनके नाम निम्नलिखित हैं :— 1. अमानिया कुंआ 2. अष्टमूर्ति 3. चन्देस्वर देव 4. गोपालुनी मन्दिर 5. लडकेस्वर मन्दिर 6. पार्वती मन्दिर 7. सावित्री मन्दिर 8. सक्रेस्वर मन्दिर 9. सतीदोर्षी मन्दिर
46.	-वही-	अहाते में स्थित सभी लघु मन्दिरों सहित मैत्रेस्वर मन्दिर
47.	-वही-	लघु बेदिकाओं वाला मक्रेस्वर मन्दिर
48.	-वही-	मार्कन्द्रेस्वर मन्दिर
49.	-वही-	लघु वेदिकाओं वाला मुक्तेस्वर मन्दिर किन्तु मृचर्कुड को छोड़कर
50.	-वही-	परमगुरु मन्दिर
51.	-वही-	पापनासिनी ताल

1	2	3
52.	भुवनेश्वर	परसुरेस्वर मन्दिर
53.	-वही-	राजा-रानी मन्दिर
54.	-वही-	सहस्रलिंग ताल
55.	-वही-	सारी मन्दिर नं. 1
56.	-वही-	सिद्धेस्वर मन्दिर
57.	-वही-	सिसिरेस्वर मन्दिर
58.	चौरासी	वाराही मन्दिर
59.	चुर्गा भार्लका कृष्णनगर	चुरनगढ़ का किला, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्र को छोड़कर
60.	धौली	अशोक के अभिलेखों की शैल अभिलेख तथा हाथी की प्रतिमा
61.	-वही-	सातिकारा का ताखा एवं अभिलेख युक्त लघु शैल कृत गुहा
62.	हीरापुर	महामाया मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध चौसठयोगिनी का मन्दिर
63.	जगमारा	उदयगिरि एवं खंडगिरी पहाड़ियों पर स्थित सभी प्राचीन गुफाएं, प्रतिमाएं तथा अन्य स्मारक अथवा अवशेष, खंडगिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित पारसनाथ मन्दिर तथा इसके सामने स्थित बाराभुजी एवं त्रिशला गुफाओं को छोड़कर
64.	कोणार्क	ब्लैक देगोडा के प्राचीन स्मारक तथा सभी प्राचीन भवनों, मूर्तियां, प्रतिमाओं, फर्शों, स्तम्भों, नक्कासियां, दीवारों, द्वारों आदि के खण्डहर एवं अवशेष
65.	पुरी	आथरा नाला ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध मधुपुर नहर (स्ट्रीम) के ऊपर अट्ठारह धनुषों वाला ब्रिज
66.	-वही-	श्री जगन्नाथ मन्दिर तथा सहायक वेदिकाएं
67.	रघुनाथपुर	दक्ष प्रजापति मन्दिर
68.	शिशुपालगढ़	परकोटा के अन्दर और बाहर के प्राचीन अवशेष
		सम्बलपुर जिला
69.	विक्रमखोल	विक्रमखोल के सैल अभिलेख
		कटक जिला
70.	महिमामणि मन्दिर रागड़ी	
		जाजपुर जिला
71.	वाराहनाथ मन्दिर	जाजपुर
72.	त्रिलोचनेस्वर मन्दिर	-वही-

विवरण-II

क्र.सं.	उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष मरम्मत तथा रखरखाव पर किया गया व्यय।		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
				(रुपये लाखों में)
1.	भगवान जगतन्नाथ मंदिर, पुरी	1,19,85,828/-	31,18,640/-	60,60,997/-
2.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	10,23,491/-	4,40,162/-	6,15,683/-
3.	उत्खनित मठ, विद्यागिरि	1,52,707/-	2,78,762/-	1,21,942/-
4.	उत्खनित मठ, रत्नागिरि	39,929/-	53,371/-	1,08,217/-
5.	उत्खनित स्थल वाराबटी किला कटक	1,71,413/-	87,182/-	1,81,827/-
6.	भगवान लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर	2,10,372/-	4,81,196/-	3,77,463/-
7.	खंडगिरि, उदयगिरि की गुफाएं	1,33,133/-	4,14,586/-	5,72,208/-

1	2	3	4	5
	जगमारा			
8.	प्राचीन स्थल, हरोपुरगढ़	76,334/-	79,129/-	1,75,926/-
9.	उत्खनित स्थल, ललितगिरि	1,023/-	2,45,377/-	6,026/-
10.	सिम्हनाथ मंदिर, गोपीनाथपुर	8,162/-	86,727/-	1,07,117/-
11.	मंदिर समूह, महेन्द्रगिरि	-	59,773/-	69,910/-
12.	शैलचित्रकारी, सीताभांजी	19,461/-	36,225/-	69,356/-
13.	मंदिर समूह, जाजपुर	36,884/-	82,992/-	1,66,153/-
14.	भास्करेस्वर मंदिर, भुवनेश्वर	29, 988/-	1,22,569/-	18,947/-
15.	मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर	19,856/-	35,095/-	21,900/-
16.	रामेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर	22,857/-	55,434/-	33,490/-
17.	राजा रानी मंदिर, भुवनेश्वर	49,515/-	62,435/-	53,728/-

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा लड़ाकू विमान खरीदना

469. **श्री अमर पाल सिंह : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में फ्रांस से 40 मिराज लड़ाकू विमान खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा मिराज लड़ाकू विमान खरीदे जाने से इस क्षेत्र में उत्पन्न असंतुलन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). पाकिस्तानी अखबारों में यह खबर छपी है कि पाकिस्तान ने फ्रांस की कम्पनी, साजेम से 120 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 40 पुराने मिराज-III विमान खरीदे हैं और कम्पनी इन विमानों की पूरी तरह से मरम्मत करके उन्हें ठीक-ठाक भी बनाएगी।

(ग) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर निगाह रखती है और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

गोल मार्केट, नई दिल्ली में झुग्गियां

470. **डा. बलिराम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.आई.जैड. सीमा गोल मार्केट में कुल कितनी झुग्गियां हैं;

(ख) क्या सरकार का इन झुग्गियों को हटाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन झुग्गीवासियों के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन झुग्गियों को कब तक हटा दिया जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) डी.आई.जेड. क्षेत्र में लगभग 2700 झुग्गियां हैं।

(ख) से (च). जोनल प्लान में प्लाटों के लिए निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार भू-उपयोग बाबत विभिन्न सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। पुर्न-विकास की प्रक्रिया में, पुनर्वास के लिए निर्धारित स्थानों पर पात्र झुग्गीवासियों को भी बसाया जाएगा।

[अनुवाद]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के सहायता उद्योग

471. **श्री के. प्रधानी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलासपुर डिवीजन में ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें साउथ ईस्टर्न कोफील्ड्स लि. को सामग्री की आपूर्ति हेतु सहायक उद्योगों का दर्जा दिया गया है और उनमें कितने उद्योगों में इस समय उत्पादन हो रहा है;

(ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा बिलासपुर में सहायक कंपनियों को प्रति वर्ष कितने मूल्य का क्रयादेश दिया गया और कितने मूल्य की सामग्री खरीदी गयी;

(ग) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा बिलासपुर स्थित सहायक उद्योगों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा.ई.को.लि.) द्वारा बिलासपुर प्रभार की 93 औद्योगिक यूनिटों को अनुषंगी स्तर प्रदान कर दिया गया है। इनमें से 49 यूनिटें वर्तमान में सक्रिय रुप से उत्पादन कर रही हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान सा.ई.को.लि. द्वारा की गई खरीद की कीमत लगभग 364 करोड़ रुपये अनंतिम थी। इसमें से अनुषंगी उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किये गए आर्डरों का मूल्य 12.85 करोड़ रुपये था।

(ग) जी, हां।

(घ)(1) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने यह उल्लेख किया है कि इसकी अनुषंगी यूनिटों की पूर्ण क्षमता का लाभकारी रूप में उपयोग किया जा रहा है। अनुषंगी यूनिटों को अतिरिक्त मदों को विकसित किए जाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उन पर भी इन मदों के लिये अनुषंगी स्तर प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जा सके। जो कि अपनी निर्धारित क्षमता की उपयोगिता में वृद्धि कर सकेंगी।

(2) अनुषंगी यूनिटों की क्षमता का पूर्णतः उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न सेमिनार, प्रदर्शिनी तथा संयंत्र स्तर की परामर्शदात्री समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है, जो कि विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किए जाने हेतु तथा उनका निपटारा किए जाने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

(3) उद्यमियों को एक अथवा इससे अधिक उत्पादनों को विकसित किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड आरेखन सामग्री तथा आश्वस्त विपणन सहित अन्य तकनीकी सेवाएं मुहैया कर रहा है।

हज यात्रियों के लिए आवास-व्यवस्था

472. डा. एम.पी. जायसवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था का खर्च देश में तथा मक्का में दोनों जगह सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अधिकारियों और गैर-अधिकारियों की संख्या क्या है जो सरकारी खर्चे पर इस सुविधा के हकदार हैं;

(घ) क्या इनकी अधिकतम संख्या निर्धारित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं. भारत सरकार हज यात्रियों के मक्का में भोजन अथवा प्रवास पर कोई व्यय नहीं करती है। सउदी अरब की सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित आवास योजना के अन्तर्गत सभी हाजियों को अपने आगमन से पूर्व अपने आवास का प्रबन्ध करना होता है। सीजी आई जद्दाह के सहयोग से केन्द्रीय हज समिति उन भारतीय हाजियों के लिए मक्का और मदीना में आवास इकाईयों की व्यवस्था करती है जो केन्द्रीय हज समिति के प्रबंधों के अन्तर्गत हज के लिए जाते हैं। हज यात्री अपने संसाधनों से आवास और भोजन के लिए खर्च स्वयं वहन करते हैं।

यात्रा के दौरान भारत में पोतारोहण स्थानों पर हज यात्रा पर जाने से पूर्व बहुत से हाजी व्यक्तियों तथा राज्य हज समितियों द्वारा आयोजित पारगमन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

(ग) से (च). भारत सरकार अपने व्यय पर हज के लिए किसी भी सरकारी/गैरसरकारी व्यक्ति को प्रायोजित नहीं करती है। तथापि, सउदी अरब में भारतीय हाजियों की सहायता के लिए सरकार अल्पावधिक अस्थायी ड्यूटी पर प्रशासनिक और चिकित्सा स्टाफ को भेजती है। हज, 1996 के लिए जब हज समिति के माध्यम से किए गए प्रबंधों के अन्तर्गत हज के लिए 50,000 से अधिक हज यात्री गए, 100 हज-सहायक और सहायक हज अधिकारी, 100 डाक्टर और 100 पैरा मेडिक्स को सउदी अरब भेजा गया था। प्रशासनिक/चिकित्सा स्टाफ की संस्था की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, आपातकालिक कर्मचारियों की संख्या सरकार आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर तय करती है।

प्रशासनिक और चिकित्सा स्टाफ को हवाई यात्रा व्यय सउदी अरब में ठहरने के लिए कैम्प सुविधा और अनुमत्त विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सउदी अरब के अधिकारियों और अन्य देशों से वहां आए हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडलों के साथ परस्पर कार्यकलाप के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध व्यक्तियों का एक हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल भेजा जाता है। प्रतिनिधिमंडल हज यात्रा के प्रबंधों की देख रेख करता है तथा लौटने पर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है। हज 1996 के लिए भेजे गए सद्भावना प्रतिनिधिमंडल में 14 सदस्य थे इस प्रतिनिधिमडल के सदस्यों को अनुमत्त हवाई यात्रा व्यय, होटल अवास, स्थानीय यातायात तथा दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।

बाल कुपोषण

473. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बाल कुपोषण सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य विकासशील देशों विशेषकर नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान की तुलना में भारत में 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों का कुपोषण प्रतिशत कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कुपोषण को कम करने और अन्ततः इसको समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाल कुपोषण का स्तर भारत में अभी भी काफी ऊंचा है, किन्तु सबसे अधिक नहीं। पिछले दो दशकों के दौरान, बच्चों में अल्प और गम्भीर कुपोषण में भारी कमी आई है।

(ख) 1975 से 1990 तक की अवधि में गम्भीर कुपोषण (ग्रेड-III) 15 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत और अल्प कुपोषण (ग्रेड-II) 47.5 प्रतिशत से घटकर 43.8 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा औसत-2 (मानक अन्तर राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ा केन्द्र) विच्छेद स्तर मानक का इस्तेमाल करते हुए, कम वजनी (वजन/आयु) बच्चों का प्रतिशत 1988-90 में 68.6 से घटकर 53.4 हो गया है।

कुपोषण पेचीदा और अन्तर सम्बद्ध कारकों का परिणाम है। कुपोषण के मुख्य कारण निम्न क्रय शक्ति, जिसके परिणाम-स्वरूप अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, विशेषकर महिलाओं में कम साक्षरता के कारण अज्ञानता, जिससे खान-पान की आदतों और साफ-सफाई का स्तर ठीक नहीं रहता और अस्वास्थकर पर्यावरण जिससे अतिसार, आन्त्रशोथ जैसी संक्रामक बीमारियां अधिक हो जाती हैं और जिसके कारण बच्चों द्वारा पोषक तत्वों को पचा पाने में अड़चन आती है और पहले से कुपोषित बच्चे और अधिक कुपोषित हो जाते हैं।

(ग) "द प्रोग्रेस ऑफ नेशन्स, 1996" नामक यूनिसेफ के प्रकाशन के अनुसार भारत में तथा अन्य विकासशील देशों में कुपोषण के पीड़ित पांच साल से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत इस प्रकार है :-

भारत	53 प्रतिशत
नेपाल	49 ,,
भूटान	38 ,,
बंग्लादेश	67 ,,
श्रीलंका	38 ,,
पाकिस्तान	40 ,,

(घ) सरकार को इस समस्या की जानकारी है और सरकार यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपने विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है कि लोग, विशेषकर बच्चे और महिलाएं कुपोषण से पीड़ित न हों। उल्लेखनीय कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा, पोषाहार शिक्षा गतिविधियां, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आदि शामिल है। 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति का अपनाया जाना और राष्ट्रीय पोषाहार कार्ययोजना, 1995 की अवसंरचना के प्रयोग द्वारा बहुक्षेत्रीय कार्य नीति का कार्यान्वयन इस दिशा में एक अन्य प्रमुख कदम है।

हिन्दी एवं उर्दू विश्वविद्यालय

474. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दी एवं उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विश्वविद्यालय कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभा में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रौन्नति और विकास करना होगा ताकि हिन्दी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में ज्यादा कार्यात्मक दक्षता और मान्यता प्राप्त कर सके। इसकी स्थापना वर्धा में करने का प्रस्ताव है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्यतः हैदराबाद में करने का प्रस्ताव है ताकि उर्दू भाषा का विकास और प्रौन्नति हो सके और परम्परागत शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के द्वारा उर्दू माध्यम में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके।

(ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए दिनांक 24 अगस्त, 1995 को दो विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

बिहार की कोयला खानों में सुरक्षा उपकरण

475. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की सभी कोयला खानों मे किसी दुर्घटना के समय श्रमिकों की सहायता के लिए कोई सुरक्षा उपकरण स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). सुरक्षा उपकरण, जैसे कि मुख्य यंत्रीकृत वेंटिलेटर, संरक्षात्मक उपकरणों से सज्जित साफ्टों में वाइन्डर्स फ्लेम प्रूफ/मूलभूत सुरक्षात्मक इलैक्ट्रीकल्स आदि, जो कि कोयला खान विनियमन, 1957 के अंतर्गत अपेक्षित हैं, उन्हें बिहार राज्य स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कार्यरत कोयला खानों में लगा दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता

476. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई स्थान पाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) एक प्रमुख गुटनिरपेक्ष देश होने के नाते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का विस्तार करने के संबंध में भारत की भावी भूमिका क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). भारत ने 1994 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 49वें सत्र में अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में कार्य करना चाहता है। 1995 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 50वें सत्र में यह बात दुहरायी गयी। भारत की उम्मीदवारी के संवर्द्धन हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं। ये प्रयास जारी हैं। तथापि, सुरक्षा परिषद के विस्तार पर संयुक्त राष्ट्र में अभी तक सर्वसम्मति नहीं हुई है।

(ग) अक्टूबर, 1995 में कार्टाजेना, कोलम्बिया में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन ने इस आशय की घोषणा पारित की कि गुटनिरपेक्ष देशों को अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन के विकासशील देशों का सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। भारत ने "सुरक्षा परिषद में न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्य संख्या में विस्तार से संबद्ध प्रश्न" के संबंध में गठित संयुक्त राष्ट्र महासभा के खुले कार्यदल में हुए विचार विमर्शों में भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

477. श्री रमेन्द्र कुमार :
श्री थावर चंद गहलोत :
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की अनेक सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन लंबित सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं, विशेषकर बिहार और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो स्वीकृति के लिए लंबित हैं, का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ त्रैमासिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है। इसने परियोजनाओं के शीघ्र मूल्यांकन में राज्यों की सहायता करने के लिए देश, में विभिन्न स्थानों पर फील्ड यूनिट भी स्थापित किए हैं।

(घ) यद्यपि, परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक निर्धारित सीमा है, तथापि स्वीकृति में विलम्ब का कारण राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन करने में देरी होना है।

विवरण

स्वीकृति के लिए लंबित नई वृहद, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (संख्या)	निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास परियोजनाएं		मूल्यांकन की स्थिति केन्द्रीय टिप्पणियों की अनुपालना जैसे पर्यावरणीय और वन स्वीकृति आदि प्राप्त करने के अध्यधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं (संख्या)		केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच की गई परियोजनाएं और अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने और पर्यावरणीय/वन दृष्टिकोण आदि के कारण सलाहकार समिति द्वारा विचार आस्थगित कर दिया (संख्या)		परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं (संख्या)	
		वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	6	2	–	–	1	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	1	–	–	–	–	2
4.	बिहार	–	–	2	1	–	–	2	–
5.	गुजरात	–	–	1	–	–	–	–	9
6.	हरियाणा	–	–	1	–	–	–	–	1
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	–	–	–	1	–
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	2	–	–	1	4
9.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	2	–
10.	केरल	–	–	1	–	–	–	1	–
11.	मध्य प्रदेश	–	–	9	–	1	–	1	3
12.	महाराष्ट्र	–	–	9	13	1	–	4	8
13.	मणिपुर	–	–	1	–	–	–	–	–
14.	उड़ीसा	–	–	1	2	–	–	2	1
15.	पंजाब	–	–	1	–	–	–	2	1
16.	राजस्थान	–	1	2	3	–	–	–	4
17.	तमिलनाडु	–	–	1	–	–	–	1	1
18.	उत्तर प्रदेश	–	–	7	–	–	–	4	–
19.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	1	–
20.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	–	1	44	23	2	–	23	34

[अनुवाद]

विश्व भारती का विस्तार

478. **श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भारती (शांति निकेतन) द्वारा हाल के वर्षों में (1990-95) अपने विस्तार, विकास तथा अन्य कार्यक्रमों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्व-भारती, शांतिनिकेतन ने जनवरी, 1996 के दौरान एशियाई सभ्यताओं के अध्ययन हेतु "विश्व एशिया" नामक एक केंद्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में इस समय कोई वित्तीय विवक्षा संबद्ध नहीं है अतः विश्व भारती को इस मामले में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और इससे संबंधित वित्तीय विवक्षाओं के निर्धारण के लिए किसी बाहरी एजेंसी की सेवा लेने की सलाह दी गई है ताकि सरकार आगे की कर्रवाई कर सके।

क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अव्यवस्था

479. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इंग्लैड के वर्तमान दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम में चल रहे असंतोष और उसके परिणामस्वरूप कुछ खिलाड़िओं के अपमान के संबंध में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में व्याप्त अव्यवस्था की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में खिलाड़ियों का अपमान नहीं होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में लिप्त संबंद्ध अधिकारियों/ व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) से (घ). भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में न तो कोई अव्यवस्था है और न ही इंग्लैंड के दौरे पर गयी भारतीय क्रिकेट टीम में कोई असंतोष है। श्री नवजोत सिंह सिद्धू की सेवा-निवृत्ति और इंग्लैण्ड के दौरे के बीचों-बीच वापस आने संबंधी मामलेकी,भारतीय क्रिकेट टीम के यू. के. तथा हालैंड के वर्तमान दौरे में वापस आने के पश्चात, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जांच करवाने का प्रस्ताव है।

बंगलादेश स्थित भारतीय अंतः क्षेत्रों के भारतीयों को मतदान अधिकार

480. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश स्थित भारतीय क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान अधिकार दिए जाने संबंधी मामला सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कब से लम्बित है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है/लेने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). बंगलादेश में भारत के 119 अंतः क्षेत्र और भारत में बंगलादेश के 72 अंतः क्षेत्र हैं जिनका आदान-प्रदान किया जाना है। भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 की व्यवस्था के अनुसार इन अंतः क्षेत्रों को भारत और बंगलादेश के बीच बिना किसी मुआवजे के आदान-प्रदान होना है। दानों में से कोई भी पक्ष अपने-अपने उन अंतः क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाया है जो एक-दूसरे के देश में स्थित हैं। अंतः क्षेत्रों में आदान-प्रदान में विधिक और संवैधानिक अड़चनें हैं जो 1974 के करार से संबंधित अन्य अनसुलझे मसलों से सम्बद्ध हैं जैसे एक-दूसरे के अनाधिकृत दलखल वाले क्षेत्रों का अन्तरण, सीमा का सीमांकन और करार का अनुसमर्थन। यह मामला भारत सरकार के संगत विभागों के विचारधीन है। इन अंतः क्षेत्रों के निवासियों की नागरिकता से सम्बद्ध मसले पर भी निर्णय लेना है। सरकार को उपलब्ध करायी गई कानूनी सलाह के अनुसार सबसे पहला कदम सीमा के सीमांकन का कार्य पूरा करना है तथा इसे संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाना है। तथ्य यह है कि बंगलादेश में स्थित इन अंतःक्षेत्रों पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है तथा इस प्रकार इनके निवासियों को मतदान का अधिकार देना सम्भव नहीं हो पाया है। इन अंतः क्षेत्रों में जनसंख्या के विश्वसनीय आकड़े भी सरकार के पास नहीं हैं।

[हिन्दी]

महिला मृत्यु दर

481. **कुमारी उमा भारती :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला मृत्यु दर पुरूष मृत्यु दर से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकें क्या परिणाम रहे,

(घ) देश में पुरूष तथा महिला मृत्यु दर के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) मृत्यु दर मे कमी लाने तथा उक्त मृत्यु-दर के अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) जी, नहीं।.

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठता।

(घ) नमूना पंजीकरण प्रणाली अनुमान (भारत के महा पंजीयक) 1993 के अनुसार देश में महिला मृत्यु दर (वार्षिक प्रति हजार जनसंख्या) 9.1 है जबकि पुरूष मृत्यु-दर 9.5 है।

(ङ) भारत सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य दर्जे में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। पूरे देश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और उप-केन्द्रों का विस्तार किया गया है। मातृ, शिशु और बाल मृत्यु-दर को कम करने के लिए 1992-93 में बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू किया गया। रोग-प्रतिरोधन सेवाएं सभी को उपलब्ध हैं। 1975-76 में शुरू किया गया समेकित बाल विकास कार्यक्रम भी सर्वसुलभ बना दिया गया है।

खड़कपूर्णा बांध का निर्माण

482. श्री जी.एम. कुंदूरकर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में खड़कपूर्णा नामक बांध का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस बांध के नीचे 20 वर्ष पूर्व "पूर्णा" नामक बांध का निर्माण किया गया था और इस नए बांध के निर्माण से पूर्णा बांध की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी; और

(ग) सरकार द्वारा नए बांध खड़कपूर्णा का निर्माण कार्य बंद करवा कर पुराने बांध पूर्णा की उपयोगिता बरकरार रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह नोट किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी 1994-95 की वार्षिक योजना में खदकपुरना परियोजना पर 1994-95 के दौरान 2.00 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का उल्लेख किया है। तब भी योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इस परियोजना पर 1994-95 के लिए किसी परिव्यय की सिफारिश नहीं की थी महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 2.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का पुनः प्रस्ताव रखा किंतु कार्यकारी दल ने उस वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए किसी परिव्यय की सिफारिश नहीं की। 1996-97 के लिए वार्षिक योजना अभी पूरी तरह तैयार नहीं है।

(ख) इस मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि पूर्ना परियोजना चौथी योजना में पूरी हो चुकी थी। खदकपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र में प्राप्त नहीं हुई है और उसके अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि इससे मौजूदा पूर्ना परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) केंद्रीय जल आयोग द्वारा किसी भी नई परियोजना के प्रस्ताव की जांच करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि इससे मौजूदा परियोजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गंगा नदी से मिट्टी का कटाव

483. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बैगूसराय जिले के मुधरापुर गांव में गंगा के जल से होने वाले मिट्टी के भारी कटाव के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाना और उर्वरक संयंत्र, बरौनी जैसे महत्वपूर्ण सरकारी उद्यम तथा बरौनी स्टेशन को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा हेतु मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या त्वरित कार्यवाही करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). बिहार में बेगुसराय जिले में मधुरापुर में गंगा के बायें तट पर कटाव समस्या को राज्य सरकार द्वारा आंका गया है। वर्ष 1995 की बाढ़ों के बाद राज्य सरकार ने बरौनी-बेगुसराय औद्योगिक परिसर की बाढ़ सुरक्षा के लिए स्कीम तैयार की है। गंगा बाढ़ प्रबंध तथा बहुप्रयोजनी परियोजनाओं की तकनीकी सलाहार समिति द्वारा जनवरी, 1986 में 623.96 लाख रुपए की इस स्कीम की जांच की गई और अनुमोदन किया गया। चूंकि बाढ़ नियंत्रण कटाव-रोधी कार्यों की आयोजना, अन्वेषण और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकार की है, इसलिए बिहार सरकार ने स्कीम कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता निर्मुक्त करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है। योजना आयोग ने क्षेत्र में प्राथमिकता कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार को मार्च,1996 में 127.67 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता निर्मुक्त की है।

[अनुवाद]

योग को बढ़ावा देना

484. श्री संदीपान थोरात : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में योग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों

के दौरान संस्थावार विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई;

(ख) इन्हें दी गई आर्थिक सहायता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है; और

(ग) कायवलयायाम योग अनुसंधान संस्थान, लोनावाला, जिला पूना में विभिन्न अनियमितताओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) "स्कूलों में योग शुरू करना" केन्द्रीय प्रायोजित योजना अप्रैल,1989 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत योग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साथ जिसमें शिक्षक प्रशिक्षार्थियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, पुस्तकालय सुविधाओं का स्तरोन्नयन और शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण/विस्तार शामिल है। इसके अलावा अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाएं भी रख रखाव के साथ साथ मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विकास व्यय के लिए अथवा चिकित्सा पहलूओं के अतिरिक्त योग के विभिन्न पहलूओं के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को इस योजना के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता संबंधी ब्यौरा, संस्था वार संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है।

(ख) किसी गैर सरकारी संगठन से प्राप्त प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाता है जब राज्य सरकार द्वारा इसकी विधिवत सिफारिश की जाती है और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित होने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यक वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। संस्था को दूसरी बार अनुदान तभी संस्वीकृत किया जाता है जब पिछले अनुदान के संबंध में उचित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है।

(ग) संस्थान के कार्य की जांच करने के लिए केन्द्र तथा महाराष्ट्र सरकार के एक संयुक्त मूल्यांकन दल ने 26-27 अप्रैल,1996 को संस्थान का दौरा किया। पाई गई प्रशासनिक अनयिमितताओं और प्रक्रिया संबंधी कमियों को संस्थान की जानकारी में लाया गया ताकि समयबद्ध ढंग से उनको दूर किया जा सके।

विवरण

(रु. लाख में)
योजनागत

क्र.सं.	संस्था का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	योग संस्थान, सांताक्रूंज बम्बई महाराष्ट्र	7.66	-	-
2.	श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, महाराष्ट्र	-	3.70	-
3.	आरोग्य सेवा मंडल मूखेड़, नांदेड महाराष्ट	-	0.98	-
4.	योग विद्याधाम, धूले, महाराष्ट्र	-	3.70	2.50
5.	कैवल्यधाम, एस.एम.वाइ.एम. समिति लोमाविया, पूणे, महाराष्ट्र	29.08 (योजनेतर)	32.67 (योजनेतर)	20.00 (योजनेतर)
		5.00	5.00	-
6.	योगा शिक्षा संस्थान, उडिआई उत्तर प्रदेश	3.70	-	-
7.	रामकृष्ण नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर	1.41	1.50	0.79
8.	बापू प्राकृतिक उपचार अस्पताल तथा योगाश्रम, दिल्ली	5.50	20.50	-
9.	योगा प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराई मूंगेर, बिहार	-	1.08	-
10.	स्वामी शहजानन्द स्मारक विकास आवाम् शोध संस्थान, पटना	-	1.08	-
11.	भारतीय पुनर्वास संघ राजेन्द्रनगर पटना बिहार	-	1.08	-
12.	रमेश प्रसाद यादव योग संस्थान हजारीबाग, पटना, बिहार	-	1.08	-
13.	बौध समाज, नेचूला जलालपूर गोपालगंज, बिहार	-	0.90	-
14.	मोद गल्ययन योग संस्थान पटना, बिहार	-	0.95	-
15.	भारतीय योग संस्थान पटना, बिहार	-	-	2.76
16.	हनुमत इन्टर कालेज, धम्मोर सुल्तानपूर, उत्तर प्रदेश	-	-	3.00

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय नागरिक

485. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय नागरिक बंद हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को किसी अपराध के कारण सजा दी जा चुकी है तथा उनमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जो एक वर्ष से भी अधिक समय से बिना किसी मुकदमें के वहां तड़प रहे हैं; और

(ग) उन पर समुचित मुकदमा चलाने तथा उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) उपलब्ध सूचना के मुताबिक, इस समय 1249 भारतीय असैनिक कैदी, मछुआरे और कार्गो जहाजों के कर्मचारीगण पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ख) पाकिस्तान इन मामलों के संबंध में सूचना देता है।

(ग) पाकिस्तान में नजरबंद सभी भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यवर्तन के मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया जाता रहा है। ये प्रयास जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

नदियों को जोड़ने की योजना

486. **श्री कचरू भाऊ राऊत :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को बाढ़, सुखे, जान और माल की क्षति की समस्या से बचाने के लिए देश में नदियों को जोड़ने संबंधी योजना अभी भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कब तक उक्त योजना को क्रियान्वित करने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। सरकार द्वारा जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों के बल की कमी बेसिनों को जल के अंतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयाई नदियों के बीच अंत:संपर्क स्थापित करने की परिकल्पना है। सरकार ने जल अंतरण संपर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की थी। 36 जल अंतरण संपर्कों, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 हिमालयाई घटक के अंतर्गत 19 का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) विभिन्न जल अंतरण संपर्कों के लिए अभिकरण द्वारा किए गए अध्ययन संबंधित राज्यों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए भेजे जोते हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति में इन टिप्पणियों/सुझावों के साथ-साथ पर अभिकरण के स्पष्टीकरणों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। संपर्क परियोजनाओं पर कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों के बीच आवश्यकत समझौते हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है और इसलिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

जल निकासी प्रणाली

487. **श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, बांदा, इलाहबाद जिलों की जल निकासी प्रणाली को उत्तर प्रदेश जल निगम और जल संस्थान के मुख्य अभियंता ने तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) चालू वित्त वर्ष में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या सरकार अधीक्षण अभियंता द्वारा किए कार्य की जांच करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा फतेहपुर, बान्दा तथा इलाहाबाद जिले की कोई जल निकास प्रणाली तकनीकी रूप से अनुमोदित नहीं की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश जल निगम जिलों के लिए जल निकास प्रणाली स्कीमें न तो तैयार करता है और न ही तकनीकी रूप से अनुमोदित करता है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रंथालय

488. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय के विस्तार की कोई परियोजना सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक स्वीकृत और क्रियान्वित किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद

489. श्री जगमोहन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात देशों के समूह और रूस के नेताओं ने अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 40 सूत्री योजना को जून, 1996 के अंतिम सप्ताह में स्वीकृति दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की ओर इन नेताओं का ध्यान आकर्षित करने का है तथा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने हेतु उन्हें सुझाव देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रायोजित आतंकवाद की ओर सात देशों के समूह और रूस के नेताओं का ध्यान उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान विभिन्न स्तरों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आकर्षित किया जाता रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जी-7 सरकारों के साथ राजनयिक क्रियाकलापों के दौरान नियमित रूप से बातचीत की जाती है।

पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा

490. डा.वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत की यात्रा करने के लिए अधिक से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा जारी करने का है;

(ख) क्या यह व्यवस्था पारस्परिक आधार पर की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन के कार्मचारियों की सीमाओं सम्बन्धी विषमताओं के बावजूद भारत एवं पाकिस्तान के बीच जन सम्पर्क को प्रोत्साहित करने की नीति का अनुसरण करते हुए सरकार ने भारत यात्रा के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी किये जाने वाले वीजाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

जन-सम्पर्क में वृद्धि से दो देशों के बीच समझ-बूझ बढ़ेगी।

विश्व जनसंख्या और भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट

491. श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी यूनीसेफ की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय महिलाओं की दुर्दशा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्मई) : (क) सरकार को युनाइटेड नेशंज पापूलेशन फंड द्वारा 'विश्व जनसंख्या की स्थिति" 1996 पर निकाली गई रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) और (ग). सरकार ने रिपोर्ट को नोट कर लिया है, जिसमें जनसंख्या, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि, पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने में कठिनाइयों, शहरी निर्धनता, महिला विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा में पूंजी-निवेश आदि का व्यापक सिंहावलोकन किया गया है।

सरकार महिलाओं की उन्नति के लिए अनेक महिला-विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल के बेहतर अवसरों तथा महिलाओं के स्व-सहायता दलों के निर्माण और बुनियादी स्तर पर सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक शक्ति-सम्पन्नता के बेहतर अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सैनिक स्कूल

492. श्री सुरेश कलमाडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1996 के "पायनीयर" समाचार पत्र में **"सैनिक स्कूल होल्ड नो होप फार सोल्जर्स" शीर्षक अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;** और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

29 जून, 1996 के "द पायनियर" में प्रकाशित उक्त समाचार का शीर्षक "सैनिक स्कूल होल्ड नो होप फार सोलजर्स" भ्रामक है। सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों को बंद किए जाने की कोई योजना नहीं है।

2. सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की योजना 1961 में लागू की गई थी। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के

लिए बालकों को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। इसके अन्य उद्देश्यो में सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग में क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन दूर करना तथा पब्लिक स्कूल शिक्षा को सामान्य व्यक्ति की पहुंच के भीतर लाना है।

3. देश के 18 बड़े राज्यों में 1961 से 1978 तक स्थापित किए गए 18 सैनिक स्कूलों के 4720 कैडेटों ने 1995 तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों सहित वे सभी छात्र जिन्होंने 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा पास कर ली है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 660 छात्र प्रवेश पाते हैं। इनमें से सैनिक स्कूलों के छात्रों की पिछले छः वर्षो में औसत संख्या 63 रही है। सैनिक स्कूलों के छात्रों का संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा में और सेना चयन बोर्ड में प्रदर्शन अन्य स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन से बहुत अच्छा हैं, जैसा की निम्नलिखित जानकारी से स्पष्ट होगा :-

		सैनिक स्कूल	अन्य सभी स्कूल
(क)	संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय अकादमी प्रवेश परीक्षा में औसत रूप से उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत	36	09
(ख)	सेना चयन बोर्ड में पहले प्रयास में अर्हता प्राप्त करने वाले	08	02

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि सैनिक स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपनी ओर से काफी कैडेट भेज रहे हैं।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सैनिक स्कूल अंतरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है जो कि संसदीय रक्षा स्थायी समिति (1994-95) 10वीं लोक सभा की इस सिफारिश के अनुरूप है कि शिक्षा, रक्षा मंत्रालय का अनिवार्य कार्य नहीं है। अतः सैनिक स्कूलों की व्यवस्था सही मायने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही देखी जा सकती हैं। उक्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय की शिकायतों की कोई सूची नहीं भेजी है।

सरदार सरोवर परियोजना

493. **श्री सनत मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के समाधान हेतु गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की हाल की में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में विचार-विमर्श किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक के क्या परिणाम रहे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). जी हां। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक का आयोजन 5.7.96 को नई दिल्ली में किया गया था जिसमें सरदार सरोवर बांध ऊंचाई 1996-97 के लिए निमार्ण कार्यक्रम और जापान से टरबो-जनरेटर सैटों की प्राप्ति से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था। निर्णयानुसार, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की विशेष बैठक का आयोजन 15.7.96 को किया गया है। इसके पश्चात् माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि

494. **श्री जी.जी. स्वैल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर वार्ता के संबंध में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन समाप्त हो गया है अथवा स्थगित कर दिया गया है;

(ख) क्या परमाणु अस्त्र वाले देशों तथा अन्य अधिकांश देशों द्वारा मसौदे के संबंध में सर्वसम्मति हो गई है;

(ग) यदि हां, तो मसौदे की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यह कहा गया है कि परमाणु अस्त्र बनाने में सक्षम भारत जैसे देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किये बिना किसी प्रकार की संधि संभव नहीं है; और

(ङ) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने इस विषय में हमारी सरकार को पत्र लिखा है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) निरस्त्रीकरण सम्मेलन 28 जून को स्थगित हुआ और इसकी बैठकें 29 जुलाई को पुनः शुरू होंगी।

(ख) व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर वार्ताओं से सम्बद्ध तदर्थ समिति के अध्यक्ष ने 28 जून को इस संधि का एक प्रारूप तैयार किया था कि सहभागी देश 29 जुलाई को पुनः शुरू होने वाले सत्र के दौरान इस पर अपने विचार रखें।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

विवरण

व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि वार्ताओं पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष ने आस्थगित सत्र के अन्तिम दिन अर्थात 28 जून, 1996 को निरस्त्रीकरण सम्मेलन में व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संधि का प्रारूप पेश किया। निरस्त्रीकरण सम्मेलन की बैठकें 29 जुलाई, 1996 को पुनः शुरू होंगी।

प्रारूप पाठ को चार भागों में बांटा जा सकता है:

- भाग I के अन्तर्गत प्रस्तावना, बुनियादी दायित्व, संगठन, तकनीकी सचिवालय और राष्ट्रीय क्रियान्वयन उपाय (अनुच्छेद I, II, III) में आते हैं।
- भाग II के अन्तर्गत साक्ष्यांकन से सम्बद्ध संधि की भाषा शामिल है (अनुच्छेद IV)
- भाग III के अन्तर्गत स्थिति को हल करने और अनुपालन का सुनिश्चय करने से सम्बद्ध उपाय आते हैं। जिसमें प्रतिबन्ध, विवादों का निपटारा, हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, अंगीकार करना, निक्षेपागार, प्रोतोकोल (प्रोतोकोलों) और अनुबन्ध (अनुबन्धों), प्रामाणिक पाठों और संशोधनों (अनुच्छेद V से VII) आते हैं।
- भाग IV के अन्तर्गत वह प्रोतोकोल आता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानिटरिंग व्यवस्था का विवरण दिया गया है।

2. **प्रस्तावना** : संधि की प्रस्तावना में उद्देश्यों और संदर्भ का उल्लेख है। इस समय प्रस्तावना में नाभिकीय निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध पैराग्राफ हैं लेकिन किसी निश्चित समय सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के उन्मूलन के उद्देश्य से उनका कोई स्पष्ट संबंध नहीं है।

3. **विषय क्षेत्र** : इस अनुच्छेद में व्यापक प्रतिबन्ध संधि के अन्तर्गत निषिद्ध गतिविधियों की परिभाषा दी गई है:

> प्रत्येक राज्य पक्षकार यह वचन लेता है कि वह कोई नाभिकीय शस्त्र परीक्षा विस्फोट अथवा कोई अन्य नाभिकीय विस्फोट नहीं करेगा, और अपने क्षेत्राधिकार अथवा नियंत्रण में आने वाले किसी भी स्थान पर ऐसे नाभिकीय विस्फोट का निषेध करेगा और उसे रोकेगा। प्रत्येक पक्षकार यह भी वचन लेता है कि कोई नाभिकीय शस्त्र परीक्षण विस्फोट अथवा अन्य कोई विस्फोट नहीं करवायेगा, उसे प्रोत्साहन नहीं देगा अथवा उसमें किसी भी तरीके से भाग नहीं लेगा।

हम इस विषय को उपर्याप्त मानते हैं क्योंकि इसमें नाभिकीय शस्त्रों का विकास करने तथा उनका परिष्कार करने के लिए गैर विस्फोटी तकनीकों का प्रयोग करने की संभावना बरकरार है।

4. व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि के उद्देश्यों और प्रयोजनों की प्राप्ति तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संगठन की स्थापना की जाएगी। व्यापक प्रतिबन्ध संधि संगठन के अवयव इस प्रकार हैं:- पक्षकार राज्यों का सम्मेलन जिसकी वार्षिक आधार पर बैठक होगी; दैनिक क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए 51 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् तथा साक्ष्यांकन कार्य जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र तथा अन्तर्राष्ट्री मानिटरिंग व्यवस्था का प्रचालन भी शामिल है, में सहायता करने के लिए तकनीकी सचिवालय व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संगठन की स्थापना वियना (आस्ट्रिया) में की जाएगी।

5. **प्रवर्तन** : इस उपबन्ध के अनुसार यह संधि इसके अनुच्छेद 11 में उल्लिखित सभी राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के दस्तावेज जमा करने की तारीख से 180 दिन के बाद लागू हो जाएगी लेकिन हस्ताक्षर के लिए जब यह खोली जाएगी तो उसके बाद दो वर्ष से पहले किसी भी स्थिति में लागू नहीं होगी। इस अनुबन्ध में यह भी व्यवस्था है कि यदि हस्ताक्षरों के लिए इस संधि को खोलने के दिन की तारीख से तीन वर्ष के बाद यह संधि प्रवृत्त नहीं होती है तो यह व्यवस्था है कि उन पक्षकार राज्यों का सम्मेलन बुलाया जाए जिन्होंने अनुसमर्थन के अपने दस्तावेज जमा करा दिये हों और यह सम्मेलन सर्वसम्मति से यह तय करेगा कि इस संधि के शीघ्र प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अनुसमर्थन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्या-क्या उपाय किए जाएं। अनुबंध 11 में 44 देशों की एक सूची है जिनमें भारत भी शामिल है। हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम इस अनुबंध से बाध्य नहीं हैं।

6. **विनिवर्तन** : व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी पक्षकार राज्य अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हित का प्रयोग करते हुए इस संधि से हट सकता है।

7. **समीक्षा** : इस संधि में यह व्यवस्था है कि पक्षकार राज्य दस-दस वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा करेंगे। समीक्षा सम्मेलन में यह प्रत्याशा है कि वह सर्वसम्मति के आधार पर भूमिगत पी एन ई पर फैसला करे।

8. **साक्ष्यांकन** : साक्ष्यांकन व्यवस्था, में चार अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नेटवर्कों - सीस्मिक, रेडियोन्युक्लिआइड, हाइड्रो-एकास्टिक एवं इन्फ्रासॉनिक मानिटरिंग नेटवर्क पर आधारित एक अन्तर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग व्यवस्था शामिल है। मॉनिटरिंग केन्द्र विश्व भर में फैले हुए हैं ताकि इस आशय का समुचित आश्वासन दिया जा सके कि संधि का पालन किया जा रहा है और उसके किसी भी उल्लंघन का पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस संधि में मौके पर निरीक्षण के भी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

[हिन्दी]

अर्जुन पुरस्कार

495. **श्री थावर चंद गेहलोत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान करेन हेतु सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया;

(ख) उनमें से कितनों को पुरस्कृत किया जा चुका है; और

(ग) सभी चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) वर्ष 1993 में 10 व्यक्तियों और 1994 में 8 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1995 के लिए इन पुरस्कारों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) सभी चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षमता

496. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना सिंचाई जल उपलब्ध है तथा मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार इसका किस हद तक उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में उपलब्ध कुल उपयोज्य जल लगभग 1142 बिलियन घन मीटर है। जिसमें से 606 बिलियन घन मीटर जल का उपयोग किया जा रहा है। मार्च, 1996 तक देश में लगभग 89.42 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की प्रत्याशा है तथा लगभग 79.94 मिलियन हेक्टेयर के उपयोग किए जाने की प्रत्याशा है।

(ख) मध्य प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा व्यय की राशि निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	सिंचाई क्षमता में वृद्धि (मिलियन हेक्टैयर)	व्यय राशि (करोड़ रु.)
1991-92	0.132	392.36
1992-93	0.111	440.58
1993-94	0.086	449.98
1994-95	0.092 (प्रत्याशित)	345.33 (संशोधित अनुमान)
1995-96	0.104 (लक्ष्य)	428.74 (परिव्यय)

[अनुवाद]

कैन्ननोर में पासपोर्ट कार्यालय

497. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कैन्नानोर ज़िले में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या केरल के कैन्नानोर, कासरगोड और उत्तर व्यानाड क्षेत्रों में पासपोर्टों तथा उनके नवीकरण के लिए दिए जाने वाले आवेदनों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी हां। केरल राज्य सहित सभी राज्यों से पासपोर्ट आवेदनों का जिलावार वितरण तय करने के लिए 1994 में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों के स्थान-निर्धारण में किसी असन्तुलन का पता नहीं चला; पासपोर्ट कार्यालय आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों/शहरों में स्थित हैं जहां अधिकत संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं।

राज्य में जल आपूर्ति योजनाएं

498. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कुछ राज्यों में किसी जल आपूर्ति योजना का वित्त पोषण करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक को आठवीं योजना में वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) (i) वर्ष 1993-94 में शुरू केन्द्रीय त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम में 20 हजार से कम आबादी वाले (1991 की जनगणना के अनुसार) कस्बों में साफ और पर्याप्त जल आपूर्ति सुविधाओं का प्रावधान है। इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें 50:50 में धन देती हैं।

(ii) मेघा सिटी स्कीम में 5 बड़े मेट्रोपोलिटन नगरों को अवस्थापन विकास हेतु केन्द्रीय आर्थिक मदद की व्यवस्था है। इस स्कीम में धन व्यवस्था पैटर्न 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा तथा 50% संस्थागत वित्त से जुटाने का है।

(ग) से (ङ). त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 8वीं योजना में 438.90 लाख रुपये की कुल लागत से साफ जल आपूर्ति स्कीमें मंजूर की गई हैं और इनके लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 190.27 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस स्कीम में शामिल कस्बे बेल्लूर शालीग्राम, चितागुप्पा, कुटटुर, केरूर, मुडारगी और सदा अलगाब हैं।

मेघा सिटी स्कीम के तहत बंगलौर नगर के लिए राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा 1995-96 में 44.19 करोड़ रुपये लागत की जल आपूर्ति परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। मेघा सिटी कार्यक्रम के तहत मदद योग्य सभी परियोजनाओं, जिनमें जल आपूर्ति घटक शामिल है के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 35.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

लेखकों तथा कलाकारों को सहायता

499. श्री आर.बी. राई : क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिष्ठित वृद्ध तथा वित्तीय रूप से असहाय लेखकों तथा कलाकारों को पेंशन/वित्तीय सहायता देने के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) साहित्य, कलाओं और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम के अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्तों के अतिरिक्त, इस शर्त के अध्यधीन वे पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं कि आवेदक की निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) 1,000/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है और आवेदक की आयु 58 वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए (आश्रितों के मामले में आयु सीमा लागू नहीं होती है)।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्र में अनधिकृत भवन

500. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कमांड के अन्तर्गत रक्षा सम्पदा निदेशालय द्वारा "क" वर्ग कैंट क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाए गए भवनों को तोडने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कमांड के कुछ अधिकारी इस प्रकार के अनधिकृत भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया में छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). छावनियों का "क" श्रेणी के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। मध्य कमान में श्रेणी-1 की 18 छावनियां हैं। इन सभी छावनियों में छावनी अधिनियम और नियमों के तहत संबन्धित सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई की जाती है। 30.9.95 की स्थिति के अनुसार छावनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) सरकार को इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन की जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य कमान में श्रेणी-1 के छावनी बोर्डों द्वारा अनधिकृत निर्माणों को हटाया जाना (30.9.95)

छावनी का नाम	30.9.95 तक यू/ए	प्रोसेक्ट 184	सूचना 185	सूचना 256	अपील 274 सी बी	अपील सैन्य संपदा अधिकारी डी डी ई	अदालती मामला	तक गिराये गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आगरा	2752	242	2752	2484	296	97	102	8
इलाहाबाद	544	17	544	298	1	0	9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बबीना	570	130	154	51	0	10	23	0
बरेली	112	17	93	36	15	2	11	7
दानापुर	183	58	93	14	5	11	48	10
देहरादून	207	205	207	75	0	2	4	0
जबलपुर	458	92	455	201	6	3	83	1
झांसी	471	53	60	5	35	47	3	0
कानपुर	1984	1984	1984	1984	0	1	53	0
लखनऊ	795	486	759	127	175	7	31	0
मेरठ	4756	64	84	5	1155	214	155	0
महू	905	140	889	214	193	1	134	0
मीरार	1359	635	1338	1338	0	0	621	40
रामगढ़	788	244	752	752	0	1	0	0
रानीखेत	45	7	45	15	2	1	0	0
सागर	308	23	308	308	1	0	89	0
शाहजहांपुर	30	10	30	5	0	0	8	0
वाराणसी	188	46	188	93	29	17	13	0
जोड़ :	16455	4453	10735	7998	1913	414	1387	70

यमुना नदी के किनारों पर भू-कटाव

501. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में यमुना नदी के किनारों पर गत तीन वर्षों से लगातार हो रहे भू-कटाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भू-कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार को उक्त अवधि के दौरान यमुना नदी के किनारों पर भू-कटाव रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा उपरोक्त राशि किस तरीके से खर्च की गई है तथा अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने उपयुक्त स्थानों पर नदी तट के कटाव को रोकने के लिए उचित स्थानों पर कटावरोधी कार्य प्रारंभ किए हैं।

(ग) बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का प्रतिपादन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य की योजनाओं के जरिए किया जाता है। केंद्रीय सहायता ब्लाक ऋण और ब्लाक अनुदानों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है जो किसी विशिष्ट परियोजना/कार्यक्रम अथवा क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को किए गए समग्र योजना आबंटन के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 99.14 लाख रुपए राशि की कटावरोधी स्कीमों पर क्रियान्वित की गई।

इस अवधि के दौरान नए स्टड, वालीज स्क्रीन, बेड-बार्स और अन्य पुनरुद्धान जैसे कटावरोधी कार्य प्रारंभ किए गए।

बैराज का निर्माण

502. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में यमुना नदी पर "वैराज" का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण कार्य के कब शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग से मई 1991 में आगरा बराज परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट पहली बार में जल वैज्ञानिक पहलुओं की जांच के लिए केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। अद्यतन लागत अनुमान सहित आगरा बराज परियोजना (उत्तर प्रदेश) की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 8.4.96 को केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। राज्य-सरकार को अनुपालना के लिए और टिप्पणियां भेजी हैं। परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगिक कम्पनियों को हानि

503. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :
श्री नवल किशोर राय :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सी अनुषंगिक कम्पनियां पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटे मे चल रही हैं?

(ख) यदि हां, तो उन अनुषंगिक कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी को कितनी हानि हुई है तथा उनमें से प्रत्येक ने मार्च 1996 के अंत तक कुल कितना पूंजी का निवेश किया था;

(ग) उपरोक्त पूंजी निवेश में से ऋण की राशि कितनी है और उस पर कितना ब्याज दिया जा रहा है;

(घ) ऐसी हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है जबकि अधिकांश कोयला बिहार में उपलब्ध है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त मुख्यालय को कलकत्ता से बिहार में लाने का विचार है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की आठ सहायक कंपनियों में से, केवल दो सहायक कंपनियां, नामतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटा उठा रही हैं। 31.3.1995 तक ई.को.लि. तथा भा.को.को.लि. के संचित घाटे तथा पूंजी निवेश को नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

	ई.को.लि.	भा.को.को.लि.
31.3.1995 तक संचित घाटा	1000.24	1293.03
31.3.1995 तक निवेश	3010.88	3184.17

वर्ष 1995-96 के खाते लेखा-परीक्षण अधीन हैं।

(ग) 31.3.1995 तक ई.को.लि. तथा भा.को.को.लि. के कुल निवेश में ऋण की राशि क्रमशः 1962.37 करोड़ रु. तथा 2059.80 करोड़ रु. की है। ई.को.लि. तथा भा.को.को.लि. के मामले में वर्ष 1994-95 के लिए प्रभारित ब्याज की राशि क्रमशः 120.95 करोड़ रु. तथा 144.21 करोड़ रु. की है।

(घ) ई.को.लि. तथा भा.को.को.लि. के घाटे को रोके जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) श्रम-शक्ति को युक्तिसंगतता व श्रमिक-उत्पादकता में वृद्धि किया जाना।

(2) क्षमता उपयोगिता में वृद्धि किया जाना।

(3) कोयला बिक्री देयताओं की वसूली किया जाना।

(4) "कैश एंड कैरी" पद्धति का कार्यान्वयन किया जाना।

(5) पूंजीगत ढांचे का पुनर्गठन किया जाना।

(6) कोककर कोयले तथा "ए", "बी", "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले को विनिर्यंत्रित किया जाना।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ). को.ई.लि. के मुख्यालय को अंतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई में सेना की भूमि राज्य सरकार को सौंपना

505. श्री मोहन रावले : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुम्बई में सेना की भूमि वर्तमान बाजार मूल्य पर सीधे बिक्री कर महाराष्ट्र सरकार को देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सड़क उपरिपुलों आदि के निर्माण के लिए सेना की उक्त भूमि के अंतरण के आदेश जारी करने के लिए गत वर्ष कई बार उनके मंत्रालय सं अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (घ). जी हां। रक्षा मंत्रालय ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया तथा प्रस्तावित पुल के पास 0.0691 एकड़ इसी क्षेत्र में आने वाली 0.7461 एकड़ पुल के उत्तर की ओर 1.5 एकड़ तथा रेलवे लाइन के पूर्व में स्थित 2.33 एकड़ रक्षा भूमि के चार भूखंडों को चालू बाजार मूल्य पर भुगतान के आधार पर दिए जाने की पेशकश की है। राज्य सरकार ने भूमि दिये जाने की पेशकश को स्वीकार भी किया। परन्तु बाद में राज्य सरकार ने भूमि दिए जाने की पेशकश की शर्तों का अनुपालन करने में कठिनाई प्रकट की तथा भूमि को अपने द्वारा भेजे

गए परिवर्तित मानचित्र के आधार पर स्थानान्तरण करने का निवेदन किया। उनका यह निवेदन सुरक्षा की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया गया है और राज्य सरकार से पुनः यह निवेदन किया गया है कि वे भूमि स्थानान्तरण के लिए आदेश जारी करने हेतु पूर्व में सहमत मानचित्र के आधार पर भूमि दिए जाने की पेशकश की स्वीकृति भेजें।

[हिन्दी]

विदेशी विश्वविद्यालय

506. श्री सत्यदेव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). अभी तक देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण को विनियमित करने की कोई नीति नहीं है। तथापि, विदेशी शैक्षिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

507. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री पिनाकी मिश्र :
जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने के लिए विदेशी स्रोतों से सामग्री और ब्लू प्रिंट प्राप्त करने के बारे में अप्रैल, 1996 के पहले सप्ताह में अमरीकी प्रेस द्वारा प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के विकास के लिए उसकी सहायता कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम के द्वारा अत्याधुनिक परमाणु अस्त्रों का विकास कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीन की सरकार को ऐसी गतिविधियों में भाग न लेने के लिए आग्रह किया है;

(च) यदि हां, तो कब और इस संबंध में चीन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा देश की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). जी, हां। सरकार इन खबरों पर निगाह रख रही है कि नाभिकीय शस्त्रों के लिए यूरेनियम को समृद्ध बनाने हेतु गैस अपकेन्द्रणों में प्रयोग के लिए पाकिस्तान ने चीन से 5000 विशिष्ट रिंग मैग्नेट प्राप्त किए हैं। पाकिस्तान के गुप्त नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम के संबंध में सरकार बराबर चिंतित बनी हुई है। पाकिस्तान को महत्वपूर्ण नाभिकीय प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति के संबंध में हमने संबंधित देशों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

(च) चीन की सरकार का मानना है कि ऐसे अन्तरण केवल समुचित "शान्तिपूर्ण नाभिकीय सहयोग" के लिए आरक्षित हैं।

(छ) भारत सरकार खतरे संबंधी अपने आकलनों के अनुसार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

कोयले के परमिट

508. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जिन लोगों को कोयले के परमिट जारी किए गए, उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें कितनी-कितनी मात्रा का और कौन-कौन सी किस्म के कोयले का परमिट जारी किया गया;

(ख) कोयले की किस्म के अनुसार जारी किए गए परमिट की दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परमिटों को जारी करने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). कोयला परमिट जारी करने की कोई पद्धति प्रचलन में नहीं है और न ही पिछले तीन वर्षों की अवधि में ऐसे कोई परमिट जारी किए गए हैं। कोयले की आपूर्ति किए जाने से संबंधित कोई भी बी. आई.पी. कोटा नहीं है।

कोयले के ऐसे ग्रेडों, जिसकी कीमत को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, कोयला कंपनियों द्वारा उक्त कोयलों की

बिक्री अधिसूचित कीमतों के अनुसार ही की जाती है। अन्य ग्रेडों के कोयले की बिक्री के मामले में कीमत का निर्धारण कोयला कम्पनियों द्वारा किया जाता है। कुछ कोयलों को उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बेचती हैं तथा जिनकी कीमत कोयला कम्पनियां खुली निविदाओं को आमंत्रित करके निर्धारित की जाती है।

ऐसे ग्रेडों के कोयले जिनका वितरण कोलियरी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, वे अभी भी इसे अधिशासित होते हैं। "ए" "बी", "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले तथा कोककर कोयलें का वितरण कोयला कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए संयोजनों के अनुसार किया जाता है और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजन भी उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड में पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय रूप में आपूर्तित किए गए कोयले का उपभोक्ता-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है और काफी बड़ी संख्या में कोलियरियों तथा क्षेत्रों से इस बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाने में काफी समयावधि लगेगी। यह बात महसूस की गई है कि इन आंकड़ों के ब्यौरे के संग्रहण तथा संकलन में लगी समयावधि तथा प्रयास इस प्रयोजन के लिए उपलब्धियों के अनुरूप नहीं होंगे।

मेघालय में कोयले की खानें

509. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में कोयले की खानों से कोयला निकाला जा रहा है जिसमें से लगभग 60 लाख टन कोयला बंगलादेश को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है;

(ग) क्या इन खानों में सुरक्षापायों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). मेघालय में अधिकांश कोयले का खनन कार्य पारम्परिक रूप में आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है, जो कि बिना खनन नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण किया जा रहा है। कोल इंडिया लि. सिम्सांग में एक खनन क्रियाकलाप विकसित कर रहा है और खनन संबंधी नियम तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। मेघालय में उत्पादित कोयले का उपभोग काफी सीमा तक स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है और शेष का उपभोग या तो बंग्लादेश को निर्यात किया जाता है अथवा देश के उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है। चूंकि अब कोयले के निर्यात को सरलीकृत कर दिया गया है। अतः बंग्लादेश को निर्यात किए गए कोयले की मात्रा अथवा इससे राजस्व की आय के संबंध में ब्यौरा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

रक्षा उपकरणों का देश में उत्पादन

510. श्री सोहन बीर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर चीफ मार्शल ने सरकार तथा जनता का ध्यान रक्षा उपकरणों के देश में ही उत्पादन के संबंध में ध्यान दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि आयातित रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत इस लक्ष्य के साथ पहले से ही की जा चुकी है कि वर्ष 2005 तक मूल रूप से देशी शस्त्रास्त्रों और रक्षा प्रणालियों का उपार्जन कुल वार्षिक रक्षा उपार्जनों के 79 प्रतिशत तक हो जाए।

सीमाओं पर गोलाबारी की घटनाएं

511. श्री रासा सिंह रावत :

प्रो. चमन लाल गुप्ता :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है और भारतीय सीमाओं में गोलाबारी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान कितनी बार पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर गोलाबारी की है और इस घटना में जान-माल की कितनी हानि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा पाकिस्तान की भड़काने वाली गतिविधियों के उत्तर में क्या कदम उठाया जा रहा है;

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए कितने सैनिक मारे गए; और

(ङ) मारे गए सैनिकों के परिवारों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण गोलीबारी की घटनाएं पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कुछ वर्षों से निरंतर की जाती रही हैं। तथापि, चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) पिछले साढ़े तीन वर्षों, अर्थात् 1993 से जून, 1996 तक की अवधि में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8667 बार अकारण गोलीबारी की है जिसमें हमारे कुछ सैनिक और असैनिक हताहत हुए हैं।

(ग) हमारे सैनिक गोलीबारी की सभी घटनाओं का मुंडतोड़ जवाब देते हैं तथापि, हमारी जवाबी कार्रवाई हमेशा उसी घटना विशेष के लिए अपना प्रभाव जताने के लिए और क्रमिक रूप से की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटनाएं उसी स्थान तक सीमित रहें और उसमें वृद्धि न हो।

(घ) जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी ड्यूटी करते हुए सेना के 48 सैनिक मारे गए।

(ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत-पाक सीमा पर हुई गोलीबारी की घटनाओं तथा प्रति-विद्रोही कार्रवाइयों में मारे गए/घायल हुए सेना/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के निकट संबंधियों/पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं :—

सेना

सीमा पर गोलीबारी या प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों में घायल हुए/मारे गए सैन्य कार्मिकों के निकटतम संबंधी/पीड़ित व्यक्ति उदारीकृत पेंशन का लाभ पाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करने के भी पात्र हैं जिनमें सेना सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत दावे तथा अनुकंपा आधार पर रोजगार आदि भी शामिल हैं। कुछ राज्य सरकारें भी कार्रवाइयों में मारे गए कार्मिकों के निकट संबंधियों को लाभ प्रदान करती हैं।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली गोलीबारी में मारे गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में केन्द्रीय सरकार की 2,00,000/- रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा कुछ अन्य लाभ योजनायें भी मृतक के आश्रितों के लिए हैं।

[अनुवाद]

वर्षा के पानी का प्रबंधन

512. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्षा का पानी व्यर्थ बह जाता है और सरकार के पास उसको संग्रहित करने की कोई प्रौद्योगिकी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्षा के पानी के बेहतर प्रबंधन और नयी प्रौद्योगिकी के विकास की म॰॰श आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजनाएं क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वाष्पीकरण और निष्क्रिय (उत्सर्जन) जैसी हानियों तथा नदी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए नदी में कुछ जल को बहने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं है। फिर भी, वर्षा जल की सीमित मात्रा का संचय करने के लिए नदी प्रणालियों पर बड़े, और छोटे बांधों तथा जलाशयों, भण्डारणों का निर्माण किया जा सकता है। देश में 1142 बिलियन घन मीटर कुल उपयोज्य जल में से 536 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल को अप्रयुक्त छोड़ते हुए जल (सतही और भू) का वर्तमान (1994) उपयोग लगभग 606 बिलियन घन मीटर अर्थात् 53% है।

(ख) जी, हां।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का उपयोग करने हेतु नदियों पर भण्डारण बनाने पर जोर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप देश की कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता इस समय लगभग 193.2 बिलियन घन मीटर है। 77 बिलियन मीटर अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 130 बिलियन घन मीटर भण्डारण, वृहद और मध्यम योजनाओं के जरिए बढ़ाए जाने की संभावना है, जो विचाराधीन है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल को कमी वाले बेसिनों में अन्तरित करने तथा संभावित स्थलों पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना है। अनुमान है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अन्तरबेसिन अन्तरणों के जरिए उपयोग के लिए 220 बिलियन घन मीटर और जल उपलब्ध होगा।

[हिन्दी]

काउंटर मेगनेट सिटी स्कीम

513. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान "काउंटर मेगनेट सिटी स्कीम" के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ विभिन्न जिलों को कितनी-कितनी धनराशि आंवटित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रसंग में, आठवीं योजनावधि में दिल्ली के आस-पास सम-सुविधा सम्पन्न कस्बों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। स्कीम हेतु नीतिगत निर्देशों के अनुसार, एन सी आर प्लानिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट अनुमोदन एवं अनुश्रवण ग्रुप हरियाणा (हिसार), पंजाब (पटियाला), मध्य प्रदेश (ग्वालियर), राजस्थान (कोटा) और उत्तर प्रदेश (बरेली) की राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समान सहायता धन जारी करने पर विचार करता है। केन्द्रीय सहायता मांगने से पूर्व, राज्य सरकारों से

निम्नलिखित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है।

(क) सम-सुविधा सम्पन्न कस्बे के लिए विकास योजना बनाना।

(ख) कस्बा स्तर पर परियोजना मंजूरी समिति का गठन।

(ग) वार्षिक कार्रवाई योजना बनाना, तथा

(घ) सम-सुविधा सम्पन्न क्षेत्र के लिए विकास कोष में राज्य सरकार द्वारा अपनी समान हिस्सेदारी के लिए धन का आबंटन।

(ख) प्रत्येक चुने हुए सम-सुविधा सम्पन्न कस्बे (हिसार, पटियाला, ग्वालियर, कोटा, और बेरली) के लिए आठवीं योजना में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष प्रवेश की व्यवस्था

514. **श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष प्रवेश की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि विशेष छूट के आधार पर दाखिले तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक मामला पूर्णतया निपटा न दिया जाए।

असम में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)

515. **डॉ. अरुण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) चल रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में राज्य के अन्य जिलों को भी शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). इस समय, असम के चार जिले नामतः दरांग, धुब्री, मोरीगांव तथा कर्बी अंगलांग जिला-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। असम सरकार का पांच अतिरिक्त जिलों नामतः बारपेटा, बोंगईगांव, गोलपाड़ा, कोकड़ाझार तथा सोनीतपुर को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति

516. **श्री काशी राम राणा : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लघु उद्योग एककों और अन्य औद्योगिक केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को रेल माल डिब्बों की कमी को देखते हुए सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई का निजीकरण करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें गुजरात की एस.एस.आई. औद्योगिक यूनिटों में कोयले की कमी होने से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

किन्तु, विद्युत क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दिये जाने तथा इस क्षेत्र की कोयले की मांग में तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। विद्युत क्षेत्र को छोड़कर, अन्य उपभोक्ताओं, जिसमें उद्योग तथा गुजरात के एस.एस.आई. यूनिट भी शामिल है, को 1994-95 में 32.16 लाख टन कुल कोयले की आपूर्ति की गई, जो कि 1995-96 में घटकर 25.76 लाख टन हो गई। किन्तु सभी प्रकार के उपभोक्ताओं जिसमें गुजरात राज्य के विद्युत क्षेत्र भी शामिल हैं, को कोयले का कुल प्रेषण बढ़कर 151.80 लाख टन तक हो गया जबकि 1994-95 में यह 151.04 लाख टन किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में कोयला "स्टॉक-यार्ड्स"

517. **श्री सौम्य रंजन : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन स्थानों पर कोयला "स्टॉक-यार्ड्स" स्थापित किए गए हैं;

(ख) कोयला "स्टॉक-यार्ड्स" स्थापित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा में बनाए जाने वाले नए "स्टॉक-यार्ड्स" का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के अनुसार वर्तमान में वे उड़ीसा में कोई स्टाकयार्ड नहीं चला रहे हैं। पूर्व में उन्होंने राउरकेला, सम्बलपुर

और जगतपुर और बदरक में स्टॉकयार्डों का परिचलन किया है। जबकि कोयले की नई आगत नहीं प्रदान की गई है, जगतपुर तथा बदरक में शेष स्टॉक की निकासी की जा रही है।

(ख) और (ग). वर्तमान स्टॉकयार्ड नीति के अनुसार नये स्टॉकयार्डों की स्थापना तथा प्रबंधन किए जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कोयला कम्पनी इन स्टॉकयार्डों को राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रायोजनों के अनुसार कोयले के प्रेषण किए जाने की पेशकश करेंगी। राज्य सरकारों द्वारा कौयले के स्टॉक यार्डों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन, उनको स्थापित तथा कोयले के संचलन का प्रायोजन किया जाएगा।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना

518. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री जगत बीर सिंह द्रोण :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री ललित उरांव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत एवं आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार ने इस केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों ही द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का मूल्यांकन बाह्य एजेन्सियों द्वारा किया गया है। जिनमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद तथा जी.बी. पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद शामिल हैं। ये मूल्यांकन आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, आपरेश ब्लैकबोर्ड योजना का कार्यान्वयन संन्तोषजनक रहा है। तथापि कुछ राज्यों में स्कूल भवनों के निर्माण की गति तथा पठन-पाठन सामग्री के उपयोग में सुधार करने की जरूरत है।

(घ) सरकार ने इस कार्यक्रम में प्रभावी सुधार लाने की दिशा में कदम उठाए हैं जिनमें पठन-पाठन सामग्री की खरीद प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करना, आवश्यक पठन-पाठन सामग्री के चयन में राज्यों को छूट प्रदान करना तथा प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना शामिल हैं ताकि इस योजना के अन्तर्गत खरीदी गई पठन-पाठन सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	7265.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	315.07
3.	असम	6937.14
4.	बिहार	11625.62
5.	गोवा	131.79
6.	गुजरात	2928.51
7.	हरियाणा	193.22
8.	हिमाचल प्रदेश	1689.67
9.	जम्मू व कश्मीर	2678.89
10.	कर्नाटक	9176.49
11.	केरल	767.43
12.	मध्य प्रदेश	1785.27
13.	महाराष्ट्र	18701.26
14.	मणिपुर	34.81
15.	मेघालय	1699.97
16.	मिजोरम	82.52
17.	नागालैंड	5293.22
18.	उड़ीसा	9008.29
19.	पंजाब	541.20
20.	राजस्थान	6957.73
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	645.61
23.	त्रिपुरा	93.45
24.	उत्तर प्रदेश	1864.35
25.	पश्चिम बंगाल	3241.30
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-
27.	चण्डीगढ़	-
28.	दादरा और नगर हवेली	3.66
29.	दमन व दीव	-
30.	दिल्ली	76.44
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	24.90

भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर का प्रयोग

519. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर संभावित प्रयोग के लिए भाषा संस्थानों द्वारा तैयार की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भाषाविदों और कम्प्यूटर विशेषज्ञों द्वारा भाषा विज्ञान और तकनीकी विषयों के संबंध में अनुसंधान कार्य कौन-कौन से स्थानों पर किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेंट्रल इंडिया कोल माइन्स में उपलब्ध कोयला

520. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल इंडिया कोल माइन्स में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी दरें क्या-क्या हैं;

(ग) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोल इंडिया के किस-किस श्रेणी के कोयले को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) इस श्रेणी के कोयले की उपलब्धता की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सेंट्रल इंडिया कोयला खानों में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के कोयले तथा उनकी वर्तमान बिक्री कीमत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोयले का ग्रेड	वर्तमान आर.ओ.एम. कोयले की बिक्री कीमत शुल्कों तथा करों सहित (रु. प्रति टन)	
मध्यम कोककर	785.00	
अकोककर		
"ए"	1016.00	(स्टीम)
"बी"	940.00	
"सी"	855.00	
"डी"	844.00	
"ई"	486.00	
"एफ"	405.00	

(ग) विद्युत संयंत्र आमतौर पर निम्न ग्रेड के कोयले का उपभोग करते हैं, जो कि उनके बायलरों के ज्वलन प्रौद्योगिकी के उपयुक्त होते हैं।

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए कोयले के "डी", "ई", तथा "एफ" ग्रेड की प्रक्षिप्त उपलब्धता को नीचे दर्शाया गया है :—

ग्रेड	उत्पादन कार्यक्रम 1996-97 (मि.टन में)
"डी"	13.89
"ई"	4.54
"एफ"	1.15

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

521. **श्री के.पी. सिंह देव** :
डॉ. कृपासिंधु भोई :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी सिंचाई क्षमता विकसित किए जाने का अनुमान है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कितना विकास हुआ है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1974-75 में केन्द्रीय प्रोयोजित स्कीम के रूप में किया गया था। ताकि सिंचित भूमि से इष्टतम कृषि उत्पादन के लिए सृजित सिंचाई क्षमता का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(1) फार्म पर विकास कार्य :

(क) प्रत्येक मुहाने की कमान के अन्तर्गत फील्ड चैनलों और खेत नालियों का विकास।

(ख) मुहाना कमान आधार पर भूमि समतलन।

(ग) खेत सीमांकन का पुनः संरेखण, जहां आवश्यक है (जहां संभव हो सके जोतों की चकबन्दी भी शामिल की जानी चाहिए)।

(घ) "वाराबन्दी" की समुचित प्रणाली लागू करना और प्रत्येक क्षेत्र को जल का उचित वितरण।

(ङ) क्रेडित सहित सभी निवेशों और सेवाओं की आपूर्ति।

(च) विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना।

(2) उपयुक्त फसली पैटर्न का चयन और प्रारंभ।

(3) सतही सिंचाई बढ़ाने के लिए भूजल का विकास।

(4) मुख्य और मध्यस्थ जल निकास प्रणाली का विकास और अनुरक्षण।

(5) एक क्यूसेक क्षमता वाले मुहाने तक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण, अनुरक्षर्ण और कुशल प्रचालन।

(ख) इस समय, इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 21.57 मिलियन हेक्टयेर का कृष्य कमान क्षेत्र और 21.08 मिलियन हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता के साथ 197 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना से विकसित की जाने वाली चरम सिंचाई क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऑन फार्म विकास कार्यकलापों के लिए पिछले पांच वर्षों 1990-91 से 1994-95 तक के दौरान की गई वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :—

कार्यकलाप	1990-91 से 1994-95 के दौरान उपलब्धि (लाख हेक्टेयर में)
फील्ड चैनलों का निर्माण	20.68
भूमि समतलन और भूमि को आकार देना	1.49
वाराबन्दी (चक्रीय जल आपूर्ति)	28.15
खेत नालियों का निर्माण	2.90

विवरण

राज्य	राज्य/परियोजनाएं	नदी का नाम	शामिल होने का वर्ष	कृष्य कामन क्षेत्र 000हेक्टे.	सिंचाई परियोजना के अधीन 000 हेक्टे.
1	2	3	4	5	6
I. आंध्र प्रदेश	*1. क. नागार्जुनसागर बायां तट नहर	कृष्णा	1974-75	420.00	420.00
	2. तल्लीपेरू	तल्लिपेरू	1985-86	9.80	15.00
	3. पेडावागू	पेडावागू	1983-84	6.40	6.40
	1. ख. नागार्जुन सागर दायां तट नहर	कृष्णा	1974-75	475.00	475.00
	4. गांधी पालम	पिल्लापेरू	1985-86	6.48	6.48
	5. श्री रामसागर	गोदावरी	1974-75	411.00	411.00
	6. सतनाला	सतनाला	1985-86	7.70	7.70
	7. स्वर्णा	स्वर्णा	1983-84	3.62	3.62
	8. श्रीसैलम	कृष्णा	1995-96	76.89	76.89
		कुल		1416.89	1422.09
II. अरुणाचल प्रदेश	9. चौखाम लघु सिंचाई परियोजना	स्थानीय धारा	1993-94	0.95	0.95
		कुल		0.95	0.95
III. असम	10. जमुना	जमुना	1974-75	25.40	28.50
	11. कालियाबोर	कालियाबोर	1983-84	9.70	13.76
	12. सुकला	सुकला	1983-84	17.20	23.64
	13. काल्दिया	काल्दिया	1992-93	9.83	16.50

1	2		3	4	5	6
	14.	डाकाडोंग	डाकाडोंग	1992-93	4.94	6.05
	15.	बिरदी कराई	बिरदी कराई	1992-93	16.99	25.53
	16.	कालौंग एवं सोनाई नदी बेसिन		1995-96	21.45	21.45
			कुल		105.51	135.43
IV. बिहार	17.	गंडक	गंडक	1974-75	960.00	1151.00
	18.	बदुआ	बदुआ	1974-75	42.44	42.51
	19.	चंदन	चंदन	1974-75	63.94	62.75
	20.	कियूल	कियूल	1974-75	22.26	22.26
	21.	कोसी	कोसी	1974-75	440.00	434.00
	22.	सोन	सोन	1974-75	865.00	583.40
	23.	नार्थ कोयल	नार्थ कोयल	1991-92	123.00	129.00
			कुल		2516.64	2424.92
V. गोवा	24.	सलाउजी	सनगुइम	1979-80	14.37	21.24
	25.	अंजुनाम	गुलेली नाला	1985-86	2.0	4.63
			कुल		18.47	25.87
VI. गुजरात	26.	माही कदाना	माही	1974-75	200.00	274.49
	27.	पानम	पानम	1983-84	41.12	49.37
	28.	कराद दायां तट नहर	गोमा	1985-86	6.19	4.54
	29.	जोजवा बदवाना	ओरसंग	1985-86	8.80	8.80
	30.	पटाडूंगरी		1985-86	5.87	4.56
	31.	हेरन	हेरन	1985-86	3.41	3.41
	32.	वंकलेश्वर	पानम की सहायक नदी	1985-86	2.26	1.70
	33.	उमरिया	पानम की सहायक नदी	1985-86	2.08	2.38
	34.	देव	देव	1985-86	7.20	10.16
	35.	उकई ककरापर	तापी	1974-75	348.00	380.91
	36.	दमनगंगा	दमनगंगा	1983-84	44.38	56.23
	37.	करजन	करजन	1985-86	56.20	77.85
	38.	शेतरंजी	शेतरंजी	1974-75	29.70	34.80
	39.	भादर	भादर	1983-84	26.59	17.17
	40.	मच्छु-I	मच्छु	1983-84	10.41	7.70
	41.	मधुवंती	मधुवंती	1990-91	2.51	2.19
	42.	सोरथी	सोरथी	1990-91	3.06	2.40
	43.	फूलजार	फूलजार	1990-91	2.03	1.56
	44.	वरथू	वरथू	1990-91	3.07	उपलब्ध नहीं

1	2		3	4	5	6
	45.	खेदियार	शेतरंजी	1990-91	9.87	7.69
	46.	धतारबाड़ी	धतारबाड़ी	1990-91	3.11	2.48
	47.	रोजकी	रोजकी	1990-91	2.52	1.54
	48.	फोफाल	फोफाल	1990-91	4.67	4.06
	49.	लीमदी भोगावो	लीमदी भोगावो	1990-91	4.21	3.20
	50.	धरोई	साबरमती	1983-84	57.91	56.68
	51.	दांतीवाडा	बनास	1983-84	54.60	44.52
	52.	हथमती	हथमती	1983-84	27.20	27.22
	53.	मेशवो	मेशवो	1983-84	17.20	17.21
	54.	मथाल	धादुध	1985-86	2.21	2.20
	55.	मित्ती	मित्ती	1985-86	2.36	2.02
	56.	नारा	नारा	1990-91	2.31	1.73
	57.	सूवी	सूवी	1990-91	3.19	0.98
	58.	निरूना	भारूद	1990-91	3.04	2.43
	59.	कैला	कैला	1990-91	3.24	0.88
	60.	हरने	हरने	1990-91	2.67	1.92
	61.	पिगूत	टोकरी की सहायक नदी	1993-94	1.41	1.41
	62.	बलदेवा	टोकरी	1993-94	2.24	2.24
			कुल		1006.84	1120.63
VII. हरियाणा	63.	गुड़गांव नहर	यमुना	1974-75	131.00	81.00
	64.	जे.एल.एन. संपर्क सिंचाई	रावी का जल व्यास द्वारा डब्ल्यू वाई सी	1974-75	250.00	155.00
	65.	जुई लिफ्ट सिंचाई	रावी का जल व्यास. द्वारा डब्ल्यू वाई सी	1974-75	30.00	19.00
	66.	रेवाडी लिफ्ट सिंचाई	रावी का जल व्यास द्वारा डब्ल्यू वाई सी	1974-75	32.37	20.00
	67.	हांसी क्षेत्र	डब्ल्यू वाई सी	1990-91	12.14	2.43
	68.	दुलेहरा डिस्टी	युमना	1990-91	27.21	1.10
	69.	भिवानी क्षेत्र	युमना	1990-91	5.93	2.33
	70.	आगरा नहर	युमना	1992-93	20.84	35.40
	71.	पश्चिमी यमुना नहर	युमना	1993-94	117.00	91.26
			कुल		626.49	407.52
VIII. हिमाचल प्रदेश	72.	गिरी	गिरी	1983-84	5.76	8.05
	73.	बालह	सतलुज-ब्यास संपर्क नहर	1985-86	2.41	3.04

1	2		3	4	5	6
	74.	भाबोर साहिब चरण-I	नंगल द्वारा जल बांध जलाशय	1987-88	0.92	1.30
	75.	भाबोर साहिब चरण-II	नंगल द्वारा जल बांध जलाशय	1995-96	2.64	2.64
	76.	भट्टीयाट तहसील चम्बा जिले में 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह		1996-97	1.58	2.05
			कुल		13.31	15.78
IX. जम्मू व कश्मीर	77.	रावी नहर	रावी	1979-80	31.80	47.80
	78.	तावी लिफ्ट सिंचाई	तावी	1974-75	12.88	17.98
	79.	रंजन	चेनाब	1991-92	2.02	2.63
	80.	राजल	नौशारा	1991-92	1.70	2.50
	81.	बानीमुल्ला मानूलजावूरा		1983-84	2.11	3.10
	82.	लेथापुरा		1983-84	2.00	3.20
	83.	मारचल		1983-84	6.48	11.28
	84.	नीयू कारीबा यूसमार्ग	मुंशी	1983-84	3.59	5.51
	85.	कोइल लिफ्ट सिंचाई		1991-92	2.02	2.50
	86.	इगो-फेई नहर		1987-88	3.00	4.56
			कुल		67.60	101.06
X. कर्नाटक	87.	कावेरी बेसिन	कावेरी	1974-75	434.75	434.47
	88.	घाटप्रभा	घाटप्रभा	1974-75	317.43	317.43
	89.	मालप्रभा	मालप्रभा	1974-75	214.98	214.98
	90.	तुंगभद्रा	तुंगभद्रा	1974-75	529.00	349.10
	91.	अपर कृष्णा	कृष्णा	1974-75	424.91	424.91
	92.	कण्वा	कण्वा	1993-94	2.90	2.58
	93.	भैरमंगला	वरीशा बवाती	1993-94	2.45	2.23
	94.	मोरकनहाली		1993-94	7.20	5.94
	95.	मनछानाबैला	अरकावथी	1993-94	4.23	3.84
	96.	लराका	तरोको	1993-94	8.90	7.04
	97.	वोतेहोली	वोतेहोली	1993-94	8.24	7.49
	98.	गुंडाल	गुंडाल	1993-94	4.45	4.05
	99.	भद्रा जलाशय	भद्रा	1996-97	105.57	105.57
	100.	तुंगा आयकट	तुंगा	1996-97	8.70	8.70
	101.	गोंडी आयकट		1996-97	4.46	4.46
			कुल		2077.89	1892.79

1	2		3	4	5	6
XI. केरल	102.	छालाकुडी	छालाकुडी	1974-75	19.70	19.70
	103.	छिराकुझी	छिराकुझी	1979-80	1.62	1.62
	104.	गायत्री	1. छुल्लीअर	1979-80	5.47	5.47
			2. मीनकारा	1974-75		
	105.	मालपुझा	मालमपुझा	1974-75	21.04	21.04
	106.	मंगालम	मंगालम	1979-80	3.44	3.64
	107.	नैय्यर	नैय्यर	1979-80	11.14	11.64
	108.	पीछी	मनाली	1974-75	17.56	10.53
	109.	पोथुंडी	मीनछादी	1979-80	5.47	5.47
			पुझा एवं पादीपुझा			
	110.	वझानी	वाडाक्काछेरा	1979-80	3.56	5.18
	111.	वलयार	वलयार	1979-80	3.24	3.64
	112.	चितुरपुझा	चितुरपुझा	1992-93	15.70	31.40
	113.	पंबा	कक्काड	1992-93	21.14	49.45
	114.	पेरियार घाटी	पेरियार	1992-93	32.80	85.60
	115.	कुत्तीयादी	कुत्तीयादी	1992-93	14.57	36.42
			कुल		176.45	290.80
XII. मध्य प्रदेश	116.	तवा	तवा	1974-75	247.00	333.00
	117.	चंबल	चंबल	1974-75	220.00	273.00
	118.	ओधा	सीप	1985-86	4.86	4.86
	119.	बर्ना	बर्ना	1974-75	55.00	60.70
	120.	हलाली	हलाली	1974-75	25.00	37.20
	121.	कोलार	कोलार	1985-86	45.00	60.86
	122.	नरैन	नरैन	1885-86	3.20	2.80
	123.	केथान	केथान	1985-86	3.20	2.50
	124.	हसदेव	हसदेव	1974-75	57.00	42.00
	125.	खुरंग		1974-75	47.77	48.58
	126.	मनीयारी		1974-75	55.06	50.20
	127.	घोंगा		1985-86	8.10	7.70
	128.	महानदी	महानदी	1983-84	389.00	340.00
	129.	पैरी	पैरी	1983-84	43.00	73.00
	130.	तंदुला		1985-86	68.20	68.20
	131.	जोंक		1985-86	15.51	14.00
	132.	बलार	बलारनाला	1985-86	6.55	5.57
	133.	कोदार		1985-86	21.75	23.47

1		2	3	4	5	6
	134.	अपर वेनगंगा	वेनगंगा	1985-86	93.00	113.93
	135.	बाघ		1985-86	16.60	14.79
	136.	हारसी	पार्वती	1985-86	68.42	53.16
	137.	रामपुर मकरोदा		1985-86	7.53	8.06
	138.	रानी अवंती बाई (बारणी)	नर्मदा	1990-91	157.00	157.00
			कुल		1657.75	1794.58
XIII. महाराष्ट्र	139.	खड़गवासला	मूथा	1983-84	77.68	62.15
	140.	कृष्णा	कृष्णा	1974-75	74.00	111.72
	141.	वर्ना	वर्ना	1979-80	87.00	113.92
	142.	जयाकवादी चरण I एवं II	गोदावरी	1974-75	227.20	227.21
	143.	कुकादी	कुकादी	1979-80	132.00	129.50
	144.	मूला	गोदावरी	1979-80	97.90	85.66
	145.	गिरना	गिरना	1974-75	57.20	59.00
	146.	अपर तापी	तापी	1974-75	37.70	59.28
	147.	अपर गोदावरी	गोदावरी	1983-84	83.97	64.83
	148.	पंजान		1979-80	12.10	12.14
	149.	पेंज	पेंज	1979-80	62.02	94.47
	150.	भीमा	भीमा	1974-75	126.00	164.05
	151.	पूर्णा	पूर्णा	1974-75	61.50	57.30
	152.	अपर पेंनगंगा	पेंनगंगा	1974-75	104.00	104.00
	153.	मंजारा	मंजारा	1983-84	24.29	23.69
	154.	सूर्या	सूर्या	1983-84	14.70	27.20
			कुल		1279.26	1396.12
XIV. मणिपुर	155.	लोकटक लिफ्ट सिंचाई	लोकटक लेक	1974-75	24.00	40.00
	156.	सकमाई बैराज	सकमाई	1983-84	5.00	8.50
	157.	इम्फाल बैराज	इम्फाल	1993-94	4.00	6.40
	158.	थाऊबल बहुउद्देशीय		1995-96	4.00	4.00
			कुल		37.00	58.90
XV. मेघालय	159.	लोकप्रेक कंड्रोह कव्वारग अनोजोंग मराखापरा बेबेलापरा	छोटी स्ट्रीम	1987-88	0.90	0.90
			कुल		0.90	0.90

1		2	3	4	5	6
XVI.	नागालैंड	160. अलाचिला लघु सिंचाई परियोजना	छोटी स्ट्रीम	1993-94	0.50	1.00
			कुल	.	0.50	1.00
XVII.	उड़ीसा	161. हीराकुड	हीराकुड	1974-75	153.24	251.15
		162. क. महानदी डेल्टा (पुराना)		1974-75	179.41	300.10
		ख. महानदी डेल्टा (नया)	महानदी		156.89	262.44
		163. सलांदी	सलांदी	1974-75	41.96	60.14
		164. पोट्टेरू		1985-86	70.10	70.10
		165. सालकी		1994-95	19.89	21.91
		166. पीतामहल	पीतामहल	1994-95	2.63	3.87
		167. तलसारा		1994-95	3.03	4.86
		168. सलिया	सलिया	1994-95	8.97	12.20
		169. रसकुल्या	रसकुल्या	1994-95	61.23	67.23
		170. सलांदी दायां तट नहर	सलांदी	1994-95	40.18	53.44
			कुल		737.53	1047.50
XVIII.	राजस्थान	171. चंबल	चंबल	1974-75	229.00	219.00
		172. आईजीएनपी चरण-I	रावी, ब्यास और सतलुज का जल	1974-75	540.00	540.00
		173. आईजीएनपी चरण-II		1987-88	123.74	123.74
		174. मही बजाजसागर	मही बजाज	1983-84	80.00	80.00
			कुल		972.74	962.74
XIX.	तमिलनाडु	175. कोवरी प्रणाली	कावरी	1974-75	378.00	522.00
		176. लोअर भवानी	भवानी, मोयर	1974-75	105.22	83.97
		177. पेरियार बागी	पेरियार, बागी	1974-75	63.00	85.32
		178. सातानुर	पोन्नियार	1983-84	16.81	16.81
		179. परम्बिकुलम असीयार	परम्बिकुलम	1983-84	101.48	101.25
		180. कुम्बम घाटी		1993-94	8.10	उपलब्ध नहीं
		181. अमरावती	अमरावती	1993-94	20.60	उपलब्ध नहीं
		182. कोडयार चिट्टार	कोडयार	1993-94	25.60	उपलब्ध नहीं
			कुल		718.81	809.35
XX.	त्रिपुरा	183. गुमती	गुमती	1985-86	4.49	4.49
			कुल		4.49	4.49
XXI.	उत्तर प्रदेश	184. गंडक	गंडक	1974-75	411.00	308.00
		185. सारदा नहर	सारदा	1974-75	2000.00	1923.00

1	2		3	4	5	6
	186.	रामगंगा	रामगंगा	1974–75	1897.00	1372.00
	187.	अपर गंगा नहर	गंगा	1990–91	457.00	488.00
	188.	मध्य गंगा नहर	गंगा	1990–91	229.00	178.00
	189.	पश्चिमी गंगा नहर	गंगा	1990–91	233.00	105.00
	190.	पश्चिमी युमना नहर	यमुना	1990–91	221.00	200.00
	191.	जामरानी बांध नहर	गोला	1990–91	150.00	105.00
	192.	बेतवा एवं गुरसराय नहर	बेतवा एवं गुरसराय	1990–91	422.00	269.00
	193.	केन नहर प्रणाली	केन	1990–91	222.00	112.00
			कुल		6242.00	5060.00
XXII. पश्चिम बंगाल	194.	डीबीसी प्रणाली	दामोदर घाटी	1974–75	391.97	515.00
	195.	कंगसावती	कंगसावती	1974–75	340.75	401.46
	196.	मयूराक्षी	मयूराक्षी	1974–75	226.63	250.86
	197.	तीस्ता बराज	तीस्ता	1983–84	923.00	923.00
			कुल		1882.35	2090.32
XXIII. दादर एवं नगर हवेली	*	दमनगंगा	दमनगंगा	1983–84	8.28	8.28
XXIV. दमन और दीव	*	दमनगंगा	दमनगंगा	1983–84	3.41	3.41
			कुल योग		21566.07	21075.24

* दमनगंगा परियोजना गुजरात, दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली के अंतर्गत पड़ती है। इसे दुबारा गुजरात के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, यद्यपि इसका कृष्य कमान क्षेत्र संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ रहा है।

[हिन्दी]

देश में कोयले का उत्पादन और आपूर्ति

522. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों से कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में लगातार अंतर आता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में कितना अन्तर आया;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुये कोयले की खपत वाले विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत, लोहा, सीमेंट और कोयले की खपत वाले दूसरे क्षेत्रों में खपत हेतु आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की अलग-अलग कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरैली कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड की खानों से कोयले का देशीय उत्पादन और इसके उठान के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान उक्त के बीच के अंतराल को नीचे दर्शाया गया है :—

(मि.टन में)

वर्ष	उत्पादन	उठान	अंतराल
1993–94	241.30	241.85	(+) 0.55
1994–95	248.72	247.09	(–) 0.63
1995–96	264.05	264.47	(+) 0.42

(ग) और (घ). कोयले की आपूर्ति के मामले में प्राथमिकता महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे—विद्युत, इस्पात तथा सीमेंट के संयोजित उपभोक्ताओं को दी जाती है। 1995-96 की अवधि के दौरान लक्षित उठान में से 65.18% का आवंटन विद्युत क्षेत्र को, 8.78% इस्पात क्षेत्र को तथा 5.53% सीमेंट क्षेत्र को और शेष 20.51% अन्य उपभोक्ताओं को किया गया था।

[अनुवाद]

भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण

523. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). पोतों, पनडुब्बियों, वायुयानों और नौसेना बेसों जैसी परिसम्पत्तियों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है। इन परिसंपत्तियों को अद्यतन और तैयारी की स्थिति में बनाये रखने की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है। उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना को पुनः सज्जित करके उसका आधुनिकीकरण भी किया जाता है। पोत, पनडुब्बियां और वायुयान प्रौद्योगिकीय दृष्टि से पुराने न पड़ जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उनके जीवनकाल के मध्य में रिफिट किए जाते समय उनका सामान्य आधुनिकीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशिष्ट प्रणालियों और बल संवर्धकों को पुनः फिट करने का कार्य भी किया जाता है। बड़े अर्जनों और परियोजनाओं के लिए कार्य करते समय आधुनिकीकरण की बात को हमेशा महत्व दिया जाता है।

[हिन्दी]

धन का दुरूपयोग

524. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात नेटवर्क को फैलाकर सार्वजनिक धन का दुरूपयोग किया जा रहा है, जबकि गिरिडीह और बैनियाडीह कोयला क्षेत्रों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की कोयला खानों से डम्पिंग यार्ड केवल दो किलोमीटर ही दूर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोयला क्षेत्र में यातायात शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या कोयले को निकटवर्ती सौ एकड़ भूमि में भी डाला जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो कोयले की ढुलाई पर हो रहे भारी व्यय का क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ). कोल इंडिया लि. ने इस बात से इंकार किया है कि गिरीडीह में जिसे बनियाडीह कोलफील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, कोयला उत्पादन स्थल से प्रेषण स्थल तक कोयले का परिवहन किए जाने के मामले में धन का कोई दुरूपयोग किया गया है। जैसाकि कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है कि इस कोलफील्ड में कई विभिन्न उत्पादन स्थल हैं। कोयले को विद्युत संयंत्रों को प्रेषण किए जाने हेतु उत्पादन स्थल से रेलवे साइडिंग तक ले जाया जाता है। सड़क द्वारा प्रेषण/बिक्री करने के लिए कोयले का परिवहन किसी केन्द्रीय तथा सुविधाजनक स्थल तक भी किया जाता है।

गिरीडीह कोलफील्ड में कोयले के परिवहन पर किया गया व्यय वर्ष 1994-95 के दौरान वित्तीय लेखा के अनुसार उक्त व्यय की गई प्रतिपूर्ति नीचे दी गई है :—

	(लाख रु. में) (आंकड़े अनंतिम)
कोयला परिवहन	82.22
प्रतिपूर्ति	45.36
किया गया निवल व्यय	36.86

कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान मलबा डालने के स्थल (डम्पयार्ड) का निर्णय निम्न विभिन्न घटकों पर विचार किए जाने के बाद किया जाता है—जैसाकि समतल भूमि की उपलब्धता, सुविधाजनक यातायात के लिए सड़कों की व्यवस्था, लदान के लिए प्रतीक्षित ट्रकों के लिए स्थान की उपलब्धता, स्थानीय विक्रय कार्यालय की संस्थापना के लिए स्थल तथा समुचित बिजली, आदि के लिए विद्युत की उपलब्धता।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए भुगतान

525. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1979 से लेकर अब तक विभिन्न श्रेणी के फ्लैटों, भूखंडों और दुकानों के आवंटन हेतु पंजीकरण शुल्क और अग्रिम भुगतान के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट, दुकानें और भूखंड कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे; और

(ग) क्या फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए इस वर्ष कोई नयी योजना आरंभ करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) डी डी ए ने बताया है कि 1979 के बाद से विभिन्न टाइप के फ्लैटों, प्लाटों और दुकानों के आवंटन के लिए पंजीकरण शुल्क तथा अग्रिम भुगतान के रूप में निम्नलिखित राशि एकत्र की गई है :—

	श्रेणी	एकत्रित राशि
(1)	रिहायशी फ्लैट	186.25 करोड़ रु.
(2)	वाणिज्यिक फ्लैट	1.84 करोड़ रु.
(3)	प्लाट	21.94 करोड़ रु.

वाणिज्यिक प्लाटों तथा निर्मित वाणिज्यिक संपत्तियां नीलामी/निविदा के माध्यम से बेची जाती हैं।

(ख) फ्लैट :- फिलहाल एन पी आर एस, 1979 के अंतर्गत 31204 व्यक्तियों तथा अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अंतर्गत 12190 व्यक्तियों को आवंटन किया जाना है। भूमि तथा अन्य अभिकरणों द्वारा सेवाओं के प्रावधान से संबधित अवरोधों को देखते हुए डी.डी.ए. ने योजना बनाई है कि सभी प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को लगभग दो वर्ष की अवधि के अन्दर फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे।

प्लाट :- फिलहाल प्रतीक्षा सूची में 38342 पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं और आशा है कि भूमि, निधियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर इन सभी को अगले दो वर्ष के अन्दर आवंटन कर दिया जाएगा। प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों से विभिन्न चालू योजनाओं के अंतर्गत नियतन हेतु विकल्प लिए गए हैं।

(ग) डी डी ए द्वारा निरंतर आधार पर फ्लैटों का निर्माण किया जाता है। 1.4.96 तक विभिन्न श्रेणीयों के 12,258 फ्लैटों का निर्माण-कार्य चल रहा था। इसके अलावा, डी डी ए का वर्ष 1996-97 के दौरान 17,900 फ्लैटों का निर्माण आरंभ करने का विचार है।

राजस्थान में जल आपूर्ति और जल निकासी परियोजनाएं

526. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की उन पेयजल आपूर्ति तथा जल निकासी परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए आठवीं योजना के दौरान अब तक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत, राजस्थान राज्य में 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले शहरों में स्वच्छ तथा समुचित जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय इमदाद हेतु 1993-94 से अब तक कुल 18 योजनाएं मंजूर की गई हैं। मंजूर योजनाओं का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 81.97 लाख रुपये, 177.97 लाख रुपये तथा 237.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

सीवरेज स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्रीय सेक्टर का कोई कार्यक्रम नहीं है।

विवरण

राजस्थान राज्य में मंजूर की गई योजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	शहर का नाम	वर्ष	परियोजना लागत (रुपये लाखों में)
1.	अन्ताह	1993-94	74.44
2.	सरवर	-वही-	10.00
3.	बासवा	-वही-	99.50
4.	देवगढ़	-वही-	94.74
5.	गलिकोट	-वही-	17.20
6.	खेरली	-वही-	67.40
7.	मेहवा	-वही-	40.80
8.	धारिवाड़	-वही-	79.00
9.	बाली	-वही-	160.00
10.	तखतगढ़	-वही-	68.80
11.	खैथून	1995-96	78.20
12.	पोखरण	-वही-	106.90
13.	शहपुरा	-वही-	78.20
14.	सुधेल	-वही-	80.20
15.	विराटनगर	-वही-	78.00
16.	आमेट	-वही-	164.00
17.	छापर	-वही-	195.00
18.	नावासिटी	-वही-	114.50
	योग :		1607.38

रक्षा उत्पादन एकक में भर्ती

527. डॉ. कृपासिंधु भोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान उड़ीसा में सैनतला के रक्षा उत्पादन एकक में कुछ पदों पर भर्ती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी भी पद पर स्थानीय उम्मीदवारों के चयन पर कोई विचार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1995-96 में भरे गये 310 पदों में से 288 पर रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। बाकी के 22 पदों की भर्ती खुले विज्ञापन द्वारा की गई क्योंकि, जैसा स्थानीय रोजगार कार्यालय ने प्रमाणित किया, योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

[हिन्दी]

"अग्नि" प्रक्षेपास्त्रों के तकनीकी परीक्षण

528. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अग्नि" प्रक्षेपास्त्रों के तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) पुनः प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदर्शक "अग्नि" के तीन उड़ान परीक्षण पूरे हो चुके हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। "अग्नि" परियोजना में प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के विकास का प्रवधान नहीं था।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रक्षा उत्पादन एकक

529. **श्री के. प्रधानी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कुछ नए रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थापित किए जाने वाले नए रक्षा उत्पादन एककों का उक्त अवधि के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) बोलंगीर में आयुध निर्माणी का निर्माण-कार्य पूरा करने के अलावा और कोई नया रक्षा उत्पादन एकक उड़ीसा में या देश में और कहीं स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हल्के लड़ाकू विमान का विनिर्माण

530. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्के लड़ाकू विमान का विनिर्माण करने के कार्य को वर्ष 1997 के आरंभ में पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका विनिर्माण पूरी तरह से भारतीय तकनीकी जानकारी से किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) हल्के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान मार्च 1997 में निर्धारित की गई है। व्यापक उड़ान परीक्षणों के बाद हल्के लड़ाकू विमान का प्रथम उत्पादन प्रारूप वर्ष 2002 तक किये जाने की संभावना है।

(ख) और (ग). देश ही में डिजाइन तथा विकसित किये गये हल्के लड़ाकू विमान के विनिर्माण में विदेश से चुनी हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा ताकि विकास से विनिर्माण में लगने वाले समय को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

नदी जल का बेकार जाना

531. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अधिकांश नदियों का पानी बह कर समुद्र में चले जाने के कारण बेकार चला जाता है;

(ख) गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने की पहले तैयार की गई योजना को महत्व न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने भूमिगत जल स्तर बढ़ाने, सिंचाई के साधनों में वृद्धि करने तथा कृषि की वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा यह धनराशि किस-किस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई थी; और

(ङ) अब तक आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। वर्तमान (1994) में 1142 मिलियन घन किलोमीटर उपलब्ध उपयोज्य जल संसाधनों में से केवल 606 मिलियन घन कि.मी. जल का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) गंगा नदी को कावेरी से जोड़ने के प्रस्ताव को आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं पाया गया था। तथापि, सरकार द्वारा तैयार किए गए

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत नदियों को जोड़ने के संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के अतिरिक्त, सिंचित कृषि को लघु सिंचाई के जरिए भी बढ़ाया गया है। इसे सतही एवं भूजल दोनों के जरिए किया गया है। आठवीं योजना के दौरान, लघु सिंचाई द्वारा 10.71 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य नियत किया गया है। लघु सिंचाई के लिए (भूजल विकास सहित) 5972.26 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई के लिए परिव्यय (जिसमें भूजल विकास भी शामिल है)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लघु सिंचाई में परिव्यय (करोड़ रुपए)
1	2	3
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	234.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	53.69
3.	असम	183.45
4.	बिहार	1021.30
5.	गोवा	13.10
6.	गुजरात	240.00
7.	हरियाणा	134.45
8.	हिमाचल प्रदेश	95.25
9.	जम्मू और कश्मीर	84.20
10.	कर्नाटक	306.91
11.	केरल	130.00
12.	मध्य प्रदेश	728.37
13.	महाराष्ट्र	612.17
14.	मणिपुर	25.00
15.	मेघालय	29.03
16.	मिजोरम	11.75
17.	नागालैंड	21.00
18.	उड़ीसा	389.40
19.	पंजाब	113.20
20.	राजस्थान	171.92
21.	सिक्किम	11.50
22.	तमिलनाडु	250.00
23.	त्रिपुरा	31.50
24.	उत्तर प्रदेश	400.60
25.	पश्चिम बंगाल	370.00
	कुल राज्य	5662.47
संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.24
27.	चण्डीगढ़	1.00
28.	दमन और नगर हवेली	3.00
29.	दादर और दीव	0.44
30.	दिल्ली	8.00
31.	लक्षद्वीप	0.00
32.	पांडिचेरी	5.11
	कुल संघशासित क्षेत्र	21.79
	कुल राज्य एवं संघशासित क्षेत्र	5684.26
	केन्द्रीय क्षेत्र	293.00
	कुल योग	5977.26

छात्रावासों की सुविधा वाले केन्द्रीय विद्यालय

532. श्री ललित उरांव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रावासों की सुविधा वाले केन्द्रीय विद्यालयों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान कुछ नये छात्रावासों के निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो उनका किन-किन स्थानों पर निर्माण किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय जिनमें छात्रावास हैं :-

राज्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1	2
बिहार	1. जवाहर नगर
दिल्ली	2. संख्या 1 दिल्ली कैंट
हरियाणा	3. झज्जर

1	2
कर्नाटक	4. ए.एस.सी. बंगलौर
मध्य प्रदेश	5. संख्या 1, ग्वालियर
	6. पंचमाड़ी
महाराष्ट्र	7. वायु सेना नगर, नागपुर
पंजाब	8. न. 1, फिरोजपुर
	9. संख्या 2 जालंधर
तमिलनाडु	10. आई.आई.टी., मद्रास
उत्तर प्रदेश	11. लैन्सडावन

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

एशियाटिक सोसायटी में कुप्रबंध

533. **श्री संदीपान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसायटी में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा कुप्रबंध के कारण वहां से बहुमूल्य और अमूल्य वस्तुएं गायब हो गई हैं और महासचिव ने संस्थान में हुई चोरी और अन्य अनियमितताओं के लिए न्यायिक जांच की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और सोसायटी के महासचिव से प्राप्त अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) देश की बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और उसके संरक्षण हेतु सरकार की क्या नीति है और इस संबंध में कौन सी नई पहल किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा सोसायटी को अधिग्रहित किये जाने के पूर्व कुछ बहुमूल्य और अमूल्य वस्तुएं सोसायटी से गायब हो गई थीं। सोसायटी के प्रबंधन ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत एक जांच आयोग स्थापित करने के लिए संस्कृति विभाग से संपर्क किया था।

(ख) सोसायटी से कहा गया था कि यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा जाए।

(ग) सोसायटी ने अब सूचित किया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि कथित अपराध वर्ष 1984 से पूर्व हुआ था, जब भारत सरकार ने एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता का अधिग्रहण नहीं किया था।

(घ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः निधिकृत संस्थाओं ने सुरक्षा स्टॉफ और जहां कहीं आवश्यक हो, सुरक्षा बलों की नियुक्ति कर दिन-रात सुरक्षा एवं निगरानी शुरू की है और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, मेटल डिटेक्टरों, आदि जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां भी स्थापित की हैं। जहां तक परिरक्षण का संबंध है, वस्तुओं का परिरक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं और विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

534. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी के उद्देश्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी क्या उपलब्धि रही हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अकादमी अनेक लेखकों की स्वीकृत पाण्डुलिपियों के स्थान पर अस्वीकृत पुस्तकों का अनधिकृत प्रकाशन करती रही है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के लापरवाहीपूर्ण रवैये और नियमों के उल्लंघन के क्या कारण हैं; और

(घ) स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन और अकादमी के कार्यकरण में सुधार लाकर रायल्टी का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को प्रोन्नत करने के निर्णय के अनुसरण में, वर्ष 1970 में राज्य सरकार द्वारा बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान अकादमी ने विभिन्न विषयों में 23 पुस्तकें तैयार की।

(ख) इस मामले में केन्द्र सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रंथालय

535. **श्री जगमोहन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों की लागत में वृद्धि, कम वित्तीय आवंटन किये जाने से और विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट

के कारण राष्ट्रीय ग्रंथालय, राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले ग्रंथालय और स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाले ग्रंथालय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) क्या इस वर्तमान व्यवस्था से देश में नए विचारों के प्रचार-प्रसार में बाधा पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधान विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) पुस्तकालय राज्य का विषय है और इस तरह राज्य सरकारों द्वारा जलाये जा रहे पुस्तकालयों को राज्यों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः निधिकृत पुस्तकालय पुस्तकों की बढ़ती लागत और वित्तीय कठिनाइयों की वजह से अधिक निधियां आवंटित न होने के कारण कम पुस्तकें खरीद पा रहे हैं।

(ख) और (ग). 9वीं पंचवर्गीय योजना के निरूपण के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पर कार्य दल ने 9वीं योजना अवधि के दौरान पुस्तकालयों के लिए और अधिक निधियों के आवंटन की अनुशंसा की है।

केरल में "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर"

536. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में "नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एंड एलायड टेक्नोलाजी" की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्था की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एण्ड एलायड साईसेज (रा.गां.ने.इं.आ.कं. एण्ड ए.एस.) नामक एक संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार को स्थान निर्धारण सहित इस मामले में अभी निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों पर बकाया राशि

537. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उन विभिन्न राज्यों से बकाया राशि वसूल करने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिनके मुख्य मंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों तथा हेलिकॉप्टरों का उपयोग किया गया; और

(ख) किन-किन राज्यों द्वारा बकाया राशि का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान कर दिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). संबंधित राज्य सरकारों को निरंतर बार-बार याद दिलाया जा रहा है। परिणामस्वरूप 1996-97 की पहली तिमाही में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से 6.78 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की ओर 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.6.1996 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की ओर वायुमान प्रभारों के निमित्त बकाया राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बकाया राशि
1	2	3
1.	असम	16,57,865 रुपये
2.	आंध्र प्रदेश	21,09,343 रुपये
3.	अरुणाचल प्रदेश	7,07,79,047 रुपये
4.	बिहार	16,25,000 रुपये
5.	दिल्ली	3,81,062 रुपये
6.	गुजरात	2,13,33,333 रुपये
7.	हिमाचल प्रदेश	90,19,166 रुपये
8.	जम्मू व कश्मीर	1,12,95,411 रुपये
9.	कर्नाटक	65,000 रुपये
10.	केरल	32,82,508 रुपये
11.	मणिपुर	41,11,409 रुपये
12.	मेघालय	20,64,870 रुपये
13.	मिजोरम	14,53,217 रुपये
14.	नागालैंड	35,52,096 रुपये
15.	उड़ीसा	5,76,677 रुपये
16.	पंजाब	10,78,344 रुपये
17.	राजस्थान	1,21,60,418 रुपये
18.	सिक्किम	6,42,884 रुपये
19.	तमिलनाडु	47,11,374 रुपये
20.	त्रिपुरा	5,00,084 रुपये
21.	उत्तर प्रदेश	81,697 रुपये
22.	पश्चिम बंगाल	1,03,55,916 रुपये
23.	अंडमान व निकोबार	1,15,69,227 रुपये
	योग	17,44,05,948 रुपये

[अनुवाद]

पाकिस्तान और बंगलादेश में कैद भारतीय मछुआरे

538. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश मंत्री** पड़ोसी देशों में कैद भारतीय मछुआरों के बारे में 4 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और बंगलादेश में भारतीय राजदूतों द्वारा वहां कैद भारतीय मछुआरों को छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) पाकिस्तान और बंगलादेश की कैद से अब तक छुड़ाये गए और भारत वापस भेजे गए मछुआरों की संख्या कितनी है;

(ग) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार, पाकिस्तान और बंगलादेश की जेलों में कितने मछुआरे अभी भी बंद हैं; और

(घ) उनको छुड़ाने और वापस भेजने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) इस समय पाकिस्तान और बंगलादेश की हिरासत में नजरबन्द सभी भारतीय मछुआरों को रिहा करवाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। पाकिस्तान के संदर्भ में, सरकार इस विषय पर तकनीकी स्तर की वार्ता के लिए पाकिस्तान के प्रस्ताव से सहमत है और वार्ता के लिए तारीख और स्थान के बारे में पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान 171 मछुआरों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा करवाकर भारत प्रत्यार्पित किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में बंगलादेश के प्राधिकारियों द्वारा जिन मछुआरों को पकड़ा जाता है उन्हें एक महीने की अवधि के लिए नजरबंद किया जाता है और उसके बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया जाता है।

(ग) 30.6.96 की स्थिति के अनुसार 198 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में है। बंगलादेश के संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों की हिरासत में नजरबंद भारतीय मछुआरों की सही संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जेलों से रिहा किए जाने वाले और निष्कासित किये जाने वाले मछुआरों की संख्या की सूचना नियमित तौर पर भारतीय उच्चायोग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

(घ) सरकार भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की सभी ज्ञात घटनाओं को पाकिस्तान और बंगलादेश की सरकारों के साथ उठाती रही है तथा इन मछुआरों की रिहाई और प्रत्यवर्तन की मांग करती रही है।

[हिन्दी]

फर्जी विश्वविद्यालय

539. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में फर्जी विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार फर्जी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरू कर चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी फर्जी संस्थाएं न उभर सकें इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्वयं को विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने वाली संस्थाओं की संख्या 20 है। परन्तु भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सूचित किया है कि स्वनिर्मित विश्वविद्यालयों की संख्या 36 है। उनमें से 20 विश्वविद्यालय दोनों सूचियों में हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित की गई जाली विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करके कार्य कर रहे जाली विश्वविद्यालयों पर नजर रखते हैं। जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे किसी जाली विश्वविद्यालय के बारे में सूचना प्राप्त होती है वह ऐसे स्वनिर्मित/जाली विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने वालों/पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के बारे में सूचित करता है। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वह "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग न करें तथा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करना भी बंद कर दें। संबंधित राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे जाली विश्वविद्यालयों के संबंध में जांच करें। विद्यार्थियों को जाली डिग्रियां प्रदान कर रहे जाली विश्वविद्यालयों के मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के ध्यान में लाया जाता है तथा उनसे अनुरोध किया जाता है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आम जनता को प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से जाली विश्वविद्यालयों के प्रति सचेत करता है। विश्वविद्यालय अनु.आयोग द्वारा पिछली प्रैस विज्ञप्ति 2 जुलाई, 96 को जारी की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को जाली विश्वविद्यालयों की एक सूची राज्यों/विश्वविद्यालयों में व्यापक प्रचार के लिए नियमित रूप से भेजी जाती है। हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में कार्य कर रहे जाली विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष सैल स्थापित किया है।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग ने महानिदेशक (आई. एवं आर.) से ऐसे तथाकथित जाली विश्वविद्यालयों के संबंध

में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जांच करने के लिये कहा है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) छात्रों व अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए विभिन्न पुस्तिकाओं के माध्यम से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों/शिक्षा पर व्यापक साहित्य तैयार करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ समय-समय पर "रोजगार समाचार" में अधिसूचनायें जारी करता है जिससे छात्रों को स्वनिर्मित विश्वविद्यालयों/संस्थानों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है।

सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के लिए संशोधन विधेयक संसद में 2 जून, 1995 को प्रस्तुत कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 व 23 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए संशोधित विधेयक में कम-से-कम 6 महीने की कैद जो कि तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है तथा एक लाख रु. जुर्माना जिसे 10.00 लाख रु तक बढ़ाया जा सकता है लगाने का प्रावधान है। प्रस्तावित दण्डात्मक प्रावधान किसी भी संघ या व्यक्तियों के निकाय या इस प्रकार के संघ और अन्य निकाय के प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने में गुप्त रूप से सहमति दे रहा है।

विवरण

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
3. वारणस्य संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
4. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लि., दरियागंज, दिल्ली
5. इंडियन एजुकेशन काउंनसिल आफॅ यू.पी., लखनऊ (उ.प्र.)
6. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उ.प्र.)
7. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलैक्ट्रो कम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर
8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलटाल, अलीगढ़ (उ.प्र.)
9. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगल सराय (उ.प्र.)
10. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुटुर, त्रिची, तमिलनाडु
11. भारतीय शिक्षा परिषद, (उ.प्र.) मुक्त विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
12. आर्य विश्वविद्यालय, श्री नगर (जम्मू व कश्मीर)
13. सेंट जोन विश्वविद्यालय, किश्नट्टम, केरल
14. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली
15. यूनाईटेड नेशन विश्वविद्यालय, दिल्ली
16. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली
17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय।
18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रताप गढ़ (उ.प्र.)
19. राजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर।
20. उर्दू विश्वविद्यालय, मोतिया पार्क, भोपाल।

[अनुवाद]

परमाणु निरस्त्रीकरण और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि

540. **श्री डी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री गंगा राम कोली :
श्री पिनाकी मिश्र :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री ई. अहमद :
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री रूप चन्द पाल :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण और व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सी.टी.बी.टी.) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गत छः महीने के दौरान क्या-क्या घटनाएं हुई और इसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत ने इस संबंध में कोई नए प्रस्ताव रखे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सी.टी.बी.टी.) पर हस्ताक्षर करने के संबंध में भारत का दृष्टिकोण क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) भारत के दृष्टिकोण पर प्रमुख देशों की देश-वार प्रतिक्रिया क्या है;

(च) क्या व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए कुछ देशों का भारत पर दबाव डालने की कोई कार्यवाही शुरू की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में देश-वार क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सी टी बी टी वार्ता से सम्बद्ध तदर्थ समिति में भारत अपनी सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। पिछले छह महीनों के दौरान संधि के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में प्रगति तो हुई थी परन्तु मतभेद बने रहे। संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमण्डलों को सहमत पाठ दिया है। भारत का यह विचार है कि यह पाठ चिन्ताजनक महत्वपूर्ण मसलों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है।

(ख) और (ग). 26 जनवरी, 1996 को भारत ने प्रस्तावना, समीक्षा और प्रवर्तन में संशोधन प्रस्तुत किए थे। एक निश्चित समय सीमा के भीतर सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के ध्येय को प्राप्त करने से सम्बद्धः मौजूदा उल्लेखों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत ने यह मांग की थी कि प्रस्तावना में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ा जाए: "एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के जरिए"। समीक्षा के सम्बद्ध अनुच्छेद में भारत ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा : "यह सुनिश्चित करने के लिए कि संधि की प्रस्तावना के उद्देश्य, प्रयोजन और प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है"। प्रवर्तन से सम्बद्ध अनुच्छेद में भारत ने निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया : "इस अनुच्छेद में किसी भी बात के होते हुए भी यह संधि तभी प्रवृत्त होगी जब सभी पक्ष का राज्यों ने एक सुपरिभाषित समय सीमा (दस वर्ष) के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने का वचन लिया हों।

(घ) भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सी टी बी टी प्रारूप पाठ सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में एक उपाय नहीं है, और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। अतः भारत इसे इसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

(ङ) अधिकतर गुटनिरपेक्ष देशों ने भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्य इस बात के विरुद्ध हैं कि सी टी बी टी पाठ के प्रारूप में कोई बाध्यकारी नाभिकीय निरस्त्रीकरण दायित्व शामिल किया जाए।

(च) कुछ देशों ने भारत से अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। हमने इन देशों को अपनी स्थिति से स्पष्ट शब्दों में पुनः अवगत करा दिया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाढ़ के पानी से सिंचाई

541. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार अपने 12 जिलों अर्थात् झुनझुनु, चुरू, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में सिंचाई करने के लिए गंगा नदी के बाढ़ के 12 एम ए एफ पानी की मांग कर रही है;

(ख) क्या उपरोक्त मांग काफी समय से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). राजस्थान 1984 से राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों में उपयोग के लिए हरिद्वार के निकट 113.3 क्यूबिक मीटर प्रति सैकेंड (क्यूमेक) और बिजनौर के निकट 566 क्यूमेक की दर पर मानसून के दौरान 100 दिन के लिए गंगा जल के व्यपवर्तन की मांग कर रहा है।

(ग) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था किन्तु समिति गंगा नदी में अधिशेष जल उपलब्धता पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि इन दो स्थानों के निकट वर्ष 20-30 दिने से ज्यादा पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था जिसे राजस्थान को व्यपवर्तित किया जा सके। इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इतनी कम अवधि के लिए 100 किमी. के अधिक लंबाई वाली बड़े आकार की प्रस्तावित व्यपवर्तन नहरों को चालू रखने से नुकसान होगा और उनका रख-रखाव करना बहुत महंगा पड़ेगा और उसी कारण से यह प्रस्ताव अत्यंत गैर-मितव्ययी हो जाएगा। राजस्थान के और अनुरोध पर केंद्रीय जल आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से अध्ययन की पुनरीक्षा करने के लिए कुछ और आंकड़े भेजने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हिमालयाई नदी विकास घटक के और अधिक विस्तृत आधार पर अध्ययन प्रारंभ किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गंगा नदी और इसकी पूर्वी वितरणियों से अधिशेष जल का राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों को व्यपवर्तित करने की भी परिकल्पना की गई है। उनकी रिपोर्ट के आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है।

[अनुवाद]

पूर्ण साक्षरता अभियान के उद्देश्य

542. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण साक्षरता अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस संबंध में राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) साक्षरता का राज्य-वार प्रतिशत और देश में राष्ट्रीय औसत कितना है;

(ग) सरकार का साक्षरता की प्रतिशतता को बढ़ाने और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या नई शिक्षा नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) देश में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य कार्यनीति सम्पूर्ण साक्षरता अभियान है। जिला वार सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत पांच से छह माह की 200 घंटों की अवधि में 15-35 आयु वाले प्रौढ़ शिक्षुओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जाती है। राज्य-वार उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) देश में दस वर्षीय जनगणना के माध्यम से साक्षरता संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में राज्य-वार साक्षरता की दर दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 1997 तक 15-35 आयु के 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। इस शताब्दी के अन्त तक सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए सरकार प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आपरेशन ब्लैकबोर्ड और जिला प्राथमिक शिक्षा परियोनजा जैसी प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(घ) और (ङ). वर्ष 1990-92 के दौरान आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति और श्री एन.जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति संबंधी समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई थी। इसके पश्चात ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्य-योजना, 1992 को अद्यतन बना कर इन्हें क्रमशः 7 मई, 1992 और 19 अगस्त, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

विवरण-I

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए जिलों और साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या

(31.3.1996 तक की यथास्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम्मिलित किए जिले	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	23	63,21,907
2. असम	18	1,63,021
3. बिहार	28	13,36,456
4. दिल्ली	1	8,659
5. गोवा	2	49,910
6. गुजरात .	19	36,18,832
7. हरियाणा	15	2,50,134
8. हिमाचल प्रदेश	12	3,43,274
9. जम्मू व कश्मीर	5	
10. कर्नाटक	20	30,42,132
11. केरल	14	13,45,000
12. मध्य प्रदेश	45	20,18,178
13. महाराष्ट्र	26	23,67,277
14. मणिपुर	1	-
15. मेघालय	3	-
16. उड़ीसा	17	15,74,598
17. पंजाब	9	2,07,519
18. राजस्थान	24	11,84,537
19. तमिलनाडु	23	46,41,001
20. त्रिपुरा	3	-
21. उत्तर प्रदेश	62	17,04,051
22. पश्चिम बंगाल	17	70,23,410
23. चण्डीगढ़	1	23,699
24. दादरा और नगर हवेली	1	-
25. दमण और दीव	1	460
26. पांडिचेरी	4	88,799

विवरण-II

साक्षरता दर वर्ष - 1991 की जनगणना

भारत/राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (प्रतिशत)
1	2
भारत	52.21
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	44.59
2. अरुणाचल प्रदेश	41.59
3. असम	52.89
4. बिहार	38.48
5. दिल्ली	75.29
6. गोवा	75.51

1	2
7. गुजरात	61.29
8. हरियाणा	55.85
9. हिमाचल प्रदेश	63.86
10. कर्नाटक	56.04
11. केरल	89.81
12. मध्य प्रदेश	44.20
13. महाराष्ट्र	64.87
14. मणिपुर	59.89
15. मेघालय	49.10
16. मिजोरम	82.27
17. नागालैंड	61.65
18. उड़ीसा	49.09
19. पंजाब	58.51
20. राजस्थान	38.55
21. सिक्किम	56.94
22. तमिलनाडु	62.66
23. त्रिपुरा	60.44
24. उत्तर प्रदेश	41.60
25. पश्चिम बंगाल	57.70
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.02
2. चण्डीगढ़	77.81
3. दादरा और नगर हवेली	40.71
4. दमन और दीव	71.20
5. लक्षद्वीप	81.78
6. पांडिचेरी	74.74

[हिन्दी]

उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं का प्रतिशत

543. **श्री रमेन्द्र कुमार :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 1996 की दसवीं कक्षा की परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 34 प्रतिशत तथा पब्लिक स्कूलों के 89 प्रतिशत छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण हुए;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा पब्लिक स्कूलों के परीक्षा परिणामों में इतना अधिक अन्तर होने के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस अन्तर को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अधिकांश छात्र दुर्बल सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। स्कूलों में दाखिला लेने वाले और उनमें से पहली पीढ़ी के स्तर के शिक्षार्थियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अतः उन्हें घर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम खराब आने के मुख्य रूप से यही कारण हैं।

(ग) जिला प्रमुखों, सभी शिक्षा अधिकारियों तथा उन प्रधानाचार्यों को शामिल करके जिनका पिछले वर्षों में कार्य काफी सराहनीय रहा है, एक कार्य योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत इस अन्तर को भरने के लिए विशेष कक्षाएं तथा छात्रों को परीक्षा संबंधी मूलभूत बारीकियों की जानकारी देने के लिए वर्तमान वर्ष से परीक्षोन्मुखी शिक्षा शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

सरकारी इमारतों में लकड़ी का उपयोग

544. **श्रीमती शीला गौतम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को पहले ही अप्रैल, 1988 में लकड़ी की खपत में कमी करने तथा बाजार में उपलब्ध वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने के लिए सलाह दे दी गई है।

शिक्षा प्रणाली में खामियां

545. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फ्लास इन एजुकेशन सिस्टम डिसकवर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का शिक्षा नीति को कारगर एवं रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दरों, संसाधनों तथा गुणवत्ता के मुद्दे का उल्लेख है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना को अद्यतन बनाया गया तथा इन्हें 1992 में संसद के सभा पटल पर रखा गया। इस समय कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा शिक्षा के लिए संसाधानों में वृद्धि करने पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षा और कार्य जगत के बीच बेहतर सम्पर्क हो सके और शिक्षा के सभी स्तरों पर विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में पहुंच, कक्षा में बनाए रखने व उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

[हिन्दी]

भाषा आयोग की स्थापना

546. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "संस्कृत और प्राचीन भाषा आयोग" स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) तत्संबंधी चतुर्वेदी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त आयोग कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(ङ) इस संबंध में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें संस्कृत तथा प्राचीन भाषाओं के विकास हेतु संसद अधिनियम के माध्यम से एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के रूप में संस्कृत तथा प्राचीन भाषा आयोग स्थापित करने के लिए थी।

(घ) इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल संसाधन प्रबंधन

547. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिंचाई सुविधाओं का प्रबंधन और अनुरक्षण को किसानों के अधिकाधिक हित में बनाने के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन में सांस्थानिक प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). सिंचाई राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई प्रणालियों का प्रचालन तथा रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सिंचाई क्षमता पर प्रबंधन परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय जल नीति (1987) में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता पर बल दिया गया है। भारत सरकार अपने केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रमों के जरिए सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता को बढ़ावा देती रही है।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय जल विवाद

548. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच अंतर्राज्यीय जल विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन विवादों को सुलझाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों की गत तीन वर्षों के दौरान हुई बैठकों के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). रावी-व्यास के अधिशेष जल के संबंध में अंतर्राज्यीय विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण को भेजा गया था। अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30.1.87 को दी थी जिस पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केन्द्र सरकार ने अधिकरण से कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगा था। इसी दौरान अधिकरण के एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया था और यह रिक्त स्थान किसी न किसी कारण से भरा नहीं जा सका। सरकार ने रिक्त स्थान भरने के लिए कार्रवाई की है, जिससे अधिकरण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सके।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय जल से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्री (ज.सं. एवं सं. कार्य) द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ जुलाई और अगस्त, 1992 में बैठकों का आयोजन किया गया था। विभिन्न अंतर्राज्यीय जल से संबंधित मामलों पर कुछ व्यापक निर्णय लिए गए थे। रावी-व्यास जल के बंटवारे के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि यह 1981 में समझौते के प्रावधानों के द्वारा संचालित किया जाना जारी रहेगा। मुख्य मंत्रियों के सुझावों के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट समझौते पर विचार-विमर्श करने और अंतिम रूप देने के लिए मुख्य मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारी स्तर की बैठकें किसी कारण अथवा अन्य कारणों से आयोजित नहीं की जा सकी। जल संसाधन मंत्रालय और अंतर्राज्यीय बैठकों की व्यवस्था करके मुद्दे को हल करने के सभी प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

कस्बों के विकास हेतु धनराशि

549. श्री सौम्य रंजन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कस्बों के विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और यह धनराशि किस योजना शीर्ष के अंतर्गत प्रदान की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के वर्ष 1996-97 के दौरान उक्त शीर्षों के अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस शीर्ष के अंतर्गत उड़ीसा को अपर्याप्त धनराशि प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) तथा मेगा शहरों में अवस्थापना सम्बन्धी विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कस्बों/नगरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। योजना शीर्ष, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है, इस प्रकार है:-

योजना	योजना शीर्ष	
आई डी एस एम टी	3601	3602
	7601 (प्रभारित)	7602
मेगा सिटी योजना	2217	3601

पिछले तीन वर्षों (1993-96) के दौरान आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

मेगा सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों के लिए पिछले तीन वर्षों (1993-96) के दौरान रिलीज किए गए केन्द्रीय अनुदान इस प्रकार हैं:-

शहर/राज्य का नाम	रु. करोड़ में
बंबई (महाराष्ट्र)	54.28
कलकत्ता (प. बंगाल)	54.28
मद्रास (तमिलनाडु)	43.28
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	41.78
बंगलौर (कर्नाटक)	35.28

(ख) आई डी एस एम टी तथा मेगा सिटी योजना, इस दोनों योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष 1996-97 के दौरान दी जाने वाली राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर होगी जिनमें पहले रिलीज की गई निधियों के लिए राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति, योजना मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य अंश की उपलब्धता अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुरूप स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट आदि शामिल हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्तावित रिलीज की राशि इस समय बताना संभव नहीं है।

(ग) मेगा सिटी योजना 1991 की जनगणना के अनुसार चार मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में लागू है। उड़ीसा में ऐसा कोई नगर न होने के कारण यह योजना उड़ीसा में लागू नहीं है। आई डी एस एन टी योजना के अंतर्गत उड़ीसा को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है तथा यह राज्य इस योजना के अंतर्गत प्रमुख लाभग्राही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रुपये लाख में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	830.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.00
3.	असम	85.00
4.	बिहार	166.00
5.	गोवा	36.00
6.	गुजरात	399.00
7.	हरियाणा	50.00
8.	हिमाचल प्रदेश	35.00
9.	जम्मू व कश्मीर	78.00
10.	कर्नाटक	692.00
11.	केरल	329.00

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	568.00
13.	महाराष्ट्र	1148.50
14.	मणिपुर	16.00
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	60.00
17.	नागालैंड	32.00
18.	उड़ीसा	297.00
19.	पंजाब	127.25
20.	राजस्थान	355.75
21.	सिक्किम	32.00
22.	तमिलनाडु	447.26
23.	त्रिपुरा	22.74
24.	उत्तर प्रदेश	624.00
25.	पश्चिम बंगाल	382.66
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–
2.	दादरा व नगर हेवली	5.00
3.	दमन व दीव	5.00
4.	लक्षद्वीप	
5.	पांडिचेरी	50.00
	योग	7027.70

[हिन्दी]

साक्षर महिलाओं की प्रतिशतता

550. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को साक्षर करने हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991 के पश्चात वर्ष-वार ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, स्कूल छोड़ जाने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पूर्ण साक्षरता अभियानों की योजनाएं देश में महिला साक्षरता में वृद्धि करने के लिए तीन आयामी नीतियां हैं।

(ख) अभी कोई ऐसे आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में साक्षरता की दरों में वृद्धि के सम्बंध में आंकड़े देशव्यापी स्तर पर केवल दस-वर्षीय जनगणना के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। अगली जनगणना वर्ष 2001 में होगी।

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा पर व्यय की गई राशि

551. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है;

(ख) अन्य विकासशील तथा विकसित देशों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) तकनीकी शिक्षा विशेषकर प्रारम्भिक तकनीकी शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) तकनीकी शिक्षा पर गत तीन वर्षों (1992-93, 1994-95) दौरान व्यय की गई सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता 0.15 रही है।

(ख) इसकी तुलना संभव नहीं है क्योंकि अन्य देशों में तकनीकी शिक्षा पर व्यय किये गये सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के आंकड़े, प्रामाणिक प्रकाशनों जैसे कि "यूनेस्को स्टेटिस्टिकल ईयर बुक" में प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

(ग) तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए आबंटनों को सभी उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत ही बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के लिए विज्ञान की पुस्तकों का प्रकाशन

552. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए विज्ञान के अध्यापकों की सहायता से हिंदी में विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध करा सकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो हिंदी में विज्ञान की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन

553. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल नीति बनाने तथा इसकी पुनरीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिषद की गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई और ये बैठकें कब तथा किन स्थानों पर हुई; और

(घ) इन बैठकों के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं और इनमें लिए गए निर्णयों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 10 मार्च, 1983 को की गई थी। परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है : प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं तथा वित्त, कृषि, ऊर्जा, कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार, शहरी कार्य तथा रोजगार योजना, भूतल परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा राज्यों के मुख्य मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के सचिव हैं।

(ग) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की तीसरी बैठक 6 फरवरी, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। परिषद की सितंबर, 1987 के बाद से 6 फरवरी, 1996 तक कोई बैठक नहीं हुई।

(घ) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 30.10.1985 को हुई प्रथम बैठक में, राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया।

9.9.1987 को हुई परिषद की दूसरी बैठक में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई।

6.2.1996 को हुई परिषद की तीसरी बैठक में हुए मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(1) जल संसाधन विकास के बहुत से मुद्दों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश आवश्यक हैं हालांकि समस्याएं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(2) नौवीं योजना प्रस्तावों में रख-रखाव, ड्रेजिंग, गाद कम करने आदि के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

(3) रखरखाव के लिए और निधियों का आवंटन किया जाना चाहिए।

(4) नौवीं योजना में काल्पनिक सम्मत प्रस्ताव किए जाने चाहिए।

(5) तीसरी बैठक में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर जल प्रबंध, जलाशय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास, विभिन्न उपयोगों के लिए जल का आवंटन आदि पर विभिन्न महत्वपूर्ण नीति दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जल बोर्ड नीति दिशा निर्देश के मसौदे में संशोधन करने पर शीघ्र ही अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। नौवीं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय अन्य सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

554. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा के लिए कम धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गये वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मूल असन्तुलन को कम करने के लिए कोई प्रयास किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I/III तक) के लिए प्रदान की गई कुल निधियां उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की गई निधियों से कम नहीं हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्रारंभिक शिक्षा और विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन

(करोड़ रु. में)

1992-95

क्षेत्र	1992-93 (ए)			1993-94 (आर.ई)			1994-95 (बी.ई.)		
	केन्द्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
प्रारंभिक शिक्षा	316.25	9161.07	9477.32	433.96	10915.47	11369.43	523.22	12064.68	12587.90
उच्च शिक्षा	504.81	2195.14	2699.95	538.77	2497.23	3036.00	581.88	2671.74	3253.62
कुल शिक्षा	1797.30	19155.68	20952.98	2188.91	22080.08	24268.99	2420.26	24756.97	27177.23

भूटानी शरणार्थी

555. **श्री आर.बी. राई : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों भूटानी शरणार्थियों ने शरण ले ली है;

(ख) क्या इनमें से कुछ शरणार्थियों को भूटान वापस जाने के लिए की गई "अपील मार्च" में शामिल होते समय पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और अब तक कितने शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय कारागार में एक शरणार्थी की मृत्यु हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). नेपाली मूल के भूटानी नागरिकों की अपने मूल स्थान से नेपाल स्थित शिविरों में आवागमन की सरकार को जानकारी है। कुछ जत्थों ने अपनी हैसियत और अपनी मांगों के मामले को उठाने के उद्देश्य से भारतीय प्रदेश के रास्ते नेपाल से भूटान मार्च करने का प्रयास किया है। सरकार की यह सतत् नीति है कि मित्र देशों के खिलाफ भारत भूमि पर राजनैतिक गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं दी जाये। अतः सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निषेधाज्ञा लगा दी गई है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के संबंध में, अपने देश की विधि के अनुरूप, 1896 व्यक्तियों को एहतिहात के बतौर हिरासत में लिया गया था। उनमें से अधिकांश को रिहा किया जा चुका है।

(घ) और (ङ). पता चला है कि एक कैदी, श्री बाबू राम तमंग, जो टी बी के मरीज थे, उनकी 13 जून, 1996 को बेरहामपुर केन्द्रीय जेल में मृत्यु हो गई।

[हिन्दी]

शारीरिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

556. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु राज्यों की वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने राज्यों ने अपनी मांग रखी है और केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस कार्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के स्तरों में सुधार करने के लिए सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव कर सके।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. के सेवानिवृत्त कामगारों को उपदान

557. **श्री के. प्रधानी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इंडिया लि. के सेवानिवृत्त कामगारों को उपदान का भुगतान आज तक भी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें उपदान का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि कामगारों को गत दो वर्षों से छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कामगारों को छुट्टी यात्रा रियायत से संबंधित अदत्त राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इसके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान का भुगतान आमतौर पर समय पर किया जाता है। किंतु, को.इ.लि. की एक सहायक कंपनी में उक्त भुगतान में विलम्ब हुआ है, जिसका कारण उसके सामने गंभीर वित्तीय संकट रहा है अथवा ऐसी स्थिति रही है, जहां कि दावेदारों ने आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है।

(ग) और (घ). कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के सामने वित्तीय कठिनाईयां होने के कारण कामगारों को छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) संबंधी सुविधा दिए जाने के मामले में विलम्ब हुआ है। जबकि स्थिति को सुधारे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः इस संबंध में निश्चित समय सीमा को इंगित करना संभव प्रतीत नहीं होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

558. **श्री टी. गोपालकृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा-नीति कार्यान्वयन के बाद इसकी समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990–92 के दौरान आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति तथा श्री एन. जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की नीति समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। इसके अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना, 1992 को अद्यतन बनाया गया तथा उन्हें सभा पटल पर क्रमशः 7 मई, 1992 और 19 अगस्त, 1992 को रख दिया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय तट रक्षक

559. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तट रक्षक को जहाजों तथा वायुयानों की अपर्याप्त संख्या तथा अन्य सुविधाओं की कमी के कारण अपनी सतर्कता संबंधी गतिविधि को मजबूत करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी तट के साथ-साथ पाकिस्तानी नौसेना द्वारा पछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को डराने-धमकाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों में सतर्कता मजबूत करने के संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). तटरक्षक अपने पास उपलब्ध पोतों तथा वायुयानों को समुचित रूप से तैनात करके अपेक्षित सतर्कता बरत रहा है। सुविधाओं का उन्नयन और सेनाओं का पुनर्सज्जीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है।

(ग) और (घ). समुद्री क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरिभाषित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के न होने के कारण किसी भी देश की सशस्त्र सेनाओं द्वारा मछुआरों को पकड़ने की छुट-पुट घटनाएं हुई हैं और भारतीय मछुआरों को डराने-धमकाने की कुछ सूचनाएँ मिली हैं।

(ङ) संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में भारतीय नौसेना और तटरक्षक द्वारा समुद्र में संयुक्त रूप से अधिक निगरानी रखी जा रही है और गश्त बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना

560. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज यमुना लिंक नहर (एस वाई एल) के निर्माण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) इस नहर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केंद्र सरकार ने अब तक सतलुज-यमुना संपर्क नहर के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को 499.12 करोड़ रु निर्मुक्त किए हैं।

(ख) जब निर्माण कार्य रुक गया था, तब तक लगभग 97% मिट्टी का कार्य, 95% पक्का करने का कार्य और 86% संरचना कार्य पूरे किए गए थे।

(ग) और (घ). सूचना को लोक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा भारत को प्राथमिकता वाले राष्ट्र का दर्जा दिये जाने की पेशकश

561. **श्री सत्यदेव सिंह** :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की ओर से दोनों देशों के बीच औपचारिक व्यापार के संबंध में भारत को प्राथमिकता वाले राष्ट्र का दर्जा दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). पाकिस्तान ने भारत को अत्यधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है और वह 573 मदों की सूची से आयात की अनुमति देता है।

सरकार भारत को अत्यधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने का मामला कई अवसरों पर और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान के साथ उठाती रही है। इस संबंध में पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली सुविधाएं

562. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री जी.जी. स्वैल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जेनेवा में हुए निरस्त्रीकरण संबंध सम्मलेन में यह स्पष्ट कर दिया था कि वह भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली सुविधाएं हटा लेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली की कितनी सुविधाएं हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी हां। भारत ने 26 जून, 1996 को निरस्त्रीकरण से संबद्ध सम्मलेन के अध्यक्ष तथा सीटीबीटी वार्त्ता से सम्बद्ध तदर्थ समिति के अध्यक्ष को इस बात से अवगत करा दिया था कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार न करने के अपने निर्णय के परिणामतः भारत अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यांकन प्रणाली के अंग के रूप में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की मानिटरिंग सुविधाओं की अपनी पेशकश को अब बरकरार नहीं रख पाएगा।

(ग) तदर्थ समिति के अध्यक्ष द्वारा 28 जून, 1996 को प्रस्तुत संधि के प्रारूप में से भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मानिटरिंग प्रणाली का उल्लेख निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से चल रहे कालेज

563. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से विदेशी सहायता से चल रहे स्कूलों एवं कालेजों का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विदेशी सहायता से चल रहे स्कूलों की संख्या के संबंध में आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं क्योंकि स्कूल शिक्षा की अधिकतर देखभाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा की जाती है। जहां तक कालेजों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए कार्यक्रम

564. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण हेतु कुछ नये कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण के लिए नवीन कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)

स्कूल-पूर्व बच्चों और गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ और पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं को पैकेज प्रदान करने वाली आई सी डी एस को वर्ष 1995-96 में सुर्व-सुलभ बना दिया गया है। इस स्कीम को पूरे देश में लागू करने के लिए हाल ही के वर्षों में स्कीम के प्रभाव को कड़ा बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की अब तक उपेक्षित 3.50 लाख किशोर लड़कियों के लिए 507 आई सी डी एस ब्लाकों के माध्यम से पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किये गये उपाय।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में 755 ब्लाकों में विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई सी डी एस परियोजनाएं शुरू की गईं। सामान्य आई सी डी एस सेवाओं के अलावा, कतिपय अतिरिक्त सेवाएं अर्थात् महिलाओं के लिए आयोत्पादक गतिविधियां, किशोर लड़कियों के लिए कार्यक्रम, पोषाहार, अत्यधिक कुपोषितों का पुनर्वास आदि इन बहु राज्य आई सी डी एस सेवाओं में प्रदान की जाती है।

इन्दिरा महिला योजना

सरकार ने 20 अगस्त, 1995 को देश के 200 आई सी डी एस ब्लाकों में इन्दिरा महिला योजना स्कीम शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्व-सहायता दल गठित करके जिला स्तर पर महिला घटक योजना तैयार करना और आयोत्पादन, क्षेत्रीय विभागों की स्कीमों का संकेन्द्रण तथा जागृति विकास है। यह योजना उप-ग्राम स्तर (आंगनवाड़ी स्तर) तथा ब्लाक स्तर पर चलाई जायेगी। दल की मदद से महिला दल सरकारी प्रणाली के साथ बुनियादी स्तर की आयोजना बनाने तथा महिलाओं से संबंधित जिला उप-योजना बनाई जाएगी।

चुन हुए ब्लाकों में प्रत्येक आंगनवाड़ी क्षेत्र में महिलाओं के छोटे-छोटे दल बनाए जाएंगे ये दल आंगनवाड़ी स्तर पर इन्दिरा महिला केन्द्र बनायेंगे। इन इन्दिरा महिला केन्द्रों के प्रतिनिधि ब्लाक स्तर पर इन्दिरा महिला ब्लाक समितियां बनायेंगे। प्रत्येक इन्दिरा महिला केन्द्र को भारत सरकार द्वारा 5000/- रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा।

इन्दिरा महिला केन्द्र के अधीन महिला दलों की जिला प्राधिकारियों द्वारा सहायता की जाएगी, जो जिला स्तर की वार्षिक उपयोजना तैयार करेंगे, जिसे इन्दिरा महिला योजना कहा जाएगा।

गैर-सरकारी संगठन दल के गठन, प्रशिक्षण और सरकार के साथ सम्पर्क के समय महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करेंगे। इस सम्पूर्ण स्कीम में सरकार की भूमिका सुविधा देने वाले की होगी। ग्राम स्तर के अधिकारी इन्दिरा महिला केन्द्रों के कार्य में, ब्लाक स्तर के अधिकारी इन्दिरा महिला ब्लाक समितियों के कार्य में सहायता प्रदान करेंगे तथा महिलाओं को निर्णय निर्माण में भागीदारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिशु गृह कोष

शिशु गृहों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और अधिक शिशु गृह खोलने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय शिशु गृह कोष की स्थापना मार्च, 1994 में 19.90 करोड़ रुपये की कोरपस निधि से की गई। राष्ट्रीय शिशु गृह कोष के अन्तर्गत कोरपास निधि पर प्राप्त ब्याज में से शिश गृह स्वीकृत किए जाते हैं। यह स्कीम विख्यात स्वैच्छिक संगठनों/महिला मण्डलों के माध्यम से लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत आवर्ती व्यय के लिए जिसमें दो शिशु गृह कार्मियों को मानदेय (800 रुपये प्रति माह) और 615 रुपये तथा 125 रुपये प्रतिमाह क्रमशः पूरक पोषाहार और आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान शामिल है, 18,840 रुपये प्रति शिशु गृह की दर से अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय शिशु गृह कोष से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी आई सी डी एस कार्यक्रम की आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी-सह शिशु गृह केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए सहायता दी जाती है। स्कीम के प्रारम्भ से मार्च, 1996 तक 1243 शिशु गृह स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमं 229 आंगनवाड़ियों को अंगनवाड़ी सह शिशु गृह केन्द्रों में परिवर्तन करना शामिल है।

राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष 30 मार्च, 1993 से प्रारम्भ हुआ। इसके अन्तर्गत निर्धन महिलाओं को आयोत्पादक गतिविधियों के लिए पूरे भारत में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। प्रति ऋण प्राप्तकर्ता राशि 2500 रुपये (अल्पाविधि ऋण के अंतगर्त) और 5000 रुपये (मध्यम अवधि ऋण के अन्तर्गत) दिए जाते हैं। 28 जून, 1996 तक राष्ट्रीय महिला कोष में 112 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 109,491 महिलाओं के लाभार्थ 1978.44 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी, ताकि महिलाओं में मितव्ययिता की आदत को प्रोत्साहित किया जा सके तथा घरेलू संसाधनों पर उनके नियन्त्रण को मजबूत करके उन्हें सशक्त बनाया जा सके। महिला समृद्धि योजना डाक विभाग के (1.30 लाख ग्रामीण डाक घरों) के माध्यम से चलाई जा रही हैं इन डाकघरों में ग्रामीण महिलाएं अपना खाता खोल सकती हैं। 300 रुपये की राशि एक वर्ष की लॉक-इन-अवधि तक खाते में जमा रखने पर महिला समृद्धि योजना की खाताधारी को 75/- रुपये का सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। गैर-सरकारी संगठन गांवों में महिला समृद्धि योजना शिविर आयोजित कर रहे हैं।

प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रमों को सहायता (स्टेप)

यह स्कीम 1986-87 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम-कीट पालन, खादी और ग्रामीण उद्योग, डेरी आदि पारम्परिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि महिलाएं पारिश्रमिक/स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। महिला कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठन इस स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करके महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च संगठन, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने कुछ नवीन स्कीमें शुरू की हैं जैसे दिल्ली, विजयवाड़ा, वाराणसी, इलाहाबाद और झाड-ग्राम में वेश्याओं के बच्चों का विकास और देखभाल, मथुरा में धार्मिक स्थानों पर अत्यधिक निर्धनता में रहने वाली कुछ महिलाओं के

पुनर्वास के लिए आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और आयोत्पादन का समेकित कार्यक्रम, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस परिसरों, परिवार परामर्श केन्द्र ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों को व्यावसायिक परामर्श के माध्यम से भाईचारे से तय किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास

1982-83 में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संलग्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्कीम को शुरू करने के लिए कपार्ट स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता दे रहा है, अब तक कपार्ट द्वारा 1366 डवाकरा परियोजना को सहायता प्रदान की गई।

परिवार कल्याण विभाग द्वारा पुनरुत्पादक बाल स्वास्थ्य

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि अलग-अलग राज्यों में स्वास्थ्य के पैरामीटरों जैसे नवजात, मातृ और शिशु मृत्युदर में अन्तर है, राज्यों के तीन वर्गों के लिए अलग-अलग क्षेत्र विशिष्ट पुनरुत्पादक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया गया है और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए (वे राज्य जहां आई डी ए से पर्याप्त अवसंरचनात्मक निवेश प्राप्त होता है) अलग से कार्यक्रम बनाया गया है।

"क" श्रेणी के राज्यों में 70-80 प्रतिशत प्रसूति के मामलें अस्पतालों में, (ख) श्रेणी के राज्यों में घर में और अस्पताल में प्रसुति के बराबर-बराबर माले, श्रेणी (ग) राज्यों में घर पर प्रसूति के बहुत अधिक मामले होते हैं। पुनरुत्पादक बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अनिवार्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अनचाहे गर्भ का निवारण और प्रबन्धन।
- मातृ देखभाल, जिसमें प्रसव-पूर्व और प्रसवोपरान्त सेवाएं शामिल हैं।
- नवजात शिशुओं के लिए बाल उत्तरजीविता सेवाएं आर.टी.आई./एस.टी.डी. का प्रबन्धन।

नये कार्यक्रम में स्तरीय उपायों और क्लिनिक आधारित उपायों में और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। मौजूदा स्कीमों में गैर सरकारी संगठनों के निकट सहयोग के लिए सुधार किया जा रहा है जो परियोजना गतिविधियों के प्रबोधन और कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाएंगे। वे तकनीकी कौशल के लिए तथा आई ई सी के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रमुख भूमिका निभायेंगे। गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के अन्तर्गत अधिक खतरे वाले गर्भ के मामलों में सस्ते मातृ प्रतीक्षा क्षेत्रों का प्रस्ताव है।

उप-केन्द्र कार्ययोजना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना तैयार करने में आर एम पी और देशी चिकित्सा प्रणाली के डाक्टरों को भी शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

565. **श्री रमेन्द्र कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार की देश में विशेषकर बिहार में बाढ़ नियंत्रण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). बाढ़ नियंत्रण स्कीमों से संबंधित अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन मुख्यतया राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्र, तकनीकी और वर्धक किस्म की सहायता प्रदान करता है और इसकी मुख्यतया भूमिका परामर्शी की है।

तथापि, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश में बाढ़ प्रबंध के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन सिफारिशें की थी जिनमें संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय शामिल किए थे। ये सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त, गंगा और ब्रह्मपुत्र के गंभीर बाढ़ प्रवण बेसिनों के लिए केंद्र सरकार के संगठनों अर्थात् गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की थीं। ये योजनाएं कार्यान्वयन के लिए विस्तृत स्कीमें तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकारों ने बाढ़ समस्या को कम करने के लिए कई बाढ़ प्रबंधन उपाय प्रारंभ किए हैं जिनमें 14.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की गई है (राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र के विपरीत (केंद्र सरकार 62 नदी बेसिनों को शामिल करके 157 बाढ़; पूर्वानुमान केंद्रों का संचालन कर रही है, जो बाढ़ चेतावनी जारी करने और बाढ़ शमन उपायों को करने के लिए राज्य सरकारों को समय पर बाढ़ पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

बिहार राज्य में, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बाढ़ प्रबंध उपाय से 18.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त स्तर तक सुरक्षा प्रदान की जा रही है जो राज्य के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 44% है।

केंद्र सरकार ने राज्य को केंद्रीय सहायता प्रदान करके 8वीं योजना में उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है।

अवैज्ञानिक ढंग से कोयला निकालना

566. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश की कतिपय कोयला खानों में अवैज्ञानिक ढंग से कोयला निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी खानों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खानों में कोयले का वैज्ञानिक एवं सुनियोजित ढंग से निकाला जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों को विस्तृत अन्वेषण तथा खान आयोजन के आधार पर किया जाता है। ये कम्पनियां कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों को वैज्ञानिक पद्धति से, तथा उपलब्ध भू-गर्भीय आंकड़ों के अनुसार चला रही हैं।

[अनुवाद]

आवास कार्यक्रम

567. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्रैश आवास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत झुग्गी-झोपड़ीयों में रहने वालों को भी मकान उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). आवास राज्य का विषय होने के कारण अपनी प्राथमिकता तथा योजनागत संसाधनों व आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) जैसे राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली ऋण सहायता के अनुसार आवास नीतियां बनाने व चलाने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है।

राष्ट्रीय आवास नीति में दस वर्ष की अवधि में देश में मकानों की कमी को कम करने का निश्चय किया गया है इस प्रावधान के अनुसरण में देश में मकानों के अभाव को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अलग से राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं बनाने की अपेक्षा की गई है।

(ग) और (घ). शहरी क्षेत्रों में स्लमों तथा झुग्गी बस्तियों के बारे में राष्ट्रीय आवास नीति में उल्लिखित नीति यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारें यथास्थल सुधार स्लम सुधार और मकानों के प्रगामी विकास को बढ़ावा देंगी तथा जहां संभव होगा, मालिकाना हक देंगी और निर्धनतर परिवारों की जमीन तथा सेवाएं, तकनीकी सहायता किफायती प्रौद्योगिकी व सामग्री के बिक्री केन्द्र, कौशल सुधार के अवसर और उदार शर्तों पर आवास वित्त उपलब्ध कराकर विस्तार योग्य निर्माण और सुधार को भी बढ़ावा देंगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम.

568. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए दिल्ली हेतु वर्षवार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए वास्तव में कितनी धनराशि का वर्षवार उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया :

दिल्ली : दिल्ली के उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, केन्द्रीय, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिले।

हरियाणा : पानीपत, सोनीपत, रोहतक, रिवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद जिले।

उत्तर प्रदेश : मेरठ, गाजियाबाद और बुलंद शहर जिले।

राजस्थान : अलवर जिला।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों में साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली को कुल 420.27 लाख रु. की राशि दी गई।

वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित है :

अवधि	रु. लाख में
1993-94	58.88
1994-95	62.95
1995-96	298.44

चूंकि यह राशि संपूर्ण परियोजना के लिए संस्वीकृत की गई है अतः निधियों की वास्तविक उपयोगिता के विषय में जानकारी इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

[अनुवाद]

परीक्षा पद्धति में आमूल सुधार

569. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान परीक्षा पद्धति में आमूल सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए कतिपय कार्यात्मक उपायों को अपनाने का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्तुत सभी कार्यात्मक उपाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और देश के विभिन्न स्कूली शिक्षा बोर्डों को यह अनुरोध करते हुए परिचालित कर दिए गए हैं कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दें। इन परीक्षा सुधार के उपयों को कार्यान्वित करने की मौलिक जिम्मेदारी उन बोर्डों की है जिनसे स्कूली प्रणाली संबद्ध हैं।

उच्च शिक्षा प्रणाली में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंकों का विकास, ग्रेडिंग प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्रों को फिर से तैयार करना और परीक्षाओं के संचालन जैसे परीक्षा सुधार के कुछ विशिष्ट उपायों के कार्यान्वयन पर बल देता रहा है।

इन परीक्षा सुधारों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

कालीकट में भारतीय प्रबंध-संस्थान

570. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :**
श्री ई. अहमद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट और कोजीकोड में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित भारतीय प्रबंध संस्थान हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(घ) इन संस्थानों में कौन से पाठ्यक्रम और प्रभाग शुरू/शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). सरकार ने नौवीं योजना अवधि के अंत तक 43.11 करोड़ रु. की कुल लागत से कालीकट में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने का अनुमोदन किया है। संस्थान के लिए बजट आकलन 1996-97 में 1.00 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। भारत सरकार ने संस्थान को कार्यात्मक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(घ) प्रस्तावित संस्थान अनुसंधान और परामर्शक कार्यकलापों के अलावा स्नातकोत्तर कार्यक्रम, अल्पकालिक व मध्य कालिक कार्यक्रम और अध्येतावृत्ति कार्यक्रम भी चलाएगा।

प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक से सहायता

571. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 1995-96 के दौरान प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क करने का क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II के लिए 425 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने की सहमति प्रदान कर दी है। कार्यक्रम में छः वर्षों की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के लगभग 60 जिलों को शामिल किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना है।

अग्नि और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र

572. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पृथ्वी और अग्नि प्रक्षेपास्त्रों का विनिर्माण रोक दिया है और इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब अपने निर्णय को बदल दिया है और अग्नि तथा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों का विनिर्माण करने का निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम स्थगित नहीं किया गया है। धरती से धरती पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी" के प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और अनुवर्ती कार्रवाइयां प्रगति पर हैं। पुनः प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के तीन उड़ान परीक्षणों के साथ ही "अग्नि" परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। तथापि, "अग्नि" एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है।

(ग) सरकार के निर्णय में कोई संशोधन नहीं हुआ है। "पृथ्वी" और "अग्नि" कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की आपूर्ति

573. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी द्वारा पाकिस्तान को अमरीकी डालर 368 मिलियन के मूल्य के शस्त्रों की आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को दिए गए शस्त्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति सशर्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने "उत्तरी कोरिया से अत्यधिक विध्वंसक विस्फोटकों" की पाकिस्तान द्वारा खरीद को देखते हुए अमरीका से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति न करे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अमरीका की प्रतिक्रिया क्या है; और

(छ) भारत की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे का सामना करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अप्रैल, 1996 में हैंक ब्राउन संशोधन पारित होने के बाद अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को 368 मिलियन डालर मूल्य के वे सैनिक उपकरण देने का फैसला किया जिन्हें पाकिस्तान ने 1990 में प्रेसलर संशोधन प्रतिबन्ध लगने से पूर्व खरीदा था। बताया जाता है कि इन उपकरणों का वास्तविक अन्तरण अब शुरू हो गया है।

(ख) 368 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के सैनिक उपकरणों में निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं :—

— 77.4 मिलियन डालर के थल सेना पैकेज की मुख्य मदें इस प्रकार हैं-नाइट विजन उपकरण, होइटजर, रडार तथा राकेट,

— 191.8 मिलियन डालर के नौ सेना पैकेज में पी-3 सी विमान, हारपून प्रक्षेपास्त्र तथा प्रक्षेपास्त्र संघटक हैं; तथा

— 98.8 मिलियन डालर के वायु सेना पैकेज में इंजिन किटें, फालतू पुर्जे तथा सहायक उपकरण हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). इस्लामाबाद को हथियार पैकेज का अन्तरण करने के संबंध में अमरीकी निर्णय पर सरकार बार-बार भारत की चिंता जताती रही है। इस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के इस विगत रिकार्ड को रेखांकित किया जाता रहा है वह तीसरे देशों से नाभिकीय शस्त्र प्रौद्योगिकी, बैलिस्टिक प्रेक्षपास्त्र और उससे संबंधित सामग्री चोरी छिपे प्राप्त करता रहा है, अमरीका द्वारा सप्लाई किये गये शस्त्रों का भारत के विरुद्ध बार-बार इस्तेमाल करता रहा है एवं वह प्रत्यक्ष रूप से बराबर भारत में आतंकवाद का प्रयोजन कर रहा है। अमरीका का यह मानना है कि प्रेसलर संशोधन में एक बार छूट देकर पाकिस्तान को हथियार पैकेज की आपूर्ति करने का यह अभिप्राय अमरीका-पाकिस्तान सैन्य आपूर्ति संबंधों की बहाली नहीं है।

(छ) सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को जिन अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी उनमें कई सैन्य शक्तिवर्धक उपकरण तथा ऐसी नई मदें शामिल हैं जो इस क्षेत्र में वर्तमान सैन्य भंडारों का हिस्सा नहीं है और यह कि इनसे भारत की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले ऐसे प्रतिकूल प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृतसंकल्प है।

[अनुवाद]

रोजगारोन्मुखी योजना

574. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक के शहरी क्षेत्र में कोई रोजगारोन्मुखी योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कर्नाटक को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). श्रेणी-II शहरी समूहों (आबादी 50,000 से 1,00,000 के बीच) में शहरी गरीबों के उनके बुनियादी कारणों के निवारण हेतु नवम्बर, 1995 में प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक नई योजना शुरू की गई जिसमें शहरी गरीबों के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक बहु आयामी, दीर्घकालीन कार्यनीति व समग्र कस्बा अवधारणा अपनाई गई है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर श्रेणी- दो राज्यों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लाभ के लिए स्वरोजगारपरक लघु उद्यम स्थापना का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।

कार्यक्रम के तहत सविशिंग छोटे-मोटे कारोबार, निर्माण आदि से सम्बन्धित छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्ति हेतु सभी शहरी निर्धन (11850 रु. से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले) जो 9वीं या उससे कम कक्षा तक पढ़े हैं, कर्ज लेने के पात्र हैं। अधिकतम यूनिट

लागत 1,00,000 रु. है और अधिकतम सब्सीडी प्रोजेक्ट लागत की 15% तक की सीमा शर्त के साथ अधिकतम रु. 7,500 रु. तक अनुमेय है। लाभार्थी को सीमांत धन के रूप में परियोजना लागत का 5% अंशदान देना होगा।

(ग) और (घ). प्रधान मंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में कर्नाटक सरकार को 634.59 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है जिसमें से 179.23 लाख रुपये की धनराशि स्वरोजगार सृजित करने के लिए है। वर्ष 1996-97 के लिए कर्नाटक में कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में 560.52 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी है।

[हिन्दी]

"हुडको" द्वारा दिया गया ऋण

575. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनको गत तीन वर्षों के दौरान "हुडको" द्वारा ऋण मुहैया कराया गया; और

(ख) किन-किन राज्यों ने ऋण की किश्तों का समय पर भुगतान किया तथा ऋण की अब तक वसूल की गई और बकाया धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) हुडको द्वारा देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण और अवस्थापना सम्बन्धी विकास हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय आवास एवं नगर विकास अभिकरणों जैसे आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, नगर/कस्बा सुधार ट्रस्ट, स्लम क्लियरेंस बोर्डों नगर निगमों/समितियों सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को ऋण सहायता दी गई है। हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों यथा 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान रिलीज की गई ऋण सहायता की राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	रिलीज की गई ऋण राशि (रु. करोड़ में)
1993-94	1003.50
1994-95	1121.49
1995-96	1241.80

राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान हुडको को सीधे ही किया जाता है। राज्य-वार स्वीकृत ऋण, रिलीज की राशि, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा 31.3.96 तक बकाया राशि से संबंधित ब्यौरा संलग्न-II में दिया गया है।

विवरण-I

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शसित प्रदेश	रिलीज की गई ऋण राशि		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	111.97	80.56	82.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.58	-	-
3.	असम	20.99	22.63	20.04
4.	बिहार	15.32	3.94	15.46
5.	गोवा	0.00	-	1.95
6.	गुजरात	59.99	41.39	35.44
7.	हिमाचल प्रदेश	7.15	6.09	20.43
8.	हरियाणा	21.59	20.98	18.37
9.	जम्मू व कश्मीर	1.50	6.59	5.44
10.	केरल	70.85	134.43	144.31
11.	कर्नाटक	79.27	158.54	222.76
12.	मेघालय	8.63	0.62	4.06
13.	महाराष्ट्र	84.60	85.91	91.62
14.	मणिपुर	6.63	3.73	3.35
15.	मध्य प्रदेश	40.45	35.06	29.21
16.	मिजोरम	0.25	2.18	3.35
17.	नागालैंड	6.20	7.21	2.18
18.	उड़ीसा	50.87	54.98	24.96
19.	पंजाब	47.18	64.88	35.61
20.	राजस्थान	59.41	63.72	66.59
21.	सिक्किम	10.68	4.44	12.82
22.	तमिलनाडु	152.24	184.44	196.16
23.	त्रिपुरा	0.39	1.18	0.30
24.	उत्तर प्रदेश	102.83	75.51	39.97
25.	पश्चिम बंगाल	36.54	58.03	43.86
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.19	-	0.57
27.	चण्डीगढ़	7.85	4.20	-
28.	दिल्ली	-	0.26	110.83
29.	दादर व नगर हवेली	-	-	-
30.	पांडिचेरी	0.01	-	-

विवरण-II

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वीकृत ऋण	रिलीज की गई राशि	प्राप्त पुनर्भुगतान	31.3.96 तक बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	966.81	664.35	269.86	349.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.96	0.57	0.00	0.57
3.	असम	200.84	110.38	17.20	93.18
4.	बिहार	221.84	96.91	48.20	48.71
5.	गोवा	15.68	3.16	3.92	0.00
6.	गुजरात	729.80	526.92	234.92	292.00
7.	हिमाचल प्रदेश	787.27	36.52	17.00	19.52
8.	हरियाणा	254.28	174.76	112.39	62.37
9.	जम्मू व कश्मीर	76.28	31.34	19.48	11.86
10.	केरल	1072.83	721.66	237.24	484.42
11.	कर्नाटक	1062.86	671.53	174.78	196.75
12.	मेघालय	38.17	11.35	1.54	9.81
13.	महाराष्ट्र	1053.56	741.64	411.57	330.07
14.	मणिपुर	39.96	21.02	4.05	16.97
15.	मध्य प्रदेश	481.82	316.87	142.16	174.71
16.	मिजोरम	20.09	13.25	1.64	11.61
17.	नागालैंड	35.51	26.86	4.11	22.75
18.	उड़ीसा	389.32	217.60	70.63	146.97
19.	पंजाब	410.38	269.96	87.35	182.61
20.	राजस्थान	822.90	458.41	249.59	208.82
21.	सिक्किम	40.35	30.17	4.48	25.69
22.	तमिलनाडु	1525.30	1112.20	376.36	735.84
23.	त्रिपुरा	12.52	5.48	0.70	4.78
24.	उत्तर प्रदेश	1614.43	1392.06	705.71	686.35
25.	पश्चिम बंगाल	425.53	204.14	61.72	142.42
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.21	2.18	0.93	1.25
27.	चण्डीगढ़	78.28	71.82	59.09	12.73
28.	दिल्ली	144.02	113.18	46.47	66.71
29.	दादरा व नगर हवेली	0.25	0.00	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	12.58	11.44	5.06	6.38

वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों में उपलब्ध कोयला

576. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों में उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों के कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी दरें कितनी-कितनी हैं;

(ग) कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कोयले को किस क्रम में वरीयता दी जाती है; और

(घ) इन विभिन्न श्रेणियों के कोयले की उपलब्धता के संबंध में स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के कोयले तथा उनकी वर्तमान बिक्री कीमत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोयले का ग्रेड	वर्तमान आर.ओ.एम. कोयले की बिक्री कीमत शुल्कों तथा करों सहित (रु. प्रति टन)
मध्यम कोककर	785.00
अकोककर	
"ए"	1016.00 (स्टीम)
"बी"	940.00
"सी"	855.00
"डी"	644.00
"ई"	486.00
"एफ"	405.00

(ग) विद्युत संयंत्र आमतौर पर निम्न ग्रेड के कोयले का उपभोग करते हैं, जो कि उनके वायलरों के ज्वलन प्रौद्योगिकी के उपयुक्त होते हैं।

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए कोयले के "डी", "ई" तथा "एफ" ग्रेड की प्रक्षिप्त उपलब्धता को नीचे दर्शाया गया है :-

ग्रेड	उत्पादन कार्यक्रम 1996-97 (मि. टन में)
"डी"	13.69
"ई"	4.54
"एफ"	1.15

मकानों का निर्माण

577. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मित मकानों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मकान किन-किन शहरों में बनाए गए हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) इन निर्मित मकानों के आबंटन की क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या किसी मंत्री/अधिकारी का कोई निश्चित "विवेकाधीन कोटा" है;

(घ) निर्मित मकानों में से अभी तक कितने मकान आवंटित किये जा चुके हैं और उनमें से कितने खाली पड़े हैं तथा आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन मकानों के निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या इन मकानों का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था अथवा स्वयं विभागीय स्तर पर किया गया; और

(च) इन मकानों को लेने के लिए पात्रता क्या थी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित सामान्य पूल नगर-वार आवास के ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं। इन तीन वर्षों में मकानों के निर्माण पर हुए कुल खर्च का अभी संकलन नहीं किया गया है।

(ख) क्रेन्द्र सरकार के पात्र कर्मचारियों से, सरकारी वास (सामान्य पूल) आबंटन नियमावली, 1963 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र कर्मचारियों की प्राथमिकता तिथि के क्रम में प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाती हैं तथा जैसे-जैसे मकान खाली होते हैं उन्हें तैयार प्रतीक्षा सूची के अनुसार आबंटित किया जाता है।

(ग) सेवा निगम-317 के तहत, सरकार, कारण लिपिबद्ध करके किसी अधिकारी या किसी वास या अधिकारी-वर्ग या वास श्रेणी प्रसंग में, नियमों के किसी मद से भी प्रावधानों में छूट दे सकती है नियमों में ऐसी छूट शहरी विकास विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से दी जाती है। साथ ही केबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के निजी स्टाफ को बिना बारी आवंटन पांच मकानों का कोटा निर्धारित है। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 585/94 में दिनांक 17.7.95 को दिये गये आन्तरिक निर्देशों के अनुसरण में, वास्तविक चिकित्सा आधार को छोड़कर, बिना-बारी वास आबंटन बंद कर दिये गये हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) मकान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा डिजाइन किये जाते हैं तथा उनका निर्माण निविदाएं आमंत्रित करने के बाद ठेकेदारों के जरिए कराया जाता है।

(च) सामान्य पूल रिहायशी वास के लिए विशेषता पात्र घोषित कार्यालयों में कार्यरत सभी केन्द्र सरकारी कर्मचारी सरकारी वास के लिये पात्र होते हैं।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	नगर	I	II	IIII	IV	V	VI	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1993-94	गाजियाबाद	-	-	-	24	8	-	32
		शिमला	-	-	80	16	-	-	96
		चण्डीगढ़	32	276	96	24	12	-	460
		श्रीनगर	30	-	-	-	6	-	36
		कानपुर	66	60	18	4	-	-	148
		इलाहाबाद	42	116	60	-	3	-	221
		नई बम्बई	150	300	270	-	-	-	720
		राजकोट	48	48	-	8	-	-	104
		कलकत्ता	64	160	432	48	-	-	704
		अगरतला	18	4	-	-	-	-	22
		हैदराबाद	-	16	16	-	-	-	32
		योग	450	1000	972	124	29	0	2575
2.	1994-95	चण्डीगढ़	80	-	48	-	-	-	128
		न्यू बम्बई	-	-	130	112	28	-	270
		दिल्ली	-	-	135	-	-	-	135
		गाजियाबाद	176	-	-	-	-	-	176
		राजकोट	-	-	36	-	-	-	36
		इलाहाबाद	-	40	-	-	-	-	40
		योग	256	40	349	112	28	0	785
3.	1995-96	फरीदाबाद	92	128	128	-	-	-	348
		नई दिल्ली (एम बी रोड)	-	-	-	112	-	-	112
		योग	92	128	128	112	-	-	460

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

ब्रह्मपुत्र बोर्ड (स्थायी समिति) नियम 1996

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ब्रह्मपुत्रबोर्ड अधिनियम 1996 की धारा 30 के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड (स्थायी समिति), 1996, जो 2 मार्च 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 112 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।...**(व्यवधान)**

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.87/96]

[अनुवाद]

केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 1996, आदि

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरमण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1996, जो 29 मार्च 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल.टी.88/96]

2. संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (विकास स्कन्ध) मुख्य अभियन्ता (परियोजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ) भर्ती नियम, 1995, जो 16 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 131 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.89/96] **(व्यवधान)**

नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्ष 1994-95 वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.90/96]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, धीमे चलिए। हमारे पास समय है, धीमे चलिये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, पेट्रोल, एल.पी. जी. और डीजल आदि की जो कीमतें सरकार द्वारा बढ़ाई गई हैं, उनके बारे में इस सदन में चर्चा चल रही है और आज भी यह चर्चा जारी रहने वाली है, यह आपको मालूम ही है। इस प्रकार से बजट से पूर्व कीमतें बढ़ानी चाहिए या नहीं, इस पर भी यहां चर्चा हुई। इस पर आपने और कोई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपके समक्ष औचित्य का सवाल उठाना चाहता हूं।

मद्रास में हमारे गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्रिमंडल के भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि एल.पी.जी. की प्राइस रिड्यूस होगी। इसका मतलब यह है कि इसके बारे में सदन के बाहर एक स्टेटमेंट दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष जी, कलकत्ता में प्रधान मंत्री जी गए। उन्होंने कहा—

"एल.पी.जी. के मूल्य घटाने की कोई योजना नहीं : गौडा ने कहा।"

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक, क्या हम समाचार पत्र के इस समाचार पर निर्भर कर सकते हैं?

श्री राम नाईक : जी हां...**(व्यवधान)**

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, हम इस सदन में समाचार पत्रों में छपे समाचारों पर निर्भर नहीं करते...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें। मैं आपको बाद में उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसके बारे में कौल एंड शकधर ने अपनी किताब के पृष्ठ 259 पर कहा है :—

[अनुवाद]

> "यदि सार्वजनिक हित के मामलों पर वक्तव्य पहले सदन में नहीं दिये जाते और सदन के बाहर दिये जाते हैं तो उसमें संसद के विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता। ऐसे कार्य परम्पराओं और औचित्य के विपरीत है परंतु उनसे विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता।"

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : महोदय, हम इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसलिए अध्यक्ष जी मैं यहां पर प्रोप्राटी का सवाल उपस्थित करना चाहता हूं...**(व्यवधान)** प्रधान मंत्री एक बात कहें, गृह मंत्री दूसरी बात कहें, यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को एडमानिश करना चाहिए। उनको सदन से क्षमा याचना करनी चाहिए क्योंकि जब यहां पर चर्चा चल रही है उस समय उन्होंने ऐसी स्टेटमैंट दी है इसलिए आपको उनको कहना चाहिए कि सदन की किसी तरह से अवमानना नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : मैं उस बात का पूरा समर्थन करता हूं जो श्री राम नाईक ने कही है। यह औचित्य का प्रश्न है और विशेषाधिकार का भी है। यह बहुत ही अनुचित वक्तव्य है विशेष रूप से जब संसद का सत्र चल रहा हो। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मुझे कुछ कहने का अवसर दें...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जी हां, मैंने औचित्य के इस प्रश्न को उठाने की सूचना पहले ही दे दी है। सत्र के पहले दिन भी औचित्य का प्रश्न उठाया गया था। अनुभवी सांसद, गृह मंत्री ने मद्रास में ऐसे विषय पर वक्तव्य दिया है जिस पर सदन में चर्चा हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं गृह मंत्री ने मद्रास के अपने पार्टी कार्यालय में समाचार पत्रों को दिये एक वक्तव्य देकर यह कहा है कि एल पी जी के भावों में कटौती की जायेगी और इस बारे में एक-दो दिन में निर्णय कर लिया जायेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस मूल्य वृद्धि का आम जनता पर भारी असर पड़ रहा है। निसन्देह मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं। उनको यह सभी वक्तव्य समाचार पत्रों को देने के सिवाए सदन में देने चाहिए थे। मैं इस पवित्र सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह सरकार भ्रांतियों का एक पुंज है। प्रधानमंत्री ने उस दिन से एक दिन पहले कहा था कि एल पी जी के भावों में कोई कमी नहीं की जायेगी। परंतु गृह मंत्री मद्रास में कुछ और कह रहे हैं। वित्त मंत्री यह कहते हैं कि मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई जा रही है। और विक्रय मूल्य बढ़ाने का निर्णय मंत्रीमंडल की बैठक में किया गया है। परंतु माननीय गृह मंत्री का यह कहना है कि इस मामले में उनके साथ कोई सलाह नहीं की गई, यह रिकार्ड की बात है। उन्होंने कहा कि "मेरे से सलाह मशविरा नहीं किया गया था।"

यह बात उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं तथा कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत के दौरान कही है। आज हमारी इस तरह की सरकार है। मैं विशेषरूप से गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अनौचित्य का काम किया है और उसके लिये उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिये। यह मिलाजुला कार्यकरण का तरीका नहीं है। सरकार के बीच एकरूपता नहीं है। प्रधान मंत्री के लिये भी ऐसे गृह मंत्री को हटाने का यह मौका है।...**(व्यवधान)**

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : महोदय हम सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं गृह मंत्री द्वारा मद्रास में दिये गए एक वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्तव्य में अनौचित्य कर उल्लेख किया गया है। साफतौर पर दो वक्तव्य दिये गये हैं। एक वक्तव्य गृहमंत्री का है और दूसरा प्रधान मंत्री का है। हम यह नहीं जानते कि कौर सा सच है। क्या एल पी जी की कीमत घटाई जा रही है या नहीं। सदन में इस समय इसी प्रश्न पर चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री को इसको तय करना है। प्रधान मंत्री को सदन के समक्ष आकर वक्तव्य देकर बताना चाहिये कि कौन सा वक्तव्य ठीक है। दूसरे व्यक्ति को सदन से माफी मांगनी चाहिये कि उसने गलत वक्तव्य दिया। मेरा इतना ही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम नाईक जी ने एक प्रोप्राइटी का सवाल उठाया है कि सरकार के गृह मंत्री ने सदन के बाहर एक वक्तव्य दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी इस देश के गृह मंत्री हैं और आज की तारीख में सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन भी हैं। यह बात अलग है कि जहां तक सरकार के अनुभव का सवाल है, श्रीमती कान्ति सिंह से भी कम अनुभव उनका सरकार का है। यह बात अलग है, लेकिन उन्होंने एक बात सदन के बाहर कही है तो इस पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह निर्णय उनका है कि सरकार में शामिल

होंगे या नहीं होंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने फैसला किया कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने फैसला किया कि सरकार में शामिल होंगे तो अब तो सरकार की जवाबदेही है, उसके अनुरूप उनको उसी हिसाब से चलना होगा और उसी हिसाब से वक्तव्य देने होंगे।

एक दूसरे वक्तव्य को लेकर के, सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई, उसी समय कांग्रेस के मैम्बर्स खड़े हो गये और उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि वह हमें समर्थन देने के लिए मजबूर है।...(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : वह हमारा अपना मामला है।

श्री नीतीश कुमार : यह बात सदन में उठाई गई है, मैंने उस समय आपको कहा था कि आप सदन का समय बर्बाद मत कीजिए। आपके भूतपूर्व मंत्री ने उस समय कहा था।...(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : यही सलाह मैंने भी दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : खत्म करिए।

श्री नीतीश कुमार : जब प्रश्न-काल शुरू हुआ तो मैंने उस समय कहा था कि यह आपका अन्दरूनी मामला है, आप सदन का समय जाया मत कीजिए। इसके बारे में बाहर फैसला कीजिए और बहुत ज्यादा एजीटेटिड हैं तो समर्थन वापस ले लीजिए, यह कर लीजिए। लेकिन अभी जो कुछ भी श्री राम नाईक जी ने कहा और उसके बाद श्री सुरेश कलमाडी जी ने कांग्रेस पक्ष की तरफ से कहा कि कम से कम गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी तरफ एक दूसरे सदस्य पाणिग्रही जी ने उठकर कह दिया कि मंत्री अपने वक्तव्य को वापस लें और जब दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि हां, ऐसे मंत्री से प्रधान मंत्री को मुक्ति ले लेनी चाहिए। और कहा कि यह सरकार बंडल ऑफ कन्फ्यूजन है तो क्या इस बंडल ऑफ कन्फ्यूजन के लिए यह जो बीच में बैठे हुए हैं, यह कम जवाबदेह हैं, इनकी जवाबदेही भी इस बंडल ऑफ कन्फ्यूजन के लिए उतनी ही है। अगर उस सरकार का कोई भी काम होता तो उसकी सारी जवाबदेही इनकी है। सदन का समय यह कम बर्बाद करें और राजनैतिक निर्णय सदन के बाहर लें और जो कुछ भी करना है, उसको दुनिया को बताकर साफ-साफ करें। सदन का इस्तेमाल एक प्रैशर टैक्टिक्स के लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए नहीं होना चाहिए कि सरकार को ब्लैकमेल किया जाये, भयादोहन किया जाये। आपकी सरकार के मामले में कोई बात है तो बाहर फैसला करिये। यह अधिकार हम लोगों को बनता है जो साफ विपक्ष में बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हैं, हम प्रोप्राइटी का सवाल उठा रहे हैं और यह दोनों बात नहीं चल सकती हैं। मैंने उस दिन भी कहा, यह कांग्रेस पार्टी के लोग सत्तारूढ़ पार्टी का आनन्द भी लेना चाहते हैं और विपक्ष की प्रैस्टीज भी रखना चाहते हैं, यह बातें ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एक बार आपको फैसला करना होगा कि या तो आप सरकार के साथ रहिये या विपक्ष के साथ रहिये, यह दोनों बातें नहीं चल सकती। इसलिए प्रोप्राइटी का जो सवाल है, इसको रिजर्व जरूर किया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी हम सब लोगों को सिखा सकते हैं और सिखाते रहे हैं। एक माननीय सदस्य के रूप में उनकी बात हम सब लोग गौर से सुनते रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, उम्र का असर है, सरकार के कम अनुभव का असर है या फिर उनके निजी विचार उभरकर सामने आ जाते हैं या अल्टीमेटली वही सरकार का विचार होने जा रहा है, मैं नहीं जानता हूं। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। वह बड़े ही वरिष्ठ सांसद हैं, देश के जाने-माने नेता हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में वह कुछ भी कहा, हम लोग भी जानना चाहेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, यह केवल औचित्य का ही प्रश्न नहीं है। यह उससे कुछ अधिक बात है। मामला इस सदन में उठाया गया था और मंत्रीमंडल ने मूल्य वृद्धि का औचित्य बताया। मंत्रीमंडल के एक उत्तरदायी सदस्य द्वारा सदन से बाहर जरूर एक अन्य प्रकार का वक्तव्य देना संयुक्त उत्तरदायित्व की जड़ों पर ही प्रहार करना है। अतः मैं समझता हूं कि यह एक तरह का संवैधानिक संकट है। मंत्रीमंडल अलग-अलग दिशाओं में चल रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिये। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। परंतु मैं यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री को स्वयं इस सदन में आकर वक्तव्य देना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इस सदन में कांग्रेस पार्टी के 140 सदस्यों का निरादर करते हुए वक्तव्य दिया है। हम इस सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं और जिम्मेदाराना फैसला करते हैं। मंत्री महोदय के लिये यह कहना उचित नहीं है कि कांग्रेस इस तरह का निर्णय इसलिये कर रही है कि उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। भारतीय साम्यवादी पार्टी इस तरह निर्णय करती परंतु कांग्रेस नहीं। यह निरादरपूर्ण है।

मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय इस वक्तव्य के लिय माफी मांगें। हम 140 सदस्य हैं और इस सदन के लिए निर्वाचित अन्य सदस्यों के समान जिम्मेदार सदस्य हैं। श्री इन्द्रजीत सदन से बाहर जाकर यह किस तरह कह सकते हैं कि हम इस सरकार का समर्थन केवल इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमारे सामने अन्य विकल्प हैं। हमने सोच समझकर यह निर्णय किया है...(व्यवधान)

मैं यह नहीं कह रहा कि उनको त्यागपत्र देना चाहिये। उनको कांग्रेस (आई) के 140 सदस्यों का निरादर करने के लिये इस सदन से माफी मांगनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कलमाडी जी आप बोलिये। क्या अब भी आप कुछ कहना चाहेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : भाजपा ने आपको समर्थन दिया था...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : गुप्त जी ने ठीक कहा है कि यह आपकी मजबूरी है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर राम नाईक जी ने प्रोप्राइटी का एक पक्ष आपके सामने रखा, मैं प्रोप्राइटी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सदन के अंदर इस मामले पर बहस हो रही है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग जो बहुत कम हैं इसको डिफेंड कर रहे हैं और बाकी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी का बयान आया कि हम दाम कम नहीं करेंगे और इंद्रजीत गुप्त जी का बयान है कि है कि कम करेंगे। यह विरोधाभास वाला एक पक्ष है। अगर प्रधान मंत्री जी ने अपना मन पहले से ही बना लिया है कि कीमतें कम नहीं की जायेंगी तो मैं समझता हूं कि यह सारे सदन का अपमान है जिसमें वे लोग भी शामिल हैं और ये लोग भी शामिल हैं। अगर पहले ही तय कर लिया है जो दो दिनों से हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, वह सदन का अपमान है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों सदन से माफी मांगे, अगर नहीं मांगते तो मैं कांग्रेस पार्टी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सारा सदन दोनों की निंदा का प्रस्ताव पास करे ताकि आने वाले समय में किसी को ऐसी बात कहने का मौका न मिले।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तर-पश्चिम) : महोदय, श्री राम नाईक ने इस सदन में औचित्य का प्रश्न उठाया है। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में अधिक चिंतित हूं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा अधूरी है। सरकार ने इस बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं बताया है क्योंकि प्रधान मंत्री ने अभी तक चर्चा का उत्तर नहीं दिया है।

इसी बीच गृह मंत्री मद्रास गये और वहां पर उन्होंने एल पी जी के बारे में एक वक्तव्य दिया। मैं उनके वक्तव्य का इस कारण स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने एल पी जी के मूल्य में कमी करने की बात की है।

उसी दिन इस देश के प्रधान मंत्री ने उसके विपरीत वक्तव्य दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने इससे इन्कार किया। उन्होंने कहा कि मूल्यों की एक बार घोषणा कर दिये जाने पर अब उन्हें बदला नहीं जायेगा। यह एक सरकार के दो चेहरे हैं।

आज महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं जबकि श्री गुप्ता सदन में उपस्थित हैं। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जो कुछ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा है क्योंकि उन दोनों के बीच कोई समझौता है। उस समझौते के अन्तर्गत वह कुछ भी कहने को स्वतन्त्र हैं...**(व्यवधान)** मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। भगवान के लिये जब श्री बाल ठाकरे यहां पर उपस्थित नहीं तो उनके बारे में कुछ मत कहें। यदि आप कुछ अन्य बात कहना चाहते हैं तो आप उसके लिये स्वतन्त्र हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : बाल ठाकरे के नाम नहीं ले सकते, इसमें बुरा क्या है? यह तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात कहना भी गलत है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। अच्छा बोलकर बुरा बोलते हैं। आदत से मजबूर हैं।

इस तरह यह जरूरी है कि या तो श्री इन्द्रजीत गुप्ता अपने वक्तव्य पर दृढ़ रहें या वह माफी मांगे, विशेषरूप से इस स्थिति में जब हम सदन में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये और प्रधान मंत्री को सदन में आकर यह स्पष्ट करना चाहिये कि दोनों के मध्य क्या मतभेद हैं। उनको श्री गुप्ता को त्यागपत्र देने को कहना चाहिये क्योंकि यह स्वयं उनकी सरकार की नीति के विरुद्ध है और विशेषरूप से उस स्थिति में जब नियम 193 के अधीन चर्चा चल रही हो ऐसे समय में इस सदन के बाहर उसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमारे संसद के सबसे अधिक आदरणीय सदस्य श्री इन्दजीत गुप्त अपनी चिंता स्वयं कर सकते हैं और वे खुद ही ऐसा करेंगे भी। मैं नहीं जानता कि क्या उनके विचार ठीक से छपे हैं या नहीं और उनके विचार क्या हैं। महोदय, इस बारे में औचित्य का प्रश्न उठाया गया है और श्री गुप्ता को बहुत सी सलाह दी गई हैं कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। वह देश के एक वरिष्ठतम आदरणीय नेता हैं। अतः संसद के एक अत्यन्त आदरणीय सदस्य को अनेक प्रकार के सुझाव, सलाह आदि दी जा रही हैं। वह सरकार में एक बहुत ही वरिष्ठ स्थिति में हैं।...**(व्यवधान)** मैं श्री नीतीश कुमार के दुख को समझता हूं। कोई भी उनके दुःख को समझ सकता है। वह भाजपा के साथ मिल कर जिस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिये। उनको अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे अनुसार इस अवस्था में इस सरकार को बचाये रखने का दायित्व हम इस संसद के सदस्य अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं। अतः महोदय, हम इस बारे में काफी चिंतित हैं कि उनकी जो भी दिक्कतें तथा समस्याएं हों उनको हल किया जाना चाहिये। हम सभी जानते हैं कि यह एक मिली जुली सरकार है और यह रुख अख्तियार करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि एक घृणित अपराध किया गया है और उसको लेकर इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य के बारे में अनेक विभूषणों का उपयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि यह स्वयं सदन का निरादर है...**(व्यवधान)**। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। यह प्रश्न

एक बहुत ही अलग रूप में उठाया गया था। अतः मेरा अनुरोध है कि महोदय सरकार और प्रधान मंत्री का मामला है। गृह मंत्री तथा अन्य मंत्री यहां पर हैं और मैंने पाया है कि वह वक्तव्य देने को इच्छुक थे। अतः इस मामले में इस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। यह मेरा विनम्र सुझाव है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, आरंभ में ही मैं अपने मित्र श्री नीतीश कुमार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि एक ऐसा समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी उसे भाजपा का बाहर से समर्थन प्राप्त था। इस तरह हमने उनके अनुभव से ही सीखा है। उन्होंने उपयुक्त समय पर अपना समर्थन वापस ले लिया। हम भी उपयुक्त समय पर ऐसे कदम पर विचार करेंगे। वह समय अब नहीं है।

आज हमारी स्थिति थोड़ी भिन्न है। श्री इन्द्र जीत गुप्त विपक्ष के एक उच्च कोटि के सदस्य थे परंतु गृह मंत्री के रूप में वह असफल हैं। वह देश में घुसपैठ के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक दिन वह कहते हैं "लोग आ-जा सकते हैं। इससे क्या अन्तर पड़ता है? यह घुसपैठ नहीं है। आज कई बातें हो रही हैं। हम उन सबकी तह में नहीं जाना चाहते। राष्ट्रीय प्रेस में हम पर आरोप लगाया गया है ...**(व्यवधान)** महोदय, कृपया मुझे कुछ समय दें, इस तरह मुझे बैठने के लिये मजबूर न करें। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एल पी जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसके बारे में सभी सदस्यों ने बोला है और अब बात उन पर है। ऐसा लगता है कि श्री सोमनाथ चटर्जी उनके लिये वक्तव्य लिख चुके हैं और वह उसे पढ़ेंगे। हम इस बात को स्वीकार करते हैं...**(व्यवधान)**

मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। जब आप बोल रहे थे तो मैं व्यवधान पैदा नहीं कर रहा था। मुझे इस सरकार के प्रति पूरी सहानुभूति है परंतु अशांति तो स्वयं उनके अपने घर में है। श्री तसलीमुद्दीन को त्यागपत्र देना पड़ा। एक अन्य मंत्री भी शीघ्र जाने जाले वाले हैं। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उन्होंने एक ऐसे मामले पर वक्तव्य दिया है जो न्यायालय में लम्बित है।

महोदय, वह देश के गृह मंत्री हैं। वह विपक्ष में नहीं हैं। वह सत्तापक्ष में हैं। जो मामला न्यायालय में लम्बित हो उसके बारे में वह इस तरह के निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है।...**(व्यवधान)** वह ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी। परंतु देश के किसी भी गृह मंत्री ने न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले के बारे में आज तक इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं।

दूसरे हमने इस सरकार को समर्थन दिया है और हम समर्थन देना जारी रखेंगे। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सत्ता पक्ष के बंधुआ मजदूर हैं। उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी पार्टी को किस तरह से चलायें। यदि वह चाहते हैं तो मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सभा से बहिर्गमन कर सकता हूं। फिर वह सरकार चलाते रहें। यह कहना बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना बात है कि 140 सदस्यों के सामने इस सरकार को समर्थन देने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं है। हमने उनके मामलों में दखल नहीं दिया है। वह जिस किसी को चाहें मंत्री बना सकते हैं। परंतु हमारे सामने कोई मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी हमारा विश्वास है और हमारा विश्वास यह है कि धर्मनिरपेक्षताकतों का इस देश में शासन होना चाहिये जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने ठीक ही कहा है कि कुछ दिक्कतें हैं।

महोदय, हमें विश्वास करना चाहिये कि यह आखिरी मौका है कि इस सरकार का कोई मंत्री इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहा है। मुझे विश्वास है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त, इस सदन के सदस्य के रूप में अपने लम्बे अनुभव के साथ इस सदन में उचित वक्तव्य देंगे ताकि हम अपने सदस्यों को समझा सकें और हमें ऐसे कोई निर्णय लेने को मजबूर न होना पड़े जो उनके लिये तथा उनकी सरकार के लिये अप्रिय हों...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, हम चुनाव चाहते हैं परंतु बेइज्जती नहीं चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से मामला तो औचित्य का था।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मैं श्री सन्तोष मोहन देव को बताना चाहता था।

श्री जसवन्त सिंह : मैं फिर से संसद की अवमानना के मामले को उठा रहा हूं। क्योंकि श्री सोमनाथ जी ने यह कहा है कि माननीय गृह मंत्री ने जो कहा है अथवा जो कुछ उनके द्वारा कहा गया बताया गया है उसके संदर्भ में संसद का अवमानना का प्रश्न उठाना वास्तव में अपने आप में संसद की अवमानना है।

महोदय, मेरे विचार से अपने जोश में वे कुछ ज्यादा ही बोल गये हैं। मुझे विश्वास है कि वे स्वयं इसको समझते हैं। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक और इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य की गंभीर निंदा की बात है, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो जरूरी नहीं है। मुझे याद है कि इसमें अभी बहुत समय नहीं व्यतीत हुआ जब इसी पार्टी ने किसी के घर के बाहर 2 पुलिस कर्मियों के खड़े होने जैसे एक छोटे से मामले को लेकर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। मुझे वह सभी बातें भी याद हैं...**(व्यवधान)** तत्कालीन प्रधान मंत्री को हरियांणा के 2 पुलिस कर्मियों के कारण अपना पद त्याग करना पड़ा था। श्री चन्द्र शेखर को हरियाणा के 2 पुलिस कर्मियों के कारण अपना पद त्यागना पड़ा था...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : कृपया ठीक शब्दों का प्रयोग करें। मुझे अपने पद से अपना हाथ नहीं धोना पड़ा था। आप शब्दों को तोड़ें मरोड़ें नहीं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अब कांग्रेस पार्टी क्या करे, क्या न करे। यह वार भी करना चाहती है और वार करके घाव भी नहीं पहुंचाना चाहती है, यह कांग्रेस की दुविधा आज की नहीं है। ये अभी यहां

उतना चिल्लायेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : हम अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के माननीय सदस्य मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही जी। आप सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री जसवन्त सिंह : मसला क्या है। मसला यह है कि कांग्रेस पार्टी में भीतरी भ्रांति, सरकार के बारे में इसकी भ्रांति, सरकार की भीतरी भ्रांति। हर एक को अलग रखने की जरूरत है। कांग्रेस की भ्रांति इसकी खुद की जिम्मेदारी है। सरकार की भ्रांति इस सदन की जिम्मेदारी है। यदि सरकार भ्रांति में है, भ्रांतिपूर्ण वक्तव्य जारी करती है तब निश्चित रूप से यह सदन भी उसमें अन्तर्ग्रस्त है।

इस मामले में एक वरिष्ठ सदस्य वास्तव में सदन के एक वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा एक नीतिगत वक्तव्य दिये जाने का समाचार है जब उस मामले पर सदन में चर्चा की जा रही थी और उस नीतिगत वक्तव्य का अगले ही दिन उनके प्रधान मंत्री ने प्रतिवाद कर दिया और कहा कि वह वक्तव्य ठीक नहीं था। इस प्रकार माननीय मंत्री ने पहली गलती की और दूसरी गलती प्रधान मंत्री ने की जो उन्होंने वक्तव्य का प्रतिवाद किया। यदि प्रधान मंत्री ने वक्तव्य न दिया होता तो मुझे प्रसन्नता हुई होती। इसी तरह यदि माननीय गृह मंत्री ने वक्तव्य न दिया होता तो मुझे इस बात से खुशी होती कि मन्त्री महोदय दोनों बातों को मानते हैं जो उनका पार्टी ने कहा है और जो मंत्रीमंडल ने कहा है। इस सरकार की भ्रांति की जड़ इसी में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उनकी बात है।

श्री जसवन्त सिंह : वास्तव में भ्रांति की जड़ यही बात है। यही तो अनौचित्य है। माननीय गृह मन्त्री को इस सदन को स्पष्टीकरण देना चाहिये। यदि वह खड़े होकर यह कह दें कि ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया था तो सारा मामला अपने आप खत्म हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : वे ऐसा किस तरह कह सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : वे ऐसा कहें। वे यह भी कहें कि उन्होंने कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है और कांग्रेस पार्टी जब और जिसे चाहे अपना प्रेसीडेन्ट चुने या न चुने। यह भी कहा जाये।

जब तक माननीय गृह मंत्री की स्थिति स्पष्ट न हो जाये, मुझे डर है कि हम यह निष्कर्ष निकालते रहेंगे कि औचित्य का उल्लंघन किया गया है और उस अनौचित्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें इस संबंध में सन्तुष्ट करना सरकार का दायित्व है।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें कही हैं। मैं पहले एल पी जी के मूल्यों के बारे में मद्रास के मेरे कथित वक्तव्य को लेता हूं। निश्चित रूप से मेरा वक्तव्य ठीक था-जिसे घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि ठीक नहीं था। उससे यहां बैठे बहुत से लोगों को खुशी हुई होती।

कुमारी ममता बनर्जी : हमें प्रसन्नता हुई होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निश्चित रूप से आपकी प्रसन्नता हुई होती। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि यह छपा हुआ वक्तव्य नहीं था। यह वक्तव्य संवाददाताओं के घेरे में आकर दिया गया था। आप जानते हैं कि संवाददाता किस तरह किसी को घेर कर सवाल जवाब करते हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि एल पी जी कीमतें कम की जायेंगी या कम की जा रही हैं। मैंने यह कहा था कि "इसे कम किया जा सकता है। सरकार इन मामलों पर विचार कर रही है।" मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब किसी विषय पर ससंद में चर्चा चल रही हो और यदि चर्चा न भी चल रही हो तो भी कोई नीतिगत वक्तव्य सदन के बाहर नहीं दिया जाना चाहिये। यह अनौचित्य है और इस सदन में मानी हुई बात भी है। इस का निर्णय आपके हाथ में है कि यह नीतिगत वक्तव्य था या नहीं। मैंने यह कहा था कि कीमतें घटायी जा सकती हैं क्योंकि मामले पर विचार किया जा रहा है। इस बात का फैसला करना आपके हाथ में है कि क्या इतना कहना भी अनौचित्य का प्रश्न है अथवा नहीं। बाद में प्रधान मंत्री ने जो आखिर में सरकार के प्रमुख हैं, उस बात का स्पष्ट रूप से प्रतिवाद कर दिया जो मेरे कथित वक्तव्य के कारण लोगों की धारणा बन रही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कोई कमी नहीं की जायेगी। यह स्वाभाविक है कि उनका वक्तव्य को मेरे द्वारा कही गई अथवा न कही गई बात से पूर्ववर्तिता हासिल है। वह सरकार के प्रमुख हैं। कोई भी मेरे ऊपर यह आरोप लगा सकता है कि मैं सरकार की नीति को समझ नहीं सका या मेरे मन में भ्रांति थी। मैं आलोचना के रूप में यह स्वीकार करने को तैयार हूं। परंतु मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि एल पी जी की कीमतें घटाये जाने का मामला विचाराधीन है। प्रधान मंत्री ने बाद में स्पष्टीकरण कर कह दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और मूल्य घटाये नहीं जायेंगे। अन्तर्विरोधों से जुड़ी सरकार की जब तक बात है यह सदन तथा बाहर के लोग स्वयं देख सकते हैं। मैं उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता जो पहले घटित होती थीं।

इसके अतिरिक्त दो अन्य बातें हैं। पहली बात यह है कि मेरे ऊपर यह आरोप है कि मैंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो न्यायालय के निर्णय की पूर्व कल्पना है। और ऐसे समय कहीं है जब मामला न्यायालय के विचाराधीन है। श्री देव ने कहा है कि मुझे उस मामले में जो अभी न्यायालय के सामने है निष्कर्ष निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार करता हूं कि

मैंने इस तरह के निष्कर्ष निकाल कर यह नहीं कहा है कि न्यायालय का निर्णय ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। यदि आप आधा दर्जन समाचारपत्र देखें तो मुझे विश्वास है कि उनमें आप मेरे वक्तव्य के बारे में आधा दर्जन अलग-अलग बातें पायेंगे। हर समचार पत्र में अलग-अलग बात होती है। यहां तक कि एल पी जी के बारे में भी हर समाचार पत्र में एक ही बात नहीं छपी थी। इस देश के लोगों के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं यह कहूं कि एल पी जी की कीमतें कम की जा रही हैं तो निश्चित रूप से इस वक्तव्य को सभी समाचारपत्रों ने प्रमुख स्थान दिया होता। परंतु ऐसा नहीं था। आप स्वयं देखें।

जहां तक मामले की न्यायालय के विचाराधीन होने की बात है मैं साफ तौर पर इससे इन्कार करता हूं कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ कहा है जिसके लिये यह कहा जाये कि मैंने न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करके कहा कि न्यायालय का यह निर्णय होगा। मैं ऐसा किस तरह कह सकता हूं। मुझे नहीं पता कि न्यायालय में क्या हो रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि...

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : आप हमें केवल यह बतायें कि आपने क्या कहा था। आप यह कह रहे हैं कि अलग-अलग बातें प्रकाशित हुई हैं। आप हमें बतायें कि वास्तविक बात क्या है। आपने वास्तव में क्या कहा था?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने न्यायालय की कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं कहा था।

जस्टिस गुमान मल लोढा : आपने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की बात की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी गृह मंत्री को उत्तर देने दें।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मैं तो केवल कह रहा हूं कि क्या उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की बात की थी ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं तो केवल उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक कहा है और कहना चाहिये था। इस देश के लोग उनको इस बारे में बधाई देना चाहते हैं।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, जो सदस्य औचित्य की बात कर रहे हैं वह इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या सदन की यही गरिमा है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, यदि माननीय सदस्य किसी वक्तव्य का खंडन करता है तो उस पर यहां विचार नहीं किया जाता है। वह न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि उनका वक्तव्य वास्तव में क्या था।

श्री सन्तोष मोहन देव : दुर्भाग्य से वह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, सेवारत न्यायाधीश नहीं हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इसी कारण मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।...**(व्यवधान)** उन्होंने नैतिक अधिकार की बात की है। वह स्तर जो हम सार्वजनिक जीवन में चाहते हैं...**(व्यवधान)** जिस व्यक्ति पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, कृपया बैठ जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस सदन के भीतर एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकता।

जहां तक तीसरे मुद्दे की बात है मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि उनमें मेरे बहुत से मित्र हैं हालांकि आजकल वे मुझसे बात नहीं करते हैं वे अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे समय में जब वे लोग चिन्तित हैं, कोई न कोई मेरे साथ बात करेगा। खैर, किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं की है। मुझे अपने अन्य मित्रों से समाचार मिले हैं। मैं कांग्रेस के अपने सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी उनकी पार्टी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा या मंशा नहीं है। यदि मेरे कथित वक्तव्य के कारण इस तरह की कोई धारणा बनी है तो मुझे उसका दुख है। ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैं आपके आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : इतना काफी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक मिनट की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिए। जब मैं कहता हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने हमारी सरकार के बारे में एक विशेष रुख अख्तियार किया है तो आपने ऐसा एक मजबूरी के तहत किया है। मैं अभी भी इस बात पर दृढ़ हूं।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : यह वचनबद्धता के कारण था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस वचनबद्धता कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि सभी 140 सदस्यों की एक ही वचनबद्धता है। मैं कहता हूं "आपकी मजबूरी थी" क्योंकि आपके नेता भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इसी सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान साफ तौर पर दो बातें कहीं थी। यह मजबूरी है। यह सार्वजनिक वचनबद्धता है जिससे आप पीछे नहीं हट सकते।

एक यह है कि वे कभी भी भाजपा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे और दूसरी यह है कि यदि धर्म निरपेक्ष ताकतों की सरकार का गठन किया जाता है तो उस सरकार का समर्थन किया जायेगा। यह मजबूरी है। यही सार्वजनिक वचनबद्धता है।...**(व्यवधान)** नहीं आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : गृह मंत्री महोदय यह मजबूरी नहीं हैं। यह हमारा विश्वास है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, जहां तक मेरा संबंध है जब श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे व्यक्ति ने अफसोस जाहिर कर दिया तो हम सारे मामले को भूल गये थे और अब वह अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। उनसे आगे किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं है। मामला समाप्त हो गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे व्यक्ति के द्वारा अफसोस जाहिर करना पर्याप्त है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप भी अफसोस जाहिर करेंगे। खैर मैं नहीं चाहता कि मेरे बीच तथा कांग्रेस के मेरे मित्रों के बीच कोई गलत धारणाएं बनी रहे। कांग्रेस में मेरे अनेक मित्र हैं और मैं एक बार फिर से उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई बात कहने की कभी कोई इच्छा या मंशा नहीं थी जिससे लगे कि मैं उनकी पार्टी के आन्तरिक मलों में हस्तक्षेप कर रहा हूं। यदि इस तरह की कोई धारणा पैदा हुई है तो मुझे उसका अफसोस है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम माननीय मंत्री द्वारा दिखाई गई भावनाओं की सराहना करते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, हम प्रधानमंत्री की बात को भी सुनना चाहते हैं।...**(व्यवधान)** गृह मंत्री ने कहा है कि यह प्रधान मंत्री के हाथ में है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बोलने दे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, प्राईस का मामला है। पंजाब में किसान लोग सड़कों पर आ गये हैं... **(व्यवधान)**... लोग सड़को पर आ गये हैं। हमें इस इम्पोर्टेंट क्वश्चन पर बोलने दीजिये...**(व्यवधान)**... आप हमें बोलने दें। मैंने इस बारे में नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले इस मसले का हल करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मसले को निपटाया नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय कैसे दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बरनाला जी, मुझे औचित्य के प्रश्न पर अपने विचार बताने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी इस मामले को निपटाया नहीं है। क्या आप मुझे उसे निपटाने की अनुमति देंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें?

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, 300 एम.पी. नये चुनकर आये है। हम लोगों के लिये रहने का कोई इन्तजाम नहीं है। हमारे एक-एक कमरे में 50-50 आदमी रह रहे हैं। हम आपका प्रोटैक्शन चाहते हैं। अभी तक हाउस कमेटी ने हम लोगों के रहने के लिये कोई मकान अलॉट नहीं किया है। यहां पर हाउस कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं और डिप्टी लीडर भी बैठे हुये हैं...**(व्यवधान)**... हम लोगों के रहने के लिये कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। हमें जहां कमरा मिला हुआ है, वहां पर 300 आदमी रह रहे हैं। हमारा निवेदन है कि आप हमारी इस मामले में मदद करें।

अध्यक्ष महोदय : अभी जो प्रोप्रायटी का सवाल उठाया गया, वह मैटर अभी चल रहा है, उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों, अभी कुछ दिन पहले हमने औचित्य के प्रश्न पर चर्चा पर काफी समय लगाया था। आज यह मामला फिर से उठाया गया है। सदन के विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या सदन के बाहर वक्तव्य देना सरकार के लिय उचित था। इस पर हमने गृह मंत्री को सुना है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को यह कहने का अधिकार था कि सरकार इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि चर्चा के अंत पर सरकार को स्पष्ट उत्तर देना होता है और स्वाभाविक रूप से सरकार ऐसा करने से पहले निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। श्री इन्द्रजीत गुप्त इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने स्वयं यह कहा था कि उनको औचित्य के प्रश्न के बारे में बात की जानकारी है कि किसी को भी सदन के बाहर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मेरे विचार से हम गृह मंत्री की बात को स्वीकार कर सकते हैं। इसमें औचित्य के हनन का कोई प्रश्न नहीं है।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं अर्थात् प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्ट एवं कथित वक्तव्य। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्होंने वह वक्तव्य दिया था। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

ससंदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : इस प्रश्न पर मुझे स्थिति सप्ष्ट करने की अनुमति दी जाये। यदि आप समाचार पत्र भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपने कलकत्ता प्रवास में प्रधान मंत्री किसी संवादाता से नहीं मिले थे। उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया है। केवल कुछ लोग उनसे मिले थे और उन्होंने कुछ

कहा जिसका यह अर्थ निकाला जा रहा है कि यह प्रधान मंत्री का वक्तव्य है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सन्तोष मोहन देव : इसका कोई आफिसियल कंट्राडिक्शन किया है?

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जैना : उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि सदन को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें औचित्य हनन का कोई प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर-दक्षिण) : मैनें शुक्रवार को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में विशेषाधिकार उल्लघंन के बारे में एक सूचना दी है। नियमों के अनुसार उसे अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

महोदय, 12 तारीख को हस्तक्षेप के दौरान...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के बारे में सूचना आन्दोलन को प्राप्त हो गई है। मैं उस पर विचार कर रहा हूं। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जिसके विरुद्ध अपने विशेषाधिकार उल्लघंन की सूचना दी है उससे उस पर टिप्पणियां मांगी जाती हैं। यह अध्यक्षपीठ के विचारधीन है। आपको इसे इस समय यहां पर उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना है।

श्री अनन्त कुमार : महोदय यह कावेरी के सबंध में है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। नियम पुस्तक के अनुसार भी इसे अन्य मामलों पर पूर्ववर्तिता मिलनी चाहिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इस समय मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार : महोदय मुझे बोलने का अवसर दें।

12 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री ने इस सदन में कहा था "आपकी अनुमति से मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले भारत सरकार ने ली भी किसी राज्य को तमिलनाडु के लिये 5 टी.एम.सी. पानी छोड़ने के ओदश नहीं दिये थें। परन्तु 11 तारीख को बंगलौर में विधान सभा में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि बोम्मई ने पानी छोडने की सलाह दी थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कर्नाटक राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से तमिलनाडु को 5 टी.एम. सी. पानी छोड़ने के लिये सलाह दी थी। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा "मुख्य मंत्री, श्री जे. एच. पटेल ने गुरूवार को राज्य सरकार से मगंलवार की शाम से तमिलनाडु के लिए 5 टीएमसी पानी छोडने के अचानक किये गये निर्णय के रहस्य से पर्दा हटाया।"

जब विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उस व्यक्ति का नाम बताये जाने पर जोर दिया तो श्री पटेल ने कहा कि वह केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री, श्री बोम्मई हैं, जिन्होंने उनकों तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने का अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि यह नोटिस अभी मेरे विचाराधीन है। इतना कहना काफी है।

श्री अनन्त कुमार : मेरा आपसे अनुरोध है कि मामले पर विचार करें। इसका कारण यह है कि इस बारे में दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री के सदन को यह कहकर कि उनकी सरकार की ओर से किसी ने भी 5 टीएमसी पानी छोडने का आदेश अथवा सलाह नहीं दी सदन को गुमराह किया है। दूसरी ओर मुख्य मंत्री ने कहा है कि श्री बोम्मई ने उनसे तमिलनाडु के लिये पानी छोडने को कहा था।

अतः मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लघंन के मामले पर विचार करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, प्रत्येक सदस्य को कुछ मामलों पर बोलने का अधिकार है। परन्तु यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब कभी मैं जब भी कोई मामला उठाती हूं उन अवसरों पर हमेशा अन्य सदस्यों द्वारा बाधाएं डाली जाती हैं।

मैं एक बहत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रही हूं और मेरा विचार है कि सारा सदन मुझे समर्थन देगा। हमारे संविधान का मूल सिद्धांत हर नागरिक के मौलिक अधिकारों को संरक्षण देना है। महोदय पिछले कुछ समय में पुलिस और न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। मैं इन नृशंसताओं के कुछ फोटो आप को दिखा सकती हूं। यह प्रशासन के एक वर्ग का प्रतिशोधात्मक रूख है। महोदय, यह फोटो दिखाता है कि किस तरह एक बच्चे को पुलिस हिरासत में जला दिया गया। यदि इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो मैं नहीं समझती कि किस तरह मानव अधिकारों को संरक्षण मिलेगा।

हमारे सविधान के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और कानून अपने रास्ते पर चलता है...(व्यवधान) यह किसी विशेष राज्य का मामला नहीं है। मैं यह मामला इस कारण उठा रही हूं क्योंकि यह सारे राष्ट्र का मामला है। महोदय मैने यह मामला पहले भी उठाया था जब माननीय श्री शिवराज पाटिल इस पद पर थे। उस समय गृह कार्य संबंधी समिति ने सर्व सम्मिति से दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन को मंजूरी दी थी। श्री राम विलास पासवान भी उस समिति के सदस्य थे। उस समिति की सिफारिशें इस प्रकार थीः-

(एक) 24 घंटे के भीतर न्यायिक जांच हो; और

(दो) हिरासत में होने वाली मौत के मामले में प्रभावित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 1500 रु. प्रतिमास की राशि अदा की जाये या किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाये।

तत्कालीन, अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने कहा था कि सरकार को इस मामले को देखना चाहिये।

क्या आपके माध्यम से मैं आपसे यह अनुरोध करूं कि आम आदमी के जीवन को बचाए क्योंकि लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं हैं। जनता अब पुलिस थानों में जाने से डरती है। बिहार में आरा में क्या हुआ? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? तिहाड़ जेल में क्या हुआ? यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी मेरे विचार से आपने सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मै इस मामले में कुमारी ममता बनर्जी का समर्थन करता हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं प्रधान मंत्री का, गृह मन्त्री का, संसदीय कार्य मंत्री का, और श्री राम विलास पासवान का ध्यान आकर्षित करके कहना चाहती हूं कि जो विधेयक इस संबंध में सदन के समक्ष लम्बित है उसे तत्काल पारित किया जाये ताकि आहत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को कुछ राहत मिल सके।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के लाग आज घर से बाहर निकल कर, दुकानों को छोड़कर, सड़कों पर बैठे हैं। उनमें भारी रोष है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मूल्य वृद्धि को लेकर। उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पंजाब में हुआ है। क्योंकि पंजाब के लोगों के पास सारे देश के एक-तिहाई ट्रैक्टर हैं ओर नौ लाख के करीब ट्यूबवैल हैं, जो डीजल से चलते है। इसलिए डीजल के मूल्य मे जो वृद्धि हुई है उसके कारण सबसे ज्यादा बोझ पंजाब के लोगों पर पड़ा है। इसलिए सारे पंजाब में, सिवाय कांग्रेस और जनता दल के, सारी पार्टियों के लोग आज डिप्टी कमिश्नर के समाने धरने पर बैठे हैं। मुझे अफसोस है कि इस सरकार के मंत्रीगण तो कंफ्युज हैं ही, परंतु इन्होंने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, जिनका हम बड़ा आदर करते हैं, देश के गृह मंत्री का बयान भी आया जिससे हम खुश हो रहे थे। लेकिन मुझे फिर अफसोस हुआ कि उन्होनें उसे वापस ले लिया।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : पंजाब सारे देश का अन्नदाता है। आज वहां के लोग पैट्रोल की बढ़ी कीमत के कारण एजीटेटिड हैं, बंद हो रहा है...**(व्यवधान)** इस सरकार ने पहला तोहफा देश के किसानो को डीजल पैट्रोल के दाम बढ़ाकर दिया है जिसके कारण पंजाब में आज एजिटेशन हो रहे हैं...**(व्यवधान)** बंद हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपकी बात पूरी हो गई है। आप दूसरों को क्यों नहीं बोलने देती।

(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना हैं, मुझे अभी जानकारी मिली है कि आज सुबह 5 बजे उज्जैन में जब अनेक लोग महाकाल के दर्शनों के लिये जा रहे थे तो उनके दर्शन करने के दौरान वहां भगदड़ मच गई जिससे 48 लोगों की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई।

घटना इस तरह है कि जब प्रातःकाल वहां प्रतिदिन की तरह आरती होने वाली थी, वहां एक वी.आई.पी. गेट है, जिससे एक वरिष्ठ अधिकारी दर्शन करने के लिये आए। जैसे ही दर्शन करने के लिये वी.आई.पी. गेट खोला गया, चूंकि वहां पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण सारी की सारी भीड़ अन्दर चली गई। भीड़ के अंदर जाने के कारण अव्यवस्था फैल गई जिससे 48 लोग वही स्पॉट पर कुचल कर मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की घटना है, जहां सैंकड़ो लोग दर्शन के लिये प्रतिदिन जाते हैं।

इतनी दुखद घटना होने के बावजूद, अभी तक उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। पुलिस और प्रशासन की अव्यवस्था के कारण यह घटना घटी है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि दर्शन करने के लिए गए जिन परिवारो के लोग इस दुर्घटना में मारे गये हैं या जो घायल हुए है प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को उचित मुआवजा देकर सहायता दी जानी चाहियें इसके अलावा जो भी अधिकारी इस अव्यवस्था के लिए दोषी है, उनके खिलाफ भी उचित कार्यवाही होनी चाहिये, उनका निलम्बन करके घटना की जांच करानी चाहिए और दुर्घटना में प्रभावित लोगों को तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मेरी मांग है कि इस घटना के संबंध में सरकार की तरफ से यहां बयान आना चाहिये। ...**(व्यवधान)**

डा. राम विलास वेदान्ती (मछलीसहर) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीसहर में आजकल मानवी तेंदुए का भारी आतंक फैला हुआ है जो आए दिन बच्चों को उठाकर ले जाता है और अब तक वहा लगभग 25 बच्चों की जान ले चुका है। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार धरने और प्रदर्शन कर चुके हैं। अब तक तीन पुलिस की जीपें और तीन बसें जलाई जा चुकी हैं। तीन राइफले छीन ली गई हैं और एक रिवालवर गायब है। दो वायरलैस सैट छीने जा चुके हैं। अनेक लोग जेलों में बंद है। अभी परसों एक बंगलादेशी महिला के बच्चे को पकड़ते हुए सुजानगंज थाने के अंतर्गत राजापुर गांव में जो दुर्घटना हुई, उसमें चार वर्ष की एक कहार बच्ची को मानवी तेदुआ उठाकर ले गया जिसका बाद में चाकू से पेट काटा गया। वहां आये दिन तेंदुए के नाम पर बच्चों का अपहरण हो रहा है और उनकी जान ले ली जाती है।

मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराई जाए ताकि सही तथ्य सामने आ सकें और आतंकवादियों का पता चल सके। स्थानीय जनता के अनुसार कुछ लोग काला कपड़ा पहन कर, अपना मुंह बंद करके बच्चों को उठा ले जाते हैं और चाकू से उनका पेट चीर दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस बारे में कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यहां तक की घटना के बाद, पुलिस प्रशासन किसी सियार को मारकर, तेंदुए की घटना बताकर जनता को गुमराह कर रहा है जिस पर जनता का विश्वास नहीं हो रहा है। सांयकाल 7 बजे के बाद लोग घरों के बाहर नहीं निकलते हैं। मेरी मांग है कि इस समस्या का तुरन्त निराकरण खोजा जाए और सारा मामला सी.बी.आई को सौंपा जाना चाहिये। विगत 12 जून को इसी सदन में श्री डी.बी. राय ने भी इस प्रश्न को उठाया था। ...**(व्यवधान)**

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस बार अति-बारिश के कारण हमारे तमाम पहाड़ी इलाकों में लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और तमाम फसलें बर्बाद हो गई हैं। सेव की फसल के खेत ओलावृष्टि के कारण लगभग तबाह हो गए है जिससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

अपराह्न 1.00 बजे

मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को तार दिया है, पत्र भी लिखा है और कहा है कि हिमाचल विधान सभा ने जो 400 करोड़ रुपए पास किए हैं उससे भी अधिक मात्रा में पैसा दिया जाए ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, सांसद क्षेत्र विकास फंड से सांसदो को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपया दिया जाता है। हमारी बहुत सी योजनाएं लंबित है, जिसके बारे में हमारे पुराने सांसद मित्र कह चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि यह एक करोड़ रुपया कितने दिनों के अंदर डी.एम. के पास आ जाएगा?

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही गंभीर मसले की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि द्वीप में बालू या पत्थर नहीं उठा सकते हैं। इससे उधर का जो भी विकास कार्य होगा वह रूक जाएगा, क्योकि बालू व पत्थर लाने के लिए जहाज चाहिए। आप जानते हैं कि खाने-पीने के सामान के लिए जहाजरानी सेवा नहीं मिलती। जो आदिवासी लोग हैं, निकोबारी ट्राइबल्स हैं, जो समुद्र तट पर रहते हैं, उनका इस आदेश के कारण से विकास रुक जाएगा उनको पीने का पानी नहीं मिलेगा। इससे देश की जो सार्वभौमिकता है उसके ऊपर आघात होगा, देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो अन्यों को बैठे रहना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मैं सबको अवसर दे सकूं परंतु मैं क्या कर सकता हूं। मैं विवश हूं श्री भक्त, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप तो पीछे मुडकर भी नहीं देखते।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य बोल रहे है और अनेक सदस्य खड़े हैं। यह क्या तरीका है? ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : इसलिए मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसलिए अगर इसके बारे में तुरंत व्यवस्था न की गई तो वहां का जो जनसमुदाय है उसका भला नहीं होगा। मैं सरकारी पक्ष से और सभी पक्षों के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सुधारना पड़ेगा और वहां काम रोकने के लिए जो भी आदेश दिए गए हैं उनको वापस लेना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराहन 2 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराहन 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समितियों के लिये निर्वाचन

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं श्री एस. आर. बोम्मई की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

> "कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.06 बजे

2. पर्वोत्तर क्षेत्रीय इंदिरा गांधी स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद्

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3 (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3 (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.07 बजे

3. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की शासी परिषद निकाय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 15, विनियमों तथा उपविधियों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 15, विनियमों तथा उपविधियों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.08 1/2 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) विधेयक*

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय श्री एम. अरूणाचलम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अध्युपायों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमंन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अध्युपायों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-2, दिनांक 15.7.1996 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.10 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, श्री एम. अरूणाचलम की ओर से मैं भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.92/96]

अपराह्न 2.11 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर विधेयक*, 1996

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं श्री एम. अरूणाचलम की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य विनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य विनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-2, दिनांक 15.7.1996 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.12 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में विवरण

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : मैं श्री एम. अरुणाचलम की ओर से भवन ओर अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.93/96]

अपराह्न 2.12 1/2 बजे

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक* 1996

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती कान्ति सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-2, दिनांक 15.7.1996 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.13 बजे

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में विवरण

कोयला मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 94/96]

अपराह्न 2.13 $^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) एच.ई.सी., रांची को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उसे पुनरूज्जीवित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत एच.ई.सी. पूर्वा रांची में लगभग बीस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और यह मदर इण्डस्ट्रीज कहलाती है। यह कारखाना बन्द होने की स्थिति में आ गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इसे बी.एफ.आई.आर. से मुक्त किया जाए एवं आर्थिक सहायता दी जाए। इस कारखाने को बोकारो एवं अन्य स्थानों से कार्यादेश दिलाया जाए। कई वर्षों से कामगारों के वेतन पुररीखित (पे रिवीजन) नहीं हुआ है, उसे किया जाए एवं विस्थापित स्थानीय परिवार के लागों को नौकरी दी जाए और खाली पड़ी जमीन विस्थापित परिवार के लोगों को वापस की जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर वहां कर्मचारियों का आन्दोलन जारी है।

(दो) महाराष्ट्र सरकार की बांद्रा-वरली, नरीमन प्वांइट समुद्री मार्ग परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई की जनता की सुविधा के लिए महाराष्ट्र शासन ने बांद्रे-नरीमन पाइंट समुद्र मार्ग बनाने की योजना तैयार की है।

इस योजना से पेट्रोल-डीजल की कम से कम 45 करोड़ रुपयों की बचत होगी। यात्री 30 मिनट की जगह 12 मिनट में गंतव्य स्थान पर पहुच जाएंगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारी गिरावट होगी, रास्ता अधिक चौड़ा बनने के कारण बहुत सुविधा हो जायेगी।

यह योजना बांद्रा-वरली-नरीमन पाइंट समुद्र मार्ग बनाने की है। केन्द्र सरकार महाराष्ट्र शासन से लिखित रूप में वरली-नरीमन पाइंट की योजना का आश्वासन लेकर अतिशीघ्र बांद्रे-वरली समुद्र-मार्ग योजना बनाने की अनुमति प्रदान करें।

मेरा यह प्रस्ताव है कि इस योजना के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन का प्रयोजन किया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) कर्नाटक सरकार को अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से रोकने की आवश्यकता।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक राज्य और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच अलमट्टी बांध विवाद में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक सरकार ने अपनी और अधिक पानी जमा करने के विचार से बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय किया है जिससे आन्ध्र प्रदेश के आखिरी हिस्से पानी के अपने हिस्से से वंचित हो जायेंगे। कर्नाटक सरकार ने इस आपत्तियों की उपेक्षा कर दी है और बांध की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले को लागू करनै का निर्णय किया है। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कर्नाटक की इस सकंट के सर्वमान्य हल तक बांध में काम को जारी रखने से रोका जाये। कर्नाटक के द्वारा कृष्णा नदी के ऊपरी हिस्सों में अलमट्टी बांध के बनाये जाने के कारण वहां पर 227 टीएमसी पानी जमा हो जायेगा जबकि कर्नाटक का हिस्सा 160 टीएमसी है। यदि कर्नाटक सरकार ने बांध की ऊचांई बढ़ाने की अपनी योजना का काम जारी रखा तो उसकी भण्डारण क्षमता में 400 टी एम सी की वृद्धि हो जायेगी। इस स्थिति में आन्ध्र प्रदेश में पानी का बहाव काफी कम हो जायेगा जिसका आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा के पहले बांध, श्री सेलम में बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा और बड़े इलाके में सिचांई पर भी असर पड़ेगा।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में आपसी आधार पर मामला न निपटाये जाने तक बांध के निर्माण को जारी रखने से रोका जाये। अन्यथा इसके कारण आन्ध्र प्रदेश में भारी असन्तोष पैदा हो जायेगा।

[हिन्दी]

(चार) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता।

श्री नारायण अठावले (मुंबई उत्तर-मध्य) : गत 35 साल से महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रदेश में रहने वाले करीब बीस लाख मराठी

भाषा के लोग अपनी न्याय मांग के लिए लोकशाही मार्ग से अपनी आवाज उठा रहे हैं। न कर्नाटक शासन इनकी आवाज सुन रहा है और न ही महाराष्ट्र शासन उनके लिए कुछ कर रहा है। केन्द्रीय शासन भी इन देशवासियों को कुछ दिलासा नहीं दे रहा है। इस सीमा विवाद से सीमा प्रदेश में बार-बार संघर्ष उठ रहा है। भाषिक अल्पसंख्यकों के जो हक हैं, उन हकों से भी इन सीमा बंधुओं को दूर रखा गया है। करबंदी से भूख हड़ताल तक सभी लोकशाही मार्गों से अपना दुःख इन लोगो ने प्रकट किया है। इस प्रश्न के बारे में महाजन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के ऊपर, इस सभागृह में बहस होना जरूरी है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा के लोगों की परेशानियां को ध्यान में रखते हुए इस सीमा विवाद को शीघ्र ही हल किया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) पंजाब में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए निवारक उपाय करने की आवश्यकता।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान पंजाब एवं उसके पड़ौसी राज्यों में आने वाली विनाशकारी बाढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीन सालों से नियमित रूप से बाढ़ आने के कारण पंजाब राज्य में बड़ी संख्या में मकान गिर गये है और करोड़ो रु. मूल्य की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिये और बाढ़ों की आवृति को रोकने के लिये निवारक उपाय करने की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के साथ घघर नदीं पर बांध के निर्माण का मामला उठाये। सबसे पहले इससे बाढ़ रोकने में सहायता मिलेगी और दूसरे जमा किये पानी का सिंचाई के लिये उपयोग हो सकेगा।

(छह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में वनों की कटाई रोकने की आवश्यकता।

श्री सनत कुमार मंडल (जय नगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल का सुन्दरवन इलाका जो बंगाल की खाडी की सीमा पर है, किसी समय अपनी बाघ परियोजना तथा अभूतपूर्व वनस्पति और जीव जन्तुओं के लिये प्रसिद्ध था। परन्तु दुर्भाग्य से निर्वनीकरण के कारण आज इस क्षेत्र की स्थिति खराब हो गई है। सारी समस्या की जड़ में यह है कि टिम्बर के व्यापारी कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिल कर जो गरीबी से पिस रहे है और परिणामस्वरूप उनकी वन सम्पदा को पहुंचने वाले नुकसान से अनभिज्ञ हैं - चोरी छिपे पेड़ कटवा रहे हैं और ऊंचे भाव पर उनको बेचने के लिये अन्य स्थानों पर ले जा रहे हैं।

अब समय आ गया है कि केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय जो सुन्दरवन में बाघ परियोजना के लिये जिम्मेदार है और परिस्थितिकीय संरक्षण के लिये उसका अभिभावक है। आगे आए और इन गलत व्यापार व्यवहारों को रोके।

इसके अतिरिक्त महोदय, प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रही है। ज्वार भाटे के समय इसके द्वारा लाई गई रेत जमा हो जाती है और फैल जाती है तथा परिणामस्वरूप पेड़ों को नुकसान पहुचानी है। चूंकि इस क्षेत्र में बायो-स्फियर परिस्थितिकी के संरक्षण की जिममेदारी भी मंत्रालय पर है अतः समय आ गया है कि मंत्रालय कुछ विशेषज्ञों से सलाह करे और इस बात को रोकने के प्रयास करे कि इस रेत के कारण पेडों का गिरना रुके और इसका इस्तेमाल लाभदायक प्रयोजनो हेतु हो सके।

[हिन्दी]

(सात) बिहार के चतरा और गया के बीच रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता।

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, चतरा बिहार का अत्यंत पिछड़ा जिला है जो गया से करीब 80 कि.मी. दूर है। इस जिले के लोगों को रेलवे मार्ग के अभाव में गया तक आने जाने में परेशानी होती है। गया से चतरा तक रेल मार्ग बनाने की मांग काफी समय से स्थानीय लोग कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी सर्वेक्षण करवाया गया था परन्तु अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं इस जिले का जनप्रतिनिधि हूं। इस नाते क्षेत्रीय जनता ने मुझसे चतरा को यथाशीघ्र रेलमार्ग से जोड़ने की मांग की है। यह अत्यंत ही लोक महत्व का मामला है। इससे क्षेत्र के विकास का द्वार खुलेगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिला मुख्यालय चतरा को रेल से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।

अपराह्न 2.23 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बिहार में कालाज़ार से उत्पन्न स्थिति।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में कालाज़ार एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। यह रोग मरूमक्षिका

(सेंड फ्लाई वेक्टर) द्वारा फैलाया जाता है जो मुख्यतया गंगा पट्टी विशेषतौर से गंगा के उत्तर में देखी जाती है।

बिहार राज्य में कालाज़ार के कारण 1994 में सूचित की गई 379 मौतो और 1995 में सूचित की गई 259 मौतों के मुकाबले वर्तमान वर्ष में मई माह तक 196 मौतें होने की सूचना दी गई है। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि बिहार राज्य में 1993 से 1995 के अन्त तक कालाज़ार के रोगियों और मौतों की संख्या में कमी होने का पता चला है। तथापि, पिछले वर्ष जनवरी से मई, 1995 की अवधि की तुलना में इस वर्ष की इसी अवधि में रोगियों और मौतों दोनों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

कालाज़ार से हुई ये 196 मौतें और मई, 1996 के बीच हुई। सर्वाधिक प्रभावित जिले वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा हैं।

वर्ष 1996 के प्रथम छः महीनों में कालाजार के रोगियों की संख्या में वृद्धि का कारण विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार डी.डीटी. का छिड़काव न किया जाना तथा सभी जगह घर-घर जाकर रोग का पता न लगाया जाना और रोगियों का उपचार न किया जाना है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और रोग की रोकथाम करने और उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की होती है। तथापि, भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में बिहार सरकार को इस रोग की रोकथाम करने के लिए आवश्यक कीट नाशक और कालाजार रोधी औषधें प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को मूल्यांकन रिपोर्टों तथा प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है और स्थिति के अनुसार कार्यनीति तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यन्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर ही रहता है। इसमें कीटनाशकीय छिड़काव, रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उनका उपचार करने की प्रचलनात्मक लागतों को वहन करने के साथ-साथ स्टाफ पर होने वाले व्यय को वहन करना भी शामिल होता है।

मेरे मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 में बिहार सरकार को 99200 सोडियम स्टाबोग्लूकोनेट वायत (एस.एस.जी.) और 10000 वायल पेंटामिडीन की आपूर्ति की है जो कि कालाजार के उपचार के लिए आवश्यक औषधि है। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट के 50,000 वायल तथा पेंटामिडीन के 10,000 वायल और भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने दूरभाष तथा अपने पत्र में औषधियों की कोई कमी सूचित नहीं की है। इसके अतिरिक्त राज्य को छिड़काव कार्य के लिए डी.डी.टी. की आपूर्ति की गई है। हमारी सूचना के अनुसार राज्य में छिड़काव कार्य के लिए 1000 मीट्रिक टन डी.डी.टी. उपलब्ध हैं। राज्य सरकार से मांग होने पर और आपूर्ति की जाएगी। इस बारे में प्रतीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1994, 1995 और 1996 में बिहार सरकार पर बार-बार निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार डी.डी.टी. के छिड़काव करने के साथ-साथ हर घर आकर रोगियों का पता लगाने और उन्हें शीघ्र उपचार प्रदान करने की आवश्यकता के लिए जोर दिया गया है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी विभिन्न अवसरों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पटना और दिल्ली दोनों स्थानों पर बैठकें भी की गई। बिहार और पश्चिमी बंगाल में कालाजार के नियंत्रण से संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 28 मई, 1996 को एक विशेष दल का गठन किया गया। यद्यपि राज्य सरकार को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया था लेकिन, बिहार राज्य में इसे अगस्त, 1996 तक स्थगित करने के लिए कहा है।

9.7.1996 को बिहार से माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी मेरे कार्यालय में मुझे मिले और मुझसे यह अनुरोध किया कि प्रभावित जिलों में एक विशेषज्ञ दल भेजा जाये ताकि वह वहां की स्थिति पर मौके पर ही अपना परामर्श दे सके। मैंने बिहार के प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए तुरन्त राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से विशेषज्ञों के एक दल को आदेश दिया और साथ-साथ इस बात का भी आदेश दिया कि जो भी सहायता मांगी जाये, प्रदान की जाये। इन दलों को 11 तारीख को रवाना किया गया और वे राज्य सरकार से मिलकर कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक पूरी रिपोर्ट देने में थोड़ा समय चाहिए हम उनसे लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं उन्हें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने के लिए कहा गया है।

इस समय इस बात की आवश्यकता है कि बिहार सरकार छिड़काव कार्य शुरू करे और घर-घर जाकर रोगियों का पता लगाने और उनके उपचार की व्यवस्था करे। हमने अपने तकनीकी कर्मचारियों और विशेषज्ञ समिति की सेवाएं बिहार सरकार को उनकी सहायता के लिए प्रदान कर रखी हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महादेय, अभी मंत्री जी ने जिक्र किया कि मैंने इनसे मुलाकात की थी। महादेय, डी.डी.टी. का छिड़काव नहीं हुआ है, पिछले साल या इस साल जिस पैमाने पर होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। दूसरा मेरा कहना यह है कि इन्होंने यहां पर पेंटामिडीन का जिक्र किया है कि यह दवाई एवेलेबल है। लेकिन लोकल लेबल पर वहां पर डॉक्टर पंगीजॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बड़े पैमाने पर शार्टेज है। एक-एक वायल ब्लैक मार्केट में ढाई सौ, तीन सौ रुपए में बिक रहा है, जिसकी कीमत 10 रुपए होनी चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है कि वह दवाई इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह लाइफ सेविंग ड्रग है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वह दवा इस्तेमाल होने लायक है तो सरकार उसको मुहैया कराए और अगर वह दवा

इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए तो फिर वहां क्यों इस्तेमाल हो रही है। अगर वह लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसको सिर्फ दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर उस दवा की जरूरत कालाजार को रोकने के लिए है तो फिर उसको मुहैया कराएं और अगर जरूरत नहीं तो उसके लिए जरूरी कदम उठाकर उसे रोकने की कृपा करें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है यह सत्य से परे है और जिन उत्तर बिहार के जिलों की चर्चा हो रही है उनके अलावा भी मध्य बिहार के जिलों में भी काला-आजार का प्रकोप है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पटना जिले के अन्तर्गत वादुर गांव है जहां मैं खुद काला-आजार से मर गये लोगों के परिवारों से मिलने के लिए गया हूं। हमने देखा है कि काला-आजार से एक महीने के अंदर आठ-दस लोग मर गए हैं और कई लोग उससे अभी भी पीड़ित हैं। वहां पर दवा नहीं मिल रही हैं, डी.डी.टी. का छिड़काव नहीं हो रहा है। अब आपने यहां से कह दिया कि डी.डी. टी. भी पर्याप्त मात्रा में है। चिंता की कोई बात नहीं है। सही बात फातमी साहब ने बताई है। अगर दवा उपलब्ध है, डी.डी.टी. का छिड़काव हो रहा है तो रोग पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। आपने अभी अपने उत्तर में बताया कि प्रकोप घट रहा है लेकिन रोग पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? सरकारी आंकड़े जो नीचे से इकट्ठे किये जाते हैं उनका सच्चाई से वास्ता नहीं होता है। जो आंकड़े आपको मिल रहे हैं वैसी स्थिति नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है। लोग बड़ी संख्या में काला-आजार के शिकार हैं। यहां बैठे चाहे मंत्री हो या न हों सबको मालूम है कि उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है। सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के स्तर पर पैसे की कमी होती है। स्टाफ की कमी नहीं हो सकती है। स्टाफ को तो कोई काम नहीं रहता है और जो काम रहता भी है तो वे लोग करते नहीं हैं। स्टॉफ की कमी का, टैक्नीकल एक्सपर्टोज की कमी का रोना हम नहीं रोएंगे। लेकिन पैसे की कमी, डी.डी.टी. की कमी, दवा की कमी है, यह एक सच्चाई है। आप यहां से इसका इंतजाम क्यों नहीं कर सकते है? मैं मानता हूं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन सभी लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर आपके पास डी.डी.टी. है तो उसका इंतजाम आप करिये, उसको भेजिये। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में किसका क्या कर्तव्य है इसी पर बहस करते रहेंगे तो पीड़ित मानवता को राहत नही मिलेगी। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप खुद भी जाइये और वहां की स्थिति का जायजा लीजिए। अगर अखबार में छप जाएगा कि काला-आजार के मसले पर मंत्री जी लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं, और अगर आपको काला-आजार से पीड़ित लोगों से मिलने में डर नहीं होगा तो आपके सामने पीडित लोग हाजिर हो सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सरपराईज विजिट कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : वहां जाइये तो बताकर जाइये। स्टेट का मामला हैं, इसमें हम कैसे कहेंगे कि सरपराईज विजिट कीजिए। वहां जाकर स्थिति का जायजा ऑन-स्पॉट लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तब तो भगवान ही मालिक है हम लोगों को जहां तक जानकारी है स्थिति ठीक नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां से जो भी मदद संभव है वह वहां पहुंचाए जिससे पीड़ित लोगों का इलाज हो सके, काला-आजार को नियंत्रित किया जा सकें। जहां-जहां काला-आजार प्रोन एरियाज है वहां पर पहले से ही डी.डी.टी. का छिड़काव होगा तभी इसका फायदा है अन्यथा बीमारी फैलने पर डी.डी.टी. का पूरा असर नहीं होता है। इसलिए इसका छिड़काव पहले से ही शुरू करें। इसलिए दोनों स्तरों पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक हमें लगता है तो केन्द्र को इसके लिए अलग से मदद देनी चाहिए जैसे कि मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम चलता है उसी तरह से काला-आजार उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र सरकार चलाए और सौ प्रतिशत पैसे से सहायता करे। अगर ऐसा होता है तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, जिस संदर्भ में आपने अपनी पीठ से सरकार को निर्देश दिया था कि काला-आजार रोग के बारे में विशेष रूप से वक्तव्य जारी करें। काला-आजार रोग तो बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है। प्रतिवर्ष हजारों लोग इससे मौत के शिकार बन जाते हैं। लेकिन हर बार हमें यही वक्तव्य सुनने को मिलता है भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवाइयां बिहार सरकार को बड़ी मात्रा में भेजी जानी चाहिए थी वह नहीं भेजी गयी और यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। मुझे भी 5-7 साल हो गये इस सदन का सांसद बने और हर वर्ष मंत्री जी का एक सा वक्तव्य होता है या बाद में मंत्री जी का विशेष वक्तव्य आता है लेकिन उससे स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। बिहार जैसे राज्य में जहां काला-आजार से जारों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं वहां इसकी रोकथाम के समुचित प्रबंध क्यों नहीं किये जाते? जहां अन्य बीमारियों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बीमारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो काला-आजार जैसी मानवधाती बीमारी को रोकने के लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। बिहार सरकार को विशेष सहायता दी जानी चाहिए ताकि इस रोग को मलेरिया की भांति उन्मूलन हो सके और असमय ही निरीह लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। बिहार सरकार ने भी आपको लिखा है। वहां विशेषज्ञों की एक टीम भी गई थी। उसने कहा है कि प्रिकॉशन के लिए जो औषधियां अपेक्षित हैं, उनको सरकार अपने यहां से भेजने की व्यवस्था कराये, वहां उन दवाइयों का सही उपयोग हो रहा है तथा वह सही स्थान पर पहुंच रही है या नहीं इसको भी देखें। वहां के प्राइमरी हैल्थ सैंटर या उपस्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करने वाले जो चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा कर्मी हैं वह उनको ग्रामीण जनता तक पहुंचा रहे हैं या नहीं, इसकी भी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। यही मेरा आपके माध्यम से अनुरोध हैं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट सदन में दिया है, पिछले 2-3 साल की तुलना की

है कि कितने लोगों की मौत हुई, कम हुई या ज्यादा हुई। मैं छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आम तौर पर जहां यह बीमारी आ रही है हर साल उस रीजन में आती हैं बिहार में कभी कम एरिया इफैक्टिड होते है और कभी ज्यादा। बीमारी आने के बाद कह दिया जाता है कि मेडिसिन भेज दी गई और इतने लोग मर गए हैं और इतने लोग बच गए हैं। यह बात आ जाती है। मैं एक बात स्पैसिफिकली पूछना चाहता हूं कि इस बीमारी के फैलने से पहले इसको रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कोई कदम उठाया था और जो प्रिवेंटिव मैजर्स लिए जाने जरूरी थे, वे लिए और किसी कमेटी की रिपोर्ट आई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर साल बीमारी आने के बाद इतने लोग मर गए, इतने बच गए कह देने से युजफुल परपज सर्व नहीं होगा। अगर आप कहे कि पिछली बार 295 लोग मरे थे, इस बार 195 लोग मरे, एक भी आदमी की जान जाती है तो कुल मिलाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिए। आपने कहा कि बिहार सरकार को कुछ कदम उठाने के लिए कहा गया। मेरा इस सम्बन्ध में निवदेन है कि जो भी संबंधित मंत्री हैं, वह व्यक्तिगत लैबल पर बिहार सरकार से बात करें। इसमें प्रश्न सरकार की असफलता या केन्द्र या राज्य सरकार का नहीं है। प्रश्न हयूमन लाइफ बचाने का है। सरकार को युद्ध स्तर पर कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों की जानें बचायी जा सकें।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : हमें अखबारों के माध्यम से और सदन की कार्यवाही के माध्यम से सुचना प्राप्त हुई है कि वैशाली जिले में लगभग 70-75 लोगों की मृत्यु हुई है ऐसी सूचना अपने संसदीय क्षेत्र छपरा से भी प्राप्त हो रही है।

महोदय, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि काला-आजार का जब प्रकोप बढ़ता है तो सदन में चर्चा शुरू कर दी जाती है। निरन्तर यही कहा जाता है कि दवाइयां भेजी जा रही हैं, डी.डी.टी. का स्प्रे करवाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि निरन्तर काला-आजार के प्रकोप में वृद्धि हो रही है तो क्या शोध संस्थान या नैशनल इंस्टीट्यूट आफ इमयोनालोजी इसके बारे में विशेष रूप से छानबीन कर रहा है? इस रोग के संदर्भ क्या-क्या उपलब्धि हो पायी है? वैकसीन के निर्माण के बारे में आपके विभाग ने या नैशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्योनॉलोजी ने अनुसंधान किया है जिससे हम यह मान कर चलें कि 1-2 वर्षों के भीतर दवा या विदेशी इम्मूउन आ जाएगा। क्या सरकार इस दिशा में कार्यवाही कर रही है?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता) : उपाध्यक्ष महोदय, काला-आजार की बीमारी बिहार में पिछले 3-4 बरस के बढ़ रही है। हम इसे हर साल रेज करते हैं। वर्ल्ड हैलथ आर्गेनाइजेशन ने भी यह माना है कि काला-आजार, थैलेसीमिया एवं मैलिग्नैंट मलेरिया ईस्टर्न रीजन में, बिहार और बंगाल बार्डर में बहुत होता है। हाउस में कहा जाता है कि मेडिसिन जा रही है। यह कंटिन्यूइंग प्रौसैस होना चाहिए और प्रिकॉशनी मैजर्स लिए जाने चाहिए। मैं एक बात मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं। आप जो मेडिसिन भेजते हैं

[अनुवाद]

राज्य सरकार दवाओं का उपयोग उनके प्रभावी रहने की तारीख के समाप्त हो जाने के बाद कर रही है। यह गलत बात है। मेरे राज्य में पिछले साल तीन बच्चों की मृत्यु हो गई थी जिसका कारण यह है कि टीके की दवाओं का प्रभाव तब समाप्त हो चुका था। क्या मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूं कि इस मामले में कार्यवाही के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्पर्क किया जाये क्योंकि उनके द्वारा इस रोग के उन्मूलन के लिये बहुत से विकासशील देशों की सहायता की जा रही है।

[हिन्दी]

काला-आजार थैलेसिमिया और मैलिग्नैंट मलेरिया के लिए एक इंजेक्शन है जिस की कीमत 400 रुपए से ज्यादा है। ये पेंटामिडीन इंजेक्शन बच्चे को महीने में देना पड़ता है लेकिन इसका दाम 900 रुपये बढ़ गया है, अब यह कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इसकी लागत एक सौ रुपया है। मैं घातक मलेरिया की बात कर रही हूं।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसी बात नहीं हैं। मैं आपको थेलसेमिया के बारे में बता रही हूं। घातक मलेरिया एक अलग रोग है। मैं घातक मलेरिया के बारे में पहले बात कर चुकी हूं। अब मैं थेलसेमिया की बात कर रही हूं। बात यह है कि 'डेस्फेरिक' के एक टीके की जरूरत होती है। यदि कोई कर्मचारी 1000 रु. का मासिक वेतन पाता है तो उसे अपने बच्चे के लिए 900 रु. खर्च करने पड़ते हैं। प्रश्न यह है कि वह अपने बच्चे के टीकों के लिए 900 रु. का खर्चा कैसे करेगा? काला-आजार, घातक मलेरिया और थेलसेमिया गंभीर रोग हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करें, इसकी पुनरीक्षा करें और दवाओं की कीमतें कम करें ताकि निर्धन लोग दवा हासिल कर सकें। वह इस रोग विशेष के लिये निवारक दवा की आपूर्ति की भी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि निर्धनों को कष्ट सहन न करना पड़े।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्टेटमैंट अंडर रूल 372 या जिसमें क्वश्चन्स की इजाजत नहीं होती लेकिन मैटर सीरियस है, इसलिये मैंने पांच सम्माननीय सदस्यों को एज ए स्पेशल केस अलाऊ किया हैं अगर मंत्री जी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सीरियस बात है। यह बीमारी गरीब लोगों में इसलिये होती है कि वे जमीन पर सोते हैं। यह पैंटामिडीन इंजैक्शन बहुत कीमती है, उपलब्ध नहीं है, इसलिये इसकी व्यवस्था करायी जाये। तीसरी बात यह है कि जो डी.डी.टी. का छिड़काव हो रहा है, उसका प्रभाव समाप्त

हो गया है। जो शुरू में मच्छर होते थे, छिड़काव होने के बाद मर गये लेकिन उसके बाद से उसका प्रभाव खत्म हो गया है। मेरा निवेदन है कि इसपर शोध किया जाये या दूसरा कोई उपाय किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री जी कुछ कहना चाहते है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैंमबर्स की एंग्जायटी और परेशानी को खूब समझता हूं क्योंकि असलियत तो यह है कि यहां पर लोगों की मौते काला-जार से हो रही हैं और हमें ऐसे कदम उठाने चाहिये कि इसको रोकें। मैंने जैसा कहा था कुछ ने स्टेटमेंट को सही नहीं समझा ओर मैं आपके माध्यम से श्री नीतिश जी को बताना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि सिर्फ इस इलाके में हैं, मैंने यह बताया था कि वर्स्ट इफफैक्टेड एरियाज हैं जिन 4-5 जिलों के नाम लिये थे। मैंने यह नहीं कहा था कि इन मौतों की संख्या गिर रही है। इसकी संख्या दो साल गिरी थी मगर इस साल बढ़ रही है, इसलिये हम इस पर कदम उठा रहे हैं। मैं यहां से एक एक्सपर्ट कमेटी भेजने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस मामले में जल्द-से-जल्द काबू पाये। मेरो यह भी कहना है कि कुछ चीजें जो सैंटर करता है और कुछ स्टेट को भी करना पड़ता है। इस बीमारी के दो मुद्दे हैं। प्रीवेंटिव जो डी.डी.टी. के स्प्रे करके प्रीवेंट कर सकते हैं और इसका इलाज एस.एस.जी से और उसके बाद जो दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन हैं, पैंटामिडीन से कर सकते है। आनरेबल मैम्बर श्री फातमी जी यह बात सरकार के नोटिस में लाये हैं। मैंने इस सिलसिले में एक टीम वहां भेजी है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद में इस हाऊस को यकीन दिलाता हूं कि वॉर फुटिंग पर कदम उठायेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को पूरी तरह से प्रीवेंट किया जाये ताकि ज्यादा न फैले।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बहुत की दुखद घटनाओं का उल्लेख करना है। एक तो यह है कि उज्जैन के महा कालेश्वर मंदिर में...

उपाध्यक्ष महोदय : आज सवेरे इसका मेंशल हो गया है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यदि हो चुका है तो ठीक है। क्या सरकार का कोई वक्तव्य आया है?

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य तो कोई नहीं आया।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आए तो अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि उज्जैन और हरिद्वार दोनों घटनाओं में व्यवस्था की कमी थी। इसलिये सरकार को वक्तव्य देना चाहिये कि ऐसे मौकों पर जब बहुत सारे लोगों को इक्ट्ठा होना होता है तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती। यदि उज्जैन के बारे में कोई जानकारी हो तो स्टेटमेंट दिलवाये। हरिद्वार में 13 लोग मरे हैं। आज सोमवती अमावस्या का स्नान था। 13 लोग डूबकर मरे हैं, भीड़ में भगदड़ मचने से मरे हैं। जो व्यवस्था की जाती है वह ठीक से नहीं की गई। महाकालेश्वर में तो जो बांस लगाए गए थे, वे इतने कमजारे थे कि उन्ही बांसो से छिदकर लोग मर गए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे ताकि ऐसे जो अवसर हैं, धार्मिक अवसरों पर भारी संख्या में लोग जाते हैं और मर जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं रूकनी चाहिए और सरकार इस पर विस्तृत वक्तव्य दे।

उपाध्यक्ष महोदय : इन दोनों घटनाओं के बारे में सरकार कल बयान दे।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश आजकल राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है इसलिए हरिद्वार की घटना के लिए केन्द्रीय सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थानों पर जो व्यवस्था हुई है, उसकी पूरी जांच करें और यह दुर्घटना क्यों हुई है, इसकी पूरी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए और जिन दोषी अधिकारियों ने प्रबंध में ढील की है, उन पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी सदन को पूरी जानकारी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : मान्यवर, यह हरिद्वार और उज्जैन में बहुत दुखद घटना हुई है। इस संबंध में माननीय जोशी जी ने और अन्य सदस्यों ने जो सवाल उठाया है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को कहा जाएगा यह वास्तव में किसकी लापरवाही थी और क्यों यह दुर्घटना हुई है। जो मदद करने की आवश्यकता होगी, वह भी की जाएगी। उज्जैन के मामले में भी ऐसा किया जाएगा।

अपराह्न 2.46 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

बजट से पहले पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में भारी वृद्धि—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 193 के अधीन चर्चा फिर से आरंभ करेगी। श्री ई.अहमद अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाने के सरकार के निर्णय ने जनता के सामने अनेक दिक्कते तथा परेशानियां खड़ी कर दी हैं। मैं यहां पर लोगों की रोष भरी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं जिनको पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इस अभूतपूर्ण वृद्धि का सामना करना पड़ा है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री एच.डी. देव गौडा की अध्यक्षता में लोकप्रिय सरकार के पदासीन होते ही इस तरह का

अलोकप्रिय फैसला लेना पड़ा मेरे विचार से जिससे बचा जा सकता था। सरकार को इस 25 से 30 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का औचित्य बताना होगा कि यह किस तरह अपरिहार्य थी। सरकार इससे चालू साल के शेष 9 महीनों में 8000 करोड़ रु. के अतिरिक्त संसाधन जुटाने वाली है। उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि मिलाकर सरकार को पूरे साल के लिये 10,000 करोड़ रु. से अधिक की वसूली होने वाली है।

मुझे बहुत चिंता है क्योंकि इस मूल्य वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों मे भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। हमें पहले भी ऐसा अनुभव हुआ है। रसोई गैस के मूल्य पिछली बार जनवरी 1994 में बनाये गये थे। पेट्रोल तथा डीजल जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य फरवरी 1994 मे बढ़ाए गए थे। पिछली बार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढाये जाने से पहले तथा उसके बाद से देश में प्रवृत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखने से पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो गई थी।

महोदय, उदाहरण के रूप में मूल्य वृद्धि किये जाने से पहले जुलाई से दिस्म्बर के दौरान, जो मूल्य वृद्धि के पूर्व का समय है। उपभोक्ता पदार्थों में मूल्य वृद्धि के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूक्षकांक में 11 अंकों की वृद्धि हुई थी। परन्तु पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बाद अर्थात् रसोई गैस के लिये जनवरी 1994 में और पेट्रोल के लिये फरवरी में की गई वृद्धि के परिणाम स्वरूप पर भी और जुलाई के दौरान 16 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में इस समय की गई वृद्धि के कारण भी यही होगा। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भावी महीनों में जो वृद्धि होगी उससे आम आदमी पर निश्चित रूप से अतिरिक्त भार पडेगा।

महोदय इसी आधार पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पेट्रोलियम उत्पादों के भावों में 25 से 30 प्रतिशत की गई भारी मूल्य वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार करें।

महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में इस मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप कुछ ऐसी बाते हुई हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें तेल की खपत नियन्त्रित करने के लिये कुछ कदम उठाने की जरूरत है। परंतु दुर्भाग्य से हमारी खपत में हर साल वृद्धि हो रही है। यह भी देखा गया है कि 1994-95 के दौरान 655 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादो की खपत हुई जिसमें पिछले साल से 7.7 प्रतिशत वृद्धि का पता चता है। वर्ष 1991-92 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की विकास दर 3.5 प्रतिशत थी, वर्ष 1992-93 में यह दर 2.4 प्रतिशत थी और वर्ष 1995-96 में अप्रैल से नवम्बर में यह विकास दर बढ़ कर 9.5 प्रतिशत हो गई है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की घटाने के लिये कुछ कदम उठाये जायें। सरकार की विभिन्न गतिविधियों में सबसे अधिक खपत पेट्रोल की होती है और तेल की खपत रोकने के लिय सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। हम जनता से इस बारे में कदम उठाने को कहते है। यह भी देखा गया है कि हमारे आयात में भी वृद्धि की गई है। इनमें कम से कम प्रति वर्ष 0.5 बिलियन डालर की वृद्धि हो रही है। हम डीजल के आयात को देखें। पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेन्टस का आयात 1993-94 के 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1995-96 में बढ़कर 6.5 बिलियन डालर से ऊपर चला गया है। इसका अर्थ यह है कि 1993-94 और 1995-96 के दौरान लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि हमारी तेल कम्पनियां और रिफाइनरियां कुशलता से काम नहीं कर रही हैं इसके अतिरिक्त मेरे विचार से मूल्य वृद्धि सरकारी एजेन्सियों के अकर्मण्यतापूर्ण रवैये का परिणाम है।

महोदय मेरे पास दुबई से प्रकाशित 13 जुलाई, 1996 के समाचार पत्र 'खलीज टाइम्स' की प्रति है जिसमें तेल मूल्यों के भाव हैं। फरवरी में तेल के भाव बहुत कम थे। यह भाव 16 डालर प्रति बैरल से कम था परन्तु जुलाई में यह भाव 17-18 डालर प्रति बैरल था। मैं आपको बताता हूं कि हमारी कम्पनियों के द्वारा खरीदारी उस समय की जाती है जिस समय भाव चढ़ रहे होते है। जब भाव नीचे जाते है हम खरीदारी नहीं करते और हम भावों के तेज होने की प्रतीक्षा करते हैं। जब भाव ऊंचे हो जाते हैं तो हम बाजार में उतरते हैं। मेरे विचार से सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसकी जांच करनी चाहिये। सरकार को इस तरह की प्रवृति को रोकना चाहिए। आखिर इसका भार आम आदमी पर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा था कि मुद्रास्फीति को इतना ऊंचा नहीं जाने दिया जाये जिसके समाचार प्रत्रों ने संकेत दिये हैं। विभिन्न अर्थ शस्त्रियों ने वक्तव्य देकर कहा है कि इस मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में चली जायेगी। विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के शासित मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति पर पड़ने वाला असर सरकार के अनुमानों से अधिक होगा। मूल्य वृद्धि होगी और इसके कारण भाड़ा लागत तथा औद्योगिक लागतों में वृद्धि हो जायेगी।

मुझे एक अर्थशास्त्री की टिप्पणी उद्धृत करने की अनुमति दी जाये। उनके यह विचार फ्रंटलाईन पत्रिका के अद्यतन संस्करण में दिये गये हैं। यह श्री सी.पी. चन्द्रशेखर के विचार हैं। श्री चन्द्रशेखर जैसे व्यक्ति के विचारों ने शायद मंत्रिमंडल के काफी सदस्यों को प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा है :

> "थोड़ी अवधि में घाटे को पूरा करने के लिये मूल्यों को बढ़ाने का अर्थ है घरेलू मूल्यों में आयातों के वर्तमान रूप या मूल्यों के अनुसार 14-15 प्रतिशत वृद्धि करना ऐसे करके, जो इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने पेट्रो-उत्पादों जैसे यूनीवर्सल इन्टरमीडिएट्स के मूल्य बढ़ाने के कारण मुद्रा स्फीति में होने वाली वृद्धि को नजरअदांज कर दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में 5 से 7 प्रतिशत के बीच वृद्धि होगी। एक ही कदम के साथ मुद्रास्फीति को दो अंकों में

पहुंचाने के कारण गरीब तथा मध्यय आय वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनकी आय मूल्य वृद्धि से जुड़ी हुई नहीं हैं या जिसे उसके अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता।"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई. अहमद : मैंने तो अपनी बात अभी शुरू की है। खाली मैं ही बोलने वाला यहां पर हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस सब्जैक्ट पर डिस्कशन के लिये दो घंटे एलाट हुए थे और तीन घंटे से ज्यादा हो चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : मैं बातों को दोहराने से बच रहा हूं। मैं केवल वह बातें कह रहा हूं जिनको कहने का अन्य माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा। अतः मुझे कुछ और समय दें, क्योंकि अपनी पार्टी का मैं पहला तथा अन्तिम वक्ता हूं। उनके अनुसार :

"तेल के मूल्यों में वृद्धि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कराधान है"

अतः यह स्पष्ट है कि इसके कारण सभी उत्पादों और विशेषरूप से औद्योगिक उत्पादों के भावों में वृद्धि होगी।

जाने माने अर्थशास्त्री और अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान के महानिदेशक श्री सेन गुप्ता का विचार है कि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी व्यय में वृद्धि हो जायेगी क्योंकि औद्योगिक आदानों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उदार आर्थिक पर्यावरण में पैर जमाने के लिये जगह बनाने के लिये उद्योगों को दिक्कतें बढ़ जायेंगी। इस स्थिति पर विचार किए जाने की जरूरत है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं एक और बात की कहना चाहता हूं। हम देखेंगे कि हमारी तेल कम्पनियों को जो भारी लाभ हो रहा है वह उनकी दक्षता के कारण नहीं है। वह उनकी मेहनत के कारण भी नहीं है। वह इसलिये है क्योंकि उनको 12 प्रतिशत की अनुमत दर से अधिक लाभ अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। अनुमत सीमा 12 प्रतिशत है। हम स्थिति को देख सकते हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन कुल आस्तियों पर प्रतिफल 1993-94 में प्रतिफल 22.27 प्रतिशत था और 1994-95 में 22.6 प्रतिशत था। इंडियन आयल कारपोरेशन की कुल अस्तियों पर प्रतिफल की दर जो बहुत कम है। 1993-94 में 13.61 प्रतिशत थी और 1994-95 में 15.47 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि साधारण उपभोक्ता की उपेक्षा करके सरकार के द्वारा इसकी अनुमति दी जा रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की अकुशलता की कीमत जनता को अदा करनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में रिटेन्शन मूल्य निकलते समय भाड़ा और अन्य बन्दरगाह प्रभार वास्तविक के आधार पर किये जाते हैं जबकि वास्तव में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार यह ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि भारतीय बन्दरगाह पर माल उतरने के लिये कोई जहाज अपना चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लगाता है तो जहाजरानी कम्पनी परिवहन की लागत अधिक रखेगी। परंतु प्रश्न यह है कि भारतीय उपभोक्ता यह प्रश्न पूछ सकता है कि "बन्दरगाह पर अकुशलताओं के कारण जो अतिरिक्त लागत का भार पड़ता है उसकी लागत का वहन उपभोक्ता पर क्यों डाला जाये।

अपराह्न 3.03 बजे

(प्रो. रीता वर्मा **पीठासीन हुई**)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : क्या सदस्य 'द फ्रंट लाईन' से पढ़ रहे हैं? वह पत्रिका से यहां नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री ई. अहमद : यह लेख आपके जैसे किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि एक विख्यात अर्थशास्त्री ने लिखा है। ...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : हम घर जाकर उसे पढ़ लेंगे। यहां समय क्यों बरबाद कर रहे हैं?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपका समय खत्म हो चुका है।

श्री ई. अहमद : महोदया मैं यह कह रहा था कि परिवहन प्रणाली की अकुशलता के कारण और सरकारी एजेन्सियों की अकुशलता के कारण सारा भार साधारण नागरिक को सहन करना पड़ता है।

सरकार पेट्रोलियम उत्पादों और विशेषरूप से रसोई गैस के मूल्यों में की गई वर्तमान वृद्धि पर पुनर्विचार करे। महोदया, कि हमारी गृहणियां रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि के बारे में क्या कहती हैं। आप जानती हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या विचार है। मैं इस मौके पर सरकार से कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण पेट्रोलियम सैक्टर के कार्यकरण को प्रभावी बनाया जाये। यह वृद्धि बहुत असामान्य है। यह सामान्यरूप से 10-15 प्रतिशत तक की जानी चाहिये थी परंतु अब यह 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि की गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पेट्रोलियम उत्पादों में इस वृद्धि पर पुनर्विचार करके उनके भाव घटाये जायें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसाकुरा) : मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगी। परंतु मेरी स्थिति जरा जटिल है। मैं प्रायः अनुकम्पा की अपेक्षा नहीं रखती किन्तु इसके लिये मुझे आपकी अनुकम्पा चाहिये।

पहली बात यह है कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी पिछली सरकार की नीतियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि इस सरकार को तेल पूल लेखे से 4000 करोड़ रु. निकालने तथा पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की स्थिति का सामना करना पड़ा है। रुपये का मूल्य निरन्तर गिर रहा है। इसके कारण स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वर्तमान सरकार के सामने संकट आ गया है। मैं इस बात को समझती हूं। परंतु हमने ऐसे अवसर पर पद ग्रहण किया है जिस समय हर और मुसीबतें हैं। हमें देखना है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाये। इस स्थिति का सामना करने के लिये इस सरकार को अनेक तरीकों पर विचार करना होगा। मुझे इसी बारे में कुछ बातें कहनी है।

रसोई गैस की बात करते समय श्री ई. अहमद ने गृहणियों का उल्लेख किया। यद्यपि मैं राजनीतिज्ञ हूं परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह वृद्धि बहुत ज्यादा है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिये कि रसोई गैस का उपयोग करने वाले सभी बहुत सम्पन्न हैं। आज कर्मकार भी रसोई गैस का उपयोग करते हैं। इस वृद्धि पर विचार करें। मेरे राज्य की राजधानी कलकत्ता को देखें उस पर सबसे अधिक असर पड़ा है। वहां पर भाव 106.99 रु. से बढ़ा कर 138.99 रु. किया गया है जबकि दिल्ली में भाव 93 रु. से बढ़ा करके 121.00 रु. किया गया है। कलकत्ता में भाव पहले ही ज्यादा हैं और वहां हमेशा वृद्धि अधिक की जाती है।

हम सबको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह इन गैस कूपनों के कारण है। मैं अनुरोध करती हूं कि संसद सदस्यों को कूपन देना बन्द कर दिया जाये। हमें परेशानी में न डालें। हमें यह लोगों को देने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि हम किसे देते हैं। आजकल गांवों के गरीब लोग भी रसोई गैस का उपयोग करते हैं। इन कूपनों के कारण हमें परेशानी होती हैं। अतः हमारे अपने अनुभव के आधार पर हमें पता है कि रसोई गैस का उपयोग कौन करते हैं। अतः यह बात सच है कि रसोई गैस में मूल्य वृद्धि का असर गरीब लोगों पर भी हो रहा है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाये?

मेरा यह सुझाव है कि सरकार कोई रास्ता निकाले। आप दोहरी नीति तय कर सकते हैं। आम आदमी के लिये मूल्यों में कमी की जानी चाहिये। यह एक साधारण सच्चाई है। हमें इस स्थिति का सामना करना है। सरकार को दोहरी मूल्य नीति पर विचार करना होगा। कल हमारे लिये ऐसा करना मुश्किल होगा। आज भी ऐसा करना आसान नहीं होगा। परंतु हमें इस पर विचार करना होगा।

मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि पेट्रोल के उपयोग पर रोक लगाने की जरूरत है। शुरूआत पहले आप को करनी चाहिये। तभी आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। आज मेरे मित्रों जार्ज फर्नान्डीज यहां पर उपस्थित नहीं हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यहां पर एक जबरदस्त भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ठीक ही पूछा था "हम ऐसी कारों का आयात क्यों करें जो प्रति लीटर केवल 6 किलोमीटर दूरी तय करती है।" मैं उनके साथ सहमत हूं। मैं उनमें एक हूं जो पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान पहले बजट से लेकर आखिरी बजट तक एक यही बात कहती रही हूं कि हमें इस तरह की चीजों का आयात नहीं करना चाहिये। हमें ऐसी कारों का आयात नहीं करना चाहिये। परंतु मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज और उनके सहयोगियों को विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि ऐसी मूल्यवान कारों की बिक्री सबसे अधिक कहां पर होती है? यह बिक्री दिल्ली, मुम्बई, गुजरात आदि में होती है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार भी है और दिल्ली सरकार भी है। दिल्ली सरकार पर श्री जार्ज के उन सहयोगियों का शासन है जो यहां पर विपक्ष में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का शासन है जो श्री जार्ज का सहयोगी दल है और गुजरात में उनके सहयोगी दल का शासन है। क्या उन्होंने कभी उनसे इसे नियन्त्रित करने को कहा है?

श्री जगमोहन पहले गवर्नर थे और अब वह सांसद हैं और भाजपा में हैं।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : दिल्ली सरकार का आयात नीति से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां मुझे यह जानकारी है।

श्री जगमोहन : इसका आयात नीति से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उपभोक्ता आधारित आर्थिक नीति से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका पालन किया जा रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। यदि किसी राज्य सरकार पर आपका कब्जा है, चाहे आपकी शक्तियां सीमित हों, आप सब तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। केवल करने की चाह होनी चाहिये।

श्री जगमोहन : हम इस पर आपकी सलाह लेंगे। अब सदन को बतायें कि आप क्या कहना चाहती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं उस पर आ रही हूं। कई तरीकों से प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। हमने अपने तरीके से इसे शुरू किया था। आप दिल्ली सरकार की पेट्रोल की खपत कम कर सकते हैं। यह उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं है। परंतु इस तरीके से आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि उन लोगों के विरूद्ध कानून बनाया जाये। आप किसी परिवार में लोगों को चार, पांच छः कारें रखने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या हम इसे नहीं रोक सकते। क्या हमें इस दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिये? मैं यह सभी सरकारों के लिये कह रही हूं जिनमें मेरी पार्टी की सरकारें भी हैं...**(व्यवधान)** मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं जब कुछ कहती हूं तो वह सब सरकारों के लिये है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री जगमोहन जब आपका नम्बर आये तो आप इन बातों का उत्तर दे सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिये ताकि हम खर्चे को नियन्त्रित कर सकें?

दूसरे, हमारे स्वयं के पेट्रोल के संसाधनों की बात भी है। क्या हम उसका उत्पादन बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं? मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि काफी समय से पेट्रोल निकालने के बारे में बात कर रही हूं।

पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के कुए खोदने के सारे उपकरण पश्चिम बंगाल से अन्यत्र भेजने के आदेश दिये गये हैं। यहां पर इनकी अब जरूरत नहीं है। श्री जनेश्वर मिश्र यहां उपस्थित नहीं हैं। जब मैंने उनसे अपील की तो उन्होंने फिर से यहां काम शुरू करने आदेश दिये। उस समय कुछ समय के लिये वे पेट्रोलियम मंत्री थे। इससे इसे रोका जा सका। दो कुओं में काम शुरू हुआ और वहां पर अच्छी कोटि का तेल निकलने लगा है। तब भी उसे रोक दिया गया था। क्यों? पिछली सरकार ने ऐसा किया था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग यदि अपने आधारभूत खर्चों को नियन्त्रित करे तो यह काफी पैसा बच सकता है। क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इन कुओं से किसी अन्य प्रक्रिया के जरिए तेल निकालना जारी नही रख सकता?

समय खत्म हो रहा है अन्यथा मैंने उस प्रक्रिया का उल्लेख किया होता।

मुम्बई हाई में इतनी अधिक मात्रा में गैस को जलाया क्यों जा रहा है। मैं इस बारे में जानना चाहती हूं। इन बातों को रोका जा सकता है। क्या हमें इसके लिये प्रयास नहीं करने चाहिये। हमारे आम न्यूनतम कार्यक्रम में एक बात का उल्लेख है। यदि हम वास्तव में उसे कार्यान्वित कर सकें तो काफी कुछ किया जा सकता है।

क्या सौदों में पारदर्शिता है? मेरा कहना है कि "नहीं"। जब सौदों में पारदर्शिता न हो तो हम देखते हैं कि बहुत सी बातें भ्रष्टाचार के लिये होती हैं। अधिकतर इन बातों का स्त्रोत भ्रष्टाचार है। यदि सौदों में पारदर्शिता रखी जाये तो इन बहुत सी बातों को रोका जा सकता है। मैं चाहती हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार अपने आम न्यूनतम कार्यक्रम पर दृढ़ रहेगी और सभी सौदों को पारदर्शी बनायेगी जिससे काफी पैसा बचाया जा सकेगा। और तब संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह सब कुछ किया जायेगा।

काला धन कौन जमाकर रहा है? क्या केन्द्रीय सरकार की उस बारे में सहायता की जा रही है क्या केन्द्रीय सरकार गंभीरता से इस बारे में प्रयास कर रही है। मैं पिछली सरकार की बात कर रही हूं। कोई सरकार वास्तव में काले धन को नियन्त्रित करने के प्रयास नहीं कर रही है। अतः हमें वैकल्पिक स्त्रोत अथवा स्त्रोतों का पता लगाना है। उन अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों का उल्लेख करने का समय नहीं है।

इस प्रकार की स्थिति पैदा की गई कि नई सरकार के लिये बहुत बड़ा भार बन गया। जिस किसी ढंग से हो हमें इस स्थिति से निपटने के लिये सभी संभव प्रयास करने हैं। हमें विश्वास है कि यह सरकार अलग ढंग से चलना चाहती है। ऐसा करते समय यदि कोई गलती हो यदि कोई बात जल्दबाजी में की गई है या किसी मजबूरी में की गई है तो उस पर फिर से विचार किया जा सकता है। हम जनता के विचारों के आगे झुक सकते हैं। इसमें प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। जो सरकार जनता की आलोचना सुनकर कदम उठाती है उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि जरूरी हो तो कुछ भी संशोधन किये जा सकते हैं।

मैंने कई अन्य बातों का उल्लेख किया होता। परंतु मैं उन सब बातों का उल्लेख नहीं कर रहीं हूं। मेरी अपील है कि कम से कम रसोई गैस के भाव में किसी दूसरे तरीके से कमी की जाये। कुछ रियायत दी जा सकती है। मुझे इससे बड़ी खुशी होगी यदि हमारे प्रधान मंत्री हमें कम से कम कुछ आश्वासन दे सकें।

बाद में दोहरी मूल्य नीति तय की जा सकती है। उदाहरण के रूप में पेट्रोल के मामले में भी दुपहिया स्कूटरों तथा कार की बराबरी नहीं हो सकती। दुपहिया स्कूटरों के चालक अलग तरह के लोग हैं। अतः इस दुहरी मूल्य नीति पर विचार करने की जरूरत है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

वैकल्पिक स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि इतनी भारी मूल्य वृद्धि जो रसोई गैस के मूल्य में की गई है उस पर पुनर्विचार किया जायेगा और पेट्रोल जैसी अन्य वस्तुओं के मामले में दोहरी मूल्य नीति पर गंभीरता से विचार किया जायेगा।

मैं समझती हूं कि मैंने अधिक समय नहीं लिया है। परंतु मैं चाहती हूं कि सारा सदन और सरकार इस पर विचार करें। जो सरकार के समर्थक हैं और जो उसके विरुद्ध हैं उनको इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने पर भी नहीं सोचना चाहिये।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सदन के समक्ष विचाराधीन है। पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि का एक कारण यह बताया गया है कि ऑयल पूल में जबरदस्त घाटा था और यह घाटा 10,000 करोड़ रुपये के लगभग पहुंच गया। सवाल उठता है कि यह ऑयल पूल में घाटा 10,000 करोड़ रुपये तक क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे? यह घाटा क्यों बढ़ने दिया गया और क्या इस घाटे को दूर करने का एकमात्र उपाय कीमतों में वृद्धि करने का ही था? क्या इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकते थे?

जहां तक मुझे जानकारी है, पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्टीयरिंग कमेटी फॉर इकोनोमिक रिफार्म्स के समक्ष एक टिप्पणी दी थी, जिस टिप्पणी को मैं कोट करता हूं :

[अनुवाद]

"यह जरूरी है कि एक या दो सालों में बंकाया की अदायगी के लिये तेल पूल लेखे में पैसा जुटाने के लिये तत्काल कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये। उपभोक्ता मूल्य में एक ही बार 10-15 प्रतिशत की भारी वृद्धि करना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है क्योंकि इसके कारण अन्य सभी उपभोक्ता वस्तुओं के भावों में वृद्धि होगी। अन्य विकल्प यह है कि उपकर तथा अन्य तेल राजस्व के एक हिस्से को देकर राजस्व बजट से इसे समर्थना दिया जाये और उसे तेल पूल लेखे में दिया जाये। किसी भी तरह एक निश्चित कार्य करने की जरूरत है ताकि तेल कम्पनियों के बकाया दावों की अदायगी अविलम्ब की जा सकें"

[हिन्दी]

यह अगस्त, 1995 में टिप्पणी की गई थी। इसका मतलब है कि अगस्त, 1995 तक मिनिस्ट्री 10 से 15 परसेंट कीमत की वृद्धि को भी उचित नहीं मानती थी, लेकिन आज तो अपने 30 परसेंट वृद्धि कर दी और वही मिनिस्ट्री अब इस मूल्य वृद्धि का औचित्य ठहरा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह कुप्रबन्ध का एक ऐसा उदाहरण है, पैट्रोलियम सैक्टर में, पैट्रोलियम के उत्पादन में, पैट्रोलियम के मोड में, पैट्रोलियम की खरीदी में और एडमिनिस्टर्ड प्राइस की पालिसी में, जिसके लिए इस सरकार की और इससे पहले की सरकार की जितनी तीव्र भर्त्सना की जाय, वह कम होगी।...**(व्यवधान)** बिल्कुल कर रहा हूं। कर तो रहा हूं। यही तो कह रहा हूं। इससे पहले वाली सरकार की भी जितनी की जाय, उतनी कम है...**(व्यवधान)** तेरह दिन वाली का तो सवाल ही नहीं है, उसे तो भूल जाइये। 13 दिन वाली सरकार को तो आपने जितनी गालियां देनी थीं, दे ली। हम तो जो कर सकते थे, हमने वह कर दिया। लेकिन आप जो कर सकते थे, वह आपके सामने है। कृपया सुनिए जरा। कृपया अपने कारनामों को जरा इत्मिनान के साथ दिल थामकर सुनिए। इस सरकार से और जो राव सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने पैट्रोलियम के मामले में जो किया है, वह जरा सारे देश को पता लगना चाहिए। यह जो पैट्रोलियम का कुप्रबन्ध है, इसमें हमारे देश में जो आन्तरिक उत्पादन है, हमारे देश का उत्पादन है, वह निरन्तर घटता गया है। इसकी भी एक कहानी है, जो आप देखें, प्रोडक्शन कैसे घटा है। छठे प्लान के जमाने में पैट्रोलियम और क्रूड के उत्पादन में 21.7 परसेंट प्रतिवर्ष की वृद्धि थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985 तक यह वृद्धि घटकर केवल 3.3 परसेंट रह गई और 1990-91 में यह उत्पादन घट गया। यानि इसमें वृद्धि की दर का तो सवाल ही नहीं था, बल्कि यह उत्पादन घटकर 3.1 परसेंट वृद्धि के स्थान पर बस होने लगा। 1989-90 के उत्पादन से यह 3.1 प्रतिशत कम हुआ है और 1991-92 में उत्पादन 30.34 मि. उत्पादन हुआ जबकि 1989-90 का उत्पादन 34.09 मि० टन था अर्थात 1989-90 में जितना क्रूड आयल का उत्पादन था, वह 1990-91 में घट गया। 1992-93 में और घट गया और 26.95 मिलियन टन हो गया। 1989-90 में उत्पादन 34.89 मिलियन टन था, जो कि 1992-93 में 26 मिलियन टन हो गया, वह कैसे हो गया? 1993-94 में भी वही रफ्तार है और 1994-95 में यह आशा की जाती थी कि करीब 32 मिलियन टन क्रूड आयल का उत्पादन होगा, यह तो सरकार ही बतायेगी कि कितना हुआ, मेरा अंदाज है कि वह 30 मिलियन टन से भी ऊपर नहीं गया। इस तरह से हर साल आंतरिक क्रूड आयल का उत्पादन घट रहा है।

यहां पर बंगाल से आए हुए मेरे मित्र बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है सारा पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी तेल के ऊपर तैर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार ने वहां से कुछ करने के लिए क्यों नहीं कदम उठाया और क्यों नहीं इस पर दवाब दिया। अब तो आपकी मित्र सरकार है, दवाब दीजिए कि पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में तेल का खनन किया जाए और जल्दी से जल्दी आंतरिक उत्पादन बढ़ाया जाए। क्या आप भी उन लोगों से मिल गए हैं जो इस देश में आंतरिक उत्पादन घटाना चाहते हैं? आप इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए दबाव डालें।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : हमने बहुत कोशिश की और हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप कोशिश करें, वे भी करें और हम भी करेंगे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारतवर्ष में क्रूड आयल के उत्पादन और उसके खनन के बारे में जो कुछ किया जाना चाहिए, वह नहीं किया गया है। जो सरचार्ज लिया गया था कि हम इसके माध्यम से तेल का उत्पादन बढ़ायेंगे, उसका कोई उपयोग इस दिशा में नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, एनर्जी के मामले में, विशेषकर इस क्रूड से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मामले में विश्व की शक्तियां काम कर रही हैं, हमें उनको समझना चाहिए और हमें अपने देश के इस पैट्रोलियम उत्पादन और पैट्रोलियम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर ध्यान देकर बाहरी ऊर्जा पर कम से कम निर्भर करना चाहिए। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आप अपने देश में उत्पादन कम कर रहे हैं ओर खपत बढ़ रही है। उससे काफी विकृतियां पैदा होती हैं और हमें आयात अधिक करना पड़ता है। आयात की मात्रा आज बढ़ती चली जा रही है। हमारे देश में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात 1990-91 में 12.3 प्रतिशत था, 1992-93 में 21.2 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा। यह रफ्तार बराबर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि

हिन्दुस्तान में गाड़ियों की, दुपहिये वाहनों की, तिपहिये वाहनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ट्रक्स की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपको सामान के परिवहन के लिए इनकी आवश्यकता है इसलिए देश में इसकी खपत बढ़ रही है। इसके साथ यदि आंतरिक उत्पादन घट रहा है तो आपको आयात करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आप बराबर रुपये का अवमूल्यन करते चले जा रहे हैं। इस तरह से आयात के बढ़ने से और रुपये का अवमूल्यन होने से क्रूड की कीमतें और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी। अगर आप इसे समझते हैं तो आपने क्या उपाय किये यह सवाल आज देश के सामने है? इन कीमतों को स्थिर करने के लिए पैट्रोलियम उत्पाद को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए आप देश पर कम से कम बोझ डालें, इस संदर्भ में आपने क्या किया, यह प्रश्न आज देश जानना चाहता है?

मैं समझता हूं सबसे अधिक कोलाही और लापरवाही की गई है। हमारे देश में पिछले तीन वर्षों में तेल का आयात का दाम 12-18 हजार करोड़ रुपये रहा। 1989-90 व हमने लगभग 6344 करोड़ रुपये का आयात किया था। आज 1994-95 में 17838 करोड़ रुपये का आयात किया है। शायद 1995-96 में 20-21 हजार करोड़ रुपये बा इससे भी ज्यादा का आयात बढ़ गया होगा। डालर की कीमत ऊपर करने से और रुपये की कीमत घटाये जाने से यह 31-32 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा। 1989-90 की मैं बात कर रहा हूं। तब डालर का दाम 18 रुपये था, आज 36 रुपये हो गया है। इस तरह से डालर दुगुना हो गया। आयात में वृद्धि, खपत में वद्धि, तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही, यह तो सामान्य ज्ञान है। आप क्या कर रहे थे? आपने इसको रोकने के लिए क्या किया? पिछले चार सालों में आप क्या करते रहे हैं, यह बड़े रहस्य की बात है?

पैट्रोल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आप बढ़ाते रहे हैं। यह पांचवीं वृद्धि है। सबसे पहले 1990 में पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि की गई थी। तब खाड़ी युद्ध था और यह बताया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। इसलिए हमें इसका दाम बढ़ाना पड़ेगा और पेट्रोलियम के दाम पर 25 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों पर आपने 25 प्रतिशत सरचार्ज लगाया था। 1989-90 में जब आपने खाड़ी युद्ध के समय दाम बढ़ाये थे तब आपने इस क्रूड ऑयल के लिए 2256 करोड़ रुपया रिसोर्सेज मोबिलाइज किया। फिर उसके बाद 1991 में दूसरी बार कीमतें बढ़ी तो उस साल आपने 5006 करोड़ रुपया रिसोर्सेज मोबिलाइज किया। सन् 1991-92 में 2054 करोड़ रुपया, 1993-94 में 2460 हजार करोड़ रुपया मोबिलाइज किया। ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर 10-11 हजार करोड़ रुपये का रिसोर्सेज मोबिलाइज तीन-चार बार किया है। उसके बाद भी क्रूड ऑयल में घाटा क्यों हुआ? सन् 1994-95 तथा 1995-96 में आपने कोई वृद्धि नहीं की। इसलिए कोई रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं हुआ। लेकिन अब जो 1996-97 में आपने वृद्धि की है, इस तरह से 12900 करोड़ रुपया आप एक साल में प्राप्त करेंगे और आने वाले नौ महीने में 9000 करोड़ के करीब आप प्राप्त करेंगे। 1989-90 में आप 2200 करोड़ रुपया रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रहे थे और 1996-97 में 12900 करोड़ रुपया रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए जा रहे हैं। क्या इस देश के अन्दर यह कोई तमाशा है? कितना सारा बोझ आप इस देश के लोगों पर हर साल डाल रहे हैं? जब खाड़ी युद्ध हो रहा था तब आपने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिए हमको दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। हम इसको किसी भी कीमत पर कम नहीं कर सकते हैं और इसलिए आपने दाम बढ़ाये। लेकिन अब क्या हाल है? अब आप इस सरचार्ज को वापस क्यों नहीं करते? अब तो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम पिछले दिनों में किस तरह से घटे हैं, उसको भी आप देख लें। सन् 1990 में दाम बढ़ाये गये थे क्योंकि 1989 में पेट्रोल का दाम एक बैरल के लिए यू.एस. डॉलर में 17.31 रुपए था। 1990 में यह बढ़कर 22.26 रुपए हो गया। आपने कहा कि हम 25 प्रतिशत सरचार्ज लगा रहे हैं। सन् 1991 में घटकर 18.62 रुपए हो गया तो अब सरचार्ज वापस क्यों नहीं किया गया? वह कहां खा गये? आपने देश की जनता के ऊपर 25 प्रतिशत बोझ डाला था। वह आज तक वापस क्यों नहीं किया? आपका इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति और इस सदन के प्रति कमिटमेंट था कि हम इसे वापस करेंगे और मेरे सामने बैठे हुए सम्मानीय निर्मल झा जरा सरकार पर दबाव डालेंगे कि यह 25 प्रतिशत तो वापस करिये। यह 25 प्रतिशत हाइक जो आपने की थी, वह वापस करें, आप इसे 30 प्रतिशत कर सकते हैं। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 25 प्रतिशत वापस कर लीजिये, 30 प्रतिशत बढ़ा लीजिये, कोई बात नहीं लेकिन आपने नहीं किया। आप करना भी नहीं चाहते। दाम निरन्तर घट रहे हैं। सन् 1992 में 18.44 रुपए और 1993 में 16.33 रुपए, 1994 में 16.30 रुपए था, इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें बराबर घटती रही हैं। 1995-96 में पिछली जुलाई के महीने में थोड़े से दाम बढ़े हैं लेकिन निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें या तो स्थायी हैं या थोड़ी-बहुत घट रही हैं। आपने उस समय खरीददारी क्यों नहीं की? आपने सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल क्यों नहीं खरीदा? आपकी रिफायनरीज की काम करने की क्षमता 65-70 प्रतिशत क्यों है? सारी दुनिया में 90 प्रतिशत क्षमता है।

मेरा ख्याल है हमारे रक्षा मंत्री और हमारे पर्यटन मंत्री को कीमतों के बढ़ने से कोई चिन्ता नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप देश के हालात पर गौर करें और अगर आपकी यही दृष्टिकोण है तो देश की इन तमाम समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार से करेंगे? आपसे अपेक्षा की जाती है जरा गम्भीरता से ध्यान दें। मुझे बहुत अफसोस है सरकार तनिक भी गम्भीर नहीं है और इतने बड़े मामले को केवल हास्य विनोद के अन्दर टाल रही है, कम से कम यह तो आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : आप इतना गम्भीर ले रहे हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूं। आप तो रक्षा मंत्री हैं, आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका बजट इसी में चला जाएगा, अगर ये दाम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। आप टूरिज्म वाले हैं, ध्यान दीजिये। अगर हम देश में हवाईजहाजों के दाम बढ़ गये, किराया भी बढ़ेगा जो कि आप बढ़ायेंगे, फिर आपका क्या होगा? आप भी जरा इस तरफ ध्यान दें। मेरा ख्याल है आप समस्या को जरा गम्भीरता से लें। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह हाल है जहां जब कीमतें घट रही थीं तब आपने पेट्रोलियम पदार्थों को और उत्पादों को खरीदने की जरूरत नहीं समझी।

आपने कारखानों की एफिशियेंसी नही बढ़ाई और आज भी आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम क्या करें ऑयल पुल में घाटा हो गया है, उसको तो पूरा करना ही है। सम्मानीय वित्त मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बड़े आग्रह पूर्वक कहा था कि यह जो ऑयल पुल का खाता है सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ मोडुलेटिंग हैं। इसमें हम कुछ नहीं निकालते हैं। मेरा ख्याल है कि 80 दशक में चार हजार करोड़ रुपए से अधिक ऑयल पुल से सरकार ने निकाल लिया, वह वापस क्यों नहीं किया गया? वह रुपया सरकार उनको वापस क्यों नहीं करती? आप आंकड़ेबाजी करना चाहते हैं, इधर से पैसा निकाल कर उधर डाल दिया और फिर बजटी घाटे को कम दिखाते हैं। आप इस तरह की आंकड़ेबाजी करना बंद कीजिए। इधर से पैसा निकाल कर वहां डाल दिया और 5-5, 10-10 साल तक आप लोगों को भुलाये रखें, उसके बाद फिर आप कहतें हैं कि हमको कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि घाटा हो रहा है। इस घाटे के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं।...**(व्यवधान)**

देखिए, आपने क्या कमाल किया है 1991 में पैट्रोल का दाम 9 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर था और आज 1996 में 21 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। डीजल का दाम 4 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर था जो आज 9 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। आप पांच साल के अंदर कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी कीमतों में कर रहे हैं। तो आप बड़े भोलेपन से जवाब देते हैं कि इन कीमतों की वृद्धि से कोई मुद्रा विस्तार में फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, सब सामान्य हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 प्वाइंट बढ़ेगा लेकिन ऐसा तो नहीं है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में अपनी राय दी है, नीतिश सैन गुप्ता की राय तो हमारे मित्र रहमान साहब दे चुके हैं लेकिन चरण वाधवा, सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च कहते हैं कि इससे थोक मूल्य सूचकांक में ढाई प्रतिशत की वृद्धि होगी और इसका बौछार के रूप में प्रभाव पड़ेगा। ये आगे और तमाम चीजों की मूल्यवृद्धि करेंगी। श्री शशांक भिड़े, नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, वह भी इसी बात की ताईद करते हैं। तमाम जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, जो व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं वह भी बराबर इसी बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करती आ रही है और वे कहते है कि इससे भारी मूल्यवृद्धि होगी।...**(व्यवधान)** मेरा कहना यह है कि जिस दिल के साथ आप बोलते हैं उस दिल से आप उस तरह का कुछ एक्शन भी करें। अगर आप मददगारी किए होते और नियम 184 में इसको कराए होते, सरकार की भर्त्सना में वोट किए होते तब हम समझते कि आपका दर्द आम आदमी का दर्द है वरना हम यह समझेंगे कि कवेल हाठों से आवाज निकल रही है, दिल से नहीं निकल रही है।...**(व्यवधान)** मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। अब आप देखिए सी.आई.आई. कहती है, उनका सब का कहना यह है कि इस 30 प्रतिशत की वृद्धि से तमाम कमौडिटिज की कीमतें बढ़ेंगी, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यह कहती है। फिर वह कहती है कि यह जो वृद्धि है यह गरीब आदमियों के विरोध में है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है, सामान्य आदमियों के लिए विरोधी है। यह राय पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चेम्बर ऑफ कामर्स की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री भी यही कहती है कि इसका बड़ा जबरदस्त कुप्रभाव पड़ेगा। सारी अर्थव्यवस्था में विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। ऐसोसियेटिड चेम्बर ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट भी यही कहता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरपोर्ट ऑर्गनाइजेशन भी यही कहता है कि इससे तो बहुत नुकसान होगा और सबसे खराब बात यह होगी कि भारत में तमाम उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि यह वृद्धि केवल पेट्रोलियम, डीजल या कैरोसिन तक सीमित नहीं, रहती, जो पेट्रोलियम उत्पाद है वह आज बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट का काम करते हैं। जो रॉ मेटीरियल बनते हैं, उनसे बनने वाली चीजें तमाम उद्योगों में काम में आती हैं, सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री उसी पर निर्भर करती है और प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर और बहुत सी इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। तमाम केमिकल इंडस्टीयल, रसायन उद्योग उसी पर निर्भर करता है और रसायन के मामले में दवाएं इसी पर निर्भर करती हैं। इसीलिए वृद्धि का प्रभाव केवल पेट्रोल पर ही नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव दवाइयों पर भी पड़ेगा, कपड़ों पर और रंगों पर भी पड़ेगा। इसका प्रभाव मकानों में लगाने वाले पेंट्स पर पड़ेगा, माइक्रोमैन पर पड़ेगा। इसका प्रभाव जो शीट्स लोग अपने घरों में लगाते हैं उस पर पड़ेगा, रेक्सीन पर पड़ेगा। आज हम अपने जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से उत्पन्न होने वाली चीजों का उपयोग करते हैं।

उन सबके दाम बढ़ जाएंगे जो उनमें कच्चे माल के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए आप जिस औद्योगिक प्रगति की बात करते हैं, भारत में जिस औद्योगिक उत्पाद को आप बढ़ाना चाहते हैं वह औद्योगिक उत्पाद तो घट जाएगा, महंगा हो जाएगा। वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी नहीं रहेगा। जब वह प्रोडक्शन प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होगा तो आपका एक्सपोर्ट महंगा होगा। आपको झक-मारकर फिर से रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा और आप फिर उसी दुश्चक्र मे फंस जाएंगे।

आप एक दुष्चक्र में फंस गये हैं। पहले आप रुपये का अवमूल्यन करें, फिर आयात मंहगा हो जाए, फिर रुपये का अवमूल्यन करें। इस तरह से आपका विदेशी मुद्रा का भंडार घट जाएगा। उसको पूरा करने के लिए आप विदेशों से कर्जा लें और उस

कर्जे को पूरा करने के लिए फिर ज्यादा ब्याज दें। फिर जनता के ऊपर और अधिक भार डालें। यह दुश्चक्र आपका निरंतर चलता रहेगा। विदेशी मुद्रा का भंडार 20 मिलियन डालर से घटकर साढ़े 16 मिलियन डालर के करीब आ गया है। आपके पेट्रोलियम उत्पाद का एक्सपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इस तरह आपका ट्रेड-गैप बढ़ता जा रहा है। आप इसको कैसे संतुलित करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? आपकी हालत क्या है? जिस राव सरकार ने आपको बनाया है, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री बी.के. गढ़वी : राव सरकार वाले इनका समर्थन करते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : दोनों एक-दूसरे का समर्थन करते हैं लेकिन दोनों ही इस अपराध के भागी हैं, जनता माफ नहीं करेगी।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : आपको आने का मौका मिल जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप निश्चिंत रहिये, जिस दिन हमें आने का मौका मिलेगा, हम इसको सुधार देंगे।...**(व्यवधान)** आपका फिस्कल डैफिसिट 1991-92 में 36325 करोड़ रुपये था तो 95-96 में दुगुना यानि 74634 करोड़ रुपये हो गया। यह इस देश का वित्तीय घाटा है। यह आपकी सरकार का परफोर्मेंस है जिसके साथ आपका समर्थन है। जो आपको कह रही है कि गिरने नहीं देंगे और जिसे आप कह रहे हैं कि तुझे जाने नहीं देंगे। यह वित्तीय घाटे को बढ़ाने का और देश को कर्ज में डुबो देने का कैसा गठबंधन है? एवेन्यू डैफिसिट 1980 तक 32 परसेंट हुआ करता था लेकिन अब सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण को 62 प्रतिशत राजस्व घाटे को पूरा करने के काम लाया जा रहा है। सरकार जितना उधार ले रही है उसका 62 प्रतिशत आप रेवेन्यू घाटे में अदा करते हैं। पहले यह 32 प्रतिशत हुआ करता था अब दुगुना हो गया है। सरकार बहुत जोर से कह रही है कि हम इसका प्रबंध करेंगे।

श्री बी.के. गढ़वी : अभी बजट तो बाकी है।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह अभी तक के बजट की हालत है। आप 9000 करोड़ रुपये घाटे करके बजट को बढ़ाने के लिए फिर कोशिश करना चाहते हैं। आप इसे बजट में डाल करके अपनी रिपोर्ट मोबलाइज करना चाहते हैं। आप अपने बजट के घाटे को, फिस्कल डैफिसिट को, रेवेन्यू और बजट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको सीमा के अंदर रखना चाहते हैं। नहीं तो जो लोग इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं वे भाग जाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि आपकी असली हालत क्या है, जिस दिन देश का खोखलापन आप उनके सामने रखेंगे और जो आपने रख लिया है कीमतों को बढ़ाकर, तो उनको पता लग जाएगा कि आप मजबूत हैं। आपके प्राइमरी कंजम्प्शन डैफिसिट की रकम 1990-91 के 27.5 परसेंट से बढ़कर 1995-96 में 66 परसेंट हो गयी। आपका खर्चा इससे बढ़ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने से आपके सारे खर्चे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी पेट्रोल की उपभोक्ता तो सरकार ही है। अब सरकार के सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि नॉन-प्लांड खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आप पांचवें वित्त-आयोग को देने की स्थिति में नहीं होंगे। आप कोई भी लोकहित का कार्य करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप किसी भी कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे।

आप प्रधान मंत्री की कोई भी रोजगार योजना शुरू नहीं कर सकेंगे। यह घोषित किया गया है कि हम गांवों को पीने का पानी देंगे। लेकिन आप एक हैंडपंप भी नहीं लगा सकेंगे। आपके पास पैसा कहां है?

एक माननीय सदस्य : सुझाव भी होने चाहिए, यह तो केवल आलोचना है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सुझाव भी दूंगा। आपको सब बताऊंगा। आप दिल थामकर रखिये।

दिल्ली तक पहुंच गए हैं। नई दिल्ली तक पहुंचने में देर नहीं है। आयेंगे तो यहां बैठेंगे, चिंता मत करिए और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, देश को विदेशी कर्जे से मुक्त करेंगे। आप देखिए कि क्या होता है। आपने स्थिति यह कर दी है कि एक्स्टर्नल एड्स तो घटता जा रहा है नैट इन फ्लो .674 करोड़ हुआ है। जो विदेशी कृपा थी और आपकी अर्थ नीति का आधार था और जिस का आप समर्थन कर रहे हैं, आपके वित्त मंत्री जिन नीतियों के पोषक रहे हैं, उसका नतीजा है, आप सारे समाचार पत्रों को देख लें कि आपके पास नैट इन फ्लो .674 करोड़ था। यह दोषपूर्ण अर्थ नीतियों का परिणाम है जो कि सारे देश को भुगतना पड़ रहा है। आप अर्थ नीति को चलाने में गलतियां करते हैं और परिणाम आम आदमी को भोगने के लिये मजबूर करते हैं।

इस स्थिति को सुधारने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं-एक रास्ता यह है कि जैसा चल रहा है, चलता रहे और विदेशों से कर्जा लेते रहिए, कर्जा लेकर घी पीते रहिए। उसके बाद कोई आपसे पूछे कि इसे कैसे चुकायेंगे तो आप कह देंगे कि जब चिता पर चढ़ जायेंगे तो कौन लेने वाला है और कौन देने वाला है।

> "यावत् जीवेत सुखम् जीवेत्,
> प्राणं कृरवा घृतम् पीवेत्,
> भस्मीभूतस्य देहस्य,
> पुनरागमनम कुतः।"

फिर किस ने मांगने आना है, किस ने देने जाना है। आपके पास एक रास्ता है जो आप कर रहे हैं...**(व्यवधान)** इनके लिये सबसे आसान रास्ता है लेकिन देश की भावी पीढ़ी को और इनके बच्चों को नाक से भुगतान पड़ेगा। जिस दिन आपकी नीतियां चलेंगी, यह देश बन्धक और गिरवी हो जायेगा। जिस ऋण नीति पर आप चल रहे हैं, उसके लिये मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आप इससे बचिए। इब्राहिम साहब, आप इस नीति के विरोधी रहे हैं। आज आप चुप क्यों बैठे हैं आप इसका विरोध कीजिए। इसको माफ़ मत होने दीजिए। स्वयं

प्रधान मंत्री जिस दल से आये हैं, वह दल इस नीति का विरोध करता रहा है लेकिन अब आप इस ऋणात्मता की नीति की तरफ जा रहे हैं, इस देश को कर्जे के जाल में डुबोने जा रहे हैं। देश का कोई भी आदमी, कोई सम्भ्रांत व्यक्ति, कोई देशभक्त इस देश को कर्जदारी के रास्ते पर नहीं ले जा सकता, इसके जंजाल में फंसाने की इजाजत देश को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बना दिया है। अफसोस की बात है। इससे भी ज्यादा अफसोस होता है जब ऐसी नीतियों का समर्थन करने के लिए यहां जो लोग बैठे हैं...**(व्यवधान)** अरे, हाथ क्या हिला रहे हैं, वोट देकर हटाइए। आप इस नीति का समर्थन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप इसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर श्री जसवन्त सिंह से पूछें। जब वह 12 दिन के लिये वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगिये।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं आपसे पूछ रहा हूं आप इनका समर्थन कर रहे हैं। जसवंत सिंह जी को भूल जाइए। मैं उनको देख लूंगा। आप अपना बताइए।

दूसरा रास्ता यह है कि आप इस देश में पैट्रोलियम के उत्पादन को आगे बढ़ाएं और इसके उपयोग पर नियंत्रण रखें, उसको सीमित रखें, उपभोग पर संयम रखें लेकिन आप कंज्यूमरिज्म की सारी नीतियों के पक्षपाती हैं। आप 20-25 लाख की मर्सिडीज इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप इस देश में नई-नई ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं जिसमें कीमती पैट्रोल लगेगा, सामान्य पैट्रोल नहीं लगेगा। आपको मैं कैसे माफ करूं कि आप पैट्रोलियम की बात पर नियंत्रण रखेंगे, वह आपके बस की बात नहीं है।

तीसरी बात अगर कर सकें, मुझे पता नहीं कि वह करने का साहस होगा या नहीं होगा लेकिन जरूरी यह है कि आप आपका पूल के भाड़े को कम करना चाहते और निर्यात और आयात में संतुलन करना चाहते हैं तो आपको पैट्रोलियम का खास कर पैट्रोल का, पैट्रोलियम का तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन पैट्रोल का कोई न कोई सब्सीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। पैट्रोल के बदले किसी दूसरे ईंधन का प्रयोग करें। जो थोड़ी बहुत विज्ञान की जानकारी मेरे पास है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष इतना सक्षम है कि सारे पैट्रोल के उपयोग के स्थान पर पावर अल्कोहल का प्रयोग कर सकता है। यह सीधे गन्ने से प्राप्त हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : इसका ट्रायल हो रहा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : ट्रायल कब से कर रहे हैं? हम 10 साल से इस बात को कह रहे हैं। ब्राजील 12 साल से अपनी गाड़ियां इससे चला रहा है और आप ट्रायल कर रहे हैं। सारी दुनियां में ऐसी टेक्नोलॉजी की जानकारी है और आप ट्रायल कर रहे हैं। किस को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? दुनिया ने ट्रायल किया है। आप किस तरह की बात कह रहे हैं। दुनिया में यह टैक्नोलॉजी मौजूद है। गैस से भी गड़ियां चलायी जा सकती हैं।

मैं ऐसे इस देश के सामान्य मेकैनिक को जानता हूं जो छोटा गैस सिलेंडर लगाकर दुपहिया गाड़ियां, मोटर-साईकिल और स्कूटर चलाते हैं। आप तमाम देश के अंतर फ्लेयर आप कर रहे हैं, आप इसको रोक सकते हैं। आप तो किसानों के हमदर्द बने हुये हैं। श्रीमान् प्रतिरक्षा मंत्रीजी किसानों के लिये सोच दिखाते हैं, कल्पनाथ जी बैठे हुये हैं जो गन्ना मंत्री रह चुके हैं आखिर आपको इसमें कौन-सी दिक्कत आ रही है? इसका कारण यह है कि आपका विशेष अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से गठबंधन है। पेट्रोल क्रूड के इम्पोर्ट में आपको पिक-फैस मिलते हैं। लिहाजा आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं। आप देश के गन्ना किसानों को हमदर्दी की बात करते हैं। आप यहां पर पावर एल्कोहल बनाने की इजाजत दीजिये। चीनी मिलें खोलने की इजाजत दीजिये। हिन्दुस्तान का किसान सर-सज्जा हो जाएगा और हिन्दुस्तान की गाड़ियां भी फर्राटे से चलेंगी। उसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। यह सस्ती है और यह हमारे नियन्त्रण में है। आप क्रूड ऑयल विदेशों से जिस मात्रा में आयात कर रहे हैं जिसपर विदेशों का अधिकार है, वे तकिसी एक दिन ही ऐंठ सकते हैं युद्ध के समय किसी भी दिन आपको पैट्रोल का आयात रोक सकते हैं। पहले भी हो चुका है। अमरीका ने एक बार नहीं, कई बार प्रतिबंध लगाया था। हमारे लिये भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। आज दुनिया जटिल हो रही है। अमरीका रोक ही सीटीबीटी पर बातचीत करने के लिये आपको धमकी दे रहा है। यदि नहीं करेंगे सेंक्शन लगा देगा। एक सेक्शन यह भी हो सकती है। हमारे पैट्रोल आयात में अड़ंगे लगा सकता है। बीच में ही जहाज भेजकर खाड़ी के क्षेत्रों में पैट्रोल की लाइन्स काट सकता है। आपके यहां ही ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है कि यहां ही निर्भर हो सकते हैं। कोई भी बुद्धिमान देश अपना ऊर्जा स्रोत विदेशों के हाथ में नहीं दे सकता है। और आज आप बराबर किये चले जा रहे हैं। आपको अपने देशवासियों को समझाना नहीं चाहते। इस काम के लिये आपके देश में आल्टरनेटिव सोर्सेज मौजूद हैं, उसका उपयोग नहीं करना चाहते।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन बातों की तरफ ध्यान दें। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पेट्रोलियम की अगस्त, 1995 की उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसने इकनामिक्स रिफार्म्स कमेटी के सामने टिप्पणी की थी और यह साफ कहा था कि दाम 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना अनुचित है। आपने तो 30 प्रतिशत बढ़ा दिया। आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाईये। मैं जानता हूं कि आपका अनुभव कम है, इसलिये गलती हो सकती है। आपमें उत्साह ज्यादा इसलिये था कि जल्दी में आयें, कुछ रिसोर्सेज ले आयें और बजट में कुछ पोपुलर स्लोगन कर दें। लेकिन आपका सारा खेल खुल गया। आप देश के सामने खुले

रूप में जायें और कहें कि गलती हो गयी है और इस वृद्धि को वापस लें।

सभापति महोदया, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिये दूसरे रास्ते हैं। इसलिये पैट्रोल, डीजल और गैस के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में हम आपकी मदद करने के लिये तैयार है, देश आपकी मदद करने के लिये तैयार है। कल सारे देश में बहुत सारे स्थानों पर बंद रहा। उत्तर प्रदेश तो सारा ही बंद रहा। लोगों में रोष और गुस्सा है। यह गुस्सा और कोई रूप धारण न कर ले, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मामले में सोचें और सहयोगी दल दबाव डालें, परस्यूड करें और समझायें कि गलती हो सकती है और आप उस गलती को स्वीकार करके आपका बड़प्पन बढ़ेगा। आपने तो अपने भाषण में किसानों के लिये बहुत कुछ कहा है लेकिन पैट्रोल वृद्धि एंटी-किसान है। यह किसानों के लिये भारी मारक है। इससे पैस्टीसाइड्स और फर्टिलाईजर के दाम बढ़ेंगे। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो किसानों के काम की न हो। किसान जो तिरपाल प्रयोग में लाता है, उसके दाम बढ़ेंगे, छाता का दाम बढ़ेगा। प्रतिरक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में खेती का काम करते रहे हैं। इससे तो यह लग रहा है कि सब चीजों के दाम दुगने हो जायेंगे। यह आपने बहुत ही भयानक चीज कर दी है। आय इस पर और गंभीरता से विचार करें। आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इस देश की बिगड़ती अर्थ-व्यवस्था को और मत बिगाड़िये। भगवान के वास्ते इस देश की जनता के लिये कुछ सोचकर इस वृद्धि को वापस लें इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार पुनः अपील करता हूं कि इस वृद्धि को वापिस लेना जरूरी है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे प्राइस राइज पर बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

हमें स्वाधीनता की उद्घोषणा के दौरान पंडितजी के द्वारा कहे गये शब्द याद हैं। उन्होंने मध्यरात्रि के समय कहा था "जब विश्व सो रहा है भारत जाग रहा है।" 49 वर्ष के बाद, वास्तव में मध्यरात्रि के समय, बंद दरवाजों के पीछे बैठकर सरकार ने प्रशासित मूल्यों में इस वृद्धि की घोषणा की है जिसके कारण देश एक गहरे आर्थिक संकट में फंस जायेगा।

जब पूर्व में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी महंगाई बढ़ी तो कभी 10 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक रिकार्ड बनाया है। मुझे मालुम नहीं है कि उन्होंने कैसे यह रिकार्ड बनाया है जिसमें 25-30 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी है।

सभापति जी, संयुक्त मोर्चा सरकार का मैनीफैस्टो मैंने देखा है। उन्होंने कहा था कि "हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी लायेंगे।" लेकिन एक महीने के अंदर मंहगाई बहुत बढ़ गई है। मैं राजनीति करने की दृष्टि से नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि यह राजनीति का सवाल नहीं है, लेकिन यह आम जनता का सवाल है। अगर कोई कहे कि यह कांग्रेस के गठबंधन में हुआ है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी सदन में सैकंड लार्जेस्ट पार्टी है लेकिन मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या यह डिसीजन कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत करके लिया गया था?

एक और बात की तरफ मैं प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज काफी अखबारों में निकला है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम मंहगाई कम नहीं करेंगे। यह बात सच है या नहीं इस बारे में जेना साहब ने बताया—

[अनुवाद]

"प्रधान मंत्री किसी संवाददाता से नहीं मिले।" ठीक है परंतु समाचार पत्रों में छपा है कि प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है।

[हिन्दी]

मैं एक बात जानना चाहती हूं। जब सदन में कोई चर्चा चलती है तो वह चर्चा हाउस की प्रोपराइटी होती है। अगर बाहर प्रधान मंत्री ने ऐसी बात कही है तो सदन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जिस बात का आम जनता के साथ संबंध है, उस बात के बारे में बोलकर कोई बड़ा नेता बन सकता है, प्रधान मंत्री बन सकता है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई के बावजूद भी आम जनता के हित को देखना जरूरी है। मैं बिनती करना चाहती हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार इस बारे में सोचे। मैं उम्मीद करती हूं कि प्रधान मंत्री सदन को आश्वासन देंगे क्योंकि हम नियम 193 के अधीन चर्चा कर रहे हैं। यह नियम 184 या ऐडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा नहीं है। नियम 193 में चर्चा का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ चर्चा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा में कोई सिद्धांत हो जिससे हमारे देश की जनता के पास संदेश जाए कि संयुक्त मोर्चा सरकार जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वह जरूरी चीजों के भाव बढ़ाकर चल नहीं सकती है। मैं एप्रीसियेट करती हूं कि पेट्रोल के कन्जम्पशन को रोकने के लिए ऐसा किया है लेकिन इसके और तरीके भी हैं। उन तरीकों को अपनाने के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं। नेता लोग बड़े-बड़े भाषण देते हैं लेकिन वह अपने से ही सुधार का काम शुरू करें तो आम आदमी उनको फॉलो कर सकता है।...(**व्यवधान**)

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय : बोलिये ममता जी।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं बोलती हूं लेकिन जो बातचीत हो रही है वह प्राइम मिनिस्टर को भी सुननी चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, आप अपनी बात जारी रखें। हम आपकी बातों को, नोट करने के लिये यहां पर उपस्थित हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह ठीक है। परंतु चूंकि प्रधान मंत्री यहां पर हैं मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहती हूं...**(व्यवधान)**

मैडम बात यह है ऑस्टेरिटी मैजर्स पहले लेना चाहिए। क्या सरकार ने ऑस्टेरिटी मैजर्स लिया है। मैडम कुकिंग गैस का अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग भाव है। कलकत्ता में पहले 106.99 रुपये था जो अब बढ़कर 136.66 रुपये हो गया है, नई दिल्ली में पहले 93.78 रुपये था जो अब बढ़कर 120.95 रुपये हो गया है, मुंबई में पहले 94.37 रुपये था, अब यह 120.95 रुपये हो गया है, मद्रास में पहले 90.84 रुपये था अब बढ़कर रु. 125.60 हो गया है।

अपराह्न 4.01 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी **पीठासीन हुई**)

कुकिंग गैस पर सेल्स टैक्स के लिए मुंबई, मद्रास और दिल्ली में इसका भाव 25 से 50 रुपये बढ़ा है लेकिन हमारी स्टेट में सेल्स टैक्स के नाते इसका भाव बढ़कर 131 रुपये हो गया है। तो आप बताइये कि जो गरीब आदमी वर्कर हैं, मजदूर हैं, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको कितनी तनख्वाह मिलती है। अगर कोई किसान है, किसान के परिवार में कुकिंग गैस यूज होता है तो क्या उसको गैस यूज नहीं करना चाहिए। यदि एक सिलेंडर पर 30 रुपये इनक्रीज हो गया तो घरेलू गैस का क्या हाल होगा। मैं कोई राजनीतिक रूप से नहीं बोलना चाहती हूं लेकिन मुझे बहुत से आदमियों ने टेलीग्राम भेजा है और फोन किया है ओर कहा है कि क्या आप बोल नही सकते हैं क्या घरेलू गैस का दाम बढ़ाना जरूरी है।

[अनुवाद]

मैं इस बात की सराहना करती हूं कि सरकार सब्सीडी देती है। परंतु उर्वरक जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार को सब्सीडी देनी पड़ती है। आप रक्षा क्षेत्र को भी इन्कार नहीं कर सकते। आपको रक्षा क्षेत्र के लिये पैसा देना ही है। आपकी रसोई गैस डीजल, तेल, आदि के लिये सब्सीडी देनी ही है।

[हिन्दी]

क्या आप सोच सकते हैं कि अभी डीजल का दाम बढ़ेगा तो टू-व्हीलर का चार्ज बढ़ेगा। डीजल का भाव बढ़ेगा तो जो किसान गांव में खेती करता है उसको पम्प चलाना मंहगा पड़ेगा। जो ट्रैक्टर से खेती करता है, उसको भी वह मंहगा पड़ेगा अगर डीजल का भाव बढ़ गया, पैट्रोल का भाव बढ़ गया तो आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जायेंगे। हमारी जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं उनके बारे में सरकार की इंस्ट्रक्सांस हैं। जो एसेंशियल कॉमोडिटीज पर एप्लाई कर सकते हैं यदि कोई मंहगा करता है। लेकिन यह कौन स्टेट मांगता है। आप एक रिपोर्ट मांगिए स्टेट में ब्लैक मार्कैटियर्स कितने हैं, होर्डर्स कितने हैं जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, नहीं हुए हैं। इसका नतीजा क्या हुआ जब आप लोगों आलू का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस 5 रुपये अनाउंस किया है उसका भाव अभी दो दिन में 8-10 रुपये हो गया है। जो प्याज का भाव 7 रुपऐ था वह 10 रुपए हो गया है। मिर्च, आलू और सब चीजों का भाव बढ़ गया है।

[अनुवाद]

महोदय, सब्जियों से लेकर उर्वरकों तक सब वस्तुओं के भाव बढ़ाये जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री को यह बताना चाहती हूं कि मूल्यों में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि अभूतपूर्व है। महोदय मैं आपसे आम व्यक्ति के हित में मध्यवर्ग के लोगों के हित में, किसानों के हित में मजदूरों के हित में, सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के हित में इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूं। मैं समझती हूं कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। देश की जनता हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। इसका असर छोटे तथा सीमान्त किसानों पर, लघु उद्यमियों पर, वेतनभोगी मध्यवर्ग पर तथा उन 40 प्रतिशत लोगो पर पड़ेगा। जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारी सरकार के जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। एन.आर.वाई. है, जे.आर.वाई. है, आर.एन.ई.जी.पी. है, उनका क्या होगा। प्रधान मंत्री रोजगार योजना का क्या नतीजा होगा?

हमारे देश में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लोगों को इलैक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता लेकिन अगर पैट्रोल, डीजल के दाम कम नहीं होंगे तो इलैक्ट्रिसिटी के रेट भी बढ़ेंगे और दूसरी चीजों के रेट भी बढ़ेंगे। इलैक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ जाने हर चीज का भाव बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में किसान मजदूर लोगों की संख्या 40 परसेंट है जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, आज उनकी मदद करने की जरूरत है।

यह बात सच है कि पैट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाने से हमारा इन्फ्लेशन रेट 4 परसेंट बढ़ गया है। यदि कीमतें हम कम नहीं करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ेगा। उससे कौन सफर करेगा-पूरा देश सफर करेगा। इसलिये प्रो-प्यूपल स्टैंड लेने के लिये मैं आपकी मदद मांगती हूं, आपसे रिक्वैस्ट करती हूं।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि न केवल असैन्श्यल कमोडिटीज के दाम बढ़ गये हैं बल्कि कई जरूरी मैडिसिन के रेट भी बढ़ गए हैं। आज सुबह गीता जी कह रही थी कि पहले जिस इन्जेक्शन का रेट 1600 रुपए था, जो थालासीमिया के एक पेशेन्ट की जिन्दगी के लिये जरूरी इन्जेक्शन है, उसके रेट 450 रुपये बढ़ गये हैं। एक पेशेन्ट को महीने में दो इन्जेक्शन चाहिये तो इस हिसाब से, दो इन्जेक्शन के लिये अब उसे 900 रुपए ज्यादा देने होंगे। अब वह खाना कैसे खाएगा? रोटी कपड़ा और मकान देना हर सरकार का फर्ज है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्रीमती गीता मुखर्जी) : माननीय, ममता बनर्जी, अब श्री आई के गुजराल को व्यापक परीक्षण रोक सन्धि पर एक वक्तव्य देना है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या मैं कुछ मिनट प्रतीक्षा करूं।

सभापति महोदय : जी हां।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) के बारे में भारत की स्थिति

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : लगभग पचास वर्ष पूर्व भारत ने नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने के मामले में अग्रणी भूमिका निभायी थी। जब हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण किया गया था तो उसके बाद संसद में 2 अप्रैल, 1954 को लोक सभा को सम्बोधित करते हुए श्री जवाहर लाल नेहरू ने नाभिकीय शस्त्रों के उन्मूलन की दिशा में प्रगति होने तक नाभिकीय परीक्षण को रोकने से सम्बद्ध "प्रतिबंध" करार की मांग की थी। तब से हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बात समझाने-बुझाने का बराबर प्रयास करते रहे हैं कि एक ऐसी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की आवश्यकता है जो नाभिकीय हथियारों के गुणात्मक विकास को समाप्त करे और नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में पहले कदम की शुरूआत करे।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर बातचीत को चलते हुए अब ढाई वर्ष हो चुके हैं। वार्ताकारों को यह स्पष्ट प्रादेश है कि वे एक ऐसी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सम्पन्न करें जिससे "प्रसार के सभी पहलुओं को रोकने में, नाभिकीय निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की बढ़ोतरी में कारगर योगदान मिले।" इन वार्ताओं में हमारी सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी रही है तथा हमने इस प्रादेश के अनुरूप कई प्रस्ताव रखे हैं। हमने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि वास्तव में व्यापक होनी चाहिए और इसमें ऐसी कोई खामी नहीं होनी चाहिए जिससे नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्यों को अपने नाभिकीय शस्त्रगारों को अपने परीक्षण स्थलों तथा परीक्षण शालाओं में निरन्तर परिष्कृत तथा विकसित करने की अनुमति मिलती हो, हमने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के अंग के रूप में सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण रूपरेखा में रखने के महत्व को रेखांकित किया है।

यह खेद का विषय है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का वर्तमान स्वरूप इस प्रादेश के साथ न्याय नहीं है। नाभिकीय निरस्त्रीकरण रूपरेखा के अन्तर्गत आए बिना इस संधि से नाभिकीय निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में योगदान नहीं मिलेगा। इन वार्ताओं में भाग लेने के उद्देश्य से हमने रचनात्मक भावना से अपने प्रस्ताव पेश किए थे। ये प्रस्ताव इस भावना से पेश नहीं किए गए थे कि चाहे तो इन पर विचार करो या चाहो तो इन्हें छोड़ दो। हम चाहते हैं कि एक ऐसी वचनबद्धता से वार्ताओं में भाग लिया जाए जिसके परिणामतः एक निश्चित समय-सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों का उन्मूलन हो जाए। यह स्वाभाविक ही है कि उचित निश्चित समय-सीमा क्या हो इसके बारे में हमारा विचार दूसरों से अलग हो सकता है लेकिन हम इस पर अन्य देशों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम यह भी मानते हैं कि यह बातचीत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का अंग नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि यह बातचीत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि इन वार्ताओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। व्यापक परीक्षण संधि में यदि ऐसी किसी कोई वचनबद्धता परिलक्षित नहीं होती है तो हम इस बात से आश्वस्त हैं कि यह संधि नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में पहले कदम की बजाए अन्तिम उपाय साबित होगी। दुर्भाग्यवश नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्य अपने नाभिकीय शस्त्रागारों को समाप्त करने के लिए वचन देने को तैयार नहीं हैं।

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि वार्ताओं में यथा अभिव्यक्त हमारी नाभिकीय, नीति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध चिन्ताओं से पूर्णतः जुड़ी हुई हैं। हमने कभी भी यह बात स्वीकार नहीं की है कि अपनी सुरक्षा के लिए नाभिकीय हथियारों पर निर्भर रहना कुछ देशों के लिए तो जायज माना जा सकता है और दूसरी ओर अन्य देशों को इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है यह हमारी सुसंगत नीति है और हमारे द्वारा नाभिकीय अप्रसार-संधि को नामंजूर करते समय भी यह परिलक्षित हुई थी।

यह विदित ही है कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मुट्ठी भर देशों का एकाधिकार नहीं हो सकता। 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट किया था और इससे उसकी नाभिकीय क्षमता का प्रदर्शन हुआ था। पिछले 22 वर्षों से हम अभूतपूर्व संयम बरतने की नीति पर चलते रहे हैं तथा हमने आगे और कोई परीक्षण नहीं किया है। फिर भी जैसाकि विगत सरकारें इस सदन में बता चुकी हैं हम अपना विकल्प बरकरार रखेंगे ताकि राष्ट्र की सुरक्षा को पेश आने वाले किसी खतरे का मुकाबला करने के लिए हम सभी आवश्यक उपाय कर सकें। हम उस स्थिति यें इस विकल्प को किसी भी तरीके से सीमित नहीं होने देंगे यदि अन्य देश अपने नाभिकीय शस्त्रागारों के उन्मूलन के दायित्व को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। हम इस तथ्य से भी पूर्णतया सचेत हैं कि हमारे क्षेत्र के अन्य देश खुले तौर पर अथवा चोरी-छिपे अपने नाभिकीय कार्यक्रमों को जारी

रखे हुए हैं। हाल ही के कुछ वक्तव्यों और घटनाचक्रों के आधार पर हमें मजबूरन यह निष्कर्ष निकालना पड़ा है कि नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश अपने नाभिकीय हथियारों को त्यागने की मंशा नहीं रखते है। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारक हमारी निर्णय प्रक्रिया का दिशा-निर्देश करते रहेंगे।

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर 20 जून को निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हमारे स्थायी प्रतिनिधि द्वारा दिए गए पूर्ण वक्तव्य से माननीय सदस्यगण परिचित हैं। हमने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस मामले पर परामर्श किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस वक्तव्य से राष्ट्रीय सर्वसम्मति परिलक्षित हो। इस वक्तव्य में हमने यह घोषणा की थी कि भारत व्यापक प्रतिबंध संधि को इसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। बाद में हमने यह भी संकेत दिया कि हमें विवश होकर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का साक्ष्यांकन करने के लिए स्थापित की जा रही अन्तर्राष्ट्रीय मानिटरिंग व्यवस्था से अलग होना पड़ेगा। हमने कहा था कि इस मसले पर अपनी स्पष्ट नीति के आलोक में हम किसी ऐसे दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिससे निर्णय करने के हमारे सम्प्रभुतासम्पन्न अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ता हो। तत्पश्चात व्यापक संधि के प्रारूप का पाठ पेश किया गया है। इस पर 29 जुलाई को जेनेवा में विचार-विमर्श पुनः शुरू होगा। प्रत्यक्षतः नये पाठ में उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है जिन्हें हम उठाते रहे हैं। इसलिए हम इस पाठ के वर्तमान स्वरूप का न तो समर्थन कर सकते हैं और नहीं इसे स्वीकार कर सकते हैं। 29 जुलाई को पुनः शुरू होने वाली बातचीत में हम हिस्सा लेंगे ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कार्य करने की हमारी स्वतंत्रता किसी भी रूप में बाधित न हो। हमारा दृष्टिकोण जिम्मेदारीपूर्ण रहेगा लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय हित की भी रक्षा करनी है। यदि अन्य देश अपनी कोई सर्वसम्मति कायम करते हैं तो यह उनका सम्प्रभुता सम्पन्न निर्णय है। हम सभी देशों से आशा करते हैं कि वे हमारे निर्णय का सम्मान करेंगे और इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि यह संधि, जिससे हम सम्बद्ध नहीं होंगे, भारत पर कोई बाध्यता नहीं लगाएगी। निरस्त्रीकरण सम्मेलन को इन विचारों से अवगत करा दिया जाएगा।

मैंने माननीय सदस्यों को इस मसले पर सरकार की नीति से अवगत कराकर इस अवसर का उपयोग किया है और मुझे आशा है कि सरकार की इस नीति को उनका समर्थन मिलेगा। मैं इस सदन के इस बात से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार इसे राष्ट्रीय हित-चिन्ता का महत्वपूर्ण मसला मानती है और अपने दायित्व के प्रति पूर्णतः सचेत है। विगत में भी हम अपनी दृढ़ धारणा तथा राष्ट्रीय संकल्प का प्रदर्शन करते रहे हैं हमें विश्वास है कि हम इस बार भी इस भावना का परिचय देंगे।

श्री रमेश चेनीत्तला (कोट्टायम) : महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मसला है और नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : आपके पास कहने की काफी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। परंतु अब दो मंत्रियों को अभी तत्काल दो और वक्तव्य देने हैं, क्योंकि उसके पश्चात उनको राज्यसभा में जाना है। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त बिहार के भोजपुर में नरसंहार की घटना के बारे में वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 4.15 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बिहार के भोजपुर जिले में नरसंहार की घटना

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदया, मैं बिहार के भोजपुर जिले में 11 जुलाई, 1996 को हुए एक घृणित अपराध, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों का नरसंहार किया गया, के बारे में वक्तव्य दे रहा हूं। मेरा यह वक्तव्य बिहार सरकार से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों पर आधारित हैं।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि 11 जुलाई, 1996 को बिहार के भोजपुर जिले में सहार थानान्तर्गत ग्राम-बथानी टोला, बड़की खारां में 19 व्यक्ति मारे गए थे। इस घटना के बारे में बिहार सरकार से प्राप्त तथ्य इस प्रकार हैं। रणबीर किसान महासंघ (रणबीर सेना) के लगभग 60 सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने 11 जुलाई, 1996 को दोपहर बाद ग्राम-बथानी टोला बड़की खारां पर हमला किया। उन्होंने 18 व्यक्तियों को गोली मार दी। 6 व्यक्ति घायल हो गए थे जिनमें से भी एक की बाद में मृत्यु हो गई। 12 घरों को आग लगा दी गई जिससे इन घरों में रखा गेहूं, चावल, कपड़े, आदि नष्ट हो गए। हमले के पीछे नईमुद्दीन अहमद नामक व्यक्ति जिस पर, रणबीर सेना के दो समर्थकों की हत्या का संदेह था, से बदला लेने की भावना प्रतीत होती है।

बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सहार थाने में दाखिल कराई गई रिपोर्ट में अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित 30 व्यक्तियों का नाम दर्ज कराया गया है। अभी तक, 22 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनेक आग्नेयास्त्र तथा गोलीबारूद बरामद किया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए एक उप निरीक्षक तथा आठ अन्य रैंकों को निलम्बित कर दिया गया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर गए। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक घटना के बाद से ही वहां डेरा डाले हुए हैं।

मारे गए एवं जीवित बचे पीड़ितों को तत्काल 10,000 रु. की नकद राहत प्रदान की गई है। मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 30 किग्रा. चावल तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने 13 जुलाई, 1996 को क्षेत्र का दौरा किया तथा मारे गए

व्यक्तियों के परिवार के निकटतम संबंधी को एक लाख रु. की दर से राहत दिए जाने की घोषणा की। परिवार के जीविकोपार्जक सदस्य के मारे जाने के मामलों में नौकरी देने के प्रस्ताव के अलावा मुख्यमंत्री ने नईमुद्दीन अहमद के परिवार को 2 लाख रु. की राहत देने की भी घोषणा की। केन्द्रीय गृह सचिव ने आगे पता लगाया है कि सहार, संदेश, पीरो एवं उदवंत नगर नामक चार थाना क्षेत्रों में जिन्हें कि रणबीर सेना का गढ़ समझा जाता है, बिहार सैन्य पुलिस और राज्य पुलिस द्वारा तलाशी अभियान शुरू कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे अपने हथियार जमा कर दें और रणबीर सेना के कार्यकर्ताओं को निःशस्त्र करने प्रयास किए जा रहे हैं।

जबकि इस बात में सन्देह नहीं कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के पुनर्वास सहित पर्याप्त समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी फिर भी सरकार द्वारा बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। पहले तो घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों की न केवल कथित निष्क्रियता की जांच करने की जरूरत है, अपितु कानून और व्यवस्था लागू करने वाले तंत्र की मनःस्थिति की छानबीन करने के लिए गहराई तक जाने की भी जरूरत है। फिर कमजोर वर्गों को शक्तिशाली बनाने का प्रश्न है क्योंकि उन्हें ही सदैव ताकतवार लोगों के जुल्म सहने पड़ते हैं। इन वर्गों के उत्थान से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु स्वाभाविक रूप से एक अधिक प्रभावकारी रणनीति की जरूरत है। देश में प्रशासनिक तंत्र की कारगरता को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने के तौर तरीके सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार का बिहार तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है। केवल एक कारगर एवं जबावदेह प्रशासन ही भोजपुर जैसी घटनाओं को रोक सकता है।...**(व्यवधान)**

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : मैं गृहमंत्री से एक प्रश्न पूछता हूं।

सभापति महोदय : अब दूसरे मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। उसके पश्चात् यदि आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के निकट 11 जुलाई 1996 को अर्चना एयरवेज के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहिम) : जैसा कि मैंने 11.7.1996 को सदन में आश्वासन दिया था, अर्चना एयरवेज विमान की दुर्घटना के सम्बन्ध में और आगे ब्यौरा अब उपलब्ध हो गया है, और मैं उसके बारे में सदन को सूचित करना चाहूंगा।

अर्चना एयरवेज का एल-410 प्रकार का विमान हिमाचल प्रदेश में मण्डी जिले के काण्डा गांव के निकट भुंतर हवाई अड्डे के लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष से टकराया और तब एक मकान पर गिर पड़ा, जिससे विमान में सवार सभी नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और भूमि पर तीन व्यक्ति घायल हो गये। विमान में आग लग गई और यह पूर्णतः नष्ट हो गया।

भारतीय वायु सेना स्टेशन, चण्डीगढ़ से खोज और बचाव दल, मण्डी के जिला प्रशासन और भुंतर हवाई अड्डे के वरिष्ठ विमानक्षेत्र अधिकारी तुरन्त दुर्घटनास्थल की ओर रवाना हो गये और विमान के मलबे और विमान में सवार व्यक्तियों के शवों को खोज निकाला। सभी नौ शव झुलस गये थे।

सभी नौ मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई थी और उन्हें 11.7.1996 को रात्रि 9.00 बजे तक दुर्घटनास्थल से कुल्लू ले आया गया था। अगले दिन पोस्टमार्टम सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, तीन जापानी यात्रियों को छोड़कर, जिनके रिश्तेदारों के पिछली रात दिल्ली पहुंचने की संभावना थी, शवों को उनके निकट संबंधियों को सौंप दिया गया था।

विमान, कैप्टन वी.एम. मलिक की कमांड में था और उनके साथ कैप्टन एस.गुप्ता सह-विमानचालक थे। कैप्टन मलिक को लगभग 8,800 घंटों का कुल उड़ान अनुभव था, जिसमें इस प्रकार के विमान पर पाइलट-इन-कमांड के रूप में 1,600 घंटे शामिल हैं। कैप्टन एस. गुप्ता को लगभग 1,800 घंटों का कुल अनुभव था जिसमें इस प्रकार के विमान पर सह-विमानचालक के रूप में 876 घंटों का अनुभव शामिल है।

मैसर्स अर्चना एयरवेज द्वारा यह विमान 1994 में नया खरीदा गया था और इससे लगभग 3,300 घंटों की उड़ान भरी जा चुकी थी। विमान की आखिरी बार 24 जून, 1996 को प्रमुख जांच की गई थी। जब 11 जुलाई, 1996 को विमान ने दिल्ली से प्रस्थान किया तब इसमें कोई खराबी नहीं बताई गई थी।

नागर विमानन महानिदेशक द्वारा दुर्घटना के कारणों की प्रारंभिक जांच आरम्भ की जा चुकी है और हवाई सुरक्षा निदेशक को वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अधीन दुर्घटना निरीक्षक नियुक्त किया गया है। दुर्घटना वाले दिन विमानन विशेषज्ञ डाक्टर सहित दुर्घटना निरीक्षक दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गये थे। दोनों फ्लाईट रिकार्डर मिल गये हैं और डीकोडिंग के लिए इन्हें दिल्ली लाया गया है। दुर्घटना स्थल के निरीक्षण से पता चलता है कि विमान (लगभग 8,000 फुट ऊंची) पहाड़ी की चोटी से लगभग 20 फुट नीचे टकराया था। दुर्घटनास्थल पर मौसम बादलों वाला था। आगे जांच चल रही है।

हालांकि दुर्घटना का मामला हम सबके लिए एक दुःख और गहरी संवेदना का विषय है, मैं इस अवसर पर सदन को यह आश्वासन

देना चाहूंगा कि अंतर्देशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन प्रचालनों में हवाई सुरक्षा के साथ न कभी पहले कोई समझौता किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा। देश में प्रचालन कर रहे प्रत्येक विमान की अत्यन्त कड़ी उड़नयोग्यता जांच की जाती है और विनियम और नियन्त्रण की हमारी प्रणाली उतनी ही व्यापक है जितनी कि यह हो सकती है।

इसके बावजूद, तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एस.एस. रामदास को दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 75 के अधीन जांच-न्यायालय के रूप में नियुक्त किया है। जांच-न्यायालय से खास तौर से अनुरोध किया गया है कि वह इस बारे में तत्काल अपने निष्कर्ष दें कि क्या भुंतर हवाई अड्डे के लिए प्रचालनों में कोई तकनीकी खामियां हैं और यदि ऐसा है, तो विशेष रूप से प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में, उनके लिए उपचारी उपाय सुझायें।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने निजी सैक्टर में प्रचालन कर रहे प्रत्येक विमान के 100 प्रतिशत सुरक्षा ऑडिट के निदेश दिए हैं।

अंतर्देशीय प्रचालनों में उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसा उन अनिवार्य जांचों के अतिरिक्त किया जा रहा है जो पहले से ही की जाती है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं, हवाई परिवहन उद्योग में, इसकी एकाधिकार समाप्ति के बाद, भारी वृद्धि हुई है। इस तेज विस्तार प्रक्रिया में भी हवाई सुरक्षा के पहलू के साथ किसी भी प्रकार के समझौते की अनुमति नहीं दी गई है। प्रचालकों के साथ परामर्श करके हवाई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधियों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है और आवश्यक निवारक कदम उठाये जाते हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय और इसके संगठन, देश में सुरक्षित हवाई परिवहन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं और इस विषय में कोई चिन्ता का कारण नहीं है।

अन्त में, मैं शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना और गहरी सहानुभूति प्रकट करता हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण ये सभी वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए वक्तव्य हैं और यह स्वाभाविक है कि बहुत से माननीय सदस्य इन पर बोलना चाहते हों। परन्तु जैसा कि होता है, यह वक्तव्य नियम 372 के अन्तर्गत दिए गए हैं। जिन पर आगे चर्चा नहीं होती...**(व्यवधान)** माननीय सदस्य इन विषयों पर अन्य तरीकों से सूचनाएं दे सकते हैं...**(व्यवधान)**। अध्यक्ष महोदय उन सूचनाओं पर विचार कर सकते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण मामले हैं। कुछ करने का यह एक तरीका है।

दूसरा तरीका यह है कि आप सब एक ही समय चर्चा शुरू करके और सभा में अव्यवस्था पैदा कर दें। आपको देखना है कि किस तरीके को चुना जाये। आप मुझे बता दें।...**(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : मैंने पहले ही एक सूचना दी है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप पहले अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी एक ही समय इकट्ठे खड़े हैं। हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिये। हर बात का एक तरीका है।

(व्यवधान)

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : मैं एक मसला उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : हरेक सदस्य कोई न कोई मामला उठा रहा है। इनमें से एक-दो या अधिक सदस्यों का एक ही मामला हो सकता है।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : मैं चाहता हूं कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : वह अध्यक्षपीठ के विवेकाधिकार पर निर्भर है। आप कुछ अन्य नोटिस भी दे सकते हैं और उनके साथ बात कर सकते हैं। कृपया उनके साथ बात करें। इस समय बैठ जायें।

श्री सत महाजन : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सूचना दी है।

सभापति महोदय : अब क्या किया जा सकता है हो सकता है कि अनेक अन्य सदस्यों ने भी इस विषय पर सूचनायें दी होंगी।

(व्यवधान)

श्री सत महाजन : मेरा अनुरोध है कि न्यायमूर्ति डी.पी. सूद ने, जिनको एक सदस्यीय उस जांच आयोग के रूप में उस विमान दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था जिसमें पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सुरेन्द्र नाथ की मृत्यु हो गई थी कुछ सुझाव दिये हैं।

उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। परंतु उस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि उन अनुदेशों को अनुपालन किया जाए। यदि उनका अनुपालन किया जाता तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होतीं। यदि उस रिपोर्ट पर विचार कर किया गया होता तो यह दुर्घटना नहीं होती...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब मैं आपसे कहती हूं कि अब 6 सदस्य अपना हाथ उठायें। मैं प्रत्येक सदस्य को दो-दो मिनट का समय दूंगी। अब श्री चेन्नित्तलाबोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) महोदया, दो मंत्री तो सभा से जा भी चुके हैं। उनके विषयों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कौन देगा। अब तो केवल विदेश मंत्री बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : यदि आप सहमत हो और यदि मंत्री यहां पर हों तो हम इन विषयों को ले सकते हैं। अन्यथा आप समुचित सूचना देकर इन पर चर्चा कर सकते हैं। यह मेरा सुझाव है। कृपया बैठ जायें। मैं प्रत्येक वक्ता को दो मिनट का समय दूंगी।

(व्यवधान)

श्री पी.एम. सईद : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? इस सभा में यह सुस्थापित परिपाटी है कि वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण मांगा या दिया नहीं जाता। अब हम जो कुछ करने जा रहे हैं वह परिपाटी के विपरीत हैं।

सभापति महोदय : यही तो मैंने कहा था। उस नियम के अधीन कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता या कोई चर्चा आरंभ नहीं की जा सकती। यह स्थिति है। क्या मैं इसे पढ़ दूं। हालांकि हम ऐसा करते रहे हैं इसकी अनुमति नहीं है।

श्री पी.एम. सईद : यह इस सदन की परम्परा नहीं है। दूसरे सदन में भी जो भी वक्तव्य दिया जाये सदस्य उस पर दिन भर स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं और मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाते हैं।

सभाणति महोदय : आप इतने पुराने सदस्य हैं। आपको लोक सभा के बारे में भिन्न नियम बनाने चाहिये थे।

श्री पी.एम. सईद : यहां पर ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : क्या हम आगे चलें?

श्री बी.के. गढ़वी (बनसकांठा) : लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार इस पर अब भी चर्चा नहीं होनी चाहिये। उनको अलग से सूचना देनी चाहिये...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि आप इसी तरह चलते रहेंगे तो मुझे इसे रोकना होगा और कुमारी ममता बनर्जी को अपना भाषण जारी करने को कहना होगा जो नियमानुसार किया जाना चाहिये।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.34 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में बजट से पहले भारी वृद्धि—जारी

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं एक मुद्दे पर जानकारी चाहता हूं। मेरा विचार है कि चर्चा आज समाप्त हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि किस समय मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। यदि हमें यह सूचना अभी दे दें तो यह अच्छा होगा ताकि सदस्य सदन में वापस आ जायें। उत्तर का समय 5.00 बजे या 5.30 बजे हो सकता है। उत्तर दिये जाने के लिये समय नियत कर दिया जाये। यदि ऐसा कर दिया जाये तो हमारे लिये सहायक होगा।

सभापति महोदय : आपका धन्यवाद। यह बहुत अच्छा मुद्दा है। कुमारी ममता बनर्जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें और शीघ्र पूरा करें। इस बीच हम इस बात का पता करेंगे कि वह कब उत्तर देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, आप इस बात की सराहना करेंगे कि मैंने भाषण शुरू किया था और वक्तव्य दिये जाने के कारण बीच में बैठ गई थी। अब मुझे अपना भाषण पूरा करने दें।

यह बहुत ही गंभीर मसला है।

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। अब शीघ्र समाप्त करें।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरे बोलने में व्यवधान डाले गये।

सभापति महोदय : आपने जो कुछ भी कहा वह सभी बातें रिकार्ड में हैं। कृपया शीघ्रता से पूरा करें।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं यह कहना चाहूंगी कि हाई स्पीड डीजल तथा रसोई गैस के भावों के कारण नागरिकों पर भार पड़ा है। यह दोनों वस्तुएं साधारण नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसी कारण मैं यह कहना चाहती हूं कि इनके भाव घटाना बेहतर है। इसके अतिरिक्त, गैर योजना बजट में 10 प्रतिशत कटौती करना भी बेहतर है। परंतु गैर योजना बजट में कटौती करने के स्थान पर यदि हम निर्धन व्यक्ति पर भार डालेंगे तो वह जिन्दा कैसे रहेगा? मुझे सभी पार्टियों के नेताओं से एक अनुरोध करना है। अपनी विमान यात्रा के दौरान संसद सदस्य एग्जीक्यूटिव श्रेणी से यात्रा करते हैं। क्या मैं एक सुझाव दूं। यदि आप इकोनिमी श्रेणी से यात्रा करेंगे तो इससे 400 रु. की बचत होगी। मैं हमेशा सरकारी पैसे की बचत के लिये इटोनमी श्रेणी में यात्रा करती हूं। संसदीय समितियों की बैठकों में हिस्सा लेने के लिये पांच तारा होटलों में ठहरने के स्थान पर हम सर्किट हाउसों या राज्य सरकार के अतिथि गृहों या केन्द्रीय सरकार के अतिथि गृहों में क्यों नहीं ठहरते? इस तरीके से आप सरकारी बजट में बचत कर सकते हैं और इसका लाभ निर्धन लोगों को मिलेगा। यदि आप पहले इस का पालन करेंगे तो दूसरे भी पालन करेंगे। यदि आप ही इसका पालन नहीं करेंगे तो दूसरे भी इसका पालन नहीं करेंगे। पहले आप दूसरों को रास्ता दिखायें तब वे आपको दिखायेंगे। यह मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है।

दोपहर के भोजन तथा रात्रि भोजन के बारे में इस देश की ओर से मेरा अनुरोध है कि रसोई गैस के भाव बढ़ाने के स्थान पर आप विदेशियों के सिवाए शेष लोगों को दोप्रहर के भोजन और रात्रि भोजन के आतिथ्य के लिए आमंत्रित करना बंद कर दें। विदेशियों का

आतिथ्य करना जरूरी है। परन्तु हमें लाबी तैयार करने के लिये, एक दूसरे के साथ अपने संबंध सुधारने हेतु ऐसा नहीं करना चाहिये। हम इस पर काफी खर्चा करते हैं। यदि आप मुझ से पूछें तो इस प्रयोजन के लिये मैं तैयार हूं आप सभी राजनीतिक नेताओं से बात करें हम एक साल का वेतन सरकार को देने को तैयार हैं ताकि इस तरीके से सरकार धन बचा सके। मेरा इतना ही अनुरोध है कि संसाधनों को जुटाने का काम सरकारी खर्चे में अधिक बुद्धिमानी दिखाकर दिया जाये और दुर्लभ संसाधनों पर टैक्स लगा कर या इस देश के आम नागरिकों को लूट कर नहीं। हम अपने से मितव्ययता शुरू करें। रसोई गैस और डीजल के भावों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। यह सच है कि प्रधान मंत्री ने डीजल के मूल्य में 15 प्रतिशत कटौती कर दी है। मेरा सुझाव यह है कि आप डीजल के भाव में 5 प्रतिशत की और कटौती करें और रसोई गैस के भाव में बिल्कुल भी वृद्धि न करें। आप पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बात करते हैं। उन स्थानों में, जिनके लिये रेल सम्पर्क नहीं है जैसे कि हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय जैसे स्थान, आप उन स्थानों पर रहने वाले लोगों की यात्रा व्यवस्था करने की ओर कुछ ध्यान दें। क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के लिये कोई कार्य योजना तैयार की है? मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उनके लिये कोई घोषणा करने जा रही है?

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहती। परन्तु यदि सभी संसद सदस्य सहमत हों तो हम मितव्ययता स्वयं संसद सदस्यों से शुरू कर सकते हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने इसे शुरू किया था फिर भी मैं नई सरकार से इस प्रक्रिया को शुरू करने का अनुरोध करती हूं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि जनता पर भार न डाले। हम भार बांटने को तैयार हैं। मेरा प्रधान मंत्री से विनम्र निवेदन है कि हम आम आदमी पर यह भार नहीं डालना चाहते। यद्यपि आपने हमें सूचित नहीं किया फिर भी आपने कल कलकत्ता का दौरा किया था। अखबारों में उसके बारे में छपा है। युवाओं द्वारा आंदोलन का कार्यक्रम था। एक लाख से अधिक लोगों ने मूल्य वृद्धि के विरुद्ध गिरफ्तारियां दी। सद्भावना दिखाने के लिये भी आपने कुछ नहीं किया है। चूंकि आपने हमारे राज्य का दौरा किया हमारा कर्तव्य है कि हम आपके प्रति पूरा आदर दिखायें। इस के साथ ही मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इसे प्रतिष्ठा का मामला न बनायें और माननीय दृष्टिकोण अपना कर इसे देखें। गृहिणियां, मजदूर, मध्य वर्ग तथा इस देश के प्रत्येक नागरिक इन कार्यवाहियों को देख रहा होगा। कृपया उनको नकारात्मक उत्तर न दें। यदि चाह हो तो रास्ता निकल आता है और मुझे विश्वास है कि हां रास्ता है। आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। अन्यथा, मैं नहीं जानती कि निकट भविष्य में देश का क्या होगा। मैं विश्वास करती हूं कि प्रधान मंत्री मूल्य घटायेंगे।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदया, ऐसा नहीं है कि पहले कभी मूल्य वृद्धि नहीं की गई। पिछले वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों सहित लगभग सभी अवश्यक वस्तुओं के भावों में वृद्धि हुई परंतु इस बार जो हुआ है वह यह है कि अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि की गई है। एक ही बार 25 से 30 प्रतिशत मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व है और इस देश के लोग इसे सहन नहीं कर सकते।

अतः इस संयुक्त मोर्चे का घटक होते हुए और सरकार के समर्थक होते हुए भी हमारे पास इसका विरोध करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं है और जैसे ही हमें दूसरी जानकारी मिली हम ने वहीं किया सरकार ने हमारी मांग के प्रति सहानुभूति का रूख अपना कर विशेष रूप से डीजल के मूल्य वृद्धि में 75 प्रतिशत की कटौती कर दी।

महोदया, जब बाहर से सरकार का समर्थन करने वाली कोई राजनैतिक पार्टी मूल्य वृद्धि को लेकर भाषण करती है तो मुझे उसकी ईमानदारी पर शक होता है और मुझे इस बात पर भी शक होता है कि क्या उन्हें मूल्य वृद्धि का विरोध करने या इसके विरोध में धरने पर बैठने या किसी अन्य प्रकार से विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं इसका विरोध करती हूं।

सभापति महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने अभी समाप्त नहीं किया है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्योंकि उन्होंने कुछ कहा, कि वे धरने पर बैठे...**(व्यवधान)** यह उनके मौलिक अधिकार है।

सभापति महोदय : उन्होंने अभी बोलना बंद नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : महोदया, मैंने कोई असंसदीय बात नहीं कही है मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। बल्कि मैं यह कहूंगा कि इस तरह के धरने आयोजित करना आडम्बर की सीमा है। क्योंकि यदि आप उनके इतिहास हो देखेंगे तो आप पायेंगे कि जब भी वे सत्ता में थे 1985-86 से 1988-89 के स्वर्णिम काल को देखें हर एक वस्तु अर्थात्, कोयले, इस्पात, गेहूं, चावल, चीनी और पेट्रोलियम के भावों में 13000 करोड़ रु. या इससे अधिक की वृद्धि की गई? और उस समय हमने विरोध में केवल यही कहा कि प्रशासित मूल्यों में इस तरह वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।

कुमारी ममता बनर्जी : अब आपका "रास्ता रोको" आन्दोलन और "रेल-रोको" आन्दोलन कहां गया।...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल : केन्द्रीय सरकार के पास धन जुटाने के लिये प्रशासित मूल्यों को बढ़ाने का रास्ता एक बहुत ही सुविधाजनक उपाय है। हम दो आधारों पर इसका विरोध करते थे और उन्हीं आधारों पर हम अब भी इस का विरोध कर रहे हैं।

पहला आधार यह था कि इसकी संसदीय समीक्षा नहीं होती। इसके लिये संसदीय मंजूरी भी नहीं ली जाती। जो सरकार हर मामले में पारदर्शिता की बात कर रही हो उसके लिये इस तरह के कदम उठाना शोभा नहीं देता।

दूसरा आधार यह है कि निर्यात शुल्क तथा इस तरह के अन्य आयातों में वृद्धि में राज्य सरकारों का हिस्सा हो सकता है किन्तु प्रशासित मूल्यों में वृद्धि के भार को राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है। परंतु उनको इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता। जब यह सरकार वित्तीय संबंधों सहित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों के सार ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये वचनबद्ध है तो ऐसे कदम नहीं उठाये जाने चाहियें जो राज्य सरकारों पर भार डालते हों/इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। यही हमारा विरोध है। राज्यों के साथ सलाह-मशाविरा किया जाना चाहिये।

यह आम धारणा है कि जब इस सरकार ने जनता को मूल्यों में स्थिरता लाने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने का वचन दिया है तो इसे इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिये था। परंतु सरकार का कहना है कि इसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। क्यों? यह सरकार कुछ महीने पहले ही सत्ता में आई है। यह पिछली सरकार द्वारा किया गया पाप है। उन्होंने 30 महीने तक इस मामले को लम्बित रखा था। ऐसा उन्होंने संकुचित दलगत राजनीति के मद्देनजर किया था। उनको पता था कि चुनाव आयोजित होने हैं और इस कारण उन्होंने इसे लम्बित रखा। अतः इस सरकार के लिये और कोई रास्ता नहीं था। भाजपा के वक्ता बड़ा लच्छेदार भाषण कर रहे थे। परंतु उनके भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह ने स्वयं कहा कि यह मूल्यवृद्धि किसी भी सरकार के लिये अपरिहार्य थी। परंतु हमारा विचार है कि देश की आम जनता इस भारी मूल्य वृद्धि को सहन करने की स्थिति में नहीं है। हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि मिट्टी के तेल के भावों में वृद्धि नहीं की गई हैं परंतु घरेलू गैस का उपयोग सम्पन्न वर्गों के द्वारा ही नहीं दिया जाता अपितु इसका उपयोग निम्न मध्य वर्ग के द्वारा, निर्धन वर्ग के द्वारा और कामकाजी महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। इस सरकार को जो महिलाओं को राजनैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है, जो आरक्षण के जरिए उनको और राजनीतिक शक्तियां प्रदान करना चाहती है। यह पता होना चाहिये कि यदि रसोई गैस के मूल्य में भारी वृद्धि का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा तो कामकाजी महिलाओं का क्या होगा। इसी कारण हम उसकी समीक्षा की मांग करते हैं।

दूसरी ओर विपक्ष इस बात से खुश लगता है जैसे हमें इस बात से परेशानी हो रही है कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये है जिनके लिये हमारे पास विरोध करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं है। परंतु हमने अपनी स्थिति आरंभ से ही स्पष्ट कर दी है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में हममें सर्वसम्मति है। परंतु आर्थिक मसलों पर हममें मतभेद हैं क्योंकि यह एक मिला जुला कार्यक्रम है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में आर्थिक मामलों के बारे में हमारे अपने विचार हैं। देश के कामकाजी लोगों तथा किसानों के हित में जहां वहीं जरूरी हो हमने अलग मत रखने का अधिकार रखा हुआ है। परंतु भाजपा के लिये खुश होने का कोई कारण नहीं है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम और इस सरकार की नींव इस बात का उदाहरण है कि हम इस बात के लिये वचनबद्ध हैं कि कोई साम्प्रदायिक ताकत सत्ता में न आ जायें। हम इस बात को देखेंगे कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता और अनेकता बनी रहे, देश की एकता की रक्षा की जाये और उसके लिये यह संयुक्त सरकार बनी रहेगी और हम इसे समर्थन देते रहेंगे।

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर-दक्षिण) : माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री रूप चन्द पाल : मैं पूरी तरह से प्रासंगिक बातों पर और ठीक बातों पर बोल रहा हूं।

अब मैं सबसिडी और क्रास-सबसिडी की बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 1950 के दशक के आरंभ में पेट्रोल का भाव उन देशों भाव के आधार पर तय किया जाता था जहां से हमें आयात करना पड़ता था। 1976 में स्थिति में बदलाव आया जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निर्णय लिया कि उनके लिये प्रशासित मूल्य होने चाहियें।

उस समय के अलग परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम, डीजल तथा ऐसे अन्य उत्पादों के लिये प्रशासित मूल्य अपनाये गये। वह परिप्रेक्ष्य बदल गया है।

अब हम सबसिडी और क्रास सबसिडी के मसले पर विचार करेंगे। मोटर स्पिरिट तथा ए.टी.एफ से क्रास सबसिडी वापस लेकर निर्धन वर्गों के उपयोग की वस्तुओं अर्थात् मिट्टी का तेल, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर दी जा रही है। हमारे देश की वास्तविकता क्या है? यह आर्थिक विसंगति है। सबसिडी के बारे में ठोस सिद्धांत होने चाहियें क्योंकि इन दिनों जनता के निर्धन वर्गों को सबसिडी के नाम पर यदि आप देखेंगे तो आप यह पायेंगे सम्पन्न वर्ग निर्धन वर्गों के लिये मिलने वाली सबसिडी के अधिकांश लाभ हासिल करते रहे हैं।

उदाहरण के रूप में हम डीजल को देखें। डीजल पर सबसिडी का प्रयोजन समाज के कमजोर वर्गों, परिवहन के लिये जिन्हें की ढुलाई के लिये लाभ पहुंचाना था। परंतु परिवहन क्षेत्र के द्वारा कितने प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है? यह कम नहीं है जबकि ग्रमीण किसानों के द्वारा भी काफी अधिक मात्रा की खपत की जाती है और उनमें से कुछ हिस्सा सम्पन्न भी हैं उनको कोई कर भी नहीं देना पड़ता हैं हमें सिंचाई पर सबसिडी उच्चशिक्षा पर सबसिडी देने की नीतिपर पुनर्विचार करना चाहिये। अतः जब सरकार कहती है कि पीडीएस के जरिए निर्धनों में से निर्धनतम को सबसिडी मुहैया कराएगी तो इसे सबसिडी के बारे में अपने ठोस विचार बनाने चाहिये ताकि क्रास सबसिडी देने का यह प्रश्न इस देश के लोगों को समझाया जा सके जिससे लोग निर्धनतम वर्गों के हित में स्वतः इस बात को स्वीकार कर लें।

पेट्रोल का उपभोग करने वाले लोगों को कुछ बलिदान करना पड़ेगा। क्या सिएलो तथा मर्सीडीज कारों वाले अदा नहीं करेंगे? क्या पेट्रोल के मूल्य में मामूली सी वृद्धि किये जाने पर वे इसी तरह

शिकायत करते रहेंगे। दुपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों के चालक भी हैं। अतः एक सुझाव है। श्रीमती गीता मुखर्जी तथा दक्षिण बंगाल सरकार के वित्त मंत्री का भी सुझाव था कि पेट्रोल में दोहरी मूल्य नीति लागू की जाये। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस मामले पर पुनर्विचार करे।

सभापति महोदय : रूपचन्द जी कृपया समाप्त करें।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय समस्या की जड़ यह है कि हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति नहीं हैं चाहे तेल की खोज की बात हो, तेल की खपत की बात हो, इसमें आत्मनिर्भरता की बात हो या ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोंतों के उपयोग की बात हो एक समेकित और व्यापक ऊर्जा नीति तत्काल बनाने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में भारत स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसे अन्यों पर निर्भर न रहना पड़े।

आज हमें इस बात से हैरानी है कि निजीकरण के नाम पर आज हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कम भावों पर महत्वपूर्ण पार्टियों को दिये जा रहे है। भ्रष्टाचार का बोल बाला हैं अतः तेल की खोज, उसके उपयोग, वैकल्पिकों के उपयोग तथा सरंक्षण के सभी पहलुओं के संबंध में एक संयोजित और अर्थपूर्ण राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अभाव में हमें आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

महोदया, मैं निष्कर्ष के रूप में कह रहा हूं कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के भाव इतने बढ़ा दिये है कि उस देश के आम आदमी उसे सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि डीजल के भाव बढ़ाने के बाद फिर से कुछ कम किये गये हैं सरकार इस मूल्य वृद्धि की समीक्षा को और यह देखने की कोशिश करें कि जो भार डाला जा रहा है वह इस देश के आम व्यक्ति पर ही न पड़े और समाज के सम्पन्न वर्गों पर भी उसका समान भार पड़े। उसके लिये हमें कोई न कोई हल निकालना होगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : मैडम, तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जिस दिन तेल के भाव बढ़ाए गए, सारे देश के लोगों के बीच में त्राहि-त्राहि मच गई। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश हैं कृषि में तेल का सबसे ज्यादा उपयोग होता हैं। डीजल के बिना न खेती का काम हो सकता है, न जुताई का, न पानी और न ही फसल को निकालने का काम हो सकता है। इसमें डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमें इस बात का खेद है कि इस सरकार ने सदन को विश्वास में लिये बिना मनमाने तरीके से रात के 12 बजे तेल के दाम बढ़ा दिए जिससे जनता परेशान हुई जब कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया तो कहा गया कि 10 हजार करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा। हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं कि साबुन, दालों, टुथब्रुश, पेस्ट, मकान बनाने के प्रयोग में आने वाली रोड़ी, बजरी, सरिया, सीमेंट आदि सब चीजों के दाम बढ़ गए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दाम बढ़ाना जरूरी था। इस बात को हम भी मानते है कि देश पैसे के बिना नहीं चल सकता लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देश की जनता के ऊपर भार डाला, किसान और मजदूर को आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचाया और आर्थिक तौर से कमजोर करने का षडयंत्र रचा, वह बहुत ही दुखदायी है।

कुछ दल कहते हैं कि हम दलितों, शोषितों और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ वह मूल्य वृद्धि का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वह वापस ली जाए और दूसरी तरफ सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इस बात को नहीं देखा कि सरकार चले या नहीं चले। जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको अपनी स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। वे पैट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के हक में है या उसको घटाने के हक में है।

कुछ साथी कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी, हमें सरकार को बचाना है उधर के लोग इस देश की जन भावना का निरादर करके सरकार को चलाते हैं और जनता के ऊपर बोझा पड़ेगा। इसको लेकर बाहर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और धरने दिए जा रहे हैं सरकार के सहयोगी दल बाहर से ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जब शराबबंदी लागू हुई तो उसे 600 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ। इसको लेकर हमारे दूसरे साथी जिस में जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे, प्रधान मंत्री से मिले। प्रधान मंत्री जी का जवाब था कि अभी सात हजार करोड़ रुपए का और बोझा पड़ेगा। प्रदेश की सरकार जन हित में काम करती है तो केन्द्र सरकार उसमें उसकी सहायता नहीं करती और दूसरी तरह से देश की जनता के ऊपर इस तरह का बोझा लादती है। अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो दूसरे सांधनों से भी खर्चे में कटौती की जा सकती थी। आज नौकरशाह, मिनिस्ट्री के लोग, प्रधान मंत्री कार्यालय के लोग जिस तरीके से पानी को पैसे की तरह बहा रहे हैं, उसको काबू किया जा सकता था। मैं मंत्री रहा हूं इसलिए एक बात बताना चाहता हूं कि मंत्रालयों में 20-30 गाड़ियां बेकार चलती हैं, उनके कई लाख रुपए के टेलीफोन के खर्चे होते हैं, इसमें कटौती की जानी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, दूसरे मंत्री लोग बैठे हैं।

अपराह्न 4.59 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए)

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। विदेशी बैंकों में जिन राजनीतिज्ञों के एकाउन्ट्स हैं, उनको सबसे पहले स्कवीज किया जाए और वह पैसा हिन्दुस्तान में लाया जाए ताकि इस घाटे को पूरा किया जा सके। चाहे कोई सत्ता में रहे या बाहर रहे, उनके एकाउन्ट्स, प्रापर्टीज को नीलाम किया जाए। उन्होंने इस सदन में रहकर अपार सम्पत्ति जमा की हैं आप यह सम्पत्ति नीलाम कर सरकारी खजाने में जमा करायें।

अपराह्न 5.00 बजे

इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अखबारों में चर्चा है कि स्विस बैंक में उसका 10 हजार करोड़ रुपया, पांच करोड़ रुपया जमा है। क्यों नहीं गृह मंत्रालय उनके नेताओं को गिरफ्तार करके इंटैरोगेट करता और देश के सामने उनकी असलियत रखता? उनका विदेशों में जो धन है, वह इस देश में लाये ताकि हिन्दुस्तान का पैसा हिन्दुस्तान में जनता पर खर्च किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार कई पार्टियों को मिलाकर बनी है और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है, वह इसलिये दिया कि बी.जे.पी. की सरकार या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री न बन सकें। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप लोगों के पास इतने साधन हैं कि आपके दस हजार करोड़ रुपये*...

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। यह मामला न्यायालय में लम्बित है। अतः इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : यह पैडिंग कहां है? मैं तो सोर्सेज बता रहा हूं। अब यह 133 करोड़ रुपया जनता का है, वह किसी का नहीं है। जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। खाद का हिसाब देना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनता है। इस 133 करोड़ रुपये के घोटाले में जो इन्वाल्व है, उसको गिरफ्तार करो। पैसा कहां गया? करोड़ों-अरबों रुपये लूटकर विदेशी बैंकों में ले गये। ऐसा नहीं होने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि कोई भी मंत्री हो, मैं ही क्यों न होऊं, उसे कटघरे में खड़ा करो। इसमें चाहे लालू यादव हों या कोई भी हो...(व्यवधान) देश की जनता हम से पूछती है कि 133 करोड़ रुपये का खाद घोटाला है, वह पैसा कहां गया? यहां पर हम लोगों को ठीक से चर्चा नहीं करने देते हैं। जब चर्चा आती है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पैट्रोल के इतने ज्यादा दाम बढ़ाये हैं, इनको कम किया जाये वरना देश की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। ये कहते हैं कि बाहर रहकर समर्थन करेंगे। इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि विदेशों में जिनके खाते हैं, उनका सारा का सारा पैसा इस देश में वापस लाकर इस मूल्य वृद्धि को बढ़ने से रोक सकते हैं। ...(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री सी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...(व्यवधान) महोदय, यदि कोई सदस्य यह कहता कि अपूर्व सदस्य किसी कारण विशेष से सदन में उपस्थित नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह एक तरह से किसी के विरुद्ध कुछ कहना है। किसी भी सदस्य को इस सदन में किसी सदस्य के उपस्थिति होने अथवा न होने के बारे में कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : यह जो खाद का घोटाला है उसका पैसा वापस लाने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : जय प्रकाश जी आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : महोदय, शब्दों के बहाव में वह कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाने चाहियें। उनमें से कुछ मामले न्याय निर्णयाधीन हैं। मैं यह सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें और उन शब्दों को निकाल दें क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि दूसरे सदस्य को ठीक गिरफ्तार किया गया है अथवा गलत गिरफ्तार किया गया है। ऐसे बहुत से वक्तव्य हैं और उन सब बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है

(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ) : आप किस को बचाने का प्रयास कर रहे है?...(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपको...(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह : मुझे आपके संरक्षण की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान) आप किस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ...(व्यवधान) मुझे कभी आपके संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी ...(व्यवधान)*

आप किस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप उसका नाम क्यों नहीं लेते?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

चाहता हू कि ...

कर्नल राव राम सिंह : आप भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मेरा बचाव कर रहे हैं। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। आप भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

मेरा विचार था कि साम्यवादी पार्टियों के कुछ सिद्धांत होते हैं। आप ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने देश का 133 करोड़ रु. लूटा है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, वह मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे आपका संरक्षण चाहिये।...**(व्यवधान)** आप उनके वक्तव्यों को क्यों नहीं देखते?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा वह मैं सुन नहीं सका।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे देखूंगा। मैं उसे समझ नहीं सका था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : *...

मैं चाहता हूं कि वह अपने शब्द वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उनको अपने शब्द वापस लेने होंगे ...**(व्यवधान)** वह अभी उन शब्दों को वापस लें...**(व्यवधान)**

श्री पी.एम. सईद : कृपया कार्यवाही वृत्तान्त देखें।

कर्नल राव राम सिंह : मैं अपने शब्द वापस लेने से इंकार करता हूं और ये मुझे दबा नहीं सकते...**(व्यवधान)** किसी भ्रष्ट को बचाने वाला मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुने। मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा और देखूंगा कि क्या उसमें कुछ आपत्तिजनक है। तभी मैं उस पर कुछ कहूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ...

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसे सुन नहीं सका था। मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** कायवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सईद को बोलने दें।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, उन्होंने कुछ कहा निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के लोगों उससे उत्तेजना हुई है। आप कृपया कार्यवाही वृत्तान्त देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह : उन्होंने मुझे उकसाया था* मैं 25 वर्ष तक देश की रक्षा में सेना में कार्यरत रहा हूं।*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सईद को बोलने का कहा है।

श्री पी.एम.सईद : जी, हां।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा। यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी नहीं। उनको अपने शब्द वापस लेने होंगे।

कर्नल राव राम सिंह : उनको अपने शब्द वापिस लेने होंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय उनको अपने शब्द वापस लेने चाहियें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा और देखूंगा कि आप दोनों ने क्या कहा है। यदि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक होगा उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय उन्हें शब्द वापस ले लेने चाहियें। यह कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखने के बाद निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ***(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखने के बाद ही निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : ये जो बैठे हैं...* ये ऐसा चिल्ला रहे थे।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये सिचुएशन को और कंफ्यूज मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री बंगरप्पा बोलेंगे।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, इस सम्मानीय सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने दो प्रमुख मामलों पर काफी रोशनी डाली है। पहला आपका आवश्यक वस्तुओं सहित दैनिक खपत की वस्तुओं की कीमत में वास्तविक वृद्धि और दूसरी समस्या है तेलपूल लेखें को संतुलित करने की समस्या।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं वह यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है और जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सहन करनी पड़ेगी। हमारे देश में दो क्षेत्र हैं। एक वह है जहां जिन्सें सीधे रेल मार्ग के जरिए पहुंचाई जाती हैं और उनके मूल्यों में वृद्धि में रेल भाड़े आदि में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है और दूसरे क्षेत्र का उल्लेख कुमारी ममता बनर्जी ने किया है। बहुत से ऐसे इलाकें है जिनमें रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और देश के उन मार्गों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरह सड़क मार्ग से माल की ढुलाई करनी पड़ती है। हमारे देश में ऐसे अनेक क्षेत्र भी है जहां पर उपभोक्ताओं को दैनिक खपत की वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य अदा करना पड़ेगा क्योंकि इन सभी जिन्सों पर ट्रक आदि के भाड़े में भी काफी वृद्धि हो जायेगी।

कुछ लोग यह कह रहे थे कि नेफ्था के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बात ऐसी नहीं है मिट्टी के तेल के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रश्न यह नहीं है। यह सच है कि मिट्टी के तेल के मूल्य उन पेट्रोलियम उत्पादों की सूची में नहीं है जिनके मूल्यों में वृद्धि की गई है। परंतु यदि रेल भाड़े में वृद्धि पर भी विचार किया जाये तो निश्चित रूप से मूल्य वृद्धि का प्रभाव मिट्टी के तेल का उपयोग करने वालों पर भी पड़ेगा। अतः मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में लेना चाहिये अथवा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इस वृद्धि की घोषणापत्र से पहले लिया जाना चाहिये था।

महोदय, मैं यह तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व है। पहले भी अनेक अवसरों पर पेट्रोलियम उत्पादों के भावों में कई बार वृद्धि की गई है। परंतु वह वृद्धि हमेशा पांच या 10 प्रतिशत या इसी स्तर पर रही है। परंतु इस बार की गई मूल्यवृद्धि सभी सीमाओं को पार कर गई है। यह वृद्धि 15 से 30 प्रतिशत तक की गई है। अतः मैं, सरकार से अपील करता हूं कि वह मूल्यों में इस अभूतपूर्व वृद्धि को कम करें ताकि आम उपभोक्ता पर ज्यादा असर न पड़े।

मूल्यों को बढ़ाते समय आपने तेल पूल लेखे का उल्लेख किया है। मैं आपका ध्यान 1980 की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जब श्री प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे। उस समय तेल पूल लेखा पूरे वित्त वर्ष की बजट मांगों की हिस्सा होता था। परंतु इसे बाद में अलग किया गया। बाद में तेल पूल लेखें को दैनिक प्रशासनिक उपायों का अंग बना दिया गया। यह ठीक नहीं है। बजट के जरिए जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाना है, इसे अधिक हिस्सा मिल सकता है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि अब के बाद वह ऐसी प्रणाली को अपनाने पर विचार करें जो 80 के दशक में लागू थी जब तेल पूल लेखा स्वयं सारे बजट का हिस्सा था।

महोदय, डा. मुरली मनोहर जोशी ने ठीक ही कहा था वह अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह कहा है कि जब तेलपूल लेखें में फालतू पैसा था, जब उन दिनों इस पूल से अच्छा लाभ मिल रहा था, 4400 करोड़ रु की राशि तेल पूल लेखे से सामान्य पूल लेखे में अन्तरित कर दी गई थी। वह राशि फिर से वापस तेल पूल लेखे को अन्तरित क्यों नहीं की गई? यदि 4000 करोड़ रु. की थी वह राशि सामान्य पूल लेखे से तेल पूल लेखे में वापस अन्तरित कर दी गई हो तो पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इस अभूतपूर्व वृद्धि करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने वह कदम क्यों नहीं उठाया? आपने मूल्य बढ़ाने का कदम उठा लिया। इसके सिवाए आप बैठकर वित्त मंत्री के साथ बातचीत करते और 4000 करोड़ रु. की राशि तेल पूल लेखे को अन्तरित करने के क़दम उठाते। चूंकि सरकार ऐसा करने में असफल रही है उसने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का सहारा ले लिया है। यह बहुत अनुचित हैं इससे सारे देश की जनता पर असर पड़ेगा।

प्रशासित मूल्यों के तन्त्र का भी प्रश्न है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वर्तमान प्रणाली ज्यादा देर नहीं चल सकेगी और सरकार को किसी अन्य तरीके से तलाश करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उद्योग के विभिन्न साझीदारों में, रिफाइनरीयों में, तेल कम्पनियों में विभिन्न तरह के सरचार्ज, लेवी, उपस्कर आदि को लेकर आपसी युद्ध सा चल रहा है। अतः इस लेवी प्रणाली का ठीक ढंग से निपटारा किया जाये ताकि तेल पूल लेखे पर पूरा भार न पड़े।

इस मूल्य वृद्धि के कारण सदन में पेश किये जाने वाले रेल बजट पर भी असर दिखाई देगा। यह एक चेतावनी है। खुदरा मूल्य पहले ही बढ़ गये है। उपभोक्ताओं को विभिन्न करों आदि तथा अन्य सरकारी लेवियों का, जो अब लगाई गई हैं, भार सहन करना पड़ेगा। कई बार आपको पिछली सरकार का भी पूरा भार वहन करना पड़ता है। मैं यहां उन सब का ब्यौरा नहीं बताना चाहता। यदि आपने वैकल्पिक जरिए पर विचार किया होता तो इस तरह की अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि का कदम उठाने की जरूरत न पड़ती। अब तो यह मामला एक बात पर लटका हुआ है। सरकार ने दावा किया है। कि इन मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर 8.9 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई है।

समाचार पत्र कहते है कि हम इस बारे में कुछ कहने वाले अर्थशास्त्री नहीं हैं यह लगभग 11/2 प्रतिशत है। अगले कुछ महीनों में इसके दो अंकों में चले जाने की संभावना है। अतः आपको इन सभी बातों पर विचार करना है।

मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं वह यह है कि मूल्य वृद्धि की घोषणा के बारे में है। लोक सभा के सत्र को आदूत करने की सूचना भेजी जा चुकी थी जब आपने इस मूल्य वृद्धि की घोषणा की। आपने मध्य रात्रि को इस बारे में निर्णय किया। माननीय सदस्यों ने यहां पर इन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। मैं उन सब को यहां पर दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आपने इस मूल्य वृद्धि की घोषणा की थी उस समय आपको पूरी जानकारी थी कि ऐसी कुछ कम्पनियां है जिनके लाखों-करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल है। हजारों सरकारी वाहन, केन्द्रीय और राज्य स्तर पर है। जैसे ही आपने मूल्य वृद्धि की घोषणा की पुराने स्टाक को एक दम उपभोक्ताओं को नए मूल्य पर बेचा जाने लगा। यहां तक कि सरकारी वाहनों ने भी पुराने स्टाक का पेट्रोल और डीजल नई दरों पर खरीदा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार के लाखों वाहनों ने पुराने स्टाक को नए भावों पर खरीदा। आपने वक्तव्य जारी करके यह कहना चाहिये था कि सभी पुरानी स्टाक केवल पुराने भावों पर ही बेचा जायेगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा वक्तव्य क्यों नहीं जारी किया कि आपको तत्काल इस तरह का वक्तव्य जारी करना चाहिये था कि देश के सभी पेट्रोल पम्पों पर पड़े सारे पुराने भंडार पर नए भाव लागू नहीं होंगे।

सरकार ने इस तरह का वक्तव्य जारी नहीं किया है। सरकार रिफाईनरियों, तेल डिपुओं और देश भर में फैले अनेकों पेट्रोल पम्पों की दया पर निर्भर है। इस तरह इतनी बड़ी गलती किस तरह की जा सकती है। क्या सरकार ने इस तरह का मूल मसला भुला दिया होता। मैं समझता हूं कि ऐसा न करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। सरकार को इस तरह का स्पष्टीकरण दे देना चाहिये था कि इस तरह की गलती किस तरह हो गई है।

ऐस बहुत से मामले हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य बोलने को तैयार हैं। मेरे पास भी पर्याप्त ब्यौरे हैं परंतु उसके लिये समय की जरूरत है। अतः महोदय मैं मांग करता हूं कि सरकार को इस चर्चा का उत्तर देते समय आज ही पेट्रोलियम उत्पादों में की गई इस वृद्धि को वापस ले लेना चाहिये। सरकार बाद में नया प्रस्ताव पेश कर सकती है जिसे इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का समर्थन दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री आप सायंकाल 6.00 बजे चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री जोआखिम बक्सला (अलीपुरद्वार) : मैंने माननीय सदस्यों और मित्रों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि के बारे में दिये गये भाषण सुने हैं। मैं अपनी पार्टी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के विचार रखने के लिये खड़ा हुआ है।

महोदय, किसानों, छोटे उद्योगपतियों, ड्राईवरों और सभी वर्गों के लोगों सहित सारा देश पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस भी इस अचानक मूल्य वृद्धि से चिंतित है। पहले भी मूल्यों में वृद्धि की गई थी और भविष्य में भी मूल्य वृद्धि की जायेगी। जब तक हम अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी ढांचे का अनुसरण करते रहेंगे इस तरह की मूल्य वृद्धि होती रहेगी।

गांवों के आम आदमी को इस संयुक्त मोर्चा सरकार से काफी उम्मीदें थीं। यद्यपि हरेक मूल्य वृद्धि के लिये वर्तमान सरकार पर दोष डाल रहा है मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि "भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 13 दिन के लिए सत्ता में रही सहित पहली सरकारों ने क्या दिया।" इसका क्या कारण है कि जब वह सत्ता में थीं तो स्थिति के बारे में उनके द्वारा कुछ भी न करने के क्या कारण हैं? वह इतने समय तक अनिर्णय की स्थिति में क्यों रहे? यदि उन सरकारों ने उचित समय पर उपयुक्त कदम उठाये होते तो आम आदमी को जिसे इस मूल्य वृद्धि की जानकारी नहीं है, इतने कष्ट नहीं सहन करने पड़ते। आम आदमी पर यह भार नहीं पड़ता। इस समस्या से पहले भी बचा जा सकता था। चूंकि पहले की सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया था अतः अब वर्तमान सरकार को इस अवस्था में निर्णय करना पड़ा है। परंतु पेट्रोलियम उत्पादों की इस मूल्य वृद्धि की कारण हम सब को चिंता हो रही है। अतः आपके माध्यम से में सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस वृद्धि पर पुनः विचार किया जाये और भविष्य में यदि भावी समय के लिये कोई आर्थिक नीति अपनाई जाये तो समुचित ध्यान दिया जाये ताकि आम जनता को कष्ट न उठाना पड़े।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस देश की 90 करोड़ की जनता का ध्यान इस चर्चा पर केन्द्रित है और उसके बाद जब प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे तब उनकी धड़कनें और बढ़ जायेंगी। मैं नहीं समझता कि उनकी अपेक्षा या आशायें पूरी होंगी। मगर मेरी मांग यह होगी कि जो सदन की राय बनी है और देश की 90 करोड़ की जनता जिसके लिए बैचेन हैं, उसी संदर्भ में अगर प्रधान मंत्री जी उत्तर देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

उपाध्यक्ष जी, एक विचित्र परिस्थिति मैं सदन में देख रहा हूं। सरकार बनी है और सरकार ने बनते ही एक महीने 20 दिन के अंदर 8 हजार करोड़ रुपये से लेकर 12 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ देश की आम जनता पर लाद दिया। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जो चर्चा होती है, उस चर्चा में से सरकार का जो मुख्य पक्ष है, जिसके 45 सदस्य है और बाकी सब समर्थक है। उस सभी समर्थ पक्षों ने, सभी सदस्यों ने इस पैट्रोलियम पदार्थों के भावों में की गयी वृद्धि की भर्त्सना की है, उसको वापिस लेने की मांग की है। मेरी समझ में

नहीं आ रहा कि इन 45 सदस्यों का छोड़कर बाकी के 500 सदस्य, जो कि अलग-अलग पक्षों से आते हैं, यूनैनीमस होकर एक आवाज में कहते हैं कि इसको वापिस लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि भावों में की गयी वृद्धि अनैतिक वृद्धि है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उसके पास आज इस इशु पर केवल 45 सदस्यों को छोड़कर कोई बहुमत नहीं हैं। अगर उनसे भी सदन के बाहर पूछा जाये तो वे कहेंगे कि यह वृद्धि ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पहली मांग यह होगी कि सदन की जो भावनायें हैं। सभी पक्षों के सदस्यों की जो मांग है और देश की जनता जिसकी अपेक्षा रखे बैठी है, उसके हिसाब से बनी हुई सरकार, हां देश की जनता को भी विश्वास है, हम सबको भी विश्वास है और इस सरकार को भी विश्वास है कि यह सरकार लंबी चलने वाली नहीं हैं। ...**(व्यवधान)** सबको विश्वास है कि यह कुछ दिनों की मेहमान है। ...**(व्यवधान)** मैं पिछले सप्ताह से देख रहा हूं।...**(व्यवधान)** अखबारों में हम लोग पढ़ रहे है। खैर इसकी तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि सरकार जाने वाली है। मगर लोकतंत्र में जो सरकार बहुमत में नहीं है, जिस मुद्दे पर 10 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की है... **(व्यवधान)** करा दीजिये। हम तो 184 में तैयार थे। कुछ हमारे साथी मित्र हैं, जो आपको बचाना चाहते हैं। मगर वे यह नहीं समझते हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा-एक शायर ने ठीक ही कहा है। ...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : यदि सरकारी पक्ष वोटिंग कराना चाहता है। तो इनकी बात मान ली जाए।...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : हम लोग तो वही मांगते थे...**(व्यवधान)** जो पक्ष सरकार को समर्थन देते हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : आप शेर सुनाइए।

श्री हरिन पाठक : वही सुनाने जा रहा हूं। शायर ने कहा है-

हम तो डूबेंगे सनम तुमकों भी साथ ले डूबेंगे।

ये 1-2-6 महीने में जाएंगे और आप सबकों साथ लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार ने मूल्यों में जो वृद्धि की है, उसका गहरी तरह से अभ्यास नहीं किया है।

एक बहुत नई बात बंगारप्पा जी ने कही है। मैं कई सालों से देखता हूं कि पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि रात के अंधेरे में होती है। हम यह भूल जाते हैं कि देश में हजारों पैट्रोल पम्प और डिपो ऐसे हैं जिनके पास लाखों लीटर पैट्रोल पहले से ही स्टोर किया हुआ होता है। आपने मूल्यों में जो वृद्धि की है, वह रात को 12 बजे की। दूसरे दिन सुबह ही कंज्यूमर्स को नए मूल्यों पर पैट्रोल खरीदना पड़ा। इससे सरकार को एक रुपये का भी फायदा नहीं होता बल्कि रातों-रात करोड़ों रुपये का फायदा पैट्रोल पम्प के मालिकों को हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार को गहरे दिमाग से सोचना चाहिए था। मैंने शुरू में कहा कि मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, चाहे पैट्रोल हो, डीजल हो, कुकिंग गैस हो, इसका देश के सभी वर्ग के लोगों से सीधा संबंध है। आज गांवों में दूध जाता है, सब्जी जाती है, दवाइयों जाती हैं, खाद्यान जाते हैं और अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई ट्रकों के जरिए होती है। आप कहते हैं कि हमने मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि नहीं की। मिट्टी का तेल भी ट्रक में जाता है। आप देखते हैं कि प्रत्येक गांव में मिट्टी का तेल टैंकर के जरिए जाता है। देश के सभी वर्ग के लोग मूल्यों में वृद्धि से पीड़ित हैं।

कल सदन में रेल बजट पेश होगा, 22 तारीख को आम बजट आने वाला है। वर्तमान सरकार की मंशा इससे देख सकते हैं। उसमें भी दाम बढ़ने वाले हैं, उसपर भी टैक्स लगने वाले हैं। आम आदमी की कमर टूटने जा रही है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे और मित्र भी बोलना चाहते हैं। मुझे सिर्फ दो ही बातें कहनी हैं। पहली यह कि सदन की एक राय नहीं है। 45 सदस्यों को छोड़कर पूरा सदन चाहता है कि पैट्रोलियम प्रोडक्टस, डीजल, कुकिंग गैस सबके मूल्यों की वृद्धि को वापिस लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो इस सरकार को, जो अल्पमत में है, मूल्यों में वृद्धि करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इन दो मुद्दों को लेकर मैं एक बार फिर देश की करोड़ों जनता की अपेक्षा के हिसाब से मांग करूंगा कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स विशेषकर डीजल, कुकिंग गैस और पैट्रोल के मूल्यों में जो वृद्धि की है, उसे वापिस लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा में मुझे अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका आभारी हूं। महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि कोई नई बात नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य यह देखने के लिये समय समय पर पुनरीक्षित और संशोधित किये जाते है कि तेलपूल लेखे सन्तुलित रहें।

महोदय, विचित्र जिन्सों में पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा 16 प्रतिशत है, जिनके मूल्य तो पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रशासनिक हैं। जब अन्य सभी मूल्य बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में कछ परितर्वतन जरूरी और अपरिहार्य है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि मूल्य स्थिरता बनी रहे जो सत्तारूढ़ जनता दल का चुनाव वायदा भी है और आम न्यूनतम कार्यक्रम में भी हैं आम न्यूनतम कार्यक्रम में दिये गये 12 बिन्दुओं में एक प्रमुख बिन्दु यह है कि मूल्यों में स्थिरता लाई जायेगी यह मूल्य उसके अन्तर्विरोधी है। पेट्रोल मूल्य में 25 प्रतिशत, डीजल में 30 प्रतिशत, रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि आदि उनके आम न्यूनतम कार्यक्रम में कही गई बात के विरुद्ध है।

महोदय, इस मूल्य वृद्धि का क्रमिक प्रभाव पड़ेगा। कल रेल बजट पेश होने जा रहा है और रेलवे पर इसका 340 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार पड़ेगा। किराये और माल भाड़े में वृद्धि होगी। इसी प्रकार इंडियन एअर लाइन्स व एअर इंडिया, आदि पर लगभग 80 करोड़ रु. का भार पड़ेगा। समाचार पत्रों में इस्पात के मूल्यों में 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि के समाचार छपे हैं। उत्तम कोटि के कोयले के मूल्यों में 16 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। यातायात के सभी साधनों वायु, रेल तथा सड़क पर इस का असर होगा और मुझे उस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

यह राष्ट्रीय मांग है कि यह मूल्यवृद्धि, निश्चित रूप से जरूरी थी परंतु इस हद तक नहीं, भाजपा के मेरे मित्र सरकार की इसके लिये भर्त्सना करना चाहते थे। परन्तु इस सरकार की भर्त्सना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इस मूल्य वृद्धि के बारे में जनता दल के प्रमुख बिहार के मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव के शब्द उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा : "वृद्धि अनुचित दिखाई देती है। यह वृद्धि चरणों में की जानी चाहिये थी। मैं जनता के रोष की जानकारी से प्रधान मंत्री को कल अवगत कराऊंगा।" उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधान मंत्री से पूछेंगे कि उन्होंने यह क्यों कहा कि मूल्यवृद्धि पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

उस तरह जनता दल के अध्यक्ष, बिहार के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से कठोरता से पूछताछ की थी। श्री लालू प्रसाद यादव ने यह वक्तव्य मुख्य मंत्री सम्मलेन में जाने से पहले दिया था। अतः दूसरों द्वारा राष्ट्र मूल्यवृद्धि की आलोचना किये जाने तथा इसे वापस लिये जाने की मांग को गलत कैसे समझा जा रहा है। मैं अब पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बात का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा कि यह मूल्य वृद्धि "अन्यायपूर्ण है।" श्री लालू प्रसाद यादव ने इसे अनुचित" कहा था और श्री ज्योति बसु ने इसे 'अन्यायपूर्ण, कहा। श्री लालू प्रसाद यादव ने सुझाव दिया था कि इसे धीरे-धीरे किया जाना चाहिये था।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री मनोहर जोशी ने कहा है कि यह असहनीय है किसी ने कहा कि यह अनुचित है दूसरे न कहा कि यह अन्यायपूर्ण है और एक अन्य ने कहा है यह असहनीय है। इस तरह सभी मुख्य मंत्रियों ने अच्छा विरोध किया है।

महोदय, श्री देव गौड़ा जी ने परेशान होकर स्वाभाविक रूप से संयुक्त मोर्चे की एक बैठक में सदस्यों को इस मूल्यवृद्धि पर एक आवाज से बोलने को कहा और उसके बाद जो हमने देखा है मुझे उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे सम्माननीय सहयोगी वरिष्ठ सांसद, माननीय गृहमंत्री ने मद्रास में क्या कहा? मेरा कहने का मतलब यह है कि इस से पता चलता है कि सारा देश पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इस भारी वृद्धि के कारण बहुत चिंतित है।

हमारे मित्र, श्री जसवन्त सिंह, जिन्होंने यह चर्चा आरंभ की थी दूसरी और बैठे हुए हैं। वह ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उस समिति के भी सिफारिश भी थी कि भाव आर्थिक आधार पर तय किये जायें या इसी तरह की बात की थी।

महोदय, निश्चित रूप से हम निर्धन हैं। इस समाज में अत्याधिक गरीब लोग हैं। आप जानते है कि हमारा समाज एक बराबर समाज नहीं है। इसमें ऊंच नीच है। इसमें गरीब है। इसमें पद-दलित हैं। 40 प्रतिशत से अधिक हमारी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। स्वाभाविक है कि इस तरह देश में अर्थव्यवस्था में सबसिडी का तत्व होना भी जरूरी है। यह स्वीकार भी किया गया है कि सबसिडी एक जरूरी तत्व है। अतः खाद्यान्न तथा उर्वरकों के क्षेत्रों में सबसिडी दी जा रही है।

डीजल एक आवश्यक वस्तु है। डीजल में भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। डीजल में आप संबसिडी करवा सकते हैं। इस तरह यह एक समस्या है। यहां पर उसकी आलोचना की गई है। इस मूल्यवृद्धि के समर्थन में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार के पिछले 30 महीनों के शासन में कोई मूल्यवृद्धि नहीं दी गई। यह ठीक है कि पिछले 30 महीनों में कोई मूल्यवृद्धि नहीं हुई थी।

विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनैतिक दलों का शासन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस राजनैतिक दल ने चुनाव के साल में भारी कर लगाये हैं हम लोकतंत्र शासन में रहते हैं। हमारी निर्वाचित सरकारें हैं। मुझे बतायें किस सरकार के किस पार्टी की सरकार ने चुनाव के वर्ष में भारी कर लगाये है? क्या यह कांग्रेस सरकार की गलती है? वर्ष 1991-92 में भारत में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी जब श्री नरसिम्हा राव जी कि अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। उस स्थिति का स्मरण करें। यह चरमरा कर गिरने को थी। और आज किस तरह की अर्थव्यवस्था श्री देवेगौडा को विरासत में मिली है?

आज अर्थव्यवस्था उठान पर हैं उस समय भी तेल पूल लेखे में लगभग 5000 करोड़ रु का घाटा है। उस समय सकल घरेलू उत्पाद क्या था? आर्थिक विकास दर क्या थी? औद्योगिक विकास दर क्या थी? 1991-92 में उनकी स्थिति क्या थी? मैं एक वक्तव्य के उदाहरण से बताता हूं। इसमें कहा गया है कि "लगता है कि भारत ऊँचे आर्थिक विकास के चरण में प्रवेश कर गया है।" यह किस का वक्तव्य है? यह स्वयं सरकारी एजेन्सी का वक्तव्य है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुदानों के अनुसार पिछले साल सकल घेरलू उत्पाद में 7 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई यह अब तक की सर्वाधिक है। इस साल भी इसमें 6.6 प्रतिवर्ष वृद्धि की संभावना है। महोदय, लक्ष्य को पार कर लिया गया है। अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन पिछले साल बहुत बेहतर रहा हैं पिछले साल किस की सरकार थी? गोदाम अनाजों के भण्डार से लबालब भरे हैं। विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या है? उस समय क्या स्थिति थी? उस समय विकास दर नकारात्मक थी। औद्योगिक

विकास दर 2.25 प्रतिशत थी। अब औद्योगिक विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर है। उस समय मुद्रास्फीति की दर क्या थी? यह 17 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। परंतु अब यह दर 4.67 प्रतिशत हैं यह रिकार्ड है। इस तरह की अर्थव्यवस्था हमने छोड़ी हैं इसके लिये उनको हमारा आभारी होनी चाहिये।

इस सरकार को, प्रधानमंत्री श्री देवेगौडा को श्री पी.वी. नरसिम्हा राव का डा. मनमोहन सिंह का तथा कांग्रेस पार्टी का आभारी होना चाहिये कि विरासत में इस तरह की बेहतर उठान वाली अर्थव्यवस्था छोड़ कर गयी है। और साथ ही इस सरकार को चलाने के लिये समर्थन भी दे रहे हैं। इस मूल्य वृद्धि के लिये दोष कांग्रेस के सिर पर नहीं डाला जा सकता।

जब श्री नरसिम्हा राव ने पद सम्भाला था अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी निराशाजनक थी कि तेल पूल लेखे में 5000 करोड़ रु का घाटा था जब उस स्थिति में उसे सुधारा जा सकता था तो अब इसे क्यों नहीं सुधारा जा सकता? इसे सुधारा जा सकता है। यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कांग्रेस के कुशासन अथवा कांग्रेस द्वारा पहले इस तरह की भारी वृद्धि न किये जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : किस हद तक सरकार पर दबाव डालेंगे?

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। चिंता मत करें। कृपया कुछ धीरज रखें।

मुझे पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था, मुझे इन मंत्रालयों के कार्यकरण को नजदीक से देखने का अवसर मिला था। मुझे हैरानी है कि हमारे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हमें गलत उद्धृत किया है। यद्यपि हम पुराने सदस्य हर रोज उनकी 'जार्जीयन' पद्धति से परिचित है।

माननीय सदस्य आज सदन में उपस्थित नहीं हं। उन्होंने कुछ बातें कहीं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कहां से इन्हें उद्धृत दिया। मेरी अब रिकार्ड तक पहुंच नहीं है। परंतु अपनी ढ़ग से मुझे कुछ बातें याद हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन आदि में 5000 करोड़ रु या 10000 करोड़ रु का घोटाला है। डीलरों की एसोसिएशन तेल उद्योग के मूल्य तय करने वितरण और खोज आदि के बारे में विचार करने के लिये समिति के समक्ष उपस्थित हुई थी...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह बढ़ाने की सलाह आप ही ने दी है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : उन्होंने अपनी कमीशन बढ़ाने अपने लाभ को बढ़ाने आदि के लिये तर्क पेश किये। परंतु इसके साथ ही, प्रसंग वश यह भी कहा गया कि ट्रांसपोर्टर आदि घोटाले भी कर रहे हैं। परंतु वे कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सके।

मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं रिपोर्ट से पढ़ता। मैंने यह सब बातें आपके सामने रख दी हैं।...**(व्यवधान)** उन्होंने कहा कि इस समिति ने इस पर विचार नहीं किया। यदि गंभीर आरोप की पुष्टि न हुई हो तो उनका उल्लेख सिफारिशों में किस प्रकार किया जा सकता है? परंतु हमने यह उल्लेख दिया है कि उन्होंने क्या आरोप लगाये। हमने उन पर विचार भी किया। जब मंत्रालय के अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित हुए तो हमने उनसे पूछताछ भी की।

जैसा कि मैंने कहा मूल्यों को सन्तुलित करना होता है। परंतु इसके साथ ही हमें उसके प्रभावों पर भी विचार करना होता है वे यह कह रहे हैं कि वर्ष के अंत तक घाटा 2000 करोड़ रु. रह जायेगा। पूरे साल के लिये उनको 12000 करोड़ रु. से अधिक राशि मिलती है। परंतु साल की शेष अवधि के लिये उनको लगभग 9000 करोड़ रु. की राशि हासिल होगी। वर्ष के अंत पर घाटा कम होकर 2000 करोड़ रु. रह जायेगा। उनको यह संशोधन आंशिक करना चाहिये था इतनी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिये था।

मैं स्वस्थ अर्थव्यवस्था की बात पहले कह चुका हूं। यदि श्री देवेगौडा जो अर्थव्यवस्था उनकों विरासत में मिली है उसे बनाए रख सकेंगे और उसका उचित प्रबंध करेंगे तो इस घाटे का काफी हिस्सा खपाया जा सकेगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हर बार हम देखते हैं कि अन्तर रह जाता है जिसके कारण चिंता पैदा होती है। हमारी खपत की दर तेल की खोज की तुलना में बडी तेजी से बढ़ रही है।

अपराह्न 5.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जैसा कि आप पायेंगे, महोदय इन दिनों हमारा स्वदेशी कच्चा तेल आयातित तेल की तुलना में सस्ता है। अतः हम जितनी कम मात्रा में इसका आयात करेंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था के लिये बेहतर होगा। अतः हमें तेल की खोज पर व्यय करके हमारे अपने उत्पादन को बढ़ावा चाहिये। इस बात का उल्लेख किसी ने नहीं किया है और मैं समझता हूं कि बहुतों को इसकी जानकारी भी नहीं है।

हमारा तेल उद्योग विकास बोर्ड नाम से एक बोर्ड है। इस बोर्ड का गठन 1970 के दशक के मध्य में किया गया था और उसके बाद उपकर लगाया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य तेल उद्योग को बढ़ावा देना था। तेल उद्योग के महत्व को पहचानते हुए, जो एक मूल क्षेत्र है और जो देश के विकास और समृद्धि के लिये काफी योगदान करता है यह

विशेष उपकर तेल उद्योग के संवर्धन के लिये वसूल किया जाता था। परंतु हैरानी इस बात की है यह तेल उपकर का, जो मुख्य रूप से तेल उद्योग के लिये है, उचित उपयोग नही किया गया है। अब तक वसूल किये गये 20000 करोड़ रु. में से महोदय क्या आप जानते हैं तेल उद्योग पर कितनी राशि व्यय की गई है? यह राशि मात्र 900 करोड़ रु. है। इस अवधि में केवल कांग्रेस सरकार ही नहीं अपितु अनेक अन्य पार्टियों ने भी सत्ता संभाली है परंतु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिये केवल कांग्रेस सरकार पर ही दोष क्यो डाला जाये? स्थिति यह थी कि यह राशि सामान्य लेखे में अन्तरित कर दी गई। इसी तरह तेल बोर्ड के लेखे तथा तेल पूल लेखे भी इस अवधि में अन्तरित नहीं किये गये।

कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम कुछ कदम उठायें तो मूल्य वृद्धि से कुछ सीमा तक बचा जा सकता था। हम आयातित कच्चे तेल पर आयात शुल्क में कटौती कर सकते हैं। तेल की खपत में भी बचत की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, 6 बजने वाले है और प्रधान मंत्री को चर्चा का उत्तर 6 बजे देना है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : ठीक है। मैं और आधा घंटा ले सकता था।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप एक दिन पूरा बोल सकते है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, अर्थव्यवस्था को समुचित ढंग से नियन्त्रित करके, मितव्ययता के द्वारा और आयात शुल्क में कटौती करके मूल्य वृद्धियों से बचा जा सकता है। निवेश करने में भी कोइ हानि नहीं है।

मैं इस सदन तथा सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। हर कोई जानता है कि देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। कई बार हम सोचते हैं कि काला धन बाहर आना चाहिये। मैं समझता हूं हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि क्या काले धन का उपयोग तेल क्षेत्र में किया जा सकता है।

कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अपने स्वयं के उत्पादन को बढा कर और अर्थव्यवस्था में कुछ अनुशासन (तेल पूल लेखे आदि के बारे में) हम स्थिति को सुधार सकते है। चूंकि आप समय के बारे में मुझे सचेत कर चुके है अतः मैं अधिक समय नही लेना चाहता यद्यपि मुझे बहुत सी बातें कहनी है। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक ही बार इतनी अधिक अभूतपूर्व वृद्धि करना बेमतलब है और उचित नही है। मुझे एक श्लोक की याद आ रही है :

"स्कन्धम न बाधते राजा,
नन दानति बाधते"

श्री एच.डी.देवे गौडा ने, जिन्हें कि भूमिपुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनको किसानों की बहुत चिंता है, सवांददाताओं से बोलते हुए, शायद लखनऊ में इस मूल्य वृद्धि के पश्चात् इसको न्यायोचित ठहराया। मैं उनमें दोष नहीं ढूंढ रहा।

अपराह्न 6.00 बजे

परंतु इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि इससे किसानों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। मेरे विचार से यह इन्तहा है। कम से कम **भूमिपुत्र** को यह समझना चाहिये था कि इससे तो किसान भी नहीं बचने वाले हैं। अतः स्वयं उनकी पार्टी के अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्यों ने एक बात कही है कि यह मूल्य वृद्धि बहुत अधिक, बहुत भारी है और एक ही बार में नहीं की जानी चाहिये थी और धीरे-धीरे की जानी चाहिये थी। महोदय, यह वास्तव में राष्ट्रीय अभिलाषा है। वही संसद में व्यक्त हो रही है। सरकार का यह सामूहिक उत्तरदायित्व है कि कुछ भी हो इस राष्ट्रीय अभिलाषा को पूरा किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही जी आपका धन्यवाद। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें। जैसा कि मैने आकंडे देकर बताया हैं उनको एक बहुत ही बेहतर और आगे बढती अर्थवयवस्था हासिल हुई है अतः उनको बेकार में परेशान नहीं होना चाहिये।...**(व्यवधान)** 1991-92 में क्या हुआ था। श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और श्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा प्रबंध किया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, आप पीछे जा रहे हैं। आपको वह सब दोहराने की जरूरत नहीं है जो आप पहले कह चुके हैं। मैं अपने चैम्बर से आपको सुन रहा था।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कुछ वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को प्रबन्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। डीजल के भूतल में की गई वृद्धि में 10 प्रतिशत की और कमी की जानी चाहिये और पेट्रोल में भी 10 प्रतिशत तथा रसोई गैस में की गई वृद्धि में 15 प्रतिशत कमी की जानी चाहिये।

महोदय मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि निष्पक्षता से विचार करके इसके सभी पहलुओं पर विचार करें और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों इसके लिये 2 घंटे का समय तय किया गया था। हम चार घंटे तथा 50 मिनट का समय लगा चुके हैं। मैं समझता हूं कि चर्चा अच्छी रही है। अब प्रधान मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौडा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता सहित सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि एक क्षण के लिये भूल जायें कि यह मिली जुली सरकार हैं और यह सरकार 13 दलों की मिली जुली सरकार है और इस सरकार का समर्थन एक बडी पार्टी कर रही है। मैं सदन के सत्र आरंभ होने से पांच दिन पहले पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढायें जाने के सरकार के निर्णय के पक्ष में तर्क पेश करूंगा। हमें इस मामले को राजनीति से नहीं जोडना चाहिये। सरकार के इस निर्णय के बारे में हमे व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

महोदय औचित्य के बारे में आपने विनिर्णय दे दिया है। मैं आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता। मैं उसे सिर झुका कर स्वीकार करूंगा। जब माननीय अध्यक्ष ने उस पुणीत पीठ से अपना निर्णय दिया है तो हमें अध्यक्ष पीठ के निर्णय का आदर करना चाहिये। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने निर्णय का अपनी सरकार के निर्णय का औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहता। महोदय, यदि आप पिछले इतिहास को देखें और पता लगायें कि माननीय अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षपीठ से कितनी बार पिछली सरकारों के निर्णयों के बारे में विनिर्णय दिये गये है जिन सरकारों के पास दो तिहाई बहुमत था और उस समय किस प्रकार बजट सत्र से पहले प्रभावित भावों में वृद्धि की गई थी।

इस सरकार ने इतनी जल्दबाजी के साथ यह निर्णय क्यों किया या बजट सत्र के 6 दिन या एक सप्ताह पूर्व यह निर्णय क्यों किया? किसी भी निष्कर्ष पर पहुचने से पहले हमें सारी स्थिति को ध्यान में रख लेना चाहियें।

महोदय हमारे सामने समस्या वही थी जो पिछली सरकार के सामने थी। वही उसका हमारे वरिष्ठतम नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता के सामने थी।

मैं जसवन्त सिंह जी का सबसे अधिक आदर करता हूं। जब भी वह बोलते थे मैं वहां बैठकर बडे ध्यान से उनके भाषण को सुनता था। कई बार मैं कुछ शब्दों व अभिव्यक्तियों को समझ नहीं पाता था। जहां तक अंग्रेजी का संबंध है मुझे उसका अच्छा ज्ञान नहीं है परन्तु मैं उनका भाव समझ जाता था जो वे इस सदन से राष्ट्र को बताना चाहते थे।

उनके लाभ के लिये मैं उनके ही शब्द उद्धृत कर रहा हूं जो उन्होंने पिछली सरकार के सामने जब यह मामला आया था तो उस समय कहे थे। जब वित्त मंत्रालय को यह फाईल भेजी गई थी तो वित्त मंत्री ने उस पर सबसे अंत में यह विचार व्यक्त किया था कि :

> "प्रथम दृष्टया यह अनिवार्य लगता है कि पूल के घाटे को समाप्त करने के लिये पीओएल में तत्काल वृद्धि जरूरी है!"

वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने यह विचार व्यक्त किये थे। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने यह विचार वित्त मंत्रालय से लिया था ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह निर्णय जसवन्त सिंह जी का है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : जी हां।

मैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का बहुत आदर करता हूं। महोदय मैं उनका सम्मान करता हूं। वित्त मंत्री ने भी टिप्पणी की है कि तेल पूल का सचंयी घाटा पिछले साल के 5700 करोड़ रु. से बढ़ कर इस साल के अंत तक 11700 करोड़ रु. हो जाने की संभावना है और इस कारण उस पूल घाटे को दूर करने के लिये तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों मे वृद्धि करना जरूरी था। मैं कुछ शब्दों को पुनः पढ़ रहा हूं "पूल घाटे को दूर करने के लिये तत्काल"। पूल घाटा कितना था? पिछले साल के लिये यह घाटा 5700 करोड़ रु. था और 1996-97 में घाटा बढ़ कर 11700 करोड़ रु. हो जाने कर अनुमान था।" अगर ये इन मुद्दों पर कार्यवाही अलग से की जायेगी, कोई ओ.ई.बी. वित्त मंत्रालय द्वारा यथा स्वीकृत, मंजूरी हेतु प्रस्तुत है"। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इसे मंजूरी दे दी और यह भी निर्देश दिया कि वित्त मंत्रालय, जिसके प्रमुख श्री जसवंत सिह है द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही की जाये। मैं यहां पर राजनीति को नहीं जोडना चाहता। इस बात को भूल जाये कि यह 13 पार्टियों की सरकार और आपका भी इसे समर्थन है। मैं दिल्ली में नौकरी की खोज में नहीं आया हूं। मेरा स्वभाव पूरी तरह से अलग प्रकार का है। मेरे ऊपर तो यह थोंपा गया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आप कहीं भी हो। भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य आपके साथ है तो आप इस पद पर बैठ सकते हैं अन्यथा कोई और बैठ सकता है। परंतु मुद्दा यह नहीं है। जब आप एक वरिष्ठ सांसद के रूप में आक्रमण करते है तो मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आप की तुलना में मैं बहुत अदना व्यक्ति हूं। तेल पूल लेखों के घाटे की दूर किया जाना था। यह आपका निर्णय था और मैने उसका पालन किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्रीजी को टोकना नहीं चाहता था...

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं आपको बोलने का मौका देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थों में जो मंहगाई बढ़ रही है, जो अभाव हो रहा है, उसमें मामला पीछे

पड़ा है। उसके खिलाफ वर्षों से हम प्रतिपक्ष के नाते चेतावनी देते रहे हैं लेकिन मैंने अपने आदेश में नही कहा कि पार्लियामेंट का सैशन बुला लीजिये। पांच दिल पहले वृद्धि का ऐलान कर दिया जाये, यह फैसला आपका फैसला है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विपक्ष के नेता तथा श्री जसवन्त सिंह को स्वीकार कर लेना चाहिये कि उन्होंने भारी वृद्धि किये जाने की सिफारिश की थी।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरे से एक प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा गया है परन्तु मैं इसका उत्तर तभी दूंगा जब आप मुझे अनुमति देंगे।

महोदय, इसमें दो बाते हैं। पहली तो फाईलों पर लिखी टिप्पणियों के बारे में है। क्या फाईलों में लिखी टिप्पणियों पर यहां चर्चा की जा सकती है। यह एक अलग मामला है।

दूसरी बात यह है कि मेरे वरिष्ठ मित्रों ने मेरे से पूछा है कि क्या मैनें अचानक इतनी अधिक मूल्य वृद्धि की कोई सिफारिश की थी। महोदय नहीं। मैंने निश्चित रूप से इस बिगडती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी के घाटा बढ़ कर 11000 करोड़ रु. या अधिक हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब तो सारा भेद खुल गया है।

श्री जसवन्त सिंह : यह अनुमान है। निश्चित रूप से यह रिकार्ड पर है कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति परेशानी वाली हो जायेगी। परंतु वह सुधारात्मक कदम 30 प्रतिशत वृद्धि करने का है यह निश्चित रूप से हमारी टिप्पणी में नहीं है। हमने ऐसा करने के स्थान और ससंद के बजट सत्र के समय पर ऐसा करने के स्थान पर कोई न कोई विकल्प निकाला होता। मैं यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि यह मामला यहां पर उठाया गया है।

***श्री एच.डी. देवेगौड़ा** : यह विचार 25.5.1996 को अर्थात् लगभग 20 दिन पहले व्यक्त किया गया था। मैंने पदभार 1 जून, 1996 को ग्रहण किया था और संसद में यह सिद्ध किया जाना था कि सरकार को बहुमत हासिल है अथवा नहीं। अतः मैं अगले 12 दिन तक इस फाईल को नहीं देख सका। मैं इस निर्णय का बचाव करने के लिये ही वरिष्ठ नेताओं का नाम इससे नहीं जोड रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो वाद विवाद में जीतने के लिये इस तरह कह रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कृपया मेरी बात सुने। कुछ दिन पहले जब आप बोल रहे थे तो अन्य माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर इतने प्रहार किये। मैं धीरज के साथ उनकी बातें सुनता रहा। मैंने तो किसी भी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। मैं तो सारे अपमान को चुपचाप सहन कर गया था।

श्री जसवन्त सिंह जी, आपकी समिति ने संसद द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिश की थी कि रसोई गैस पर सबसिडी को धीरे कम कर दिया जाये। आप इस समिति के अध्यक्ष थे। मुद्रास्फीति के बारे में **टाइम्स आफ इंडिया** से बातचीत करते हुए आपने कहा था कि मुद्रास्फीति की दर को प्रसाशित भावों को न बढ़ा कर अप्राकृतिक ढंग से कम रखा गया है। इसके आगे आपने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में विशेष रूप से ऐसा है क्योंकि तेल पूल लेखे में 6000 करोड़ रु. का घाटा है। यह आपने संवाददाता को बताया था। ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे पूरी तरह वेनकाब हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसा कहना जरूरी नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, मैं सदन को और इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मुझे समर्थन करें। मैं पूरा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। परन्तु कम से कम इस सदन के जरिए मुझे राष्ट्र को तो बताना होगा कि यह निर्णय मैंने किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया है। इतनी तो मुझे आजादी है।

महोदय, 17 जून को एक रिफाईनरी ने कहा कि इंडियन आयल कारपोरेशन को कच्चे तेल की सप्लाई के लिये एफ.ओ.बी. अदायगी के रूप में 49 करोड़ रु. की अदायगी स्थगित कर दी गई है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अन्य सप्लायर्स को अदायगियों में विलम्ब के कारण प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुचंता है। यदि ओ सी सी के द्वारा इस तरह की आगे छटनी की जाये तो उससे सीआईएल को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनके कारण रिफाइनरी का संचालन रूक भी सकता है एक रिफाइनरी के चैयरमैन तथा प्रबंध निदेशक ने पेट्रोलियम मंत्रालय कि सचिव को ऐसा चेतावनी देन वाला एक पत्र भी लिखा। तेल शोधक अनेक कारखानों, और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ। मैं केवल एक मामले का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इसमें कहा गया है:

> "हमे डर है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो इंडियन आल्य कारपोरेशन को आयात के लिये विदेशी मुद्रा अदायगियों ओर अपने ऋणों की अदायगी करने में भी दिक्कतें आएगी जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी साख पर प्रतिकुल असर पडेगा।"

उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय से शीघ्र निर्णय के लिये लगातार जोर डाला। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने सब से बड़ी गलती की है। अभी भी मार्च 1997 तक घाटा 4700 करोड़ रु. से 5000 करोड़ रु. के बीच होगा। यह अनुमानित आंकडे हैं।

मैं सदन का ध्यान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई पिछली मूल्य वृद्धियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस संबंध में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई अब तक की वृद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। वर्ष 1979 में इसी सदन में 28 फरवरी को बजट पेश कर दिये जाने के बाद 1 मार्च, 1979 को श्री मोरारजी देसाई उस समय प्रधान मंत्री थे, एच.एस.डी. के मूल्य में 8.5 प्रतिशत, मिट्टी के तेल के मूल्य में 8.3 प्रतिशत तथा रसोई गैस के मूल्य में 9.2 प्रतिशत वृद्धि की गई थी।

जब स्वर्गीय श्री चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर असीन हुए तो 17 अगस्त, 1979 को इस सदन में बजट पारित किये जाने के 6 महीने बाद रसोई गैस के मूल्य में 20.4 प्रतिशत वृद्धि की गई।

जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थी। 13 जनवरी, 1981 को, बजट 28 फरवरी, 1981 को पेश दिया गया था-रसोई गैस के मूल्य बजट से डेढ़ महीना पहले 17 प्रतिशत बढाये गये और एच.एस.डी. के मूल्य 18.9 प्रतिशत बढ़ाये गये। छह महीने के भीतर अर्थात 11 जुलाई, 1981 दो साल के मध्य में, एच.एस.डी. के मूल्य फिर से 13.7 प्रतिशत बढ़ा दिये गये। यदि आप दोनों वृद्धियों अर्थात 18.9 प्रतिशत और 13. 7 प्रतिशत को जोड़े तो एच.एस.डी. में ही कुल वृद्धि 32 प्रतिशत बैठ जाती है। रसोई गैस का मूल्य 13 जनवरी, 1981 को 17 प्रतिशत बढाया गया और 1 जुलाई, 1981 को फिर से 14.5 प्रतिशत बढ़ाया गया था। यह कुल मूल्य वृद्धि रसोई गैस के मामले में 31.5 प्रतिशत बैठती है। मिट्टी के तेल के मूल्य 6 महीनों में दो किश्तों में 18.5 प्रतिशत बढ़ा दिये गये थे।

श्री राजीव गांधी के शासन काल के दौरान 1 फरवरी, 1986 को – बजट 28 फरवरी 1986 को पेश किया गया था – रसोई गैस के मूल्य में 23.1 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई जिसमें बाद में कुछ कटौती कर दी गई थी...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कटौती कितनी थी?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह 9 प्रतिशत थी।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने मूल्य बढाया और बाद में घटा दिया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं इस ओर भी आ रहा हूं। इसी कारण मैंने कहा है कि हम पार्टी की बातों को भूल जायें। हमें देखना है कि हम वर्तमान संकट को किस हद तक दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं। बहुत सी अन्य समस्याएं हैं और हमें उनके बारे में मिल जुल कर सोचना है। वर्ष 1991 में एच.एस.डी. के भाव नहीं बढाये गये। 25 जुलाई, 1991 को रसोई गैस के भाव 20 प्रतिशत बढाये गये थे; 16 सितम्बर, 1992 को इसमें 24.1 प्रतिशत वृद्धि की गई और 12 जनवरी, 1994 को इसमें 20.6 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। तीन सालों में रसोई गैस के भावों में कुछ मिलाकर 64.6 प्रतिशत वृद्धि की गई है। बाद में भावों में 6.9 प्रतिशत कटौती कर दी गई। इसका अर्थ है कि तीन साल में अकेले रसोई गैस 58 प्रतिशत वृद्धि की गई है। आप सब कह रहे थे कि प्रधान मंत्री को आम आदमी की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं हैं। मैं इस सारी आलोचना को सुनने को तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन में इस ओर बैठे लोग वास्तविक भूमि पुत्र हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मैने आपको बताया है कि हमें यह निर्णय किन परिस्थितियों में करना पड़ा हमारी मांग - आपको भी वह बताई गई और मुझे भी बताई गई - 1994-95 में 655 लाख टन की और यह बढ़कर 725 लाख टन हो गई है। चालू वर्ष के दौरान इसके बढ़कर 785 लाख टन हो जाने की संभावना है।

जैसा कि मैने कुछ समय पहले आपको बताया इस मूल्य वृद्धि के बाद भी 31 मार्च, 1997 को 4700 करोड़ रु. से 6000 करोड़ रु. का घाटा शेष रह जायेगा।

हम कितनी सबसिडी दे रहे हैं। हम मिट्टी के तेल में 4870 रु. की सबसिडी दे रहे है। हम प्रति लीटर 4.17 रु. की सबसिडी दे रहे हैं।

ऐसा कहा गया कि यह मध्यरात्रि को किया गया निर्णय है। यह मध्य रात्रि निर्णय नहीं है। हर बार जब प्रशसित मूल्य बढ़ाया जाना होता है, तो वह निर्णय 10.30 या 11.00 बजे के लगभग जब तेल पम्पों और पेट्रोल पम्पों के हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं समय से लागू किया जाता है।

श्री हरिन पाठक : उनमें वृद्धि करनी होती है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं इसे मानता हूं। मेरा इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने मध्य रात्रि निर्णय किया है। यह विभाग का निर्णय है। जी हां। इसे अगले दिन से लागू किया जाना चाहिये। इसी कारण वे अपने लेखे बंद करने के बाद सम्बद्ध डीलरों को सूचित करेंगे।

आज भी हम रसोई गैस के सिलेन्डर पर 62.50 रु. की सबसिडी दे रहे है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अगर 62 रु. सबसिडी है तो एल.पी.जी पर सबसिडी को बंद कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : बंद कीजिए का अर्थ है पूरी तरह से खत्म करना। यदि आप इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं तो जब

इस सरकार के गिरने के बाद आप सत्तारूढ़ हों तब आप ऐसा कर सकते हैं।...(व्यवधान)

यदि हम 250 रु. से कम मासिक आय वाले रसौई गैस प्रयोक्ताओं को देखे तो वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यह 3.8 प्रतिशत है।

750 रु. से 1500 रु. की मासिक आय वाले लोगों की प्रतिशतता 25.9 है और 1500 रु. से 2500 रु. की आय वाले लोगों की प्रतिशतता 29.1 है तथा 4000 रु. से ऊपर वाले 17.7 प्रतिशत है।

मैं यह आंकडे सदन को बता रही हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सर्वेक्षण किस ने किया है?

श्रीं एच.डी. देवेगौडा : यह विभाग के द्वारा किया गया है। किसी समाचार एजेंन्सी ने नहीं किया है। भारत में रसौई गैस के मूल्य में वृद्धि किये जाने के बाद भी इसके भाव 8.46 रु. प्रति किलो है जबकि पडौसी देश मलेशिया में भाव 16.12 रु. हैं बाग्लादेश में वह हम से अमीर हैं - भाव 13.50 रु. है, म्यांमार में 22.37 रु. है और श्रीलंका के भाव 13.4 रु. एवं थाईलैण्ड में रसौई गैस का भाव 15.4 रु. प्रति किलो है।

एच.एस.डी. के बारे में सड़क परिवहन में जिन्सों की ढुलाई पर कुछ असर जरूर पडेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। सारे देश में सड़क परिवहन विभागों की कुल खपत 61.8 प्रतिशत है, रेलवे के लिये यह 4.3 प्रतिशत है; नौवहन के मामले में यह 0.4 प्रतिशत होता था कृषि क्षेत्र में इसकी खपत 16.3 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र में खपत की प्रतिशतता 17.2 प्रतिशत है। एच.एस.डी. की क्षेत्रवार खपत इस तरह है।

जहां तक वाहनों की संख्या की बात है डीजल कारों की संख्या 310412 है, जीपों की संख्या 598191 है और वाणिज्यक वाहनों की सख्या 21,27,504 है

मैं अब मोटर स्पिरिट की खपत के आकंडे बताता हूं। देश में कुल 13676000 कारें हैं। कुल खपत 19810973 मीटरी टन है। मैंने क्षेत्रवार खपत तथा साथ में डीजल से चलने वाले वाहनों, कारों की संख्या तथा इस तरह की बातें बताई हैं। कुल खपत लगभग 1,98,10,973 मीटरी टन हैं।

श्री नीतीश कुमार : ट्रैक्टरों की क्या स्थिति है...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैंने आपको बताया कि कितने किसान इन का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भी किसी वस्तु के भावों में वृद्धि की जानी होती है तो उसका भार कुछ वर्गों पर पड़ना स्वाभाविक है। मैं इस पर विवाद नहीं पैदा कर रहा। परंतु इसके साथ ही हम अन्य लोगों के बारे में भी सोचें। नीतीश जी। मैं सोचता था कि आप कृषक वर्ग से हैं...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इसे छोड़ दिया है। वह अब मन्दिर बनाने के काम में लग गये हैं...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं उनका बहुत आदर करता हूं। श्री नीतीश कुमार जी मैंने आपका भाषण सुना है हालांकि मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। मैं आपके भाषण को पूरी तरह से समझ नहीं सका क्योंकि आप हिन्दी में बोले थे। परंतु मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आपने इस सरकार के द्वारा दी गई उर्वरक सब्सीडी के बारे में कम से कम एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री नीतीश कुमार : मैं इसकी सराहना करता हूं। परंतु श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : यदि आपने उल्लेख किया है तो आपका धन्यवाद मेरे विचार से भारत को आर्थिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग ग्रामीण भारत है और दूसरा भाग शहरी भारत है। यह न समझें कि मैं शहरी लोगों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया रखता हूं। अथवा ग्रामीण लोगों के प्रति नरम हूं। इस बात को भूल जायें। मैं आपको केवल आंकड़े बता रहा हूं। मुम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में ही रेलवे को 220 करोड़ रु. का घाटा सहन करना पड़ता है जिसके लिये हम सब्सीडी दे रहे हैं। यह उपनगरीय गाड़ियों के लिए है।

श्री नीतीश कुमार जी पोस्ट-कार्डों, रजिस्ट्रेशन फीस तथा अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री पर अकेले संचार विभाग में हम 600 करोड़ रु. की सब्सीडी दे रहे हैं।

इस सब का लाभ किसे मिल रहा है? यह लाभ जनता को मिल रहा है। बिहार में नरसंहार हुआ। मुझे वह खबर शनिवार को सुबह 7.30 बजे मिली। मैंने गृह मंत्री को कहा, "मैं आज दोपहर बाद उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने दो घंटों में जानकारी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि यद्यपि आप भारतीय वायुसेना के विमान से पटना तक जा सकते हैं। परंतु आप उस गांव तक हैलिकाप्टर के जरिए भी नहीं पहुंच सकते। हम उस गांव से 2 मील की दूरी पर हैलीपैड की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको 2 मील पैदल चलना पड़ेगा।" यह भारत की असली तस्वीर है। आप उसी राज्य से हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। 27 तारीख को क्या हुआ? मैं उस स्थान पर उसी दिन जाना चाहता था, क्योंकि वह छुट्टी का दिन था और सदन की बैठक नहीं थी। गृह सचिव ने मुझे बताया "आपको दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और हम आपको आज वहां आने की सलाह नहीं देते।" जैसा कि मैंने आपको बताया है आर्थिक दृष्टि से हम भारत को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ग्रामीण भारत है और भाग शहरी भारत है। हम समाज के विभिन्न वर्गों को कितनी सब्सीडी दे रहे हैं? मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। परंतु आपको उन लोगों के बारे में भी विचार करना चाहिये जिनकी कोई आवाज

नहीं है। यह सदन उन लोगों के लिए है जिनकी कोई आवाज नहीं है। मैंने जो निर्णय किया है उसे समाज के बहुत से सम्पन्न वर्गों द्वारा पसन्द नहीं किया जायेगा। मैं जानता हूं कि वे जनमत बनाने वाले हैं। वह इस सरकार के विरुद्ध अपना मत बना सकते हैं। परंतु मैं आपको साफतौर पर बताना चाहता हूं कि जब तक मैं यहां पर हूं मैं ग्रामीण जनता के हित के निर्णय करूंगा। मैं यह कहने को तैयार हूं। मैं इस पद से नहीं डरता। जब तक मैं यहां पर हूं मैं अपनी निर्णायकों के हित के फैसले करूंगा। उन लोगों के हित में सोचूंगा। जिनकी इन 48 सालों में उपेक्षा की गई है। निश्चित रूप से उन्हें अपना हक मिलना ही चाहिये। बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : प्रधान मंत्री जी डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने का असर भी तो उसी वर्ग पर पड़ने जा रहा है जिस वर्ग की बात आप कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री महोदय, जिन पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ा रहे हैं उनका प्रतिकूल असर भी तो गरीब लोगों पर ही पड़ रहा है जिनकी वकालत प्रधान मंत्री महोदय कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : माननीय प्रधान मंत्री महोदय, बिहार में अगर सड़कें नहीं हैं, तो उसका दोषी कौन है? बिहार में अगर विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसका दोषी कौन है? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल : प्रधान मंत्री महोदय, आप किसानों के नेता हैं। आप दो किलोमीटर पैदल चल सकते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मैं यह कहता हूं कि विपक्ष को सरकार पर आक्रमण करने का अधिकार है। विपक्ष ने जितनी भी कठोर भाषा का उपयोग किया मैंने अपने होंठ नहीं खोले। कुछ समय के लिये मेरी बात सुने। हम सभी मानव हैं। हम यहां पर उन लोगों की चिंता के लिये भी भेजे गये हैं। यह देवेगौड़ा का एकाधिकार नहीं है। कृपया मुझे बोल लेने दें।

यदि मैं बंगलौर का उद्धरण दूं तो आप कहेंगे कि मैं हमेशा बंगलौर की बात करता हूं। हम दिल्ली में इस पर कितनी सब्सीडी दे रहे हैं? 50 करोड़ रु. की सब्सीडी दी जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना के लिये लगभग 50 करोड़ की सब्सीडी दी जा रही है। दिल्ली में बिजली की सप्लाई के लिये 40 प्रतिशत सब्सीडी दी जाती है। दिल्ली में परिवहन पर 120 करोड़ रु. की सब्सीडी दी जा रही है।

इसको देखते हुए हमें मिल जुल कर उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिये जिनकी मूल जरूरतें हैं।

महोदय, मैंने इस मूल्य वृद्धि से पहले मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मैं उनके विचार सुनना चाहता था। मैंने अपनी पृष्ठ भूमि के साथ स्वयं अपने हाथों से उस बैठक की कार्य सूची तैयार की थी। मैंने सम्मेलन से 12 दिन पहले मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर उनसे कहा कि वे अपने विचार बनाकर आएं। मैं उनको सुनना चाहता था। हमने दो दिन तक बैठक की। आमतौर पर कोई भी प्रधान मंत्री 2 दिन तक सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। वह सम्मेलन का उद्घाटन करेगा और चला जायेगा। मैं यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि मैं लगभग पांच वर्ष के लिये कर्नाटक का कृषि मंत्री था और मैंने कृषि मंत्रियों के तीन सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और बाद में श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। वे प्रायः उद्घाटन करते थे और चले जाते थे। मैं दो दिनों के लिये 16 घंटे के लिये वहां बैठा रहा क्योंकि मैं हर मुख्य मंत्री के विचार सुनना चाहता था। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से सात क्षेत्रों को अर्थात संचार, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक वितरण तथा मध्यान्तर भोजन को प्राथमिकता देने का फैसला किया।

महोदय, आजादी के 48 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में लगभग 63000 गांवों में से उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने यह आकड़े दिये हैं और उसी के आधार पर मैं यह आंकड़े बता रहा हूं, यह मेरे स्वयं के आंकड़े नहीं हैं-35000 गांवों में स्कूलों की इमारतें नहीं है। इस राज्य ने देश को 6 प्रधान मंत्री दिये हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सब इन्होंने चौपट कर दिया ...**(व्यवधान)**

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप जवाब दें, आपने क्या किया है? ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : **इसके लिये आप जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनायें।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, 1.18 लाख गांवों में कोई सड़क नहीं है। यह आंकड़े राज्य सरकार ने दिये हैं।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हर कोई जानता है कि 48 साल व्यतीत हो चुके हैं। परंतु इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं?...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के सदस्य मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया?

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : क्या आपने डीजल के भाव बढ़ाने का निर्णय करके ग्रामीण लोगों की सहायता की है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। कृपया।

श्री एच.डी. देवेगौडा : कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि हम उन लोगों की कितनी सहायता कर सकते हैं। मुझे केवल यही चिंता है। इसी कारण मैंने मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मुझे इस सदन को यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि लगभग सभी मुख्य मंत्रियों ने, भाजपा के मुख्य मंत्रियों सहित राजनैतिक विचारों को भुला कर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करने में सहयोग किया कि उन बातों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये जो मैंने अभी बताया है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये। सन् 2000 तक जो भी कमी है हमें चार साल में पूरी करनी है। यह हमारा निर्णय है। हम सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं और मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम इन क्षेत्रों हेतु आवंटन में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार के आवंटन में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी यह राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जायेगी। चाहे राज्य सरकारों का शासन भाजपा के हाथों में हो या कांग्रेस के या द्रमुक पार्टी के हाथों में हो। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। मैं यह देखना चाहता हूं कि कम से कम अगले चार सालों में 21वीं शताब्दी के आरंभ होने से पहले इन क्षेत्रों में आम आदमी की मौलिक जरूरतों को पूरा किया जाये। यह हमारी चिंता है।

यदि हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिये संसाधन कहां से लायेंगे। यह प्रश्न हमारे विपक्ष के नेता तथा भूतपूर्व प्रधान ने पूछा था। उन्होंने पूछा "आपके मन में 101 योजनाएं हो सकती हैं किन्तु आप संसाधन कहां से लायेंगे?" मैं आम न्यूनतम कार्यक्रम का उल्लेख करके बता रहा हूं कि हम संसाधन कैसे जुटायेंगे। जब तक हम उन लोगों को नहीं छुएंगे जिनके पास फालतू पैसा है, यह संभव नहीं होगा। क्या वे रसोई गैस के सिलेन्डर के लिये 26 रु. और अदा नहीं कर सकते हैं?

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछें।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं हरेक से पूछूंगा। इसीलिये मैंने कहा कि हमें राजनीति को इसमें नहीं लाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे विचार तो सिद्धांतों पर आधारित हैं। आपके नहीं हैं।

श्री हरिन पाठक : क्या सिद्धांत? इस तरफ से उस तरफ जाना।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इन उत्पादों के प्रयोक्ताओं से अपील करता हूं कि वे भी तेल पूल लेखे में वर्तमान घाटे को पूरा करने में सरकार से सहयोग करें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : आप जो करना चाहते हैं करें। वह आपका अधिकार है। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। आपको सदन के भीतर व बाहर मेरा विरोध करने का पूरा अधिकार है। कोई भी उसे नहीं रोक सकता। आपको जनता को यह बताने का पूरा अधिकार है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो रसोई गैस प्रयोक्ताओं के प्रति विद्वेष रखता है। आप जायें और जनता को यह बतायें। मैं आपको सदन के बाहर और सदन के भीतर अपना विरोध करने से नहीं रोकना चाहता। परंतु इस सदन के जरिए मैं सभी उपभोक्ताओं से अपने भाईयों और बहिनों से यह अपील करता हूं कि इस वर्तमान संकट से निपटने के लिये इस सरकार के साथ सहयोग करें। मैं केवल इतनी अपील ही कर सकता हूं। मेरा मुख्य उत्तरदायित्व देश के सामने इस समस्या से निपटना है।

श्री हरिन पाठक : यह कटौती की स्लिप है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : हम डीजल में 15 प्रतिशत कटौती कर चुके हैं। किसी और कटौती का तो प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आजकल लकड़ी के भाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : आपके पास सरकार का विरोध करने के लिय बहुत समय है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं?

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि हमने जो अभी निर्णय किया है उसके लिये सरकार से सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 16 जुलाई, 1996 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 6.49 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 16 जुलाई, 1996/25 आषाढ़, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/3/4/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वांईट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।